

प्रवचन पाथेय



जैन विश्व भारती प्रकाशन

प्रवचन पाथेय-द

जैन सिद्धान्त दीपिका : प्रथम दो प्रकाश के व्याख्यापरक
प्रवचन । सन् १९७८



आचार्य तुलसी

संपादक
मुनि धर्मरुचि

द्वितीय संशोधित/परिर्वाधित संस्करण : अगस्त, १९९२
वीर निर्वाण वर्ष २५१८

मूल्य : पचीस रुपये/प्रकाशक : जैन विश्व भारती, लाडनूं, नागौर (राज०)
मुद्रक : मित्र परिपद्, कलकत्ता के आर्थिक सौजन्य से स्थापित जैन विश्व
भारती प्रेस, लाडनूं ३४१३०६ ।

PRAVACHAN PATHEY
Acharya Tulsi

Rs. 25.00

स्वकथ्य

प्रवचन करना एक कला है तो उनका संकलन-संपादन करना भी एक कला है। दोनों कलाओं की स्वतंत्र सत्ता है और स्वतंत्र महत्त्व है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रवचन करने में जितना समय और श्रम लगता है, उन्हें लिखने एवं संपादित करने में उससे कहीं अधिक समय और अधिक श्रम लग जाता है। हमारे धर्मसंघ के साधु-सध्वियां श्रमशील हैं। श्रम-निष्ठा के सस्कार उन्हें विरासत में प्राप्त हुए हैं। वे अपने लिए जितना श्रम करते हैं, उससे भी अधिक श्रम धर्मसंघ की सेवा में समर्पित करते हैं। वे स्वयं उजागर न होकर धर्मसंघ को उजागर करना चाहते हैं। वे निरन्तर काम करते हुए भी उसे गुरु की कृपा का अवदान मानकर चलते हैं। वे अपने जीवन में जहां-कहीं सफलता का वरण करते हैं, उसे गुरु की शक्ति का सुफल मानते हैं। यही कारण है कि हमारा धर्मसंघ सदा उदितोदित रहता है। जब तक हमारे साधु-साध्वियों में श्रद्धा, समर्पण और सेवा के सस्कार धनीभूत रहेंगे, धर्मसंघ के बहुआयामी विकास के पग रुकेंगे नहीं।

धर्मसंघ का अचार्य होने के नाते प्रवचन करना मेरी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया। कई वार दिन में दो-चार वार प्रवचन करने का अवसर मिल जाता है। एक वार तो प्रायः बोलना ही होता है। 'प्रवचन' मेरी हाँवी नहीं है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में मेरी अरुचि भी नहीं है। जब जैसी जनता सामने होती है, मैं अपने प्रवचन का विषय और शैली—दोनों बदल लेता हूँ। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता कि मेरी बात सुनकर श्रोताओं को कोई दिशा मिल रही है। और कभी-कभी मैं स्वयं बोलता-बोलता आत्मविभोर हो जाता हूँ। कभी-कभार ऐसा भी प्रसंग आता है, जब मैं पूरे मन से नहीं बोलता हूँ। पर बहुत वार ऐसा होता है कि प्रवचन करने में मुझे अतिरिक्त आत्मतोष मिलता है। जिस समय मैं ग्रामीण लोगों के बीच में बैठता हूँ, उनकी समस्याएँ सुनता हूँ, उन्हें व्यसन-मुक्त और रूढ़ि-मुक्त होने की प्रेरणा देता हूँ और वे मेरी छोटी-से-छोटी सलाह को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, शराब-तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं को छोड़ते हैं, सामाजिक कुप्रथाओं को छोड़ते हैं और अपनी सादगीपूर्ण भक्ति-भावना से मेरे दिल में स्थान बना लेते हैं, उस समय मैं अभिभूत हो जाता हूँ। ऐसे भोले-भाले, सीधे-सादे लोगों के बीच दो-दो घंटे लगातार बोलने पर भी मैं थकान अनुभव नहीं करता।

गांवों की तरह मैं शहरों में जाता हूँ, रहता हूँ। वहाँ की प्रबुद्ध जनता संपर्क में आती है। उसके साथ मानवीय और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में चर्चा करता हूँ। उस समय भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। विद्वान् लोगों की परिपक्व मे दार्शनिक और मानवीय दृष्टि का विश्लेषण करते समय मैं स्वयं को भूल-सा जाता हूँ।

गांवों और शहरों में दिए गए मेरे प्रवचनों को संकलित-संपादित करने का सिलसिला यदा-कदा शुरू होता है, तब मुझे लगता है कि इनका क्या उपयोग होगा ? किन्तु जब वे मुद्रित होकर सामने आते हैं, तब ऐसी प्रतीति होती है कि जन-साधारण के लिए प्रवचन-साहित्य का जितना उपयोग है, दार्शनिक और सैद्धान्तिक साहित्य का उतना नहीं है। इसी कारण इस काम में रुचि रखनेवाले साधु-साधिवियों को मैं प्रोत्साहित करता रहता हूँ। मुनि धर्मरुचि भी अभिरुचिसम्पन्न साधु हैं। शारीरिक दृष्टि से कुछ कठिनाई रहने पर भी वह जिस काम में लग जाता है, उसे पूरे मन से करता है। 'प्रवचन पाथेय' का यह आठवां भाग सन् १९७८ में गंगाशहर-प्रवास के समय दिए गए प्रवचनों का एक संकलन है। उस समय लिखे गए प्रवचनों का, उसने इस वर्ष पुनः निरीक्षण कर, पठनीय सामग्री के रूप में प्रस्तुतीकरण कर दिया। यह प्रस्तुति पाठकों को सोचने और समझने की गहरी प्रेरणा दे, यही अभीष्ट है।

बीदासर

५ जनवरी १९८९

आचार्य तुलसी

सम्पादकीय

आचार्यश्री तुलसी एक अमर गाथा हैं— युग-सृजन की। प्रबल प्रेरणा हैं—जीवन-जागरण की। लाखों-लाखों लोग जहाँ उन्हें एक जैन मुनि के रूप में जानते हैं, तेरापथ-के नवमाधिशास्ता के रूप में पहचानते हैं, वहाँ करोड़ों-करोड़ों व्यक्तियों की नजरों में उनका व्यक्तित्व एक मानव-धर्म/जन-धर्म के प्रवर्तक के रूप में उभरा है। निम्सदेह. वे एक सम्प्रदायविशेष से अनुवर्धित/संबन्धित हैं परन्तु उनका दृष्टिकोण सर्वाधिक नहीं है, बहुत व्यापक है। मपूर्ण मानवजाति के उदितोदित भविष्य के प्रति वे अत्यंत सवेदनशील हैं। इसलिए व्यक्तिगत से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की हर समस्या के सदर्भ में वे सोचते हैं और उसे समाहित करते हैं। उनके इस समाधान ने जन-जन को यथार्थ के धरातल पर सोच-समझ का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है।

जैन-दर्शन में सम्यग्दृष्टि का सर्वाधिक महत्त्व है। जब तक व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक् नहीं बनता, तब तक उसका ज्ञान भी अज्ञान कहलाता है। उसका व्रत भी अव्रत ही होता है। दृष्टिकोण के मिथ्यात्व के कारण उसका आचरण भी सम्यक कब बन पाता है? इसलिए जीवन-विकास की प्राथमिक अपेक्षा है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ हो। प्रनारान्तर से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति मुक्ति का प्रवेश-द्वार है। मानना चाहिए, जिसने सम्यग्दृष्टि को प्राप्त कर लिया, सोच-समझ की यथार्थता पा ली, उसने एक दृष्टि से सब कुछ प्राप्त कर लिया।

प्रवचन करना आचार्यश्री की जीवनचर्या का एक अंग है। उनको सुनने के लिए तेरापथी और जैन आते हैं, तो अजैन भी आते हैं। पुरुष आते हैं, तो महिलाएँ और बच्चे भी आते हैं। महाजन आते हैं, तो हरिजन भी आते हैं। आस्तिक आते हैं, तो नास्तिक और कम्यूनिस्ट भी आते हैं। साहित्यकार, वकील, न्यायाधीश, डॉक्टर, इंजीनियर आदि प्रबुद्ध-वर्ग के लोग आते हैं, तो गावों के अनपढ़ किसान और जगलो में रहनेवाले आदिवासी भी आते हैं। परन्तु वे भीड़ के रूप में केवल इकट्ठे ही नहीं होते. ग्रहणशील मानस से मत्रमुग्ध बन उनके शब्द-शब्द को सुनते भी हैं। तब घटित होता है— एक आश्चर्य ! एक चमत्कार ! मैंने साक्षात् देखा है, कम्यूनिस्ट एवं नास्तिकों को सहमा आस्तिक बनते हुए। मैंने देखा है, धर्म को रूढ़ि और दकियानूसी विचार समझनेवालों द्वारा उसे जीवन की शांति और आनंद के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा एव निर्विकल्प साधन के रूप में स्वीकार किए जाते हुए।

देखा है मैंने वर्षों से पी जानेवाली चिल्मों को फोड़ी जाते हुए, वीडो-सिगरेट के बंडलों व पॉकेटों को फेके जाते हुए। मैंने देखा है, सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यता को मानवजाति का कलक मान उसे सदा-सदा के लिए विदा कर एक हरिजन भाई को सगे भाई भी तरह गले लगाए जाते हुए। मैंने देखा है, बड़े-से-बड़े सामाजिक प्रतिबन्ध एव कानून जहां असफल रहे, वहां अचार्यश्री के चन्द शब्दों ने बड़े-बड़े अपराधियों के दिल और दिमाग को प्रायश्चित्त की भूमिका पर रूपान्तरित कर दिया। परिणामतः अपने अभिशप्त जीवन से ऊपर उठकर एक आदर्श नागरिक का जीवन जीने के लिए सकल्पवद्ध होते हुए मैंने उन्हें देखा है।”

ऐसा क्यों होता है ? निश्चय ही आचार्यश्री का प्रवचन-कौशल अनूठा है। उनकी अभिव्यक्ति अजब-गजब की है। परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रवचन में मात्र आचार्यश्री के शब्द ही भाषायित नहीं होते, अपितु उनका स्वयं का जीवन बोलता है। उनकी साधना बोलती है। उनकी आत्मा बोलती है। और जहां व्यक्ति का जीवन बोलता है, साधना बोलती है, आत्मा बोलती है, वहां शब्द मात्र शब्द ही नहीं रहते, शक्ति बन जाते हैं। उनमें एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाता है। व्यक्ति के हृदय को छूने की अर्हता उद्भूत हो जाती है। ऐसे एक-एक क्षण को, एक-एक दृश्य को और उन जादुई शब्दों को लिपिवद्ध गुम्फित किया जा सके— यह कितनी सुखद कल्पना है ! पर यह जितनी सुखद है, उतनी सहज कहां ? कोई कुशल साहित्य-गिल्पी ही ऐसा कर सकता है। मैं तो साहित्य की प्रथम कक्षा का एक विद्यार्थी मात्र हूँ। अभी बिलकुल प्राथमिक ज्ञान—क, ख, ग””” ही सीख रहा हूँ। फिर यह प्रयास/साहस मैंने क्यों किया ? कैसे किया ?

२० जुलाई, १९७७ [वि० सं० २०३४] की वह सन्ध्या। भिक्षु-विहार—जैन विश्व भारती का वह दक्षिणामुख वरामदा। प्रतिब्रमण के पश्चात् मैं पूज्य गुरुदेव के श्रीचरणों में उपस्थित हुआ। चरण-वंदन कर ज्योही मैं उठने की तैयारी में था, आचार्यवर ने विना किसी पूर्व भूमिका के निदेश की भाषा में फरमाया—‘कल से तुम्हें प्रातः कालीन प्रवचनों का सकलन करना है।’ अपनी अक्षमता को देखता हुआ मेरा आत्म-विश्वास सहसा इम दायित्व को ओढ़ने की म्वीकृति नहीं दे पाया। पर साथ ही गुरुदेव के निदेश को अस्वीकार करने की भी मेरी मानसिकता नहीं थी। तत्काल चिंतन आया—जब गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर मैं क्षमता-अक्षमता की चिंता क्यों करूँ ?

बस, दूसरे दिन से प्रवचन-संकलन का कार्य प्रारम्भ हो गया। अभ्यास और अनुभव की कमी के कारण प्रारंभ में काफी कठिनाई रही। परन्तु मानसिक सकल्प मुझे इस दिशा में सतत प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित करता

रहा। लगभग दो महीनों का प्रवचन-सकलन मैंने आचार्यवर को निवेदित किया। त्रुटियों का दिग्दर्शन करवाते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, वह मेरे उत्साह को द्विगुणित करनेवाला था।

एक-डेढ़ वर्ष तक यह क्रम चलता रहा। मैं चाहता था कि इस क्रम को आगे-से-आगे बढ़ाता रहूँ। पर अस्वस्थता का इतना बड़ा अवरोध सामने उपस्थित हो गया कि मुझे अपनी भावना के प्रतिकूल इस कार्य को बन्द करना पड़ा। अलवत्ता अस्वस्थता में भी मैं जैसे-तैसे पिछले प्रवचनों को व्यवस्थित कर सका, यह भी मेरे लिए कम तोप का विषय नहीं था।

वर्षों का समय व्यतीत हो गया। यह प्रवचन-सकलन जैन विश्व भारती की अलमारियों में पड़ा रहा। ढाई-तीन वर्ष पूर्व वि० सं० २०४३ का चातुर्मास-प्रवास करने आचार्यवर लाडनू पधारे। वही जैन विश्व भारती का प्रागण। वही भिक्षु-विहार का दक्षिणाभिमुख वरामदा। वही सन्ध्या-कालीन प्रतिक्रमण के पश्चात् चरण-वंदन का समय। प्रवचन-सकलन की बात चल पड़ी। प्रसंगवश मैंने निवेदन किया—‘प्रवचन-सकलन के पुराने फाइल पड़े हैं। यदि उनको संपादित कर दिया जाए तो उनका समुचित उपयोग हो सकता है।’ चूँकि आचार्यश्री के साहित्य-संपादन का कार्य मुख्य रूप से महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाश्री कनकप्रभाजी करती है, इसलिए मेरा निवेदन उन्हीं के लिए था। पर आचार्यश्री ने कहा—‘नहीं, वे नहीं करेगी। तुम्हारा सकलन तुम्हें ही सम्पादित करना है।’ मेरे सामने बड़ी कठिनाई थी। संपादन का कोई अनुभव नहीं और स्वास्थ्य की प्रतिकूलता। मैंने अपनी स्थिति निवेदित की। आचार्यश्री ने कहा—‘अनुभव तो काम करते-करते ही होगा। स्वास्थ्य अभी अनुकूल नहीं है तो कोई बात नहीं, जब ठीक हो, तब करना। पर यह कार्य करना तुम्हें ही है।’

लगभग छह माह का समय शारीरिक अस्वस्थता से जूझते हुए बीत गया। बार-बार मन में यह बात आती कि आचार्यवर का निदेश है, फिर भी कार्य नहीं कर रहा हूँ, यह मेरे लिए शोभनीय नहीं। आखिर लाडनू चातुर्मास के पश्चात् आचार्यवर सुजानगढ होते हुए चाडवास पधारे। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार था। मैंने निर्णय लिया—अब कौसी भी स्थिति क्यों न हो, मुझे यह कार्य करना है। और आचार्यवर के मंगल आशीर्वाद के साथ मैंने कार्य प्रारंभ कर दिया। पिछले दिनों प्रकाशित प्रवचन पाथेय के भाग-४, ५ व ६ उसके ही फलित हैं। उसी क्रम में यह ८ वां भाग प्रस्तुत है। इसमें ‘जैन सिद्धान्त दीपिका’ के प्रथम दो प्रकाश पर दिए गए प्रवचनों का संकलन है। इस कार्य की सम्पन्नता के साथ मैं अपनी सम्पादन-यात्रा की काफी मजिल तय कर चुका हूँ। अब थोड़ा ही चलना शेष है। पूज्य गुरुदेव का वरदहस्त मेरे सिर पर है। उसकी छत्रछाया में मैं अपनी शेष यात्रा को भी निर्विघ्न

संपन्न कर सकूंगा—ऐसा विश्वास है।

परमाराध्य गुरुदेव मेरे जीवन-निर्माता हैं, संयम-प्रदाता हैं। उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर मैं निश्चित हूँ, कृतार्थ हूँ। जब जीवन ही समर्पित कर चुका, तब उनके प्रति शाब्दिक कृतज्ञता-समर्पण बहुत छोटी बात है। गुरुदेव का तो मंगल आशीर्वाद ही काम्य है। इस आशीर्वाद के संरक्षण में मैं उनके हर इंगित, आदेश व निदेश को समर्पित भाव से आकार देता रहूँ, यही उनके प्रति कृतज्ञता होगी

सद्य परामर्शक मुनिश्री मधुकरजी का सतत सान्निध्य मेरे जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। समयोचित प्रेरणा, निदेश और मार्ग-दर्शन के द्वारा उन्होंने मुझे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाश्री कनकप्रमाजी का अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने न केवल अपने अनुभवपूरित सुझावों से मुझे लाभान्वित ही किया, अपितु साध्वी निर्वाणश्रीजी को अन्यान्य कार्यों से मुक्त कर इस कार्य में मुझे सहयोग करने के लिए नियोजित किया। साध्वी निर्वाणश्रीजी मेरी संसारपक्षीया वहिन हैं। पर इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे मेरे जीवन-विकास की विभिन्न प्रवृत्तियों में प्रेरक और पूरक रही हैं। इस संपादन-कार्य में भी उनका जो सहयोग-सहकार मिला है/मिल रहा है, वह अत्यन्त मूल्यवान् है। पर इसके लिए मैं उनका आभार मानूँ—यह उनके लिए अरुचिकर है। और फिर इस निमित्त वे स्वयं लाभान्वित हुई हैं/हो रही हैं—यह स्वयं अपने आप में आभार ही है।

आचार्यप्रवर के प्रवचन सर्वजनहिताय है। सहस्रों-सहस्रों लोगों ने उनके संबोधन से संबोधि को प्राप्त किया है—यह एक तथ्य है। पर इससे भी महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि मैं स्वयं इससे बहुत अधिक लाभान्वित हुआ हूँ। इस सकलन-संपादन के निमित्त मुझे ज्ञान के अथाह सागर में बार-बार डुबकिया लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरे जीवन के लिए एक वरदान है। इस वरदान को प्राप्त कर मैं अपने आपको अत्यन्त सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। मेरा यह सौभाग्य जन-जन का सौभाग्य बने, उसे सोच-समझ की सही दिशा प्राप्त हो, जीवन जीने की सच्ची कला उपलब्ध हो—इसी ललक के साथ***

प्रकाशकीय

‘प्रवचन पाथेय’ यथा नाम तथा गुण, राष्ट्रसंत आचार्य तुलसी के प्रवचनों का सकलन पाठको के लिए उनके व्यक्तित्व निर्माण का पाथेय है। इन प्रवचनों के माध्यम से आचार्यश्री ने अपनी दीर्घकालीन अध्यात्म साधना के अनुभवों का, जो जीवन के सर्वांगीण विकास के मार्गदर्शक तत्त्व हैं, सांगोपाग निरूपण किया है।

जिस प्रकार ॐ शब्द की भाषा के विस्तीर्ण की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार भाषा के व्यापकता की भी कोई सीमा नहीं होती, कोई बन्धन नहीं, केवल एक ही बन्धन है अध्यात्म। आचार्य तुलसी के प्रवचन इसी अध्यात्म से प्रतिबन्धित है एवं प्रस्तुत ग्रन्थावली उसी भाषा का संग्रह है। अध्यात्म को सहज ग्राह्य बनाने में आचार्यश्री ने अपनी वाणी द्वारा विविध प्रस्तुतियों के माध्यम से गूढ रहस्यों को सामान्य भाषा में प्रस्तुत किया है।

जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित साहित्य की शृंखला में प्रवचन साहित्य का विशेष महत्त्व है। इसी क्रम में यह प्रवचन पाथेय भाग-८ का दूसरा संस्करण आपके लिए प्रस्तुत है, जो अपने आप में इसकी उपयोगिता एवं महत्त्व को उजागर करता है।

मेधासम्पन्न मुनिश्री धर्मरश्मिजी ने इस प्रकाशन के सम्पादन में जो श्रमशीलता का परिचय दिया है, उसके लिए श्रद्धा-आभार व्यक्त है।

आशा है, पाठकगण अपने जीवन के निर्माण में इस साहित्य से दिशा-दर्शन प्राप्त करेंगे।

जैन विश्व भारती, लाडनू
२४ जुलाई १९९२

श्रीचंद वैगानी
मंत्री
जैन विश्व भारती

अनुक्रम

१. धर्म सम्प्रदाय की चौखट मे नही समाता	१
२. संसार क्या है ?	८
३. धर्मास्तिकाय : एक विवेचन	११
४. अधर्मास्तिकाय की स्वरूप-मीमासा	१९
५. आकाश को जानें	२३
६. लोक-स्थिति : एक विश्लेषण	३१
७. सृष्टि क्या है ?	३५
८. सृष्टिवाद : एक विवेचन	३९
९. पुद्गल . एक अनुचितन	४५
१०. पुद्गल के लक्षण	४८
११. पुद्गल की विभिन्न परिणतियां	५३
१२. क्या अन्धकार पुद्गल है ?	५८
१३. क्या छाया स्वतंत्र पदार्थ है ?	६४
१४. परमाणु का स्वरूप	७१
१५. परमाणु : एक अनुचिन्तन	७५
१६. परमाणु-संश्लेष की प्रक्रिया	८३
१७. काल	८६
१८. क्या काल पहचाना जाता है ?	१०२
१९. पद्मद्रव्यो की स्थिति	१०५
२०. पुद्गल, धर्म व अधर्म की स्थिति	१०९
२१. संसार मे जीव की अवस्थिति	११५
२२. गुण क्या है ?	११९
२३. प्रदेशवत्त्व और अगुरुलघुत्व	१२५
२४. विशेष गुण : एक विमर्श	१३३
२५. द्रव्य के विशेष गुण	१३६
२६. हम पर्याय को पहचाने	१३८
२७. पर्याय के लक्षण व प्रकार	१४६
२८. तत्त्व-बोध	१५१
२९. स्वयं के अस्तित्व को पहचानें	१५५
३०. परिवर्तन का प्रारम्भ कहां से ?	१६२

चीदह

३१. मतिज्ञान के प्रकार	१७२
३२. श्रुतज्ञान : एक विश्लेषण	१७७
३३. श्रुतज्ञान के भेद	१८२
३४. अवधिज्ञान के प्रकार	१८९
३५. मन.पर्यायज्ञान के प्रकार	१९४
३६. केवलज्ञान	२०२
३७. दर्शन और उसके प्रकार	२०७
३८. इन्द्रिय के प्रकार	२१३
३९. इन्द्रियां : एक विवेचन	२१९
४०. मन : एक मीमांसा	२२३
४१. आत्म-स्वरूप क्या है ?	२३०
४२. कर्म और भाव	२३३
४३. औदयिक भाव और समभाव	२३५
४४. भाव और उनके प्रकार	२४५
४५. उत्थान व पतन का आधार : भावधारा	२५१
४६. औदयिक भाव का विलय : मुक्ति-द्वार	२५५
४७. पारिणामिक भाव : एक ध्रुव सत्य	२६२

परिशिष्ट

१. शब्दानुक्रम · विषयानुक्रम	२६७
२. नामानुक्रम	२७६
३. पारिभाषिक शब्दकोष	२७८
४. प्रेरक वचन	२८३



धर्म संप्रदाय की चौखट में नहीं समाता

जैन-दर्शन भारतीय दर्शनों में एक प्रमुख दर्शन है। वस्तुतः यह एक बहुत गहरा दर्शन है। जीव से लेकर मोक्ष तक की अत्यन्त सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक चर्चा इस दर्शन में प्राप्त होती है। मैं चाहता हूँ, जैन कहलानेवाला हर व्यक्ति, चाहे वह भाई हो या बहिन, एक सीमा तक जैन-दर्शन का ठोस ज्ञान अवश्य करे। अन्यथा वह अपने धर्म व दर्शन के प्रति न्याय नहीं कर सकता। चिंतन आया कि चातुर्मास काल के लम्बे प्रवास में यदि जैन सिद्धांतों का विवेचन हो तो स्थानीय लोगों के लिए यह उपक्रम अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसी दृष्टि से मैं 'जैन सिद्धान्त दीपिका' का वाचन प्रारम्भ कर रहा हूँ।

दर्शन : धर्म : संप्रदाय

दर्शन, धर्म और सम्प्रदाय—ये तीन अलग-अलग शब्द हैं। दर्शन यानी दृष्टि/देखना। जब तक किसी वस्तु को साक्षात् नहीं देख लिया जाता, तब तक सुने-सुनाए या पढ़े-पढाए के आधार पर उसे जानना अधूरा दर्शन है। परन्तु देखने का तात्पर्य केवल आंखों से देखना नहीं है। वह तो बहुत स्थूल दर्शन है। वास्तव में तो आत्मा से साक्षात् देखना ही देखना है, दर्शन है। हमारे तीर्थंकर द्रष्टा थे। द्रष्टा किसी आधार पर कुछ नहीं कहते, वे स्वयं आत्मा से साक्षात् देखते हैं और फिर उसका विवेचन जन-साधारण के सामने करते हैं। इस अपेक्षा से उन द्रष्टा ऋषियों, महर्षियों या तीर्थंकरों की वाणी 'दर्शन' कहलाती है।

तीर्थंकरों द्वारा जो कुछ बताया गया, उसके अनुसार जीवन का व्यवहार करना 'धर्म' कहलाता है। दूसरे शब्दों में जीवन के चरम लक्ष्य—मोक्ष तक पहुंचने के लिए किया जानेवाला आचरण 'धर्म' है।

'सम्प्रदाय' का अर्थ है—गुरुक्रम। एक व्यक्ति कोई रास्ता निकालता है और फिर अनेक व्यक्ति उस रास्ते पर चलने लगते हैं। संख्या बढ़ते-बढ़ते उनका एक समूह बन जाता है और वही 'सम्प्रदाय' कहलाता है। कुछ लोग सम्प्रदाय को धर्म की आराधना का एकमात्र आधार मानते हैं, तो कुछ लोग इसके विपरीत सम्प्रदाय को धर्म-आराधना में सर्वथा बाधक तत्त्व मानते हैं। मैं

धर्म सम्प्रदाय की चौखट में नहीं समाता

इन दोनों ही चिन्तनों को एकान्तिक मानता हूँ। मेरी दृष्टि में एकान्ततः सम्प्रदाय न तो धर्म की आराधना में साधक है और न ही बाधक। जहाँ व्यक्ति अकेला साधना करता है, वहाँ सम्प्रदाय बाधक बनता है। पर अकेले रहकर साधना करनेवाले साधक बहुत थोड़े ही हो सकते हैं। क्योंकि इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं। आम लोगों के लिए तो सामूहिक साधना का क्रम ही सुविधाजनक एवं श्रेयस्कर है और इस क्रम में सम्प्रदाय की बहुत बड़ी उपयोगिता है।

कुछ लोग धर्म और सम्प्रदाय को एक ही मानते हैं। पर तत्त्वतः धर्म और सम्प्रदाय दो भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं। धर्म आत्मा है तो सम्प्रदाय शरीर। जिस प्रकार आत्मा शरीर में रहती है, उसी प्रकार धर्म सम्प्रदाय में रहता है। जिस प्रकार आत्मा-विहीन शरीर का संसार में कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार धर्म के बिना सम्प्रदाय की मूल्यवत्ता ही क्या ?

एक व्यक्ति ने मुझसे कहा—“आचार्यजी ! धर्म-क्षेत्र में इतने भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय नहीं होने चाहिए। क्योंकि इससे हम लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सब अपनी अलग-अलग बात करते हैं। हम किसकी बात मानें और किसकी न मानें ?” और भी बहुत-से लोगों के मन में यह बात हो सकती है। इसका समाधान स्पष्ट है। कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में कपड़े की हजारों-हजारों दुकानें हैं। उनकी बात हम छोड़ें, वीकानेर की ही बात लें। यहाँ पर भी कपड़े की सम्भवतः सैकड़ों दुकानें होंगी। सभी दुकानवाले अपना-अपना कपड़ा दिखाते हैं, अपनी-अपनी बात बताते हैं। क्या यह ग्राहकों के लिए एक बड़ी उलझन नहीं है ? इतनी दुकानें न होकर यदि एक ही दुकान होती तो अच्छा नहीं होता ? पर वास्तविकता किसी से छुपी नहीं है। यदि पूरे वीकानेर में कपड़े की एक ही दुकान हो जाए तो ग्राहकों को बड़ी परेशानी हो जाएगी। सैकड़ों दुकानों के रहने में कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, ग्राहक को इस बात का निर्णय अवश्य करना होता है कि कौन-सा कपड़ा ठीक है और उसे कहां से लेना है।

सत्य सम्प्रदाय विशेष की बपौती नहीं

यही बात सम्प्रदाय के बारे में है। भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय अपनी-अपनी बातें कहते हैं और भिन्न-भिन्न रूपों में कहते हैं। यह निर्णय तो व्यक्ति को अपने चिन्तन से करना होगा कि उसे किस सम्प्रदाय को स्वीकार करना है। पर एक सम्प्रदाय को स्वीकार करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि व्यक्ति दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों के सत्य के प्रति आखें मूद ले। वस्तुतः सत्य/ज्ञान अनन्त है। वह किसी सम्प्रदायविशेष की बपौती नहीं है। हमारा काम है, जहाँ भी सत्य मिले, उसे सहर्ष ग्रहण करे।

एक व्यक्ति असत्य न बोलने का सकल्प करता है। क्या यह धर्म नहीं है? चाहे किसी भी सम्प्रदाय को माननेवाला व्यक्ति इस संकल्प को ले, वह धर्म ही है। आप बताएं, कौन सम्प्रदाय सत्य को धर्म के सूत्र के रूप में स्वीकार नहीं करता? सभी सम्प्रदाय सत्य की साधना को धर्म ही मानते हैं। जो सम्प्रदाय सत्य को धर्म-तत्त्व के रूप में स्वीकार नहीं करता, वह वास्तव में सम्प्रदाय है ही नहीं।

साम्प्रदायिक विद्वेष का आदि बिन्दु

सम्प्रदाय में सत्य है, पर सम्प्रदाय ही सत्य नहीं है। सम्प्रदाय के बाहर भी अनन्त-अनन्त सत्य विद्यमान हैं—इस तथ्य को स्वीकार कर चलने से हमारे सामने कोई कठिनाई या उलझन पैदा नहीं होती। कठिनाई या उलझन वही शुरू होती है, जहां व्यक्ति अपने सम्प्रदाय में सत्य को कैद कर देता है। वस्तुतः साम्प्रदायिक विद्वेष का प्रारम्भ इसी बिन्दु से होता है।

सत्यग्राही दृष्टिकोण अपनाएं

जो सम्प्रदाय परस्पर लडते-भगडते हैं, उन्हें धर्म-सम्प्रदाय कहलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि हर व्यक्ति अपने धर्म-सम्प्रदाय के सत्य को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है, पर इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वह दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों के सत्य को अस्वीकार करे। उन पर मनगढ़न्त और मिथ्या आरोप-प्रत्यारोप करे। जहां सत्यग्राही दृष्टिकोण होता है, वहां भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय होकर भी उनमें परस्पर कोई वैमनस्य नहीं होता। पर जहां दृष्टिकोण साम्प्रदायिक होता है, वहां सत्य की हत्या हो जाती है और अपने-अपने अहं का पोषण होने लगता है। इसकी परिणति होती है—टकराव। अपेक्षा है, साम्प्रदायिक व्यामोह से दूर रहकर सत्यग्राही दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसी में व्यक्ति, सम्प्रदाय व धर्म का हित निहित है।

हम मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करते। पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम मूर्तिपूजक समाज की आलोचना करें, उन पर गलत आक्षेप-प्रक्षेप करें। हां, हम अपने विचार दृढ़ता के साथ जनता के सामने रखने में स्वतंत्र हैं। मुझसे बहुधा पूछा जाता है कि आप मूर्ति को मानते हैं या नहीं? आचार्य मिश्र से भी यही प्रश्न किसी ने पूछा था। उन्होंने इसके समाधान में कहा—“हम मूर्ति को मानते हैं। सोने की मूर्ति को सोने की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति को मिट्टी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति मानते हैं।” तब दूसरा प्रश्न किया गया—“आप मूर्ति को भगवान मानते हैं या नहीं?” इस बार प्रश्न का समाधान प्रतिप्रश्न की शैली में दिया गया—“क्या आप भगवान मानते हैं?” उत्तर मिला—“हम मूर्ति को भगवान नहीं, भगवान की प्रति-

कृति मानते हैं।” स्वामीजी ने कहा—“मूर्ति को भगवान की प्रतिकृति तो हम भी मानते हैं।”

बन्धुओ ! मैं मूर्ति को अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण मानता हूँ। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि मूर्ति में इतिहास और स्थापत्य कला भरी पड़ी है। एकाग्रता एवं स्मृति में भी वह निमित्त बन सकती है। अमूर्ति-पूजक होते हुए भी मुझे इन बातों को कहने में कोई संकोच नहीं है।

धर्म कहीं भी किया जा सकता है

वस्तुतः मूर्ति कोई पूजने की नहीं, अपितु प्रेरणा लेने की वस्तु है। हालांकि कोई मूर्ति की पूजा करता है, उसमें मैं हस्तक्षेप नहीं करता। हां, यदि कोई मेरे से इस सम्बन्ध में परामर्श करे और मेरे विचार जानना चाहे तो मैं उसे अपने विचार देने को तैयार हूँ। इस सन्दर्भ में एक बात और स्पष्ट कर दूँ। पूजा नहीं करने का यह तात्पर्य नहीं कि मैं मन्दिर में जाने मात्र को ही पाप मानता हूँ। मेरी दृष्टि में मन्दिर में जाने या न जाने से धर्म का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। धर्म तो आत्मा का तत्त्व है। वह मन्दिर में भी किया जा सकता है, घर व दुकान में भी किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि कोई न करे तो घर पर भी नहीं कर सकता, मन्दिर में भी नहीं कर सकता। कहने का सारांश यह है कि आदमी करना चाहे तो कभी भी और कहीं भी धर्मांश करना कर सकता है और न करना चाहे तो अच्छे-से-अच्छे समय और पवित्र-से-पवित्र स्थान में भी धर्म की आराधना नहीं कर सकता।

अनाग्रही दृष्टि

मैं अपनी बात बताऊँ। मैं अनेक बार मन्दिरों में गया हूँ। और केवल गया ही नहीं हूँ, वहाँ जाकर मैंने भगवान की स्तुति भी की है। मन्दिरों में ही क्यों, मैं तो मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में भी गया हूँ। मुझे इसमें कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। हां, जो लोग मुझे कट्टर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखते हैं, वे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मन्दिर, मस्जिद आदि में नहीं जा सकता।

आपने मेरी नाक रख ली

लगभग पचीस-तीस वर्ष पूर्व मैं जयपुर में प्रवास कर रहा था। एक दिग्म्वर भाई प्रायः प्रतिदिन प्रवचन सुनने आता। यहाँ सुनी हुई बातों को वह अपने दूसरे-दूसरे साथियों को भी सुनाता। प्रतिदिन की भांति वह एक दिन आया और बोला—“आचार्यजी ! आज आपको मन्दिर चलना होगा।”

“मन्दिर में जाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं, पर आज जाना कठिन लगता है।”—मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट की।

“नही, आपको आज ही चलना होगा।”—उसने आग्रह किया।

“आज मेरे जाने में असुविधा बहुत है। अतः आज का आग्रह मत करो। और कभी मैं चल सकता हूँ।”—मैंने अपनी कठिनाई बतलाते हुए कहा।

“आपको सुविधा हो या असुविधा पर यह बात तो मेरी स्वीकार करनी ही होगी।”—उसका आग्रह और तीव्र हो गया।

मैं उसके अति आग्रह को टाल नहीं सका। असुविधा के बावजूद भी मैं मन्दिर में गया और वहाँ जाकर मैंने भगवान की स्तुति गाई। जब मैं मन्दिर से बाहर आया तो वह भाई भी साथ-साथ बाहर आया। बाहर आते ही उसने भावविह्वल स्वरों में कहा—“आचार्यजी! आज तो आपने मेरी नाक रख ली।”

मैं उसके कथन का आशय नहीं समझ सका। प्रश्नायित नयनों से मैंने पूछा—“कैसे?”

“आज मेरे और मेरे साथियों के बीच एक जिद हो गई थी। मैंने कहा कि आचार्यजी मन्दिर में आ सकते हैं और साथियों का कथन था कि वे किसी भी हालत में मन्दिर में आना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे यहाँ आने का इतना आग्रह किया था।”—रहस्य पर से परदा उठता हुआ वह बोला।

“यदि यह बात तुम पहले बता देते तो शायद मैं और जल्दी आ जाता। खैर! जो हुआ वह ठीक है।”—उस भाई के साथियों की सोच पर तरस खाते हुए मैंने कहा।

बन्धुओ! मैं नहीं समझता मन्दिर, मस्जिद.....में जाना कोई पाप है या उससे मूर्ति न पूजने का विश्वास खण्डित होता है। मैंने अतीत में इस बारे में अनेक बार स्पष्ट शब्दों में अपने विचार जनता के सामने रखे हैं और अब भी जब कभी प्रसंग उपस्थित होता है मैं इस सन्दर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ, जिससे लोगों में भ्रांतियाँ न फैले।

व्यक्ति एक सम्प्रदाय में खड़ा रहकर दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों के सिद्धांतों का अध्ययन कर सकता है और सत्य तत्त्व को ग्रहण कर सकता है। आप देखें, हम एक सम्प्रदाय (जैन श्वेताम्बर तेरापथ) के साधु हैं। पर यदि कोई चाहे तो आज हमारे अनेक साधु साख्य, वेदान्त, बौद्ध.....दर्शनों पर अधिकारपूर्ण भाषा में वक्तव्य दे सकते हैं।

अधूरी जानकारी

प्रसंगवश एक बात और कह दूँ। दर्शन का विषय-क्षेत्र बहुत गहन और सूक्ष्म है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करनेवालों को यह सदा ध्यान

रखना चाहिए कि जब तक उन्हें जिस विषय की पूर्ण और यथार्थ जानकारी न हो, तब तक वे उस विषय पर अपनी कलम न चलाएं। बड़े-बड़े विद्वान् भी कभी-कभी विषय की पूरी एवं यथार्थ जानकारी के अभाव में उस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते। आदि शंकराचार्य का उदाहरण हमारे सामने है। अद्वैतवाद के वे प्रवर्तक थे। उनकी विद्वत्ता में मुझे कोई सन्देह नहीं। पर स्याद्वाद के बारे में वे भी न्याय नहीं कर सके। उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्व० डा० सम्पूर्णानन्द एक विशिष्ट विद्वान् एवं कट्टर अद्वैतवादी थे। मैं जब लखनऊ गया, तब उनसे मिलना हुआ। मैं उनकी कोठी पर रात भर रहा। दार्शनिक-साहित्य पर चर्चा करते हुए मैंने उनसे पूछा—“आदि शंकराचार्य के बारे में आप क्या धारणा रखते हैं?”

“भयकर विद्वान् थे वे।”—वे एकदम बोले।

“स्याद्वाद के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह कहां तक यथार्थ है?”—यह मेरा अगला प्रश्न था।

यद्यपि डा० सम्पूर्णानन्द आदि शंकराचार्य के अनन्य भक्त थे, तथापि उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था। इसलिए उन्होंने बड़ी ऋजुता के साथ स्वीकार किया—“इस विषय में वे यथार्थ नहीं लिख पाए।”

इसका संभावित कारण उन्होंने यह बताया कि उन्हें इस विषय की पूरी एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी होगी। जब आदि शंकराचार्य जैसे धुरन्धर विद्वान् भी पूरी और यथार्थ जानकारी के अभाव में किसी विषय का गलत प्ररूपण कर सकते हैं, तब साधारण विद्वानों की तो बात ही क्या? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों को दार्शनिक विषयों की यथार्थ व पूर्ण जानकारी न हो, उन्हें इस विषय में कलम चलाने का संवरण करना चाहिए।

मैंने सुना है कि कुछ विद्वान् जैन आगमों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सुन्दर है। पर वे जैन-आगमों के तल-स्पर्शी ज्ञान के अभाव में उनका सही-सही अनुवाद कहां तक कर पाएंगे—यह एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। जर्मन जैन विद्वानों ने भी आगमों का अंग्रेजी अनुवाद किया है। जर्मन विद्वानों के प्रति मेरे मन में बहुत ऊंची भावना है। इस दिशा में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है, पर अनेक स्थलों पर उनका अनुवाद भी आलोच्य है।

जैन-दर्शन की बात मैं कर रहा था। सचमुच ही यह एक वैज्ञानिक दर्शन है। हालांकि जैन लोग इस दर्शन को कितना आत्मसात् करते हैं, यह एक अलग प्रश्न है, पर इसका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, यह निर्विवाद है। जैसा कि मैं कई बार कहता हूं, आज कर्मणा जैन कम, जन्मना जैन अधिक हैं। इसलिए जैन कहलानेवाले बहुत कम लोग इस दर्शन को आत्मसात् कर

पाए हैं। मेरा प्रयास है कि हर जैन कहलानेवाला व्यक्ति जैन-दर्शन का प्रारम्भिक ज्ञान तो अवश्य करे। इस दृष्टि से 'जैन सिद्धान्त दीपिका' का विवेचन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा—इसी आशा के साथ आज मैं विराम लेता हूँ।

गंगाशहर

११ जुलाई, १९७८

संसार क्या है ?

‘जैन सिद्धान्त दीपिका’ के वाचन की बात मैंने कल कही। आज उसका प्रारम्भ हो रहा है। इस ग्रन्थ की रचना मैंने आज से अट्ठाइस-तीस वर्ष पूर्व की थी। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, यह जैन सिद्धान्तों का ग्रन्थ है। सर्वप्रथम मंगलाचरण/आदि वाक्य के रूप में निम्न श्लोक है—

‘आराध्याराध्यदेवं स्वं, सिद्धं सिद्धार्थनन्दनम् ।

विदधे बोधवृद्ध्यर्थं, जैनसिद्धान्तदीपिकाम् ॥’

आराध्यदेव, सिद्धिप्राप्त, सिद्धार्थपुत्र भगवान महावीर की आराधना करता हुआ मैं बोधवृद्धि के लिए जैन सिद्धान्त दीपिका की रचना करता हूँ। प्रश्न होगा, बोधवृद्धि से क्या तात्पर्य ? जो अबोध हैं, उन्हें बोध देने के लिए, जो अल्पबोध हैं, उनके बोध को बढ़ाने के लिए और जो बोधप्राप्त हैं, उनके बोध को स्थिर रखने के लिए मैं यह प्रयास कर रहा हूँ।

ज्ञेय नौ ही नत्त्व हैं

सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि संसार क्या है ? हमारा लक्ष्य क्या है ? उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन कौन-कौन से हैं ? आप कहेंगे, संसार को जानने से क्या प्रयोजन ? बहुत बड़ा प्रयोजन है। जिस घर में हम रहें और उससे अपरिचित हों, इससे बड़ा और क्या अज्ञान हो सकता है ? आप देखें, मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु-पक्षी और कीड़े-मकोड़े भी अपने-अपने घर को जानते हैं। अतः जिस घर में हम रहते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। यह संसार एक प्रकार का घर ही है। यदि हम संसार को सम्यक् रूप से जान लेंगे तो बहुत सम्भव है कि हम उसमें उलझे नहीं। संसार में उलझने का कारण उसको यथार्थ रूप में न जानना ही है। उसका सम्यक् ज्ञान होने के पश्चात् व्यक्ति उससे मुक्त होने के लिए सचेष्ट हो जाता है।

हमें इस तथ्य को भलीभाँति ध्यान में ले लेना चाहिए कि हर पक्ष का प्रतिपक्षी होता है। दुःख है तो सुख भी है। जीव है तो अजीव भी है। आश्रव है तो संवर भी है। मोक्ष है तो संसार भी है। प्रतिपक्ष को जाने बिना हम पक्ष को नहीं जान सकेंगे। पक्ष को जानने के लिए हमें उसके प्रतिपक्ष को

अनिवार्य रूप से जानना होगा। हम सुख को तब तक नहीं जान सकेंगे, जब तक दुःख को सम्यक् रूप से नहीं जानेंगे। मोक्ष को जानने के लिए संसार को जानना ही होगा। हमारे यहां नौ तत्त्वों का विवेचन है। इनमें कुछ हेय हैं और कुछ उपादेय है। पर ज्ञेय नौ ही तत्त्व है। यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से संसार हेय है और मोक्ष उपादेय है पर ज्ञेय दोनों ही है। इस दृष्टि से मैंने कहा कि मोक्ष को समझने के लिए संसार को समझना आवश्यक है।

द्रव्य, गुण और पर्यायों की समन्विति का नाम संसार है। द्रव्य यानी पदार्थ। संसार की हर वस्तु एक पदार्थ है। गुण—द्रव्य का सदा साथ रहने-वाला धर्म या स्वभाव। अग्नि का धर्म है—उष्मा। जल का धर्म है—शीतलता। वायु का धर्म है—गतिशीलता। इसी प्रकार हर द्रव्य का अपना स्वभाव या धर्म है। पदार्थ में प्रतिक्षण होनेवाला परिवर्तन 'पर्याय' कहलाता है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं, जिसमें परिवर्तन न हो। और यदि परिवर्तन नहीं तो वह पदार्थ ही नहीं है।

धर्माधर्माकाश-पुद्गल-जीवास्तिकाया द्रव्याणि ।

अस्तिकायः प्रदेशप्रचयः । धर्मादयः पञ्चास्तिकायाः सन्ति ।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय—ये पांच द्रव्य है। मूलतः धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव—ये पांच शब्द है। इन सबके पीछे 'अस्तिकाय' शब्द जुड़ा है। इस प्रकार ये पञ्चास्तिकाय है। जैन-शास्त्रों में पञ्चास्तिकाय का विशद विवेचन प्राप्त है। दिगम्बर जैनाचार्यश्री कुन्दकुन्द का एक ग्रन्थ है, जिसका नाम ही 'पञ्चास्तिकाय' है। इस ग्रन्थ में उपरोक्त पांच अस्तिकायों का विवेचन किया गया है। इन पांचों को हम द्रव्य कहते हैं।

आप कहेंगे, 'पचीस बोल' ग्रन्थ के अन्तर्गत बीसवें बोल में हमने तो छह द्रव्य सीखे हैं, फिर यहां पांच द्रव्य कैसे? यह कोई भूल नहीं है। ऐसा वर्गीकरण चिन्तनपूर्वक ही किया गया है। छह द्रव्यों के अन्तर्गत इन पांच अस्तिकायों के अतिरिक्त काल को भी साथ जोड़ा गया है। पर हमने इसे अलग रखा है, क्योंकि यह अस्तिकाय नहीं है। वस्तुतः काल एक औपचारिक द्रव्य है। शेष पांच द्रव्य जिस प्रकार वास्तविक है, वैसे यह वास्तविक नहीं है। घड़ी की वड़ी सुई एक बार पूरी घूम आई और आपने एक घंटा मान लिया।

कालश्च ।

जीवाजीवपर्यायित्वात् औपचारिकं द्रव्यमसौ, इत्यस्य पृथग् ग्रहणम् ।
क्षणवर्तित्वान्न च अस्तिकायः ।

काल जीव और अजीव की पर्याय है। जीव या अजीव जिन-जिन अवस्थाओं में परिवर्तित होते हैं, उनका कारण काल ही है। एक दिन, दो दिन

संसार क्या है ?

एक महीना, एक वर्ष.....ये सब काल के कारण ही हैं । अमुक व्यक्ति पांच वर्ष का हो गया, दस वर्ष का हो गया, अमुक मकान बीस वर्ष पुराना है आदि-आदि हम काल के कारण ही जानते हैं, फिर भी काल स्वयं में कुछ भी नहीं है । इसलिए इसे औपचारिक या काल्पनिक द्रव्य कहा गया है और पांच अस्तिकाय द्रव्यों से अलग रखा गया है ।

‘अस्तिकायः प्रदेणप्रचयः’—प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं । प्रश्न होगा, प्रदेश किसे कहते हैं ? प्रदेश का अर्थ है—अवयव/अंग/भाग । यह कम्बल आपके सामने है । यह एक द्रव्य है । इनमें छोटे-छोटे सैकड़ों-हजारों घागे होंगे । आप कल्पना से प्रत्येक घागे को एक प्रदेश मान लें तो बहुत-से प्रदेश मिलकर एक द्रव्य का निर्माण हो गया । हमारे शरीर में छोटे-छोटे कितने अंग-प्रत्यंग हैं । इन सब के योग का नाम ही शरीर है । जिस पंडाल में आप बैठे हैं, उसकी तरफ आप जरा ध्यान दें । मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहां छिपाई हुई मिट्टी पंडाल है ? आप कहेंगे, नहीं । तो क्या ऊपर का छप्पर पंडाल है ? नहीं । तो क्या ये खम्भे पंडाल हैं ? नहीं-नहीं, ये भी पंडाल नहीं हैं । फिर क्या यहां बैठे हुए हजारों नर-नारी पण्डाल हैं ? नहीं-नहीं, ये भी पण्डाल नहीं हैं । आखिर पंडाल है क्या ? वास्तव में ये सब चीजें अलग-अलग रूप में पंडाल नहीं हैं । इनका समन्वित रूप ही पंडाल है । ये सारी चीजें पंडाल के अंग हैं । इसी प्रकार बहुत-से प्रदेशों के समूह का नाम अस्तिकाय है । एक प्रदेश से अस्तिकाय नहीं बनता ।

गंगाशहर

१२ जुलाई, १९७८

धर्मास्तिकाय : एक विवेचन

पांच अस्तिकाय और काल—इन छह द्रव्यों का विवेचन मैंने प्रारम्भ किया था। 'अस्तिकाय' मे दो शब्द हैं—'अस्ति' और 'काय'। 'अस्ति' शब्द प्रदेश एवं सत्—इन दो अर्थों में व्यवहृत होता है।

प्रदेश का विवेचन पहले किया जा चुका है। सत् त्रैकालिक अस्तित्व का अभिव्यजक शब्द है। इसलिए 'अस्ति' से केवल वर्तमान का ही अर्थ न ग्रहण कर, भूत और भविष्य का भी अर्थ ग्रहण करना चाहिए। उदाहरणार्थ—ससार है। अतीत मे सदा था और आगे सदा रहेगा। हम जीव है। अतीत में जीव थे और सदा जीव बने रहेंगे। यह कभी सम्भव नहीं कि जो आज जीव है, वह कल न रहे या गए कल मे न रहा हो। हां, यह अवश्य है कि उसका रूप प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। आज हम जिस अवस्था में है, अतीत में वैसे नहीं थे, भविष्य में वैसे नहीं रहेंगे। फिर भी हमारा त्रैकालिक अस्तित्व है। इसलिए मैंने कहा, सत् 'है' (वर्तमान) 'था' (भूत) और 'रहेगा' (भविष्य)—इस त्रयात्मक रूप की ही समन्विति है।

काल की मूल्यवत्ता

पांच अस्तिकायों को समझना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिन काल को समझना है। काल क्षणवर्ती है। अर्थात् वर्तमान का क्षण ही काल है। जो काल बीत गया, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। उसे हम पकड़ नहीं सकते। भविष्य का कुछ भरोसा नहीं। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति की उम्र आज साठ वर्ष की है। मैं पूछना चाहता हूँ साठ वर्ष कहां गए? क्या उसके पास सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। भविष्य मे वह कितने वर्ष और जीएगा—इसका कोई पता नहीं है। केवल आज का दिन, नहीं-नहीं, वर्तमान का केवल एक क्षण उसके हाथ मे है। यह (वर्तमान) क्षण गया कि दूसरा क्षण आया। दूसरा क्षण आया कि पहला क्षण समाप्त। फिर उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। इसी प्रकार आनेवाले क्षण का भी पहले क्षण तक कोई अस्तित्व शेष नहीं होता। इसलिए कहा गया कि काल क्षणवर्ती है। अतीत और भविष्य से उसका विसंबंध है, इसलिए वह सत् नहीं है।

काल यद्यपि केवल क्षणवर्ती है, फिर भी इसके प्रति बहुत सावधानी रखने की अपेक्षा है। औपचारिक द्रव्य होने के बावजूद भी इसका महत्त्व किसी दृष्टि से भी कम नहीं आंकना चाहिए। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, नया, पुराना आदि जीव-अजीव की जितनी भी अवस्थाएं हम देखते हैं, वे इसी के कारण होती हैं। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता। छोटा (क्षणवर्ती) होते हुए भी यह बहुत सक्षम है। छोटा तो अणु (एटम) भी होता है। पर उसकी शक्ति कितनी बड़ी होती है, यह आज के वैज्ञानिक युग में सर्वविदित है।

द्रव्य का स्वरूप

गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् ।

गुणानां पर्यायाणां च आश्रयः—आधारो द्रव्यम् ।

गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। अर्थात् जिसमें गुण और पर्याय दोनों ही विद्यमान हों, वह द्रव्य है। जिसमें ये दोनों नहीं, वह द्रव्य नहीं है।

गुण—धर्म या स्वभाव ।

पर्याय—द्रव्य में क्षण-क्षण होनेवाली परिणतियां ।

आपको यह ख्याल में रखना चाहिए कि हर वस्तु का अपना एक स्वतंत्र धर्म होता है। उसे मिटाने का तात्पर्य है—उस वस्तु की समाप्ति। उदाहरणार्थ, अग्नि का स्वभाव है—उष्णता। यह कभी भी सम्भव नहीं कि अग्नि तो हो और उसमें उष्णता न हो। अग्नि द्रव्य है और उष्णता उसका गुण। गुण और गुणी कभी अलग-अलग नहीं हो सकते। राजस्थानी में कहावत है—

‘जाका पड्या स्वभाव, जाती जीव स्यूं ।

नीम न मीठो होय, सींचो गुड़-घीव स्यूं ॥’

यानी जिसका जो स्वभाव है, गुण है, वह उसके जीवन के साथ ही समाप्त होगा, पहले नहीं। नीम के वृक्ष को चाहे कोई गुड़-घी से भी क्यों न सींचे, वह कभी मीठा नहीं हो सकता। उसका कड़वापन कभी समाप्त नहीं हो सकता।

अग्नि की तरह पानी का तरह पानी स्वभाव है—शीतलता। हवा का स्वभाव है—गतिशीलता। क्रोधी का स्वभाव है—क्रोध करना। लोभी का स्वभाव है—संग्रह करना। इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु का अपना स्वतन्त्र स्वभाव है।

जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों का होना अनिवार्य है। गुण वस्तु का स्वभाव है तो पर्याय उसमें प्रतिक्षण होनेवाला परिवर्तन है। उदाहरणार्थ—यह सफेद कपड़ा है। इसका गुण है—

सफेदी। इसकी पर्याय है—इसकी सफेदी में प्रतिक्षण होने वाला परिवर्तन। जैसी सफेदी इस कपड़े को लेने के वक्त थी, वैसी अब नहीं है। प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन होता रहा है और भविष्य में होता रहेगा।

एक शब्द : अनेक अर्थ

पांच अस्तिकाय द्रव्यों में सबसे पहला द्रव्य है—धर्मास्तिकाय। 'धर्म' शब्द कई अर्थों में व्यावहृत होता है। आत्मशुद्धि साधनं धर्मः—आत्म-शुद्धि का साधन धर्म है। वस्तु के स्वभाव/गुण को भी धर्म कहते हैं। लौकिक कर्तव्य भी इसका एक अर्थ है। पर प्रस्तुत संदर्भ में यह इन सब से सर्वथा भिन्न अर्थ में व्यवहृत हुआ है। यहां इसका वाच्यार्थ है—

.गतिसहायो धर्मः।

गमनप्रवृत्तानां जीवपुद्गलानां गती उदासीनभावेन अनन्यसहायकं द्रव्यं धर्मास्तिकायः, यथा—मत्स्थानां जलम्।

गति में सहायक होनेवाले द्रव्य को धर्म कहते हैं। गति सहायक द्रव्य का अधूरा नाम धर्म है। पूरा नाम धर्मास्तिकाय है। प्रश्न है, अधूरा नाम क्यों? अधूरा नाम इसलिए कि इसमें हमारी सुविधा है। और यह हमारी प्राचीन पद्धति भी रही है। भगवान् महावीर के सर्वप्रथम गणधर का नाम इन्द्रभूति गौतम था। पर आप ध्यान दें, आगम साहित्य में सैकड़ों स्थलों पर उनके लिए केवल गौतम (गोयमा) शब्द व्यवहृत हुआ है। गौतम अधूरा नाम भी नहीं, केवल उनका गौत्र था, फिर भी उन्हें उसी नाम से पुकारा गया है। मैं अपना नाम तुलसी बताता हूँ। पर मेरा पूरा नाम तुलसी नहीं, तुलसीराम है। हमारे धर्मसंघ के आद्य प्रणेता को आचार्य भीखणजी कहते हैं। पर वास्तव में उनका पूरा नाम भीखणजी नहीं, भीखणचन्द्रजी या भीखमचन्द्रजी था। इस शृंखला में और भी अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। सारांश यह है कि जब दो-तीन अक्षर बोलने से काम चले तो फिर कौन छह-सात अक्षर बोले।

धर्मास्तिकाय का स्वरूप

हां, तो मैं बता रहा था गतिसहायक द्रव्य का नाम धर्म (धर्मास्तिकाय) है। आप पूछेंगे, धर्म किसकी गति में सहायक होता है? 'किसकी' का कोई प्रश्न ही नहीं है। जीव और पुद्गल दोनों की ही सभी प्रकार की गतिक्रिया—सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन तक में यह सहयोगी है। हम चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, आख बंद करते हैं, खोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं.... श्वासोच्छ्वास लेते हैं—इन सब क्रियाओं में यह द्रव्य सहायक है। इसी प्रकार अजीव की भी सभी प्रकार की गतिक्रियाओं में यह द्रव्य निमित्तभूत है।

धर्मास्तिकाय : एक विवेचन

उपादान और निमित्त

हम जानते हैं कि कारण के दो प्रकार हैं—उपादान और निमित्त । किसी भी चीज के निर्माण में ये दोनों कारण जरूरी हैं । निमित्त कारणों के मिलने पर भी उपादान कारण के अभाव में जिस प्रकार वस्तु नहीं बनती, ठीक उसी प्रकार उपादान कारण की उपस्थिति के बावजूद भी निमित्त कारणों के अभाव में कार्य सिद्ध नहीं होता । मिट्टी का घड़ा बनता है । मिट्टी घड़े का उपादान कारण है । मिट्टी के बिना घड़े की कल्पना ही नहीं की जा सकती । पर मिट्टी से घड़ा तब तक नहीं बनेगा, जब तक निमित्त कारणों के रूप में चाक, अग्नि, कुशल कुम्हार.....नहीं मिलेंगे । दोनों कारणों के योग से ही कोई वस्तु निर्मित होती है ।

यद्यपि गति में उपादान कारण तो जीव या पुद्गल स्वयं ही है, पर निमित्त कारण के रूप में धर्मास्तिकाय का अपना अलग महत्त्व है । (और भी अनेक निमित्त कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण यही है ।) धर्मास्तिकाय के अभाव में जीव या पुद्गल किसी भी प्रकार की गतिक्रिया करने में असमर्थ है । मछली में गति करने की शक्ति है । पर पानी के अभाव में वह गति नहीं कर सकती । ट्रेन में चलने की शक्ति है, पर पटरियों के अभाव में वह चल नहीं सकती । ठीक यही बात धर्मास्तिकाय के सम्बन्ध में जाननी चाहिए । प्राणी और पुद्गल में गति करने की शक्ति है । पर वे गतिक्रिया तभी कर सकते हैं, जब उन्हें धर्मास्तिकाय का अनिवार्यरूप से सहयोग प्राप्त हो ।

इस संदर्भ में एक बात और समझनी आवश्यक है । यद्यपि धर्मास्तिकाय के सहयोग से ही कोई पदार्थ गतिक्रिया कर सकता है, पर वह किसी को गति करने के लिए प्रेरित नहीं करता । हां, कोई उसका सहयोग ले तो वह इनकार भी नहीं करता । मध्यस्थ भाव से वह सहयोगी बनता है । इसलिए धर्मास्तिकाय को जीव और पुद्गल की गति में उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी के रूप में माना गया है ।

मरने के बाद गति !

मैं तो धर्मास्तिकाय के द्वारा गति की बात बता रहा था, पर लोग तो मरने के बाद भी गति करते हैं । मैं पूछना चाहता हूँ, मरने के बाद कैसी गति ? वह तो मरने के साथ ही हो जाती है । हां, अन्तिम समय में यह प्रयास करना तो उचित ही है कि काल प्राप्त करने वाला सद्परिणामों में शरीर त्याग करे, जिससे उसकी अधोगति न हो । पर मरने के बाद गति करने की बात समझ में नहीं आती । पर समझ में आए या न आए

लोगों में अन्धविश्वास बहुत है। इस अन्धविश्वास को मिटाना बहुत जरूरी है।

सद्गति : दुर्गति

संत के पास एक युवक आया और बोला—“मेरे पिताजी काल प्राप्त हो गए, अतः आप ऐसा प्रयास करें, जिससे उनकी सद्गति हो।”

“मरने के बाद क्या गति करूं? उनकी गति तो उनके कर्मों के अनुसार हो गई।”—सहज भाव से संत ने कहा।

पर वह युवक अपनी बात को बार-बार दुहराता रहा। संत ने सोचा—यह ऐसे नहीं समझेगा। इसे तो युक्ति से समझाना होगा। उन्होंने युवक से कहा—“अच्छा, जाओ दो घड़े ले जाओ, एक कंकर-पत्थर से भरकर और दूसरा घी से।”

युवक तत्काल घर गया और संत के आदेशानुसार दोनों घड़े लेकर पुनः उनके चरणों में उपस्थित हुआ।

“जाओ इन दोनों को नदी में उड़ेल दो।”—युवक के लिए संत का अग्रिम आदेश था।

युवक को कुछ भी समझ में नहीं आया। जरा हैरानी के स्वरों में उसने संत से पूछा—“इन्हें नदी में उड़ेलने का उद्देश्य?”

“गति करने के लिए।”—संत ने पहली की भाषा में उत्तर दिया।

युवक समाहित होने के स्थान पर और अधिक उलझ गया। फिर भी पिता की सद्गति की ललक में उसने दोनों घड़ों को पार्श्ववर्ती नदी में जाकर उड़ेल दिया। कंकर-पत्थर सारे नीचे चले गए और घी पानी के ऊपर तैरने लगा। संत, जो कि युवक के साथ ही नदी के तट पर आए थे, ऊंचे-स्वर में बोले—“अरे! ये कंकर-पत्थर डूब रहे हैं, इन्हें बचाओ।”

“महाराज! ये तो भारी हैं, डूबेंगे ही। इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? घी हलका है, इसलिए वह तैरने लगा, डूबा नहीं।”—युवक तपाक से बोला।

“तत्त्व समझे या नहीं?”—संत ने युवक के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा।

“मैं तो कुछ भी नहीं समझा।”—युवक की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी।

“जिस प्रकार कंकर-पत्थर अपने भारीपन के कारण डूब गए और घी अपने हलकेपन के कारण तैरने लग गया, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पिता की गति भी हो गई। यदि उनकी आत्मा कर्मों से भारी है तो उन्हें सद्गति कैसे मिलेगी और यदि वे कर्मों से हलके हैं तो उनकी सद्-

गति को कौन रोक पाएगा ? वस्तुतः गति किसी के द्वारा करने-करवाने से नहीं होती; वह तो व्यक्ति के स्वयं के कर्मों के अधीन है।"—मर्म का उद्घाटन करते हुए प्रतिबोध की भाषा में सन्त ने कहा।

सविवेक चिन्तन को महत्त्व दें

बन्धुओ ! यही बात मैं आपसे कह रहा था। हर व्यक्ति की गति उसके स्वकृत कर्मों के द्वारा होती है। और वह उसके मरने के साथ ही हो जाती है। बाद में उसकी गति करने का प्रयास तो सर्वथा अज्ञान ही है। कुछ लोग अपने पिता, पितामह आदि की मृत्यु के पश्चात् मृत्युभोज करते हैं। मैं नहीं समझता, हलवा-पूड़ी तो दूसरे-दूसरे खाएं और पेट पिता या पितामह का भरे, यह कहाँ का न्याय है ? यह बात तो समझ में आ सकती है कि व्यक्ति ने अपने पिता, पितामह की स्मृतिस्वरूप अपने सम्बन्धियों को इकट्ठा किया और उनके खाने-पीने आदि की व्यवस्था की। पर इससे काल-प्राप्त उसके पिता या पितामह को तृप्ति मिलेगी—ऐसा चिन्तन तो सर्वथा नासमझी की बात प्रतीत होती है। समाज में इस प्रकार के एक-दो नहीं, अपितु अनेकानेक अंधविश्वास पल रहे हैं। यद्यपि पिछले वर्षों में अणुव्रत एवं नया मोड़ के माध्यम से इस दिशा में समाज ने काफी करवट ली है, फिर भी संतोपजनक स्थिति नहीं है। अभी भी बहुत-सी परम्पराओं परिवर्तित, संशोधित एवं समाप्त करने की अपेक्षा है। मैं आपसे इस संदर्भ में स्थूल रूप में एक ही बात कहना चाहता हूँ। किसी भी कार्य के करने में आप चालू परम्परा से भी अधिक अपने सविवेक चिन्तन को महत्त्व दें। सब लोग इस कार्य को करते हैं और करते आए हैं, इसलिए आप भी करें तथा सभी लोग इसे छोड़ रहे हैं इसलिए आप भी इसे छोड़ें—ये दोनों ही बातें स्वस्थ चिन्तन की परिचायक नहीं हैं।

महिलाएं पौरुष को जगाएं

विधवा बहिनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है—यह आप लोगों से छुपा नहीं है। पति गुजर गया, इसलिए महीनो एवं वर्षों तक घर से बाहर नहीं जाना—इस रूढ़ि का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी के देहावसान के पश्चात् इस प्रकार घर में रहने को तैयार है ?

कहते हैं कि विधवा जब कपड़े बदलती है तो उसे कोई देख नहीं सकता। सुहागिन बहिनों की बात तो बहुत वाद की है, घर के बाल-बच्चे भी नहीं देख सकते। मुझे बताया गया कि बड़ी निर्दयता के साथ उसके कपड़े उतारे जाते हैं। यहाँ तक कि मानवीय व्यवहार की सीमा का भी अतिक्रमण हो जाता है। मैं नहीं समझता, विधवा होनेवाली बहिन का ऐसा

क्या दोष है, जिससे उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है ? क्या सधवा रहना या विधवा होना किसी के वश की बात है ?

समाज में विधवा बहिनों के साथ आज भी ऐसा अन्याय होता है, यह आश्चर्य की बात है। परन्तु इससे भी अधिक आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि बहिनें इस अन्याय और अभिशाप को वर्षों से सहन किए जा रही हैं। क्या उनमें थोड़ी-सी भी चेतना नहीं है ? क्या उनका स्वाभिमान सर्वथा सो गया है ? मैं मानता हूँ, इन कुरुडियों को मिटाने के लिए बहिनो को ही क्रांति करनी होगी। यदि बहिनें दृढ़-संकल्प के साथ इस अभिशाप को मिटाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं तो कोई कारण नहीं कि ऐसी परम्पराएं स्वयं अपनी मौत समाप्त न हो जाए। पर बहिनें अभी तक अपने पीरूप को जगा नहीं पाई है। मुझे तो यहां तक कहने में कठिनाई नहीं कि इन गलत परम्पराओं को बहिनें स्वयं अपने अज्ञान के कारण पोषण दे रही है।

काले कपड़े छोड़ दो

अजमेर में मैं एक सड़क से होकर गुजर रहा था। कुछ विधवा बहिनें भी काले कपड़े पहिने साथ थी। सामने से एक वर राजा आ रहा था। ज्योंही उसने काले कपड़ों वाली बहिनो को दूर से देखा तो अपशकुन से बचने के लिए वह एक तरफ टल गया। उन काले कपड़ोवाली विधवा बहिनों के पीछे कुछ विधवा बहिनें सफेद कपड़ों में भी थी। वर राजा ने उन्हें भी देखा पर उनसे बचने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। मेरे मन में तत्काल चिंतन आया कि बहिनें काले वस्त्र पहिनकर स्वयं अपना अपमान करवाती है। स्थान पर आकर मैंने विधवा बहिनों को संबोधित करते हुए कहा—“बहिनो ! तुम काले कपड़े पहिनना छोड़ दो। ये काले कपड़े पता नहीं दूसरे-दूसरे लोगो के लिए अपशकुन है या नहीं, पर तुम लोगो के लिए तो अवश्य ही अपशकुन है।” इस बात के साथ ही मैंने आज की सारी घटना सुनाई।

मूल्य जीवन की पवित्रता का

मैं जब विहार करता हूँ तो हमारी विधवा बहिनें सुहागिन बहिनों को आगे कर देती हैं और स्वयं पीछे हट जाती हैं। एक दिन मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा—“ये सुहागिन बहिनें आपको शकुन देंगी।” मैंने पूछा—“क्या तुम अपशकुन देती हो ? तुम सात्त्विक और पवित्र जीवन जीती हो, धर्म की आराधना करती हो, फिर तुम्हारा अपशकुन कैसा !” बन्धुओ ! मेरी दृष्टि में विधवा और सुहागिन का उतना महत्त्व नहीं, जितना कि जीवन की पवित्रता एवं धर्मांराधना का है।”

धर्मास्तिकाय की गति की बात कहते-कहते मैं प्रवाह में बह गया। पर

मैं मानता हूँ, ये बातें भी समय-समय पर प्रवचन में आनी आवश्यक हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक समाज कुरुदियों एवं अंधविश्वासों से मुक्त नहीं होता, तब तक उसका विकास असंभव है। इसलिए मैंने प्रसंगवश ये सारी बातें कही। आप लोग इन पर गहराई से चिंतन करें और कुरुदियों से समाज को मुक्त करने की दिशा में अपने चिंतन एवं विवेक को काम में लें। इसमें न केवल आपका और पूरे समाज का ही भला है, अपितु धर्म, धर्मगुरु और धर्मशासन का भी हित एवं गौरव समाविष्ट है।

गंगाशहर

१५ जुलाई, १९७८

अधर्मास्तिकाय की स्वरूप-मीमांसा

पांच अस्तिकाय द्रव्यों के अन्तर्गत 'धर्म' का विवेचन कल मैंने किया । दूसरा अस्तिकाय द्रव्य है—'अधर्म' ।

स्थितिसहायोऽधर्मः ।

स्थानगतानां जीवपुद्गलानां स्थितौ उदासीनभावेन अनन्यसहायकं द्रव्यं अधर्मास्तिकायः, यथा—पथिकानां छाया ।

जीवपुद्गलानां गतिस्थित्यन्यथानुपपत्तेः, वृथादीनां सहायकत्वेऽन-
वस्थादिदोषप्रसङ्गाच्च धर्माधर्मयोः सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम् । एतयोरभावादेव
अलोके जीवपुद्गलादीनामभावः ।

जीव और पुद्गलो की स्थिति मे सहायक होने वाले द्रव्य को 'अधर्म' कहते हैं । जिस प्रकार 'धर्म' जीव व पुद्गलों की गति मे उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी है, उसी प्रकार 'अधर्म' जीव व पुद्गलो की स्थिति मे उदासीन भाव से अनन्य सहयोगी द्रव्य है । प्रश्न पैदा होता है, गति मे तो दूसरे के सहयोग की अपेक्षा की बात समझ में आती है, पर स्थिति—ठहरने में भी दूसरे के सहयोग की बात का क्या तात्पर्य ? हां, जिस प्रकार गति-कार्य में सहयोग अपेक्षित है, उसी प्रकार स्थिति मे भी अनिवार्य रूप से सहयोग अपेक्षित है । एक व्यक्ति चलते-चलते थक गया । वह विश्राम करना चाहता है । लेकिन चारों तरफ धूप-ही-धूप है । इसलिए वह ठहर नहीं सकता । चलता ही जाता है । चलते-चलते कहीं मार्ग मे छाया आ जाती है । छाया आते ही वह ठहर जाता है । यद्यपि ठहरने में उपादान कारण, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, मूल होता है । पर निमित्त कारणों का भी कम महत्त्व नहीं है । रोटी बनाने के लिए आटा उपादान कारण है । उसके अभाव मे रोटी की कल्पना ही नहीं की जा सकती । पर केवल आटे से तो रोटी नहीं बनती । उसके लिए चूल्हा, तवा, वेलन, चकला..... बहुत-सी चीजें निमित्त कारण के रूप मे विद्यमान होनी जरूरी है । 'अधर्म' को भी हमे इसी रूप में समझना चाहिए । यद्यपि स्थिति में उपादान कारण तो जीव या पुद्गल स्वयं है, पर निमित्त कारण के रूप मे पथिक के लिए छाया की तरह 'अधर्म' सहयोगी है । जीव व पुद्गलो की स्थिति उसके बिना कदापि

सम्भव नहीं है। इसलिए 'अधर्म' को जीव पुद्गलों की स्थिति में मध्यस्थ भाव से अनन्य सहयोगी माना गया है।

तीर्थकरों की वाणी यथार्थ क्यों ?

हमारे सामने यह विवशता है कि हम 'धर्म' और 'अधर्म' को आंखों से देख नहीं सकते। क्योंकि ये अमूर्त द्रव्य हैं। फिर भी हमें इसके अस्तित्व का विश्वास करना चाहिए। आगम-साहित्य में पृष्ठ-के-पृष्ठ इनके विवेचन से भरे पड़े हैं। आगमों के प्रवचनकार केवलज्ञानी थे। उन्होंने अपने आत्म-ज्ञान के द्वारा जो देखा, वही संसार को बताया। इसलिए आगम वाणी की यथार्थता में संदेह करने की किंचित् भी गुजाइश नहीं है। भूठ कौन बोलता है ?

'क्रोधाद्वा लोभाद्वा हासाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम् ।

यस्यनु नैते दोषाः तस्याऽनृतं करणं किं स्यात् ?'

व्यक्ति क्रोध, लोभ और हास्य के वशीभूत होकर भूठ बोलता है। जिस व्यक्ति में ये दोष नहीं, वह भूठ क्यों बोलेगा ? हमारे आगम-प्रवचनकार वीतराग प्रभु भी इन सब दोषों से सर्वथा मुक्त हैं। अतः उनकी वाणी असत्य कैसे हो सकती है ? इसके साथ ही एक बात यह भी महत्त्वपूर्ण है कि जब उनकी और-और बातें सत्य सावित हुई हैं तो इस कथन की यथार्थता में सन्देह कैसे किया जा सकता है ?

तीर्थकरो ने कहा, बोलने के साथ ही हमारे शब्द सारे लोक में फैल जाते हैं। उनके इस कथन को दूसरे-दूसरे लोग मानने को तैयार नहीं थे। पर आज उनकी बात शत-प्रतिशत सत्य प्रमाणित हो रही है। रेडियो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह प्रमाण है, उनकी सर्वज्ञता का। दूसरा उदाहरण बताऊँ। जैन तीर्थङ्करों ने वनस्पति को सजीव बताया। पर लोग वनस्पति को सजीव नहीं मानते थे। उनको तीर्थङ्करों का यह कथन अयथार्थ प्रतीत होता था। पर जब डॉ० जगदीशचन्द्र वसु ने एक लम्बे समय के अनुसन्धान के पश्चात् यह प्रमाणित किया कि वनस्पति भी जीव है, उसमें सुख-दुःख की अनुभूति है, वह हंसती है, रोती है.....। तब लोगों को भगवद्-वाणी की यथार्थता को स्वीकार करना पड़ा। इस तरह की एक-दो नहीं, अपितु बीसियों बातें बताई जा सकती हैं, जिन्हें लोग यथार्थ नहीं मानते थे, पर वे वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा शतशः सत्य सावित हुई हैं। इस माने में हमें विज्ञान का ऋणी रहना चाहिए। साथ ही हमें अपनी कमजोरी भी ऋजुतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए कि हम इन सब बातों को यथार्थ मानते हुए भी प्रयोग के धरातल पर सत्य सावित करने में असफल रहे।

तीर्थङ्करों की वाणी की यथार्थता में आज संदेह करने की कोई

गुंजाइश नहीं रही है । अतः 'धर्म' और 'अधर्म' के अस्तित्व को नकारने का कोई कारण नहीं है ।

वस्तु के अस्तित्व का आधार

'धर्म' व 'अधर्म' यद्यपि हमें दिखाई नहीं देते फिर भी उन्हें अस्वीकार न करने का एक कारण यह भी है कि उनके गुण हमारे समाने प्रत्यक्ष हैं । गुणी के बिना गुण का कोई अस्तित्व नहीं होता । इस दृष्टि से जब 'धर्म' और 'अधर्म' के गुण हमारे सामने प्रयत्नक्ष है तो उनके अस्तित्व को स्वीकार करना ही होगा । एक व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता, पर उसकी आवाज सुनाई देती है । ऐसी स्थिति में क्या हम उस व्यक्ति के अस्तित्व को नकार सकेंगे ? कभी नहीं । इसलिए दिखना या न दिखना वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं हो सकती ।

आगमकार कहते हैं, 'धर्म' और अधर्म' के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा जीव व पुद्गलों की गति और स्थिति नहीं हो सकती । कहा जा सकता है कि गति में तो वायु, पानी आदि भी सहयोगी हैं, फिर 'धर्म' को ही सहयोगी क्यों माना जाए ? यहां प्रतिप्रश्न पैदा होगा, चूंकि वायु स्वयं गतिशील है, अतः वायु की गति में कौन सहयोगी है ? यदि कहा जाय 'सूक्ष्म वायु' तो पुनः प्रश्न होगा कि 'सूक्ष्म वायु' की गति में सहयोगी कौन ? इस प्रकार हम चलते ही जाएं, पर कहीं अन्त नहीं होगा और ऐसा करने से 'अनवस्था दोष' आ जाएगा । इसलिए हमें कोई न कोई ऐसे द्रव्य को स्वीकार करना ही होगा, जो स्वयं स्थिर होकर दूसरों को गति दे । आपको ख्याल होना चाहिए कि गतिशील पदार्थ कभी भी दूसरों को गति प्रदान नहीं कर सकता । स्थिर पदार्थ ही दूसरों को गति प्रदान कर सकता है । पटरी रेलगाड़ी को गति प्रदान करती है, पर वह स्वयं स्थिर होती है । यदि वह स्वयं गतिशील बन जाए तो गाड़ी की कैसी गति होगी, इसे बताने की अपेक्षा नहीं । ये सीढ़ियां हमारे चढ़ने-उतरने में सहयोगी बनती हैं । पर सहयोगी तभी हैं, जब स्वयं स्थिर है । यदि स्वयं गतिशील हो तो ये हमारे चढ़ने-उतरने में सहयोगी नहीं बन सकती । इसलिए लोक के सभी जीव व पुद्गलों की गति में 'धर्म' के अस्तित्व को मानना ही होगा । इसी प्रकार जीव और पुद्गलों की स्थिति में 'अधर्म' के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा । ('धर्म' और 'अधर्म' स्वयं अगतिशील द्रव्य हैं ।)

लोक में 'धर्म' और 'अधर्म' दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं । अलोक में केवल आकाश ही है । जीव और पुद्गलों का वहा सर्वथा अभाव है । पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों ? इसका समाधान यही है कि अलोक में 'धर्म' व 'अधर्म'

नहीं है और 'धर्म' एवं 'अधर्म' के अभाव में वहाँ गति व स्थिति नहीं है। यदि अलोक में 'धर्म' व 'अधर्म' होते तो वहाँ भी जीव व पुद्गल अवश्य होते। पर ऐसी स्थिति में वह अलोक होता ही नहीं। वह अलोक इसीलिए तो है कि वहाँ आकाश के सिवाय और कुछ भी नहीं है।

'धर्म' व 'अधर्म' द्रव्य की अपेक्षा से एक-एक द्रव्य, क्षेत्र की दृष्टि से, जैसा कि अभी-अभी बताया, लोकपरिमाण है। यानी पूरे लोक में व्याप्त है। काल की दृष्टि से वे अनादि-अनन्त और भाव की दृष्टि से अरूपी है।

गंगाशहर

१५ जुलाई, १९७८

आकाश को जानें

पंचास्तिकाय के प्रतिपादन के क्रम में 'धर्म' और 'अधर्म' का विवेचन मैंने पिछले प्रवचनों में किया। तीसरा द्रव्य है—'आकाश'।

अवगाहलक्षण आकाशः ।

अवगाहः—अवकाशः, आश्रयः स एव लक्षणं यस्य स आकाशास्तिकायः । दिगपि आकाशविशेषः न तु द्रव्यांतरम् ।

'आकाश' को सभी दर्शन और दार्शनिक मानते हैं। कोई भी ऐसा दर्शन या मत नहीं है, जो आकाश के अस्तित्व को नकारता हो। यद्यपि आंखों से हम 'आकाश' को देख नहीं सकते, क्योंकि यह अमूर्त द्रव्य है, फिर भी 'आकाश' का अस्तित्व जाना सकता है। अवगाह एक ऐसा लक्षण है, जो 'आकाश' के अस्तित्व को प्रकट करता है। अवगाह का अर्थ है—अवकाश/आश्रय। यदि 'आकाश' नहीं हो तो हम कहां ठहरें? ससार के सभी जड़-चेतन पदार्थों को आश्रय देने वाला तत्त्व 'आकाश' ही है।

आकाश कहां है ?

आप पूछेंगे, 'आकाश' कहा है? मैं पूछता हूँ, 'आकाश' कहां नहीं है? और यह प्रतिप्रश्न ही पूर्व प्रश्न का उत्तर है। क्योंकि 'कहां है?'—यह प्रश्न तभी पूछा जा सकता है, जब पदार्थ कही हो और कही न हो। पर जो चीज सर्वत्र व्याप्त हो, उसके लिये यह प्रश्न कोई अर्थ नहीं रखता। 'आकाश' समूचे लोक और अलोक में व्याप्त है। 'आकाश' को नीला कहा जाता है। पर यह साहित्य की भाषा है, आगम की नहीं। आगम की भाषा में 'आकाश' अरूपी है। फिर वह नीला कैसे हो सकता है? हमें जो 'आकाश' नीला दिखाई देता है, उसका कारण दूरी है। निकट जाने पर वह नीला नहीं रहता। दूसरी बात यह है कि दिखाई देने वाला वस्तुतः 'आकाश' नहीं, अपितु परमाणु-पिण्ड है।

दिशाएं क्या हैं ?

'आकाश' को कोई जाने या न जाने, पर दिशाओं को तो सभी जानते हैं। जैन आगमों में चार, दश, और अठारह दिशाओं का वर्णन प्राप्त है।

को पाप-कर्मों से भारी बना ही लिया। उन कर्मों को भुगतने के लिए उसे नरक में भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए यह सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि दूसरों को दिया जानेवाला दुःख स्वयं का ही दुःख बनता है। दूसरों को पहुंचाई गई पीड़ा स्वयं की ही पीड़ा बनती है। भगवान महावीर ने इस सूत्र का प्रतिपादन कर समूचे प्राणी जगत् के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया। काश ! अहिंसा और मैत्री के इस सिद्धांत को मानव जाति समझ पाती। पशु-पक्षी जगत् को हम यह सिद्धांत नहीं समझा सकते। पर मनुष्य को भी यह सिद्धांत नहीं समझा सके—यह हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है ! बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस बात को व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं चाहता, उसी बात को दूसरों के लिए करते हुए उसे जरा भी संकोच और दर्द नहीं होता। व्यक्ति स्वयं के लिए सुख चाहता है, पर दूसरों का सुख छीन लेता है। व्यक्ति स्वयं दुःख नहीं चाहता पर दूसरों के लिए दुःख उत्पन्न कर देता है। मनुष्य जाति के लिए सचमुच यह अत्यन्त गौरव की बात होती, यदि वह पराए दुःख को अपना दुःख समझना सीख जाती। सभी धर्म-शास्त्रों ने मैत्री व अहिंसा के इस सिद्धांत की चर्चा की है। उसे महिमामंडित किया है। क्योंकि अहिंसा व मैत्री ही धर्म की बुनियाद है। इसके बिना धर्म कहीं टिक नहीं सकता।

आदर्श की बातें और व्यवहार

संसार के सभी महापुरुषों व धर्मगुरुओं ने धर्म के ऊंचे-ऊंचे आदर्शों की बात कही। उन आदर्शों व सिद्धांतों के आधार पर सभी धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पर यह बहुत महत्त्व की बात नहीं कि किस धर्म में कितनी ऊंची-ऊंची बातें कही गई हैं। बहुत महत्त्वपूर्ण बात यह है कि धर्म के उन आदर्शों को जीवन में कहां तक उतारा जाता है। यदि व्यक्ति के जीवन-व्यवहार में अपने धर्म के ऊंचे-ऊंचे आदर्श नहीं आए तो केवल उन आदर्शों के आधार पर अपने धर्म का गौरव गाना बहुत मूल्यवान् नहीं है।

आचार्यजी ! आपने बाइबिल पढ़ी है ?

एक घटना-प्रसंग मेरी स्मृति में आ रहा है। मैं बिहार प्रान्त की यात्रा पर था। हजारों-हजारों लोग बिना किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय आदि के भेद-भाव के अणुव्रत की बात को सुनने के लिए प्रवचनों में उपस्थित होते थे। एक दिन कुछ ईसाई पादरी भी प्रवचन सभा में उपस्थित हुए। प्रवचन-समाप्ति के पश्चात् एक पादरी मेरे पास आए और प्रशंसा का पुल बांधते हुए बोले—“आचार्यजी ! आज तो आपने प्रवचन क्या किया, कमाल ही कर दिया !”

मैं समझ गया, यह प्रशंसा किसलिए है। वस्तुतः प्रशंसा एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा बड़े-से-बड़े आदमी को आकर्षित कर भटकाया जा सकता है। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे, जो अपनी निंदा सुनकर भी अप्रसन्न न हों, पर ऐसे व्यक्ति थोड़े ही मिलेंगे, जो अपनी प्रशंसा सुनकर न फूलें। हाँ, तो पादरी साहब ने मेरे प्रवचन की खूब प्रशंसा की। मैंने मध्यस्थ भाव से उनकी बात सुन ली। मेरे पर उनकी प्रशंसा का कोई विशेष असर नहीं हुआ। अब पादरी साहब अपनी मूल बात पर आए। उन्होंने पूछा—“आचार्यजी ! आपने वाइविल पढ़ी है ?”

“हां, पढ़ी है।”—मेरा संक्षिप्त-सा उत्तर था।

“नहीं, पूरी पढ़ी या नहीं ?”—पादरी साहब का अगला प्रश्न था।

“हां, काफी देखी है।”

“वाइविल के महाप्रभु क्राइस्ट ने एक बहुत ऊंची बात कही है।”

“हां, वाइविल में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं।”—मैंने सहजभाव से कहा।

“नहीं-नहीं, महाप्रभु क्राइस्ट ने एक ऐसी बात कही है, जो अन्यत्र मिलनी असंभव है।”—पादरी साहब ने अभिमान के स्वरों में कहा।

“आखिर वह बात है क्या ?”—मैंने जिज्ञासा की।

“महाप्रभु क्राइस्ट ने कहा है कि मित्र के साथ तो मित्रता का व्यवहार करो ही, पर शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो। कितनी ऊंची बात है ! क्या आपने इतनी ऊंची बात अन्यत्र कही पढ़ी है ?”—पादरी साहब की आंखों में चमक आ गई।

मुझे-पादरी साहब का यह साम्प्रदायिक अह उचित नहीं लगा। इस अहं को विगलित करने के लिए मैंने कहा—“फादर साहब ! मैंने भगवान महावीर की वाणी से एक इससे भी ऊंची बात पढ़ी है।”

“इससे ऊंची बात ! यह कभी भी संभव नहीं।”—पादरी साहब मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं हुए।

“परंतु जो है, उसे कैसे नकारा जा सकता है ?”—उनके चित्तन को झकझोरते हुए मैंने कहा।

“लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।”—पादरी साहब अब भी अपनी बात पर पूर्णवत् खड़े थे।

“यदि आप सुनना चाहें तो मैं वह बात सुनाना चाहता हूँ।”—अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मैंने कहा।

“कहिए।”—अन्यमनस्क-भाव से घीमे स्वर में वे बोले।

अपने-अपने अनुयायियों को धर्म का सही मार्ग बताकर उसे उनके जीवन-व्यवहार में प्रवेश करवाएं ।

सुख-प्राप्ति का मार्ग

एक सूत्र में यदि कहें तो दूसरों को दुःख न देना ही धर्म है । कोई किसी को सुखी बना सके, यह किसी के हाथ की बात नहीं । समाधान यही है कि कोई किसी को दुःखी न बनाए । कोई किसी को पिटा नके, यह सर्वथा असम्भव बात है । पर कोई किसी को मारे नहीं, यह अहिंसा और मैत्री का व्यावहारिक एवं संभावित रूप है ।

भगवान् महावीर ने पूछा गया—भन्ते ! सातवेदनीय धर्म बंध का क्या कारण है ? समाधान की भाषा में भगवान् ने कहा—प्राण-भूत-जीव-मत्त्व को दुःख न देना, पीड़ित नहीं करना, न मराना, अनुयायित नहीं करना सातवेदनीय बंधन का कारण है । भगवान् ने यह कभी नहीं कहा कि दूसरे प्राणियों को सुख देने से सातवेदनीय धर्म का सम्बन्ध होता है । इसलिए तत्त्व यही है कि दूसरों को दुःख न देना ही सुख-प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है । सचमुच यह गहरा तत्त्व है । उनकी गहराई में बहुत कम लोग पहुँचे पाते हैं । अधिकांश लोग तो किसी को सामान्य-सा महयोग देकर सुख पहुँचाना मान लेते हैं ।

जन्म-मरण, जैसा कि मैंने कहा, बहुत बड़ा दुःख है और दुःख में मृत्यु छुटकारा चाहते हैं । इसलिए भगवान् ने धर्म का मार्ग प्रदर्शित किया । त्याग, तप, संयम आदि के द्वारा हम जन्म-मरण की शृंगला को तदा-तदा के लिए तोड़कर शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करें—इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ ।

गंगाशहर

१६ जुलाई, १९७८

लोक स्थिति : एक विश्लेषण

हैं—
आकाश का विवेचन कल में प्रारम्भ किया था । आकाश के दो भाग

लोकोऽलोकश्च ।

१. लोक

२. अलोक ।

प्रश्न है, लोक किसे कहते हैं ?

षड्रव्यात्मको लोकः ।

अपरिमितस्याकाशस्य षड्रव्यात्मको भागः लोक इत्यभिधीयते । स च चतुर्दशरज्जुपरिमाणः, सुप्रतिष्ठकसंस्थानः, तिर्यग् ऊर्ध्वोऽधरश्च । तत्र अष्टादशशतयोजनोच्छ्रितोऽसंख्यद्वीपसमुद्रायामस्तिर्यक् । किञ्चिन्न्यूनसप्त-रज्जुप्रमाण ऊर्ध्वः । किञ्चिदधिकसप्तरज्जुप्रमितोऽधः ।

लोक का स्वरूप

‘लोक’ वह आकाश है, जिसमें आकाश के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, जीव पुद्गल और काल—ये पांच द्रव्य और पाए जाएं । दूसरे शब्दों में जिस आकाश में छहो द्रव्य प्राप्त है, वह ‘लोक’ कहलाता है ।

‘लोक’ आकाश का बहुत छोटा-सा भाग है । इसको आप एक स्थूल उदाहरण से समझें । यह सामने शामियाना है । इस शामियाने में कहीं चार अंगुल की कोई कारी लगा दी गई । इतने बड़े शामियाने में चार अंगुल की कारी का अस्तित्व नहीं के बराबर है । वस, आकाश में ‘लोक’ इस कारी जितना ही है, शेष सारा ‘अलोक’ है । निष्कर्ष यह है कि ‘अलोक’ की तुलना में ‘लोक’ बहुत ही छोटा है । पर छोटा होकर भी ‘लोक’ दूसरी दृष्टि से बहुत बड़ा है । क्योंकि अनन्त-अनन्त जीव और पुद्गल इसी लोक में समाए हुए हैं ।

प्रश्न होगा, ‘लोक’ की सीमा क्या है ? ‘लोक’ चौदह रज्जु का है । रज्जु यानी रस्सी । पर यह रस्सी कोई सामान्य छोटी-मोटी रस्सी नहीं है । असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र समा जाएं उतना बड़ा एक रज्जु होता है ।

आपको यह सुनकर विस्मय नहीं होना चाहिए । क्योंकि आज विज्ञान ने इससे भी अधिक-अधिक विस्वकारी वाते जगत् के सामने रखी है । लोक की यह सीमा, जो चौदह रज्जु की बतलाई गई है, ऊपर से नीचे की लम्बाई की है ।

लोक को तीन भागों में विभक्त किया गया है—

१. ऊर्ध्व लोक ।

२ अधोलोक ।

३. तिर्यक् लोक ।

ऊर्ध्व लोक सात रज्जु से कुछ कम का है । अधोलोक सात रज्जु से कुछ अधिक का है । तिर्यक् लोक अठारह सौ योजन का है । इन तीनों को मिलाकर चौदह रज्जु होता है । यह चौदह रज्जु का लोक सातवें नरक—महातम : प्रभा के नीचे से प्रारंभ होकर सिद्धशिला के अन्तिम छोर तक है । इसके दो भाग हैं । हम मध्य-लोक के जिस भाग में हैं, उससे ऊपर नीची योजन तथा नीचे नीची योजन है । हमारे यहां एक लोकपुरुष की भी कल्पना की गई है । लोकपुरुष का आकार वर्तमान 'जैन-प्रतीक' के समान है । यह सारा विवेचन में जैन भूगोल-खगोल के आधार पर कर रहा हूं ।

प्रश्न उपस्थित होगा, क्या भूगोल-खगोल भी जैनों का, बौद्धों का वैदिकों का.....अलग-अलग होता है ? भूगोल-खगोल तो अलग-अलग नहीं होता पर उसे बतलानेवाले अलग-अलग हैं । इसलिए उनके माप में कहीं-कहीं अन्तर है । हमें अपने शास्त्रों में प्राप्त भूगोल-खगोल का ज्ञान होना चाहिए । अन्यथा दूसरे-दूसरे लोगों की मान्यताओं से हम अपनी मान्यताओं की तुलना कैसे कर सकेंगे और कैसे उसके अन्तर को समझ पाएंगे ?

लोक की स्थिति

बन्धुओं ! इस लोक की स्थिति बड़ी विचित्र है । जीव अपने कर्मों के कारण इस लोक में विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है । कहीं जन्म है । कहीं मरण है । कहीं नृत्य है । कहीं नाटक है । कोई रोता है । कोई हंसता है ।.....ससार के प्रत्येक प्राणी ने लोक का चप्पा-चप्पा छाना है । लोक का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं, जहां जीव अनन्त-अनन्त बार न जनमा हो । आपको जिज्ञासा होगी कि इस लोक का कभी अन्त भी पाया जा सकता है या नहीं ? हा, अन्त तो पाया जा सकता है । पर प्रश्न तो यह है कि सच्चे दिल से इसका अन्त चाहता कोन है ? सब चक्कर खाना चाहते हैं । यदि वास्तव में ही सच्चे दिल से भवभ्रमण से मुक्त होने की तमन्ना जग जाए तो यह असम्भव नहीं है । हमारे तीर्थंकरों ने इस दिशा में हमारा मार्ग-दर्शन किया है । अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री, प्रमोद....की साधना भवभ्रमण से मुक्ति का रास्ता है । इस मार्ग पर चलने-

वाले को दुःख का काम ही नहीं, केवल चैन-ही-चैन है ।

बन्धुओ ! मुझे तो इस बात की बड़ी हंसी आती है कि लोग इस ससार में सुख देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह यह है कि संसार दुःखमय है । किसी भी प्राणी ने आज तक इस इस संसार में कभी सुख पाया नहीं और भविष्य में कभी कोई पा नहीं सकेगा । जो व्यक्ति इस वास्तविकता से परिचित हो जाता है, उसे संसार से विरक्त होते समय नहीं लगता । विरक्त होने का अर्थ है—फिर वह इस संसार में भटकता नहीं, बहुत जल्दी उसका पार पा लेता है ।

प्रसंग रामायण का

प्राचीन काल में यह आम पद्धति रही थी कि बड़े-बड़े राजे, महाराजे, और धनकुवेर संसार की वास्तविकता से परिचित होकर एक अवस्था प्राप्त होने के पश्चात् संन्यास स्वीकार कर लेते । संसार के प्रति उनकी आसक्ति समाप्त हो जाती । मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है । राजा अपने महल में बैठे केशों को संवार रहा था । महारानी भी वहीं पर उपस्थित थी । सहसा महारानी ने चौकने के अंदाज में कहा—“महाराज ! दूत आ गया ।”

राजा भी चौका । उसने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा । पर उसे कोई भी व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हुआ । जरा भुंभलाते हुए उसने महारानी से कहा—“तुम क्या स्वप्न में बात कर रही हो ! यहां तो कोई भी दूत नहीं आया है । और आए भी तो कैसे ? महल के दरवाजे पर सशस्त्र पहरेदार जो खड़े हैं ।”

“महाराज ! आप मानें या मानें पर दूत तो आ गया है ।”— महारानी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा ।

राजा ने सोचा, जब रानी कह रही है तो अवश्य कोई दूत आया होगा । शायद वह बाहर खड़ा होगा, जिससे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है । अतः उसने महारानी से कहा—“कौन दूत आया है ? उसे मेरे सामने उपस्थित करो ।”

महारानी ने राजा के सिर से एक सफेद केश उखाड़ा और यह कहते हुए कि यमदूत आ गया है, उसे राजा के हाथ में थमा दिया ।

राजा ने मर्म को समझा और वह चिन्तानुर हो गया । चिन्तानुर यह सोचकर नहीं कि बुरापा आ गया है या मौत सन्निकट है, बल्कि इसलिए कि कुल की परम्परा का लोप हो रहा है । अयोध्या के राजकुल की यह परम्परा रही थी कि आज तक जितने भी राजा बने, उन्होंने सफेद केश धाने से पूर्व संसार को त्याग दिया । सफेद केश के इस संकेत मात्र से राजा के मन में वैराग्य-भावना जागृत हो गई और वह सन्न्यस्त हो गया ।

बन्धुओ ! आज की स्थिति तो बड़ी विचित्र है । सफेद केश आने से तो जागृत होता ही कौन है, सारे दात गिर जाने के बाद भी आदमी पुनः शादी करने की बात सोचता है । फिर भी विरक्त होनेवालों की सर्वथा नाशित नहीं है । इस स्थिति में भी कुछ लोग समय-समय पर लोक की वास्तविकता से परचित होकर उससे विरक्त होते हैं । भव-भ्रमण से मुक्ति की दिशा में चरण गतिशील करते हैं । आप भी लोक को समझे, लोक की वास्तविकता को समझे और समझ कर श्रेय-पथ की ओर अग्रसर हों—इसी भावना के साथ प्रवचन सम्पन्न करता हूँ ।

गंगाशहर

१७ जुलाई, १९७८

सृष्टि क्या है ?

आकाशास्तिकाय के विवेचन के अन्तर्गत 'लोक' का वर्णन कल में किया। 'लोक' के तीन भाग बताए गए हैं—

१. ऊर्ध्व लोक
२. अधोलोक
३. मध्यलोक।

जिज्ञासा हो सकती है कि किस-किस लोक में कौन-कौन-से प्राणी बसते हैं ?

विविधताओं का संगम स्थल

ऊर्ध्व लोक में मुख्य रूप से वैमानिक देवों का प्रवास है। अर्थात् बारह कल्पोपन्न और चौदह कल्पातीत देव—नौ श्रेवेयक व पांच अनुत्तर विमान ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक के ऊपर सिद्धशीला है।

अधोलोक में सात नरक—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूम प्रभा, तम.प्रभा और महातमः प्रभा के जीव तथा असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्निकुमार, वातकुमार स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार—ये दस प्रकार के भवनपति देव रहते हैं।

मध्यलोक में मनुष्य, पक्ष-पक्षी तथा ज्योतिष्क एवं व्यन्तर देव रहते हैं। व्यन्तर देव भूत, पिशाच, राक्षस आदि हैं। यद्यपि वे मध्यलोक में ही हैं, पर हमारे से नीचे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, हम मध्यलोक के बीच में हैं। हमारे से ऊपर नौ सौ योजन यथा नीचे नौ सौ योजन का क्षेत्र है। व्यन्तर देव नीचे के नौ सौ योजन के क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष्क देव हमारे से ऊपर के नौ सौ योजन के भाग में प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त पांच स्थावर जीव—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति समूचे लोक में भरे पड़े हैं। लोक का ऐसा कोई भी भाग नहीं, जहाँ स्थावर जीवों का प्रवास न हो।

लोक सर्वत्र विविधताओं से भरा है। कहीं नगर है। कहीं गांव है।

कही पर्वत है । कही समुद्र है । कही सूखा है । कहीं हरा-मरा मैदान है ।....

सब कुछ तर्कगम्य नहीं

आप कहेंगे, एकरूपता क्यों नहीं ? मैं मानता हूँ एकरूपता का अपना महत्त्व है तो विविधता का भी अपना महत्त्व है । वगीचे में एक जैसे सैकड़ों पेड़ सुन्दर लगते हैं तो जगल विभिन्न प्रकार के वृक्षों और विभिन्न प्रकार की घासों से ही मनोरम लगता है ।

जीवपुद्गलयोर्विविधसंयोगः स विविधरूपः ।

इयं विविधरूपता एव सृष्टिरिति कथ्यते ।

लोक में जीव और पुद्गल भरे पड़े हैं । जीव और पुद्गलों का विविध रूपों में संयोग होना, लोक विविधता का कारण है । यह विविधता सदा से चलती आई है और सदा चलती रहेगी । इस विविधता को हम सृष्टि, ससार, जगत् या चराचर कहते हैं । आप पूछेंगे, लोक की यह स्थिति क्यों ? इस 'क्यों' का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है । 'क्यों' का उत्तर केवल तर्कसिद्ध बातों का दिया जा सकता है, प्रकृति की बातों का नहीं । और यह विविधता प्रकृति की बात है । कोई पूछे कि मोर की पांखों में विविध रंग होते हैं, कबूतर की पांखों में वे सब रंग क्यों नहीं ? पुरुष के दाढ़ी और मूँछ होती हैं, स्त्री के क्यों नहीं ? ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता । क्योंकि ये प्रकृतिगत/स्वभावगत बातें हैं । इन्हें हम तर्क से नहीं समझ सकते । तर्क तो कुरेदने के लिए होती है । समझने के लिए श्रद्धा ही महत्त्वपूर्ण है । अलवत्ता में तर्क का सर्वथा खंडन नहीं करता, वह भी एक सीमा तक उपयोगी है, पर सभी जगह तर्क नहीं होनी चाहिए ।

शाश्वत : सीमामुक्त

सृष्टि को समझने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि जीव और पुद्गल का संयोग कब हुआ ? पहले जीव हुआ या पुद्गल ?

संयोगश्चापश्चानुपूर्विकः ।

इस प्रश्न के समाधान में भगवान ने कहा, जीव और पुद्गल दोनों शाश्वत हैं । इनमें पौर्वापर्य नहीं है । अर्थात् ये दोनों सदा से हैं और सदा रहेंगे । कोई पहले नहीं, कोई पीछे नहीं । शास्त्रों में इस प्रकार के अनेक प्रश्न आए हैं । पहले मुर्गी या अण्डा ? पहले बीज या वृक्ष ? अण्डे के बिना मुर्गी नहीं और मुर्गी के बिना अण्डा आया कहां से ? बीज के बिना वृक्ष नहीं और वृक्ष के बिना बीज पैदा कैसे हुआ ? इन सबका उत्तर 'अपश्चानुपूर्व' हैं । अर्थात् इनमें पूर्व और अपर का क्रम नहीं है । ये दोनों शाश्वत भाव हैं । इस सृष्टि को भी जैन-दर्शन में अपश्चानुपूर्व माना गया है ।

विज्ञान मानता है कि मनुष्य से पशु पहले हुए। मनुष्य वनमानुष की संतान है। पर मैं समझता हूँ, यह वास्तविकता नहीं है। आप देखें, आज लाखों-लाखों बन्दर और वनमानुष हैं। यदि मनुष्य वनमानुष की संतान है, तब फिर क्यों नहीं कोई बन्दर या वनमानुष मनुष्य उत्पन्न करता ?

वैचारिक सहिष्णुता

कुछ दार्शनिक मानते हैं कि सृष्टि को ईश्वर ने पैदा किया है। यहाँ वही प्रश्न पुनः पैदा होगा कि ईश्वर को किससे पैदा किया ? यदि कहा जाए कि उसे तो किसी ने पैदा नहीं किया, वह तो शाश्वत है, तब फिर सृष्टि को ही शाश्वत मानने में क्या आपत्ति है ? फिर भी मैं ये विचार किसी पर थोपना नहीं चाहता। मेरी दृष्टि में धार्मिक व्यक्ति को कभी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जो दूसरों को पीड़ा पहुँचाए। अपनी बात दूसरों को दृढ़ता के साथ बताई जाए, इसमें कोई कठिनाई नहीं। पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालना, संघर्ष करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। क्योंकि धर्मक्षेत्र में वितंडावाद/लड़ाई-भगडे को कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो एकमात्र हृदय-परिवर्तन का मार्ग ही मान्य है। मैं मानता हूँ, धर्म के नाम पर कहीं भी किसी प्रकार का संघर्ष या लड़ाई-भगडा होता है तो वह समूचे धार्मिक जगत् के लिए बहुत बड़ा कलंक सिद्ध होता है। हर धर्म के अधिकारियों एवं अनुयायियों को यह सोचना चाहिए कि अपने विचारों में वे जितने स्वतन्त्र हैं, उतने ही स्वतन्त्र दूसरे भी हैं। इस स्थिति में विरोधी विचारों को सुनकर विवाद करना या संघर्ष करना कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता।

प्रसंग महात्मा गांधी और कस्तूर बा का

महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण की बात उठाई। हजारों-हजारों लोगों के विचार उन्होंने बदले। पर अपनी धर्मपत्नी कस्तूर बा को वे समझाने में असफल रहे। गांधीजी ने कहा—“सब अपने विचार रखने में स्वतन्त्र हैं, फिर मैं इसकी इस स्वतन्त्रता को क्यों छीनूँ ?” फिर भी वे बराबर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते रहे। आखिर समझाते-समझाते वे थक गए, पर कस्तूर बा के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया। गांधीजी को दो क्षण के लिए उत्तेजना आ गई। उन्होंने कहा—“और सबको अपनी बात समझाना सरल है, पर कस्तूर बा को समझाना कठिन ही नहीं महा कठिन है।” पर दूसरे ही क्षण वे संमल गए और तत्काल बोले—“चाहे कस्तूर बा को मेरी बात समझ में आए या न आए पर पत्नी के रूप में तो मैं जन्म-जन्मान्तरों तक कस्तूर बा को ही चुनता रहूँगा।”

बन्धुओ ! यह वैचारिक सहिष्णुता का सूत्र धार्मिकों को अवश्य

अपनाना चाहिए । जब धार्मिक लोग भी छोटे-छोटे विचार-भेदों के लिए संघर्ष करेंगे तो अधार्मिकों की तो बात ही क्या ? मैं यह बात किसी संप्रदाय-विशेष को लक्ष्य करके नहीं, अपितु सामूहिक रूप में कह रहा हूँ । मेरा निश्चित अभिमत है कि यदि धार्मिक क्षेत्र से यह बुराई समाप्त हो जाए तो धर्म का रूप बहुत अधिक निखार पा सकेगा ।

गंगाशहर

१८ जुलाई, १९७८

सृष्टिवाद : एक विवेचन

सृष्टि का वर्णन मने कल किया। सृष्टि का प्रारम्भ कैसे हुआ ? इस प्रश्न पर विभिन्न दर्शनों का अलग-अलग अभिमत है। जैसा कि कल बताया गया, कुछ लोग मानते हैं कि सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि सृष्टि एक अण्डे से पैदा हुई है। और भी अनेक मत इस सम्बन्ध में हो सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव और पुद्गल का विविध रूप में विशेष संयोग ही सृष्टि है और यह संयोग पौर्वापर्यरहित है।

संस्कृति को सुरक्षा करें

किन्तु कभी-कभी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर इतना गहरा असर आ जाता है कि लोग अपनी मूल संस्कृति को भूल जाते हैं और दूसरी संस्कृति के प्रवाह में बहने लगते हैं। जैन दर्शन की मान्यता है कि प्राणी सुख-दुःख स्वकृत कर्मों के कारण ही प्राप्त करता है। कोई ईश्वर या भगवान किसी को सुख-दुःख नहीं देता। व्यक्ति अपने कृतकर्मों के कारण ही संसार में जन्म-मरण करता है। जिस दिन वह कर्मों की शृंखला को तोड़ देता है, उस दिन वह संसार से मुक्त हो जाता है। पर बहुत-सारे जैन लोग पत्रों में लिखते हैं कि मैं ईश्वर से आपके दीर्घ आयुष्य की प्रार्थना करता हूँ। परम-पिता परमेश्वर से अरदास करता हूँ कि आपको सुखी बनाएं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यह जैन दर्शन की मान्यता के विपरीत नहीं है ? इसी प्रकार बहुत सारे जैनी, जब उन्हें व्यापार में लाभ होता है, कहते हैं—रामजी राजी हैं। ईश्वर की कृपा है।.....मैं नहीं समझता, क्या ईश्वर की भी किसी पर अकृपा होती है ? क्या वे कभी नाराज होते हैं ? वास्तव में ईश्वर तो समदर्शी होते हैं। फिर उनकी कृपा या अकृपा होने की बात का कोई औचित्य नहीं है।

कुछ लोग थोड़ा-सा नुकसान होने पर भगवान को कोसने लगते हैं—हा ! भगवान ने बहुत बुरा किया। मैं मानता हूँ, यह भगवान पर एक प्रकार का झूठा लांछन है। भगवान क्यों कभी किसी का बुरा करेंगे ? भगवान की बात तो बहुत आगे की है, भगवान के सच्चे भक्त भी कभी

वहते ही हैं, पर जो प्रतिकूलता में, दुःख में और प्रतिस्रोत में भी अपनी समता को खण्डित नहीं होने देता, वह सचमुच ही महान् है। मैं इसे साधना की कसौटी मानता हूँ। यह बात मैं केवल शब्दों से ही नहीं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। अनुभवरहित शाब्दिक उपदेश का मेरी दृष्टि में बहुत मूल्य नहीं है। सन्तों की वाणी लोग इसीलिए तो सुनना चाहते हैं और इसीलिए वह असरकारी होती है कि सन्त जो कुछ उपदेश देते हैं, उसे पहले अपने जीवन में प्रयोग कर अनुभव करते हैं। उनकी वाणी अनुभव की वाणी होती है।

मैंने भी अपने जीवन में दुःख में सम रहने के प्रयोग किए हैं। आप पूछेंगे, क्या आपके जीवन में भी दुःख आता है? मैं पूछता हूँ, दुःख किसके जीवन में नहीं आता? दुःख सबके जीवन में आता है पर इतना अवश्य है कि सामान्य आदमी जहाँ दुःख से घबरा जाता है, अपना संतुलन खो बैठता है, वही साधक पुरुष अपने आप को संतुलित रखने का प्रयास करता है, हंसते-हंसते दुःख को लांघ जाता है। हाँ, तो मैंने प्रतिकूलता में सम रहने का प्रयास किया है। इस प्रयास में मैं बहुत बार उत्तीर्ण रहा हूँ तो कभी-कभी अनुत्तीर्ण भी रहा हूँ। साधक को अपनी कमजोरी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। साधक का अर्थ ही है कि वह अपूर्ण है। यदि अपूर्ण नहीं हो तो साधना की अपेक्षा ही क्या है?

निर्माण के लिए सहन जरूरी है

मैं मानता हूँ, एक दृष्टि से कष्ट जीवन के लिए बहुत लाभप्रद है। क्योंकि कष्टों में आदमी का पुरुषत्व निखरता है। हम इस तथ्य को कभी न भूले कि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। पर आज तो स्थिति बड़ी विचित्र है। आदमी अपने मन के विपरीत जरा-सी बात भी समभाव-पूर्वक सहन नहीं कर पाता। तत्काल उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। चेहरा तमतमाने लगता है। वह अपना आपा खो बैठता है। आप टटोलें अपने आपको। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस संदर्भ में मेरी तो निश्चित मान्यता है कि जब तक व्यक्ति सहन करना नहीं सीखता, उसका निर्माण नहीं होता। निर्माण उसी का होता है, जो चोट सहन करता है। स्खलना करने पर, मैं अपने शैक्ष मुनियों को टोकता हूँ, सावधान करता हूँ। इसके साथ ही मैं उनके चेहरों को भी पढ़ता रहता हूँ। किस साधु ने मेरे अनुशासन को मन से सहन किया है, किसने केवल वाणी से सहन किया है और किसने मन व वाणी दोनों से ही सहन नहीं किया है। इस आधार पर मैं परीक्षा कर लेता हूँ, कौन होनहार है, कौन कम होनहार है और कौन कच्चा घड़ा रहनेवाला है। तत्त्व यही है कि जीवन-निर्माण के लिए हर व्यक्ति को कड़ी चोट हंसते-हंसते

सहन करने का अभ्यास करना चाहिए ।

मैं उपग्रह के बारे में बता रहा था और चलते-चलते कहा का कहा पहुंच गया । अब मैं पुनः अपने मूल विषय पर लौटता हूँ । जीव को अपने जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों को चलाने के लिए विभिन्न रूपों में पुद्गलो को स्वीकार करना होता है । खाना, पीना, बोलना, चिन्तन करना आदि सभी क्रियाओं में पुद्गलो को अनिवार्यरूप से ग्रहण करता होता है ।

लोक की स्थिति

लोक को सभी दृष्टियों से समझने के लिए हमें यह समझना भी जरूरी है कि लोक की स्थिति कहां है ? वह किस पर टिका हुआ है ? कुछ लोग संसार को शेषनाग में फन पर टिका हुआ मानते हैं । दूसरी मान्यता के अनुसार संसार बैल के सींग पर अवस्थित है । और भी अनेक मान्यताएं इस अम्बन्ध के प्राप्त होती हैं । इस बारे में जैन-दर्शन क्या कहता है ?—यह प्रश्न है । सभी लोगों को इस प्रश्न का समाधान ब्याल में रखना चाहिए ।

चतुर्धा तस्स्थितिः ।

यथा आकाशप्रतिष्ठितो वायुः, वायुप्रतिष्ठित उदधिः, उदधि-प्रतिष्ठिता पृथिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिताः त्रसस्यावराः जीवाः ।

सबसे पहले आकाश है । आकाश के ऊपर वायु अवस्थित है । वायु के दो प्रकार हैं—सघन वायु और तरल वायु । तरल वायु से तो आप सब परिचित हैं, पर सघन वायु से संभवतः सभी लोग परिचित न हों । आप देखें, मोटरों, ट्रकों के टायरों में जो वायु होती है, वह सघन वायु का एक उदाहरण है । सघन वायु इतनी ताकतवर होती है कि टनो वजन उसके सहारे उठाया जाता है ।

सघन वायु का प्रयोग

जैन विश्व भारती में, पिछले दिनों जब मैं प्रवास कर रहा था, एक व्यक्ति आया और उसने सघन वायु का एक प्रयोग दिखलाया । उसने एक जीप गाड़ी अपनी छाती के ऊपर से निकलाने के लिए सामने खड़ी कर दी और स्वयं जमीन पर लेट गया । उपस्थित लोगों को बड़ा डर लगा कि कहीं इसके फेफड़े चूर-चूर न हो जाएं । पर लोगों के आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा, जब जीप के निकलने के पश्चान् वह व्यक्ति तत्काल खड़ा हो गया । वास्तव में बात यह थी कि उसने अपने फेफड़ों में वायु को सघन रूप में भर लिया था । इसी प्रकार सघन वायु के और भी अनेक उदाहरण देखने को मिल सकते हैं ।

हां, तो मैं बता रहा था कि आकाश के ऊपर वायु (सघन) और वायु के ऊपर उदधि टिका हुआ है । (उदधि भी सघन और तरल दो प्रकार का होता है ।) उदधि पर पृथ्वी और पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीव अवस्थित हैं ।

वायु पर उदधि कैसे टिकता है ?

यहां यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायु पर उदधि कैसे टिका हुआ है ? यह कोई असंभव बात नहीं है । वैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में अनेक प्रयोग किए हैं । एक ट्यूब को हवा से विलकुल सघन रूप में भर दिया । फिर एक रस्सी के द्वारा उसको माध्य भाग से इस प्रकार कस कर बाध दिया कि नीचे की वायु विलकुल ऊपर न आ सके । अब उसका ऊपर का मुंह खोल दिया और उसमें जल भर दिया । जल भरने के पश्चात् वह बीच की रस्सी हटा ली गई । प्रयोग में देखा गया कि वह पानी नीचे के भाग में विलकुल नहीं गया । क्या आप बता सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ ? इसका कारण यही है कि नीचे सघन वायु है । सघन वायु पर पानी टिक गया । इस प्रयोग से यह बात विलकुल अच्छे ढंग से समझ में आती है कि वायु पर उदधि टिका हुआ है ।

लोक की स्थिति का संक्षिप्त विवेचन मैंने प्रस्तुत किया । अब सक्षेप में अलोक को भी समझ लें ।

शेषद्रव्यशून्यमाकाशमलोकः ।

जहां आकाशास्तिकाय के अतिरिक्त दूसरा कोई द्रव्य नहीं होता, उस आकाश को अलोक कहते हैं । लोक की अपेक्षा अलोक बहुत अधिक बड़ा है । पर जीव और पुद्गल के अभाव में उसकी हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है ।

बन्धुओ ! तत्त्व का अपना एक महत्त्व है । इसकी महत्ता को समझ कर आप लोगों को ये तात्त्विक बातें हृदयंगम करनी चाहिए । इससे आपका ज्ञान तो विकसित होगा ही, साथ ही आपको साधना-पथ पर आगे बढ़ने में भी बहुत सहयोग मिलेगा ।

गंगाशहर

१९ जुलाई, १९७८

पुद्गल : एक अनुचितन

तात्त्विक विवेचन के अन्तर्गत धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय—इन तीन द्रव्यों का प्रतिपादन मैं कर चुका हूँ। इसी क्रम में आज पुद्गलास्तिकाय के विषय में कुछ कहूँगा।

स्पर्शरसगंधवर्णवान् पुद्गलः ।

स्पर्श, रस, गंध और वर्ण युक्त द्रव्य 'पुद्गल' है। यह जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। अन्य किसी भी दर्शन में यह शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। स्पर्श, रस आदि का विभाग इस प्रकार है—

स्पर्श—कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष।

रस—तिक्त, कटु, कपाय, आम्ल, मधुर।

गंध—सुगन्ध, दुर्गन्ध।

वर्ण—कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत।

यह कभी संभव नहीं कि पुद्गल में स्पर्श तो हो और रस न हो। रस तो हो और गंध न हो। गंध तो हो और वर्ण न हो। निष्कर्ष यह है कि पुद्गल होगा तो ये चारों अनिवार्य रूप से होंगे ही। यह दूसरी बात है कि स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण कहीं हमें दिखाई देते हैं, और कहीं नहीं भी। पर इससे उनकी सत्ता में कहीं कोई अन्तर नहीं आता। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण की तो बात दूर की है बहुत से पुद्गल स्वयं इतने सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम कोरी आंखों से नहीं देख सकते।

सूक्ष्म पुद्गल

प्राचीन समय में चूल्हे का धुआं बाहर निकालने के लिए रसोईघर में कई छोटे-छोटे छिद्र बनाए जाते थे। आजकल भी कहीं-कहीं ऐसे रसोईघर देखने को मिलते हैं। उनमें से होकर सूर्य-रश्मियां भी रसोईघर के अन्दर आती हैं। उन सूर्य-रश्मियों में सैकड़ों हजारों कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। पर जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जाता तो वे हाथ में नहीं आते। यह पुद्गलों की सूक्ष्मता का एक स्थूल उदाहरण है। वस्तुतः तात्त्विक दृष्टि से तो ये रज कण बहुत बड़े हैं। इनसे भी बहुत सूक्ष्म पुद्गल होते हैं।

पुद्गल या पुद्गलास्तिकाय के लिए हम अणु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर इसके स्थान पर परमाणु शब्द का प्रयोग गलत हो जाएगा। इसलिए बोलचाल तथा लिखने में हमें यह सावधानी रखनी चाहिए। अज्ञान-वश लोग बहुधा यह भूल कर बैठते हैं।

इस संसार में सर्वत्र पुद्गलों का एकछत्र साम्राज्य छाया हुआ है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं.....इन सब क्रियाओं में हम पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। पुद्गल नहीं हो तो न हमारा खाना है, न पीना है, न बोलना है, न चिन्तन-मनन है, न श्वासोच्छ्वास है और न कोई अन्य क्रिया ही। दूसरे शब्दों में पुद्गलों के बिना हमारा इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है।

शरीर जीव है या अजीव ?

हमारा शरीर भी पुद्गल है। शरीर को पुद्गल सुनकर शायद आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि आचार्यश्री के कथन में यह विसंगति क्यों ? कुछ दिन पूर्व तो एक प्रसंग में शरीर को जीव बताया गया था और आज इसे पुद्गल बताया जा रहा है। पर आप चौंके नहीं। यह कोई विसंगति नहीं है। केवल अपेक्षाभेद है। मैंने शरीर को जीव कहा था पर यह नहीं कहा था कि वह पुद्गल नहीं है। वास्तव में जब मैं कहता हूँ कि शरीर जीव है तो उसके पीछे अपेक्षा है सजीव पुद्गल की। यानी शरीर मजीव पुद्गल है।

एक भ्रान्ति का निवारण

पुद्गल सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं। जैन मुनि केवल अचित्त पुद्गलों को ही ग्रहण करते हैं, सचित्त को नहीं। गृहस्थों में भी कुछ कुछ लोगों को सचित्त पुद्गलों को खाने का त्याग होता है। इसलिए वे सचित्त पुद्गलों को अचित्त करके उनका उपयोग करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि जब सजीव को निर्जीव करके उनका उपयोग किया जाता है तो फिर मजीव खाने में क्या आपत्ति है ? क्या यह सजीव का त्याग मात्र विडम्बना नहीं है ? मे मानता हूँ, यह एक गहरी भ्रान्ति है। जो लोग इस प्रकार सोचते हैं, वे सचित्त का त्याग करना एवं सचित्त को अचित्त बनाकर खाना—इन दोनों बातों को एक कर देते हैं। वास्तव में त्याग करना एक बात है और सचित्त को अचित्त बना कर खाना सर्वथा दूसरी। त्याग करने-वाले के लिए यह कोई प्रतिबन्ध नहीं कि वह सचित्त को अचित्त बना कर खाए ही। जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया, हम मुनियों को सचित्त का त्याग है, पर हम कभी भी सचित्त को अचित्त नहीं बनाते। हाँ, सहजरूप से गृहस्थों

के धरो से प्राप्त अचित्त पुद्गलो से अपना काम चलाते हैं। कुछ गृहस्थ भी ऐसे होते हैं, जो सचित्त का त्याग रखते हैं, फिर भी सचित्त को अचित्त बनाकर नहीं खाते। आप कहेंगे, तो क्या वे भी आपकी तरह भिक्षा करते हैं? नहीं, भिक्षा करने की उन्हें क्या अपेक्षा है? आप लोगों को श्याल रखना चाहिए कि बहुत-सी वस्तुओं को तो गृहस्थों को बिना त्याग भी अचित्त करना ही पड़ता है। रोटी, चावल, दाल, शाक, भाजी अनेकानेक वस्तुएं सहज रूप में अचित्त बनाई जाती हैं। त्याग से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। और बहुत सही तो यह है कि खाने के काम आनेवाली चीजों में सचित्त रूप में तो बहुत कम वस्तुएं काम आती हैं। अधिकांश तो अचित्त रूप में ही उपयोग में आती हैं। सचित्त के त्याग करनेवाला व्यक्ति केवल सहजनिष्पन्न अचित्त वस्तुओं में ही सतोष करे, यह सबसे अच्छी बात है। पर यदि कोई सचित्त के त्याग करनेवाला व्यक्ति अपनी दुर्बलता के कारण सचित्त वस्तुओं को अचित्त करके खाता है तो उसके सचित्त के त्याग का कोई भंग नहीं है। हा, इसे धर्म नहीं माना जा सकता। धर्म तो त्याग है, भोग नहीं।

प्रसंगवश मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है। यद्यपि मैं विषयान्तर हो गया हूँ, परन्तु प्रसंग आने पर ऐसी बातों का स्पष्टीकरण कर देना उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है।

छह द्रव्यों में पुद्गल का विवेचन सर्वाधिक विस्तीर्ण है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। हमारे ये आठ कर्म भी पुद्गल ही हैं। एक-एक कर्म से अनन्त-अनन्त पुद्गल जुड़े हुए हैं। पता नहीं कब छुटकारा होगा इन कर्मों से! कर्मों से छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ की अपेक्षा है। पर सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। तीव्र पुरुषार्थ अपेक्षित है लक्ष्य-सिद्धि के लिए। क्योंकि ये कर्म पुद्गल कोई एक-दो जन्मों से नहीं, अपितु अनन्त-अनन्त काल से हमारे पीछे लगे हुए हैं। परन्तु एक बात अवश्य है। गहराई में उतरकर यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जबरदस्ती हमारे पीछे नहीं लगे हुए हैं। हमने ही इन्हें आमंत्रण देकर बुलाया है, इनका स्वागत किया है और इनको अपने पीछे लगाया है। इसलिए हमें कर्मों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। दोषारोपण करने से कुछ बनेगा भी नहीं। अपेक्षा यही है कि हम अपने आपको सभालें। स्वयं को सभालने का अर्थ है—अपने जीवन को सवर और निर्जरा से भावित करना।

गंगाशहर

२२ जुलाई, १९७८

पुद्गल के लक्षण

कल के प्रवचन में मैंने 'पुद्गल' की चर्चा की। जैसा कि कल स्पष्ट किया था, यह जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण युक्त द्रव्य को 'पुद्गल' माना गया है। आज हम इसके व्युत्पत्तिपरक शाब्दिक अर्थ को भी समझे।

पूरणगलनधर्मत्वात् पुद्गल इति ।

जिसमें पूरण—एकीभाव और गलन—पृथग्भाव दोनों होते हैं, वह 'पुद्गल' है। यह इसका व्युत्पत्तिलभ्य शाब्दिक अर्थ है।

आप देखें, इस पण्डाल में रेत विछी है। कोई व्यक्ति यहां से थोड़ी रेत उठाता है और उसे दूसरी जगह डाल देता है। जहां से रेत उठाई जाती है, वहां खड़ा हो जाता है और जहां रेत डाली जाती है, वहां ढेर बन जाता है। यह कार्य पुद्गल ही कर सकता है। पुद्गल के सिवाय कोई भी अन्य द्रव्य ऐसा करने में सक्षम नहीं है। आज किसी ने ऑपरेशन करवाया। आठ इंच लम्बा, दो इंच चौड़ा और तीन इंच गहरा घाव हो गया। यह घाव कैसे हुआ? वहां से मांस के रूप में एकत्रित पुद्गलो के निकल जाने के कारण। एक महीने बाद वह घाव भर जाता है। यानी वहां बहुत-से दूसरे पुद्गल आकर जमा हो जाते हैं। यह भरना और खाली करना पुद्गल का ही स्वभाव है।

इसके अतिरिक्त पुद्गल के और भी अनेके लक्षण/धर्म बताए गए हैं—

शब्द-बन्ध-सौक्ष्म्य-स्थौल्य-संस्थान-भेद-तमश्छायातपोद्योतप्रभावांश्च ।

संहन्यमानानां भिद्यमानानां च पुद्गलानां ध्वनिरूपः परिणामः शब्दः । प्रायोगिको वैलसिकश्च । प्रयत्नजन्यः प्रायोगिकः, भाषात्मकोऽभाषात्मको वा । स्वभावजन्यो वैलसिकः—मेघादिप्रभवः ।

शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, प्रभा आदि पुद्गल के लक्षण/धर्म हैं। ये सब पुद्गल की विभिन्न पर्यायें हैं।

शब्द

शब्द से आप सब परिचित है। पर यह क्यों होता है? कैसे होता है? ये प्रश्न समभवतः बहुत-से लोगो के लिए अनुत्तरित हैं। दो वस्तुओं के संघात या भेद से उत्पन्न ध्वनि का नाम शब्द है। आप अपने कमरे और खिड़की के दरवाजे बन्द करते हैं तो आवाज होती है। यह आवाज क्यों? इसीलिए कि दो कपाटो का परस्पर सघात होता है। इमी प्रकार जब आप दरवाजे खोलते हैं, तब भी आवाज होती है। यह ध्वनि और इसीलिए है कि दो कपाट अलग-अलग हो रहे हैं। दरवाजे ही क्यों, कोई भी दो वस्तुओ का संघात या भेद होता है तो ध्वनि अवश्यभावी है।

शब्द के दो प्रकार हैं—

१. प्रायोगिक

२. वैज्ञानिक

प्रायोगिक—प्रयत्नजन्य शब्द। यानी जिस शब्द के होने में किसी का प्रयत्न लगता है, वह प्रायोगिक है।

प्रायोगिक शब्द के दो प्रकार हैं—

१. भाषात्मक—भाषा-युक्त शब्द। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यह भाषात्मक शब्द है।

२. अभाषात्मक—बिना भाषा का शब्द। किसी ने ताली बजाई। शब्द हुआ। पर यह शब्द भाषारहित है।

वैज्ञानिक—अप्रयत्नजन्य शब्द। सहजरूप से अर्थात् अपने आप होने-वाला शब्द। आप यह कभी न समझे कि सभी शब्द प्रयत्नपूर्वक होते हैं। बहुत-से शब्द सहज रूप से भी होते हैं। आकाश में गर्जना होती है। यह स्वाभाविक ध्वनि है। किसी ने वादलो को इकट्ठा नहीं किया। सहज रूप से वादल आपस में टकराए और ध्वनि पैदा हो गई।

अपवा जीवाजीवमिश्रभेदादयं त्रेधा।

शब्द के तीन भेद भी किए जा सकते हैं—

१. जीवशब्द।

२. अजीवशब्द।

३. मिश्रशब्द।

जीवशब्द—जीव द्वारा किया गया शब्द। पक्षी चहकते हैं, कुत्ता भौंकता है, आदमी बोलता है—ये सब जीव शब्द के उदाहरण हैं।

अजीवशब्द—अजीव के द्वारा होने वाला शब्द। मेघ-गर्जन इत्यादि।

मिश्रशब्द—जीव और अजीव दोनों के योग से होनेवाला शब्द।

उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति वीणा बजा रहा है। व्यक्ति जीव है और वीणा अजीव है। शब्द दोनों के योग से होता है।

अकेला व्यक्ति या अकेली वीणा से शब्द उद्भूत नहीं होता ।

जैसा कि मैंने पहले बताया, जैन-दर्शन के अनुसार शब्द पुद्गल का लक्षण है । कुछ दार्शनिक शब्द को आकाश का गुण मानते हैं । इसके पीछे उनका तर्क है कि शब्द आकाश में होता है । ठीक है, शब्द आकाश में होता है । पर आकाश में होने मात्र से वह आकाश का गुण नहीं हो सकता । आकाश में तो गति भी होती है । यदि आकाश में होने मात्र से शब्द आकाश का गुण हो तो गति को भी आकाश का गुण मानना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं माना जाता । अतः उनके उपरोक्त तर्क का कोई औचित्य समझ में नहीं आता । इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात और है—

मूर्त्तोऽयं नहि अमूर्त्तस्य आकाशस्य गुणो भवति, श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यत्वात् न च श्रोत्रेन्द्रियममूर्त्तं गृह्णाति इति ।

शब्द मूर्त्त है । इसलिए वह अमूर्त्त आकाश का गुण नहीं हो सकता । जो जिसका गुण होता है, वह सदा उनके समान ही होता है । उसका विरोधी नहीं हो सकता । पूछा जा सकता है, शब्द मूर्त्त है इसका क्या प्रमाण ? यदि मूर्त्त न हो तो श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा उसका कभी ग्रहण नहीं हो सकता । यह उसकी मूर्त्तता का सबसे पुष्ट प्रमाण है । अमूर्त्त को आंख कभी नहीं देख सकती । कई लोग कभी-कभी कह दिया करते हैं कि हमने साक्षात् भगवान के दर्शन किए । मैं समझता हूँ, उनको दर्शन नहीं, भ्रान्ति होती है । क्योंकि भगवान तो निरंजन-निराकार है । फिर वे आंखों के विषय कैसे बनेंगे ? यही बात शब्द के विषय में है । शब्द यदि अमूर्त्त है तो फिर वह कान के द्वारा कैसे सुना जाएगा ?

शब्द-प्रयोग का विवेक

शब्द कोमल और कठोर दोनों प्रकार के होते हैं । हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि कुछ शब्द व्यक्ति को कर्णप्रिय लगते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो सर्वथा कर्णकटु होते हैं । बोलता कौवा भी है और बोलती कोयल भी है । पर दोनों के शब्दों में रात-दिन का अन्तर है । कोयल की बोली सुनते-सुनते मन कभी अघाता नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि उसे बार-बार सुनने की इच्छा होती है । पर वही कौवे की बोली जरा भी कान में पड़ जाती है तो मन में आता है कि यह न बोले तो अच्छा । यह अन्तर और कुछ नहीं, मधुर और कर्कश शब्द-पुद्गलों का है । कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

‘कागा कासे लेत है, कोयल काको देत ।

मोठे शब्द प्रयोग से, जग अपनो कर लेत ॥’

मैं मानता हूँ, शब्दों का प्रयोग करना एक बहुत बड़ी कला है। इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। जहाँ मधुर भाषण में व्यक्ति जन-जन के मन को जीत लेता है, वहीं कटु शब्दों के प्रयोग के कारण वह अपने दुश्मन या विरोधी खड़े कर लेता है।

मनुष्य की यह सहज मनोवृत्ति होती है कि वह मधुर शब्द सुनना चाहता है। कटु शब्द उसे अप्रिय लगता है। मैं तो मानता हूँ कि व्यावहारिक जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सूत्र है—मधुर भाषण। कहा तो यहाँ तक गया है—‘सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।’ अर्थात् सत्य बोलो, प्रिय बोलो, ऐसा सत्य भी मत बोलो, जो अप्रिय हो।

आप देखें, सत्य भी अप्रिय है तो उसे बोलने का निषेध किया गया है। वास्तव में यह एक बहुत गहरी बात है। अंधे को अंधा कहना असत्य नहीं, पर अप्रिय वचन अवश्य है। इसलिए यदि उसे अंधा कहा जाता है तो वह कष्ट का अनुभव करता है। पर उसी व्यक्ति को अंधा न कह कर, सूरदास कहा जाए तो उसे अप्रिय नहीं लगता। आप कहेंगे, बात तो एक ही है, केवल शब्दों का अन्तर है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बात होती हुई भी मधुर शब्द और कर्कश शब्द के प्रयोग का अन्तर पड़ जाता है। मैं नहीं समझता, जब अमृत देने से काम चलता है तो किसी को जहर क्यों दिया जाए? जब मधुर शब्दों से हमारा काम आसानी से चलता है, फिर कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाए?

शास्त्रार्थ का उद्देश्य

तत्त्व यह है कि जहाँ तक वन सके व्यक्ति को कठोर शब्दों के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। यद्यपि सामान्य व्यक्ति के लिए यह थोड़ा कठिन तो हो सकता है पर जीवन की शान्ति के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई अपना विरोधी भी क्यों न हो, उसके साथ भी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विचार-भेद किसी से भी हो सकता है। पर विचार-भेद को लेकर किसी पर कटु शब्दों से प्रहार करना मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है। मैं इसमें एक प्रकार की हिंसा का दर्शन करता हूँ। प्राचीनकाल में परस्पर शास्त्रार्थ होते थे। उन शास्त्रार्थों में दोनों ही पक्षों द्वारा अपने-अपने विरोधी पक्ष पर कटु और आक्षेपात्मक भाषा का प्रयोग होता था। और कभी-कभी तो यह कटु और आक्षेपात्मक भाषा इस सीमा तक पहुँच जाती थी कि परस्पर भयकर सघर्ष होने लगता। आजकल भी ऐसे शास्त्रार्थ कहीं-कहीं चलते हैं। वस्तुतः शास्त्रार्थ कोई बुरा तत्त्व नहीं है, अपितु कहना चाहिए बहुत लाभप्रद है, बशर्ते कि ज्ञानार्जन की भावना के साथ जुड़ा हो। पर जहाँ जय-पराजय की भावना

उमके साथ जुड़ जाती है, वहाँ ज्ञानार्जन एवं मदभाव के स्थान पर दुर्भाव और कलह ही बढ़ता है ।

मेरी दृष्टि में जय और पराजय बहुत महत्त्व की बात नहीं है । महत्त्व है—ज्ञान देने और ज्ञान लेने का । जहाँ यह उद्देश्य फलित होता है, वहाँ शास्त्रार्थ करने में कोई आपत्ति नहीं । पर जहाँ यह उद्देश्य गौण होकर जय-पराजय की भावना प्रमुख हो जाती है, वहाँ शास्त्रार्थ न करना ही श्रेयस्कर है । मुझे लगता है, शास्त्रार्थ के साथ आमतौर पर यह भावना बन ही जाती है, इसलिए मैंने शास्त्रार्थ करना लगभग बंद ही कर दिया है । हाँ, ज्ञानार्जन की दृष्टि से कोई तत्त्व-चर्चा करे तो उसमें मुझे किंचित् भी कठिनाई नहीं है ।

गगाशहर

२३ जुलाई, १९७८

पुद्गल की विभिन्न परिणतियां

कल के प्रवचन में मैंने शब्द की विस्तृत चर्चा की। आज पुद्गल के दूसरे लक्षण—संश्लेष से प्रवचन प्रारम्भ कर रहा हूँ।

संश्लेषः—बन्धः। अयमपि प्रायोगिकः सादिः, वैज्ञानिकस्तु सादि-रनादिश्च।

बन्ध का अर्थ है—संश्लेष/संयोग। अर्थात् दो, चार, पांच, दस, सौ... पुद्गलों का परस्पर मिल जाना बन्ध कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं—

१. प्रायोगिक—प्रयत्नजन्य।

२. वैज्ञानिक—स्वामाविक।

कपड़े के दो टुकड़ों को सिलाई कर जोड़ दिया गया। दो कपाटों को मिला दिया गया। यह प्रायोगिक बन्ध है। आकाश में बादलों की घटा का बनना, मिट्टी के लाखों-करोड़ों कणों का मिलकर पत्थर बन जाना.....यह वैज्ञानिक बन्ध है। क्योंकि ये सहज बनते हैं। इन्हें बनाने का किसी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता।

संश्लेष सादि या अनादि ?

प्रायोगिक बन्ध और वैज्ञानिक बन्ध के सैकड़ों-हजारों उदाहरण बताए जा सकते हैं। प्रश्न है, ये बन्ध सादि हैं या अनादि ? प्रायोगिक बन्ध कभी अनादि नहीं होते। वे सदा सादि—प्रारम्भसहित होते हैं। इनके बनने की तिथि, वार आदि सब कुछ होते हैं। आपके गंगाशहर में हजारों मकान हैं। ये मकान प्रायोगिक बन्ध ही हैं। इनके निर्माण की तिथि, वार, सबकुछ सब प्राप्त हो सकते हैं। यानी ये सादि हैं। ये कारों, बसों आदि सब सादि हैं। इस संदर्भ में एक बात और ध्यान में लेनी है कि जो सादि होता है, वह सान्त भी होता है। अर्थात् जिसका प्रारम्भ है, उसका अन्त भी निश्चित है। प्रायोगिक बन्ध सादि है, इसलिए सान्त भी है।

वैज्ञानिक बन्ध सादि भी हैं और अनादि भी। जैसा कि मैंने बादलों की घटा का उदाहरण दिया, यह सादि है। इसी प्रकार आकाश में इद्रधनुष बनता है। यह भी सादि है। ये बनते हैं और नष्ट होते हैं। पृथ्वी, पहाड़

अनादि वैज्ञानिक बन्ध है। क्योंकि इनकी आदि नहीं होती। जीव और कर्म (पुद्गल) का बंधन अनादि है।

पुद्गल की विभिन्न परिणतियां

हमे यहा यह बात समझनी है कि बन्ध चाहे प्रायोगिक हो या वैज्ञानिक, सादि हो या अनादि, सब पुद्गलों के होते है। पुद्गल के सिवाय और किसी का भी यह गुण नहीं है। इसलिए बन्ध पुद्गल की एक पहचान है।

सौक्ष्म्य और स्थूल्य

सौक्ष्म्य और स्थूल्य भी पुद्गल के लक्षण हैं। ये दोनो ही पुद्गल की परिणतियां है। सूक्ष्मता और स्थूलता से आप सभी परिचित है। दो सगे भाइयो में से एक का शरीर स्थूल हो सकता है और दूसरे का कृश। हम प्रत्यक्ष देखते है कि स्थूलता के कारण कई व्यक्तियों का वजन सौ किलो से भी अधिक हो जाता है। वही कृशता के कारण अनेक व्यक्ति चालीस किलो के अन्दर भी रह जाते है। पत्थर भारी होता है, लकड़ी उससे हलकी होती है। यह भारीपन और हलकापन स्थूलता और सूक्ष्मता के कारण है।

सौक्ष्म्यं द्विविधम्—अन्त्यमापेक्षिकञ्च । अन्त्यं परमाणोः, आपेक्षिकं यथा—नालिकेरापेक्षया आम्रस्य ।

सौक्ष्म्य के दो प्रकार है—

१. अन्त्य—अन्तिम सूक्ष्म। अर्थात् जिस सूक्ष्म पुद्गल को फिर खण्डित नहीं किया जा सके। जैन-दर्शन में ऐसे पुद्गल को 'परमाणु' की संज्ञा दी गई है।

२. आपेक्षिक—अपेक्षा से सूक्ष्म। एक व्यक्ति का वजन दो मन है, दूसरे का डेढ़ मन है। डेढ़ मन वाला व्यक्ति दो मन वाले व्यक्ति की अपेक्षा से सूक्ष्म है। पर यदि डेढ़ मन वजन वाले व्यक्ति के सामने कोई एक मन वजन वाला व्यक्ति हो तो डेढ़ मन वाला स्थूल और एक मन वाला सूक्ष्म कहलाएगा।

परमाणु किसी अपेक्षा से सूक्ष्म नहीं होता। क्योंकि किसी अपेक्षा वह स्थूल नहीं होता। परमाणु के बारे में अनेक दार्शनिकों ने विचार किया है। वैशेषिक दर्शन के आचार्य कणाद ने परमाणु की परिभाषा देते हुए कहा है—

‘जालान्तर गते भानौ, सूक्ष्मं यद् दृश्यते रजः ।

तस्य षष्ठतमो भागः, परमाणुः प्रकीर्तितः ॥’

जाली से होकर सूर्य रश्मियां अन्दर आती है। उन रश्मियों में सूक्ष्म रजकण तैरते हुए दिखाई पड़ते है। उन रजकणों में से एक रजकण के छठे

भाग का नाम परमाणु है। यह परिभाषा किसी समय चलती थी पर आज नहीं चल सकती। क्योंकि उस रजकण का सौवां, हजारवां और लाखवां हिस्सा भी किया जा सकता है। जैन-दर्शन में इस रजकण के दो से लेकर असंख्य, अनन्त और अनन्तान्त टुकड़ों की कल्पना की गई है। जैन-दर्शन का 'परमाणु' अविभाज्य होता है। उसका फिर हिस्सा/भाग नहीं किया जा सकता। जैन-दर्शन के इतने सूक्ष्म तात्त्विक विवेचन को देखकर यह सहज ही विश्वास किया जा सकता है कि जैन तीर्थंकर अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। विज्ञान जहां पर आज पहुंचने की चेष्टा में है, वहां पर और वहां से भी बहुत आगे जैन तीर्थंकर हजारों-हजारों वर्ष पहले पहुंच चुके हैं।

स्थूल्यमपि द्विविधम्—अन्त्यं अशेषलोकव्यापिमहास्कन्धस्य ।
आपेक्षिक यथा—आन्नापेक्षया नालिकेरस्य ।

१. अन्त्य—अन्तिम स्थूल, जैसे—लोकव्यापी महास्कन्ध ।

२. आपेक्षिक—अपेक्षा से स्थूल, जैसे—आम की अपेक्षा तरबूज स्थूल है ।

प्रश्न है, अन्तिम स्थूल पदार्थ क्या है ? वहां कल्पना की गई है कि एक ऐसा स्कन्ध जो अकेला ही समूचे लोक में फैल जाए। एक ही बादल कई वार पूरे आकाश में छाया हुआ नजर आता है। परन्तु आकाश तो अनन्त है, इसलिए एक बादल पूरे आकाश में छा जाए, यह असम्भव है। पर चूकि हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक वह एक ही बादल छाया हुआ प्रतीत होता है। यह स्थूल उदाहरण मैंने समझाने के लिए दिया। इसी प्रकार चतुर्दश रज्जु परिमाण वाले इस लोक के लिए एक स्कन्ध की कल्पना की गई है। इसे महास्कन्ध कहा जाता है।

केवली समुद्घात के समय एक आत्मा समूचे लोक में व्याप्त हो जाती है। समुद्घात के चौथे समय में आत्म-प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। उस समय कर्म-पुद्गलों की निर्जंरा होती है। उन निर्जरित पुद्गलों का पांचवें समय में एक लोकव्यापी स्कन्ध बन जाता है। यही स्कन्ध महास्कन्ध कहलाता है।

इस प्रकार सूक्ष्मता और स्थूलता दोनों ही पुद्गल के लक्षण है। पुद्गल के अतिरिक्त कोई भी द्रव्य सूक्ष्म या स्थूल होता ही नहीं। इस सदर् में इतना और समझ लेना चाहिए कि पुद्गल सूक्ष्म का स्थूल हो सकता है और स्थूल का सूक्ष्म हो सकता है, जैसे—आज बच्चा सूक्ष्म है पर बढ़ते-बढ़ते वह युवक बन जाता है। इसी प्रकार आज व्यक्ति स्थूल है। पर बीमारी, बुढ़ापा या चिंता के कारण वह सूक्ष्म होने लगता है और होते-होते बिलकुल अस्थिपजर-सा रह जाता है।

प्रसंग रामायण का

रामायण मे प्रसंग आता है कि हनुमान राम की मुद्रिका लेकर लंका में जाते हैं। वे मुद्रिका को सीता की गोद में डाल देते हैं। सीता मुद्रिका को हाथ में उठाती है और सोचती है—यह मुद्रिका कहां से आई? कैसे आई? मुद्रिका मे राम का नाम लिखा था। ज्योही उसकी दृष्टि नाम पर जाती है, वह भावविह्वल हो जाती है। 'कहां' और 'कैसे' के प्रश्नों को वह भूल जाती है और उसके मन मे राम की स्मृति घनीभूत बन जाती है—

'मुद्रे ! ब्रूहि सलक्ष्मणाः कुशलिनः श्रीरामपादाः स्वयं ।
सन्ति स्वामिनि ! मा विधेहि विधुरं चेतोऽनया चितया,
एनां व्याहर मैथिलेन्द्रतनये ! नामान्तरेणाधुना ।
रामस्त्वद्विरहेण कङ्कणपदं यस्यै चिरं दत्तवान् ॥'

सीता अत्यन्त स्नेह से मुद्रिका को सवोधित करती हुई बड़ी आतुरता से पूछती है—“क्यो श्रीराम और लक्ष्मण सकुशल तो है ?”

“हा, स्वामिनि ! श्रीराम और लक्ष्मण सकुशल हैं। पर एक निवेदन है कि आप मुझे मुद्रिका के नाम सम्बोधित न करें, कंकण के नाम से पुकारें।”—मुद्रिका ने कहा।

“क्यो ?”—साश्चर्य सीता ने पूछा।

“जब तक आप थी, तब तक मैं मुद्रिका थी। पर आपका वियोग हो जाने पर श्रीराम ने मुझे कंकण बना दिया है। अब मैं उनकी अगुली मे मुद्रिका के रूप मे नही, अपितु हाथ में कंकण के रूप में स्थान पाती हूं। क्योकि आपके वियोग मे राम का शरीर चिन्ता-ही-चिन्ता से अति कृश हो गया है।”—मुद्रिका ने अपने कथन के आशय को स्पष्ट किया।

यह बात मैंने प्रसंगवश कह दी। समझना यही है कि किन्ही कारणों से कभी स्थूल सूक्ष्म बन जाता है और कभी सूक्ष्म स्थूल बन जाता है। मेरी दृष्टि मे यह बहुत महत्त्व की बात नही है। महत्त्व की बात है—समता। दोनो ही परिस्थितियो मे व्यक्ति माध्यस्थ भाव रखे—यही श्रेय-पथ है।

संस्थान—

स्थौल्य के बाद हम संस्थान को समझे—

आकृति —संस्थानम् । तच्चचतुरत्वादिकं इत्यंस्थम्, अनियताकारं अनित्यंस्थम् ।

संस्थान भी पुद्गल का एक लक्षण है। संस्थान अर्थात् आकृति। हम जितनी भी आकृतियां/आकार देखते हैं, वे सारे पौद्गलिक हैं। वे सभी पुद्गल होने की सूचना है। किसी को श्याम पुद्गलो का योग मिला, उसकी आकृति श्याम बन गई। किसी को श्वेत पुद्गलो का योग मिला और उसकी आकृति श्वेत बन गई। संस्थान के दो प्रकार है—

१. इत्थंस्थ ।

२. अनित्थंस्थ ।

नियत आकारवाली संरचना इत्थंस्थ कहलाती है । त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत, परिमण्डल, वृत्त...ये सब इत्थंस्थ के भेद हैं । परिमण्डल और वृत्त यों दोनों ही गोलाकार होते हैं, फिर भी इन दोनों में सूक्ष्म अन्तर है । वृत्त मोदक की तरह गोल होता है, जबकि परिमण्डल चूड़ी की तरह गोल । यानी जहाँ परिमण्डल में बीच का भाग खोखला होता है, वहीं वृत्त का यही भाग विलकुल सघन होता है ।

अनियत आकारवाली संरचना अनित्थंस्थ कहलाती है । नियत आकार के अतिरिक्त जितने भी आकार बनते हैं, वे सभी अनित्थंस्थ हैं । हम सब जीव हैं, चेतन हैं । पुद्गल जड है, अचेतन है । इस स्थिति में मस्तिष्क में यह प्रश्न उभरना स्वाभाविक है कि हमें तो आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, पुद्गलों के ज्ञान से हमारा क्या लेना-देना ? यह ठीक है कि हमें आत्मा का ज्ञान करना चाहिए । पर हमें यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि बिना जड को जाने हम चेतन को नहीं जान सकते । बिना पुद्गल को जाने हम आत्मा को नहीं पहचान सकते । यद्यपि पुद्गल हेय हैं, पर जब तक हम उन्हें जानेंगे ही नहीं, तब तक उन्हें छोड़ेंगे कैसे ? हिंसा को जानना उतना ही जरूरी है, जितना अहिंसा को । अन्यथा न तो अहिंसा को समझा जा सकता है और न ही हिंसा को छोड़ा जा सकता है । सत्य को जानने के लिए और उसे स्वीकार करने के लिए असत्य को जानना और समझना भी आवश्यक है । अन्यथा सत्य और असत्य का विवेक नहीं किया जा सकता । और जहाँ इसका विवेक ही नहीं होता, वहाँ व्यक्ति कैसे तो हेय को छोड़ेगा और कैसे उपादेय को स्वीकार करेगा ?

सारांश यही है कि हमें हेय और उपादेय दोनों ही प्रकार के तत्त्वों को समान रूप से जानना और समझना चाहिए । सम्यक् रूप से जानने के बाद हम हेय को छोड़ते चलें और उपादेय को ग्रहण करते चलें, यही प्रशस्त पथ है ।

गगाशहर

२४ जुलाई, १९७८

क्या अन्धकार पुद्गल है ?

पुद्गलों के लक्षणों के विवेचन के अन्तर्गत कल में संस्थान तक की बात बताई। आज मैं कुछ अन्य लक्षणों की चर्चा करूंगा—

भेद

विश्लेषः—भेदः । स च पञ्चधा—

१. उत्करः—मुद्गशमीभेदवत् ।
२. चूर्णः—गोधूमचूर्णवत् ।
३. खण्डः—लोहखण्डवत् ।
४. प्रतरः—अभ्रपटलभेदवत् ।
५. अनुतटिका—तटाकरेखावत् ।

पुद्गल का एक लक्षण है—भेद । भेद का अर्थ होता है—विश्लेषण ।

भेद के पांच प्रकार बताए गए हैं—

१. उत्कर
२. चूर्ण
३. खण्ड
४. प्रतर
५. अनुतटिका

टूट-टूट कर ऊंचा उठे वह उत्कर कहलाता है । उदाहरणार्थ—मोठ, की फली, मूंग की फली । आप ध्यान दे, खेत में मोठ, मूंग आदि की फलियां सूखने के बाद जब अपने आप टूटती हैं, तब ऊपर उछलती हैं । इसी प्रकार एरण्ड भी टूटने के बाद ऊपर जाता है । जमीन पर मिट्टी डाली जाती है तो रजें ऊपर उठती हैं । धुआँ ईंधन से अलग होकर सहजरूप से ऊपर उठता है ।

टूटने पर चूर्ण-चूर्ण हो जाने को चूर्ण कहा जाता है । गेहूं, बाजरी आदि को जब चक्की में पीसा जाता है तो उनके पुद्गल टूटकर एकदम चूर्ण-चूर्ण हो जाते हैं ।

तोड़ने से छोटे-छोटे टुकड़े होना खंड कहलाता है । पत्थर, लकड़ी इत्यादि को तोड़ने से उनके छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं ।

परत-दर-परत उतरने को प्रतर की अभिधा से पहचाना जाता है ।
जैसे—अभ्रक के दल, प्याज के छिलके ।

टूटने के बाद वस्तु में दरार का पड़ जाना अनुत्पत्ति है । जैसे—
तालाब की मिट्टी । तालाब की मिट्टी जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़
जाती हैं ।

ये सारे भेद विभिन्न रूपों में पुद्गल के अस्तित्व को प्रकट करते हैं ।
कभी-कभी बोल-चाल की भाषा में कह दिया जाता है कि उसका मन फट
गया । प्रश्न है, क्या मन भी फटता है ? वास्तव में मन कभी नहीं फटता ।
इस कथन का तात्पर्य है—जिसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता थी, वह अब
समाप्त हो गई । पर इस फटने से हमारे पुद्गल के लक्षण-बोध का कोई
सम्बन्ध नहीं है । भाषा में ये आलंकारिक प्रयोग चलते हैं और इनके प्रयोग
से भाषा की सुन्दरता शतगुणित हो जाती है ।

आत्मा कितनी लम्बी-चौड़ी है ?

आप जिस किसी चीज में भेद देखें, उसे पुद्गल जानें । आत्मा में कभी
भेद नहीं होता । इस संदर्भ में कुछेक प्रश्न सामने आते हैं । बहुत बार आप
देखते हैं कि छिपकली की पूंछ कट जाती है । पूंछ भी छटपटाती है और वह
स्वयं भी । युद्ध में सुभट का सिर घड़ से अलग होकर गिर जाता है । अब
उसका घड़ भी छटपटाता है और सिर भी । इस स्थिति में क्या ऐसा माना
जाए कि आत्मा खण्ड-खण्ड में विभक्त होती है ? इस प्रश्न को अच्छे ढंग
से समझ लेना चाहिए । वास्तव में इन सब प्रसंगों में शरीर के ही टुकड़े होते
हैं, आत्मा अखण्ड रहती है । केवल शरीर के टुकड़ों से आत्मा का एक संबंध
बना रहता है । आप पूछ सकते हैं, यह आत्मा कितनी लम्बी-चौड़ी होती है ?
मैं कितनी लम्बाई-चौड़ाई बताऊँ ? फैलाव की स्थिति में एक आत्मा समूचे
लोक में व्याप्त हो सकती है । आप स्थूल उदाहरण से समझें । शरीर का एक
टुकड़ा यहां पड़ा है और दूसरा टुकड़ा हजार मील दूर पड़ा है । फिर भी
दोनों की आत्मा एक होती है । दोनों का एक सम्बन्ध होता है । पर यह
विस्तार शुद्ध आत्मा में नहीं, अपितु पुद्गलयुक्त आत्मा में ही होता है ।

मारणान्तिक समुद्घात

शास्त्रों में मारणान्तिक समुद्घात का वर्णन आता है । आज कोई
जीव मनुष्य क्षेत्र में है । मर कर उसे स्वर्ग लोक में पैदा होना है । मरने से
एक मुहूर्त्त पूर्व उसके शरीर से आत्म-प्रदेश बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं ।
जहां उसे जनमना है, वहां तक उनका अविच्छिन्न तांता लग जाता है । इस क्रम
में असंख्य आत्मप्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं । हमें यहां समझना यह
है कि आत्मा चाहे कितनी भी विस्तीर्ण क्यों न हो जाए या फिर कितनी भी

संकुचित कयो न हो जाए, उसका संबंध सदा एक ही रहता है। उसका विश्लेष/भेद नहीं होता। विश्लेष सदा पुद्गलों में ही हो सकता है।

अन्धकार

बन्ध के पश्चात् हम अंधकार की चर्चा करेंगे। अंधकार भी पुद्गल का एक लक्षण है।

कृष्णवर्णबहुलः पुद्गलपरिणामविशेषः तमः।

श्यामवर्ण पुद्गलों के सघन रूप में एकत्र होने का नाम अंधकार है। कुछ दार्शनिक अंधकार को पुद्गल नहीं मानते। उनकी मान्यता के अनुसार अंधकार मात्र प्रकाश का अभाव है। उन्होंने अपने इन कथन को यथार्थ साबित करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क दिए हैं। बहूत-में तोग उनके इस कथन को सही मानते हैं। पर जैन दार्शनिकों को यह मान्यता स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार अंधकार अभावात्मक नहीं, अपितु भावात्मक स्थिति है। हम व्यवहार में भी 'अंधकार है'—ऐसा कहते हैं। यह उसके भावात्मक रूप को प्रमाणित करता है। यदि अंधकार अभावात्मक होता तो 'अंधकार है' के स्थान पर हमारे कथन की भाषा होती—'प्रकाश नहीं है।' लेकिन हम सब जानते हैं कि अंधकार को कोई भी 'प्रकाश नहीं है' ऐसा नहीं कहता।

दूसरी बात—यदि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है तो कोई यह भी कह सकता है कि अंधकार के अभाव का नाम ही प्रकाश है। प्रकाश नाम का कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। यदि अंधकार के स्वतंत्र अस्तित्व को इनकार किया जाएगा तो प्रकाश के स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध करने का आधार भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि प्रकाश का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया जाता है तो अंधकार के स्वतंत्र अस्तित्व को नकारने का कोई आधार नहीं है। यह नहीं हो सकता कि हम एक के अस्तित्व को स्वीकार करें और दूसरे को अस्वीकार।

प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है—इस कथन के विरोध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधकार प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, अर्थात् जिसका वर्ण प्रत्यक्ष है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। क्योंकि वर्ण किसी वस्तु/पुद्गल का ही होता है, अवस्तु का नहीं। और जब वर्ण प्रत्यक्ष है तो उसके स्पर्श, रस, गंध आदि स्वतः प्रमाणित हैं। वर्ण गंध, रस और स्पर्श—इनमें से किसी एक के होने का अर्थ होता है, ये सभी हैं। इनमें से एक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वर्ण की तरह अंधकार का स्पर्श भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। धूप से एक व्यक्ति अंधकार में जाता है तो सहजरूप से उसे ठंडक की अनुभूति होती है। शीत-उष्ण, रुक्ष-स्निग्ध, गुरु-लघु, कोमल-कठोर—ये सभी स्पर्श के बिना हो नहीं सकते। इसी प्रकार गंध और रस भी अंधकार में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश के वर्ण, गंध,

रस व स्पर्श है तो अंधकार के भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हैं। इसलिए प्रकाश के अस्तित्व की तरह अंधकार का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। इस संबंध में और भी अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर विस्तार के भय से मैं इस प्रकरण को यहीं समाप्त करता हूँ।

प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर्योदय होते ही अंधकार कहां चला जाता है? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। साधारणतया कहा जाता है कि अंधकार नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। पर यह केवल बोल-चाल की भाषा है, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता यह है कि अंधकार वही का वही पड़ा रहता है। कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जाता। केवल पुद्गलो परिवर्तन मात्र होता है। श्यामवर्ण पुद्गल सूर्य की किरणों के आते ही श्वेतवर्ण में रूपान्तरित हो जाते हैं। आप इसे आश्चर्य न मानें। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि केश श्याम से श्वेत हो जाते हैं। हालांकि केशों के वर्ण-परिवर्तन में समय लगता है और यह परिवर्तन तत्काल हो जाता है।

जैन दर्शन विज्ञानसम्मत है

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधकार के संबंध में जैन दर्शन की मान्यता विज्ञान-सम्मत है। हमें इस बात का सात्त्विक गौरव होना चाहिए कि अन्यान्य धर्मों एवं दर्शनों की तुलना में जैन धर्म और दर्शन की बातें विज्ञान से बहुत अधिक सम्मत हैं। यह बात केवल मैं या जैन समाज के लोग ही कहे तो बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं, पर जब दूसरे-दूसरे लोग इसे एक सचाई और तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो वस्तुतः ही यह एक महत्त्वपूर्ण बात है।

प्रसंग कॉमरेड यशपाल का

कॉमरेड यशपाल का नाम आपने सुना होगा। यद्यपि विचारों से वे कट्टर नास्तिक हैं, पर अच्छे विद्वान् और चिन्तनशील व्यक्ति हैं। हिन्दी के मूर्धन्य उपन्यासकारों में से वे एक हैं। जब मैं लखनऊ गया तो वे वही थे। हमारे कार्यकर्त्ताओं ने उनसे सम्पर्क किया और मिलने की प्रेरणा दी। उन्होंने आने की स्वीकृति दी और वे चलने को तैयार भी हो गए। लेकिन चलते-चलते ही अचानक रुक गए और उन्होंने कार्यकर्त्ताओं से पूछा—“मुझे आप लोगों ने यशपाल जैन (जीवन साहित्य के सम्पादक) समझकर तो आमन्त्रण नहीं दिया है?”

“नहीं, हमने यशपाल जैन समझकर नहीं, अपितु कॉमरेड यशपाल समझकर ही आपको आमन्त्रित किया है।”—कार्यकर्त्ताओं ने उनकी आशंका को दूर करते हुए कहा।

वे मेरे पास आए। हम दोनों का परस्पर यह प्रथम ही साक्षात्कार

क्या अंधकार पलंगल है ?

था। विभिन्न विषयों पर हमारी तुलना-वातचीत हुई। वर्ता के अन्तिम क्षणों में कॉमरेड यशपाल ने एक बात कही—“आचार्यजी! यदि आप समय दे सकें तो मैं जैन धर्म का अध्ययन करना चाहता हूँ।”

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति धर्म का नाम तक भी नहीं चाहता, वह धर्म के अध्ययन की बात कर रहा है। मैंने आश्चर्य उनमें पूछा—“आप व्यंग्य तो नहीं कर रहे हैं?”

“नहीं, व्यंग्य नहीं, मेरी हार्दिक इच्छा है।”—यशपालजी के शब्दों में नहीं, अपितु चेहरे पर भी जिज्ञासा का भाव मूर्त रूप ले रहा था।

“क्यों?”—मेरा अगला प्रश्न था।

“यद्यपि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता, पर इतना अवश्य मानता हूँ कि ससार में जितने भी धर्म हैं, उनमें जैन धर्म और उमका दर्शन सर्वाधिक न्याय-संगत, तर्क-संगत और विज्ञान-सम्मत है।”—यशपालजी ने अपनी अवधारणा प्रकट की।

युवकों को आवाहन

बन्धुओ! यह विचार एक-दो विद्वानों या प्रबुद्ध लोगों का नहीं है, अपितु सैकड़ों चिन्तनशील तटस्थ व्यक्ति उस विचार से सहमत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, इस सम्बन्ध में आप क्या कहते हैं? पर आप क्या कहेंगे? आप को इस विषय का ज्ञान भी तो नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं तो सम्मति या विमति देने का भी कोई मूल्य नहीं। मुझे इस प्रसंग में एक श्लोक की स्मृति हो रही है—

‘विमति सम्मति वापि, नास्तिकस्य न भृग्यते ।

परलोकात्ममोक्षेषु, यस्य मुह्यति शेषुषी ॥’

विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न विषयों पर अपने-अपने विचार रखे। एक सुझाव आया कि चार्वाक दर्शन (नास्तिक दर्शन) के विचार भी लिए जाने चाहिए। तब समाधान दिया गया—नहीं, उसके विचार लेने की कोई अपेक्षा नहीं है। जो लोग आत्मा परमात्मा, मोक्ष, परलोक.....जैसी बातों में ही उलझ जाते हैं, ऐसे अज्ञानियों की सम्मति या विमति दोनों ही नहीं चाहिए।

बन्धुओ! मैं आपको नास्तिक तो नहीं बता सकता। पर इतना अवश्य है कि जिस विषय का आपको ज्ञान ही नहीं, उस विषय पर आपकी सम्मति या विमति कोई विशेष अर्थ नहीं रखती, महत्त्व नहीं रखती। इसलिए अपेक्षित यह है कि जैन धर्म और दर्शन का ठोस अध्ययन किया जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हर्मन जेकोवी (जरमन जैन विद्वान्), डॉ० राधा-

कृष्णन् जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विद्वानों की जिस धर्म और दर्शन पर कलम चली है, उस धर्म और दर्शन के अध्ययन के प्रति समाज की युवापीढी उदासीन है। मैं यह तो नहीं मान सकता कि हमारे युवकों में प्रतिभा या बुद्धि नहीं है। जब वे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि अन्यान्य अध्ययन के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं तो निश्चय ही वे प्रतिभासम्पन्न एवं तीक्ष्ण बुद्धिवाले हैं। इस स्थिति में यही लगता है कि इस विषय में उनकी रुचि अभी तक जागृत नहीं हुई है। फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। मैं युवकों से कहना चाहता हूँ कि वे इस विषय में अपनी अभिरुचि जागृत करें और जैन धर्म और दर्शन का ठोस ज्ञान प्राप्त करें। पर यह अध्ययन दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपितु स्वान्तः सुखाय होना चाहिए। स्वयं की ज्ञान-संपदा को विकसित करने के लिए होना चाहिए। और जहाँ स्वयं को प्राप्ति होगी, वहाँ दूसरे तो सहजरूप से लाभान्वित होंगे ही।

गगाशहर

२५ जुलाई, १९७८

क्या छाया स्वतंत्र पदार्थ है ?

तात्त्विक प्रवचन के अन्तर्गत कल मीने अन्धकार और प्रकाश की विस्तृत चर्चा की थी और यह बताया था कि अन्धकार और प्रकाश दोनों ही पुद्गल के लक्षण हैं। अन्धकार और प्रकाश को यद्यपि हम आंखों से देखते हैं पर उन्हें पकड़ नहीं सकते। इस सन्दर्भ में हमें एक बात समझ लेनी आवश्यक है। पुद्गल चतुःस्पर्शी और अष्टस्पर्शी दो प्रकार के होते हैं। यद्यपि उनकी विस्तृत चर्चा तो मैं अभी नहीं करूंगा, तथापि इतना बता देता हूँ कि चतुःस्पर्शी पुद्गल अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं। हम उन्हें देख ही नहीं सकते। अष्टस्पर्शी पुद्गल स्थूल होते हैं, अतः वे आंखों के विषय बन सकते हैं।

मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और कर्मण वर्गणा के पुद्गल चतुःस्पर्शी हैं। सूक्ष्म हैं। इनकी सूक्ष्मता में भी तरतमता है। वचन वर्गणा से मनोवर्गणा के पुद्गल सूक्ष्म हैं और मनोवर्गणा से कर्मण वर्गणा के पुद्गल सूक्ष्म हैं। शेष सभी पुद्गल अष्टस्पर्शी हैं। (इवासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गल चतुःस्पर्शी भी होते हैं।) आपके मन में जिज्ञासा होगी, वर्गणा किसे कहते हैं? सजातीय पुद्गलों के समवाय/समूह को वर्गणा कहते हैं। जैन दर्शन में स्थूल रूप में आठ वर्गणाएं मानी गई हैं।

अन्धकार और प्रकाश भी अष्टस्पर्शी हैं, स्थूल हैं। अतः हम उन्हें आंखों से देख पाते हैं।

छाया

प्रतिविम्बरूपः पुद्गलपरिणामः छाया।

हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति धूप में चलता है तो ठीक उसके शरीर के आकार की ही छाया पड़ती रहती है। इसी प्रकार दर्पण के सामने जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ठीक उसके शरीर के आकार का प्रतिविम्ब दिखाई देता है। यह पुद्गल-परिणति है। जो पुद्गल प्रतिविम्ब के रूप में परिणत हो जाते हैं, उन्हें छाया कहा जाता है।

तदाकार छाया के रूप में पुद्गल हर प्राणी के शरीर से सदा निकलते ही रहते हैं। यह दूसरी बात है कि वे कभी पकड़े जाते हैं और कभी

पकड़ में नहीं भी आते। फोटोग्राफर आता है और आपका फोटो खींच लेता है। क्या है यह फोटोग्राफी? यह फोटोग्राफी और कुछ नहीं, केवल आपके शरीर से निकलनेवाले तदाकार पुद्गलो को पकड़ने की प्रणाली है। धूप में या तेज प्रकाश में पुद्गल अभिव्यक्त होते हैं। अन्यथा अभिव्यक्ति नहीं होते। कैमरे में वे पकड़े जाते हैं। बिना कैमरे वे पकड़े नहीं जाते।

प्रतिबिम्ब के अभिव्यक्त होने में उस पदार्थ का बहुत महत्त्व है, जिसमें वह प्रतिबिम्बित होता है। वह पदार्थ जितना स्वच्छ व स्थिर होगा, प्रतिबिम्ब भी उतना ही साफ अभिव्यक्त हो सकेगा। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि श्रोता यदि एकाग्रचित्त और ग्राहक बुद्धिवाले होते हैं तो उन्हें प्रवचन का पूरा-पूरा लाभ मिलता है। इसके विपरीत यदि वे व्यग्रचित्त और अग्राहक बुद्धिवाले होते हैं तो अच्छे-से-अच्छे प्रवचन में भी उनके पल्ले कुछ नहीं पडता। केवल शब्द कान में पडते जाते हैं और वापस निकल जाते हैं। ठीक यही बात प्रतिबिम्ब के प्रतिबिम्बित होने के सम्बन्ध में लागू होती है। पानी स्वच्छ और स्थिर है तो उसमें पडनेवाला प्रतिबिम्ब बहुत साफ उभरता है। पर वही पानी जब गंदा और अस्थिर होता है तो प्रतिबिम्ब साफ नहीं उभरता।

प्राथमिक जीवन-विशुद्ध

धर्म के सम्बन्ध में भी यही बात है। व्यक्ति का चित्त जितना साफ और सरल होता है, धर्म उतना ही अधिक उसके जीवन में फलीभूत होता है। भगवान महावीर ने यह बात इन शब्दों में कही—

‘धम्मो सुद्धस्स चट्ठई ।’

—धर्म शुद्ध आत्मा में ठहरता है।

यहां एक शंका हो सकती है कि धर्म तो स्वयं आत्मा की शुद्धि का साधन है, इस स्थिति में उसके जीवन में प्रवेश पाए बिना आत्मा शुद्ध कैसे होगी? यह विलकुल ठीक है कि धर्म आत्म-शुद्धि का एकमात्र साधन है। धर्म को अपनाने से ही जीवन शुद्ध बनता है। पर साथ ही हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि धर्म को जीवन में टिकाने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में एक सीमा तक पवित्रता की अनिवार्य अपेक्षा है। यदि जीवन में प्राथमिक पवित्रता नहीं होगी तो धर्म टिकेगा ही कहा? और जब उसे टिकाने को ही स्थान नहीं, तब उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन-शोधन की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है? इसलिए हम इस तथ्य को मलीभाति समझे कि धर्म के प्रतिबिम्बित होने के लिए एक सीमा तक जीवनशुद्धि अनिवार्य है। यह प्राथमिक जीवनशुद्धि यदि नहीं होती है तो जीवन में धर्म को अकुरित होने के लिए उपयुक्त उर्वरा ही नहीं मिल पाती। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बहुत-से लोग धर्म की लम्बी-चौड़ी बातें तो बहुत करते हैं, धार्मिक क्रियाकाण्ड

क्या छाया स्वतन्त्र पदार्थ है ?

आदि भी करते हैं, पर धार्मिकता उनके जीवन को छू तक नहीं पाती। उनका व्यवहार धर्म के विपरीत चलता है। इसका कारण यही तो है कि क्रियाकांड आदि करने हुए भी धर्म टिक सके उतनी प्राथमिक विशुद्धि उनके जीवन की नहीं हो पाई है।

धार्मिकता की पहचान

व्यक्ति के जीवन में धर्म फलित हुआ है या नहीं, इसकी कमीटी बहुत सीधी-सी है। अगर प्रतिकूलता में व्यक्ति अपना संतुलन नहीं खोता है तो मानना चाहिए कि उसके जीवन में धर्म फलित हुआ है। इसके विपरीत मन की जरा-सी प्रतिकूलता में यदि वह अपना संतुलन खोकर आपे से बाहर हो जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि अभी तक धर्म केवल चोगे के रूप में है, आत्मगत नहीं।

धार्मिक व्यक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है कि वह गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करना अधार्मिकता का द्योतक है। एक व्यक्ति एक सन्त के पास गया और प्रश्न की भाषा में बोला—“महाराज ! लोग जिस स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, वह वास्तविक है अथवा कपोलकल्पित ?”

“तू कौन है ?”—सन्त ने प्रश्न को उत्तरित करने की अपेक्षा प्रति-प्रश्न किया।

“बाबा ! मैं यहाँ के महान् सम्राट् का अंगरक्षक हूँ।”—गर्व के साथ उसने कहा।

“अरे ! किस मूर्ख ने बना दिया तुझे अंगरक्षक ? तेरा चेहरा ही सम्राट् का अंगरक्षक बनने जैसा नहीं है। मुझे तो तू भूखा भिखारी प्रतीत होता है।”—व्यग्य भरी हसी हसते हुए सन्त ने कहा।

सन्त के इन बोलों को सुनते ही वह अंगरक्षक गुस्से में आ गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। होठ फड़फड़ाने लगे। आँखें लाल हो गईं। कमर पर लटकती तलवार की मूठ की ओर हाथ बढ़ गया। पर तलवार बाहर निकलता उससे पूर्व ही सन्त ने मुस्कराते हुए कहा—“अच्छा, तू तलवार भी रखता है ! परन्तु ध्यान रखना इस तलवार से मेरा सिर नहीं कटेगा। मेरा सिर काटने के लिए तो दूसरी तलवार चाहिए।”

अब तो अंगरक्षक का क्रोध सातवे आसमान पर चढ़ गया। तलवार बाहर निकल गई। दात कटकटाते हुए बोला—“किस सिरफिरे से पाला पड़ा है ! मेरे प्रश्न का जवाब देना तो दूर, उलटे मेरी ही आलोचना ! मैं इसे कभी भी बर्दास्त नहीं कर सकता।.....”

इस वार सन्त ने जोरदार ठहाका लगाया और बोले—“तेरे आधे

प्रश्न का उत्तर तो तुझे मिल गया है । नरक का दरवाजा तो तूने खोल लिया है । इसलिए अब यह पूछना बेमानी है, नरक है या नहीं ?”

आधा प्रश्न समाहित होने की बात सुनकर अंगरक्षक जरा संभला । मन-ही-मन सोचने लगा—अरे ! यह तो मेरी कसौटी हो रही है । मैं कहां चला गया ? उसका गुस्सा शांत हुआ । तलवार वापस म्यान में चली गई । संत के प्रति दुर्व्यवहार के लिए मन पश्चात्ताप से भर गया । संत के चरणों में गिरकर पुनः-पुनः क्षमायाचना करने लगा ।

“अब तेरे प्रश्न का पूरा समाधान हो गया है । तूने अब स्वर्ग का दरवाजा खोल लिया है ।”—संत ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा ।

प्रश्न के जवाब देने की इस अनोखी शैली को देखकर वह अंगरक्षक अत्यंत प्रभावित हुआ । श्रद्धावनत संत को नमन कर वह ज्योंही लौटने लगा, संत ने उसे रोकते हुए प्रतिबोध की भाषा में कहा—“मेरी बात ध्यान से सुन । यह केवल क्रोध और अक्रोध/शांति की बात नहीं है, अपितु समग्र जीवन-पद्धति का प्रश्न है । जब-जब तू क्रोध की ही तरह अहंकार, माया, लोभ, वासना, ईर्ष्या...मे चला जाता है, तब-तब नरक का दरवाजा स्वतः खुल जाता है । इसी के समानान्तर जब-जब तू अक्रोध/शांति की तरह ही मुक्ति, आर्जव, मार्दव, संयम, तप, त्याग, सत्य, ब्रह्मचर्य में आ जाता है तब-तब स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है । वस्तुतः स्वर्ग और नरक को कहीं बाहर खोजना निरी भ्रान्ति है । स्वर्ग और नरक दोनों अपने भीतर ही हैं ।”

बन्धुओ ! मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, वासना आदि अधार्मिकता की पहचान है और क्षमा मुक्ति, आर्जव, मार्दव आदि धार्मिकता की कसौटी । यदि व्यक्ति क्रोध से अक्रोध, असत्य से सत्य, माया से ऋजुता की ओर मुड़ जाता है, यानी उसका जीवन दिशान्तरित हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में धर्म फलित हुआ है ।

छाया : दो मान्यताएं

मैं अपने मूल विषय पर पुनः लौटता हूं । मैं आपको छाया/प्रतिबिम्ब के बारे में बता रहा था । मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिम्बित होने में उस पदार्थ का बहुत बड़ा महत्त्व है, जिसमें वह प्रतिबिम्बित हो रही है ।

छाया/प्रतिबिम्ब के बारे में जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बताया था, हर प्राणी के शरीर से तदाकार पुद्गल निकलते रहते हैं और उनकी छाया पड़ती है । यह एक मान्यता है । इस सदर्थ में एक दूसरी मान्यता और भी है—हम जहां खड़े रहते हैं, वहां के पुद्गल उस रूप में रूपान्तरित हो जाते हैं । इन दोनों

क्या छाया स्वतन्त्र पदार्थ है ?

मान्यताओं में से कौन-सी मान्यता सही है, इस त्रिवाद में मैं नहीं जाना चाहता। पर इतना तो दोनों ही मान्यताओं से निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि छाया पुद्गल है।

आभामंडल विज्ञानसम्मत है

छाया पुद्गल है, यह बात हम शास्त्रों में सदा से पढ़ते रहे हैं। पर आज विज्ञान ने भी अनेकानेक प्रयोगों के द्वारा इसे सावित कर दिया है। हम सदा से पढ़ते और सुनते आए हैं कि तीर्थंकरों के आभामंडल होता है। आज विज्ञान ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। स्वीकार ही नहीं किया है, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा इसे प्रमाणित भी कर दिया है। विज्ञान तो यहां तक कहता है कि तीर्थंकरों/महापुरुषों के ही नहीं, अपितु प्रत्येक प्राणी के आभामंडल होता है। चूंकि तीर्थंकरों/महापुरुषों का आभामंडल स्वच्छ होता है, इसलिए विलकुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। लेकिन दूसरे-दूसरे प्राणियों का आभामंडल इतना स्वच्छ नहीं होता, इसलिए दिखाई नहीं देता। आजकल ऐसा कैमरा विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से सामान्य प्राणियों के आभामंडल के भी फोटो लिए जा सकते हैं और लिए भी गए हैं। उन चित्रों के आधार पर एक बहुत महत्त्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि जिस व्यक्ति के अच्छे या बुरे जैसे विचार होंगे, उसके आभामंडल का चित्र भी उनके अनुरूप आएगा। इस क्रम से विभिन्न व्यक्तियों के आभामंडल के चित्र भी अलग-अलग प्रकार के आएंगे। चित्र ही बयो, रंग भी अलग-अलग आएंगे। आभामंडल के रंग आदि को सविस्तार समझने के लिए जैन दर्शन के लेश्या प्रकरण का अवधानपूर्वक अध्ययन आवश्यक है। लेश्या का जैसा सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन जैन दर्शन में उपलब्ध है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ ही नहीं, लगभग अप्राप्त है।

आतप

सूर्यादीनामुष्णः प्रकाश आतपः ।

चन्द्रादीनामनुष्णः प्रकाश उद्योतः ।

मण्यादीनां रश्मिः प्रभा ।

सर्व एव एते पुद्गलधर्माः, अत एतद्दानपि पुद्गलः ।

सूर्य आदि के उष्ण प्रकाश को आतप कहा जाता है। यह भी पुद्गलों की परिणति है। इसलिए इसे भी पुद्गल का लक्षण माना गया है। हम देखते हैं कि कुछ लोग इतने तेजयुक्त होते हैं कि उनके तेज को हर कोई वर्दाशत नहीं कर पाता। उदाहरणार्थ—हमारे धर्मसंघ के सप्तमाचार्य पूज्य डालगणी। ऐसा कहा जाता है कि उनका चेहरा इतना तेजयुक्त था कि हर किसी की यह हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह उनके नजदीक चला जाए,

उनसे वातचीत कर ले । महाराज गंगासिंहजी का उदाहरण भी आपके सामने है । उनका तेज भी उल्लेखनीय था ।

उद्योत

चन्द्र आदि के शीतल प्रकाश को उद्योत कहा जाता है । यह भी पुद्गल की परिणति है ।

आतप की तरह कुछ लोगों की शीतलता भी उल्लेखनीय होती है । पूज्य कालूगणी का उदाहरण हमारे सामने है । वे इतने शीतल थे कि कोई भी उनके पास जा सकता था । उनसे अपने दिल की बात कह सकता था । और तो क्या, छोटे-छोटे वच्चे भी मुक्त भाव से उनके चरणों में उपस्थित होने थे । मैं पहले भी कई बार वता चुका हूँ और आज पुनः वताता हूँ कि मेरे वैराग्य का मूलभूत कारण पूज्य कालूगणी की वह शीतल-सौम्य आकृति ही थी । जब कभी कालूगणी लाडनू पधारते, मैं घटो-घंटो खड़े-खड़े उनकी उस दिव्य आकृति को निहारता । धीरे-धीरे मेरे मन में यह तीव्र भावना बन गई कि मैं भी गुरुदेव का एक छोटा-सा शिष्य बनकर उनके चरणों में समर्पित हो जाऊँ ।

प्रभा

रत्न आदि की रश्मियों को प्रभा कहते हैं । यह भी पुद्गल की एक परिणति है ।

पुद्गल के विभिन्न लक्षणों की चर्चा मैंने अपने प्रवचनों में की । ये सभी पुद्गल के धर्म हैं । अतः पुद्गल के विभिन्न लक्षणों के रूप में इन्हें निरूपित किया गया है ।

पुद्गल के दो प्रकार

पुद्गलों की विभिन्न परिणतियों की चर्चा के पश्चात् अब हमें यह समझना है, पुद्गल कितने प्रकार के हैं ?

परमाणुः स्कन्धश्च ।

पुद्गल के दो प्रकार हैं—

१ परमाणु

२. स्कन्ध ।

परमाणु और स्कन्ध की विस्तृत चर्चा आज मैं नहीं करूँगा । संक्षेप में आप इतना-सा समझ लें कि सूक्ष्मतम पुद्गल परमाणु है और अनेक परमाणुओं के एकीभूत रूप को स्कन्ध कहा गया है । परमाणु के अतिरिक्त सभी पुद्गल स्कन्ध हैं ।

आप मेरे हाथ में यह कपड़ा देख रहे हैं । यह एक स्कन्ध है । ये मिट्टी के सूक्ष्म कण भी स्कन्ध हैं । आप कहेंगे—इतने सूक्ष्म कण भी स्कन्ध हैं, तब

क्या छाया स्वतन्त्र पदार्थ है ?

फिर परमाणु किसे कहें ? वास्तव में दृश्य जितने भी पुद्गल हैं, वे सभी रसंध ही हैं। परमाणु कभी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता।

प्रश्न है, वास्तविक परमाणु है या स्कन्ध ? एक दृष्टि से परमाणु ही वास्तविक है। दो, चार, सौ, हजार, करोड़, असंख्य, अनन्त परमाणुओं से मिलकर एक स्कन्ध बनता है। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दो-चार-पाच परमाणुओं के स्कन्ध के देखने की बात तो बहुत दूर की है, संख्येयप्रदेशी और असंख्येयप्रदेशी पुद्गलों को भी हम अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। केवल अनन्तप्रदेशी स्कन्ध ही हमारी आंखों द्वारा ग्राह्य होते हैं। इसमें भी इतना और समझ लें कि सब अनन्तप्रदेशी स्कन्ध हमारी आंखों के विषय नहीं बनते। केवल वे ही अनन्तप्रदेशी स्कन्ध हम देख पाते हैं, जो स्थूल हैं। इससे हम परमाणु की सूक्ष्मता से परिचित हो सकते हैं। आपको शायद यह बात विचित्र लगे। पर वास्तव में आज यह कुछ भी विचित्र नहीं है। विज्ञान ने बहुत ही सूक्ष्म-सूक्ष्म खोजें की हैं। प्रकाश एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करता है। जब इस सूक्ष्मता को आप स्वीकार करते हैं, तब शास्त्रों में वर्णित सूक्ष्मता पर तो अविश्वास करने का कोई औचित्य ही नहीं है। हालांकि हमारे तीर्थकरो के पास सूक्ष्मता को मापने के लिए यंत्र नहीं थे, पर उन्हें उनकी अपेक्षा भी कहा थी। वे आत्म-द्रष्टा थे। उन्होंने आत्म-ज्ञान की गहराई में सब कुछ प्रत्यक्ष देखा। यंत्रों से मापने का काम विज्ञान का है। वह यंत्रों को विकसित कर विभिन्न सूक्ष्मताओं को मापने का प्रयास कर सकता है।

गंगाशहर

२६ जुलाई, १९७८

परमाणु का स्वरूप

'परमाणु' की प्रासंगिक संक्षिप्त चर्चा में पिछले प्रवचनों में कई बार कर चुका हूँ। पर उसका सागोपांग विवेचन अभी तक अवशेष है। आज मैं परमाणु का कुछ विस्तृत विवेचन कर रहा हूँ।

अविभाज्यः परमाणु ।

जिसका कोई विभाग न हो सके, जो कभी टूट न सके उस सूक्ष्मतम पुद्गल को परमाणु कहा जाता है। यह उसकी संक्षिप्त परिभाषा है। उसकी विस्तृत परिभाषा देते हुए एक प्राचीन आचार्य ने लिखा है—

'कारणमेव तदन्त्य, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति परमाणुः ।

एकरसगन्धवर्णो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥'

जो किसी भी पौद्गलिक पदार्थ का अन्तिम कारण है, सूक्ष्म है, नित्य है; एक रस, एक गंध, एक वर्ण व दो स्पर्शयुक्त है और जिसका अस्तित्व दृश्यमान कार्यों से जाना जाता है, वह परमाणु है।

इस परिभाषा में परमाणु को पौद्गलिक पदार्थों का अन्तिम कारण बताया गया है। अन्तिम कारण को समझने से पूर्व आप कारण को समझे। और कारण को समझने के लिए आप कार्य को भी समझे। जिससे वस्तु निर्मित होती है, वह कारण कहलाता है तथा जो वस्तु निर्मित होती है, उसे कार्य कहा जाता है। इसे आप उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। मिट्टी का घड़ा बनता है। यहां मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। परमाणु कारण है, कार्य नहीं। क्योंकि परमाणुओं के मिलने से छोटे-बड़े सभी स्कंध बनते हैं परन्तु परमाणु किसी से नहीं बनता।

अन्तिम कारण वह होता है, जिसके बिना कार्य (वस्तु) होता ही नहीं। मैं स्थूल उदाहरण से समझाऊँ। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति ने हजार बूंदी को मिलाकर एक लड्डू बनाया। दूसरे व्यक्ति ने पांच-पांच सौ बूंदी के दो लड्डू मिलाकर एक लड्डू बनाया। तीसरे व्यक्ति ने ढाई-ढाई सौ बूंदी के चार छोटे लड्डुओं को मिलकर एक लड्डू बनाया। इस प्रकार और भी छोटे-छोटे लड्डुओं को मिलाकर एक लड्डू बनाया जा सकता है। पर सबका अन्तिम कारण बूंदी है। यदि बूंदी न हो तो लड्डू बन ही नहीं सकता।

परमाणु भी अन्तिम कारण है। उसके बिना कोई वस्तु/स्कन्ध बन ही नहीं सकता।

जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि परमाणु सर्वाधिक सूक्ष्म है। इसकी सूक्ष्मता की कल्पना आप एक बात से करें। मान लीजिए, किसी व्यक्ति की आंख में बालू का एक कण गिर गया। कण विलकुल छोटा-सा है फिर भी आंख उसे सहन नहीं करेगी। वह आंख में रह रहकर रड़कन और पीड़ा उत्पन्न करेगा। आखिर जब उसको निकाला जाएगा, तभी उस व्यक्ति को चैन पड़ेगी। पर एक परमाणु गिर जाए तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। एक परमाणु ही क्यों, हजार, लाख, करोड़... असंख्येय परमाणुओं का स्कन्ध भी गिर जाए तो भी उसको कोई रड़कन या पीड़ा अनुभव नहीं होगी। इससे भी और आगे कह तो सूक्ष्म अनन्तप्रदेशी स्कन्ध का भी उसे कोई अनुभव नहीं होगा। मात्र स्थूल अनन्तप्रदेशी स्कन्ध का ही अनुभव हो सकेगा। यानी एक सूक्ष्म बालू कण से परमाणु अनन्तगुणा सूक्ष्म है।

ऐसे सूक्ष्म परमाणु को न तो हवा उड़ा सकती है और न पानी ही बहा सकता है। अग्नि उसे जला नहीं सकती। तीक्ष्ण-से-तीक्ष्ण शस्त्र की धार भी उसे काट नहीं सकती। और तो क्या, लाखों सैनिकों वाली चक्रवर्ती की सेना भी यदि उसके ऊपर से होकर गुजर जाए तो भी वह उससे सर्वथा अप्रभावित रहेगा, जरा भी इधर से उधर नहीं होगा।

परमाणु नित्य है। वह सदा परमाणु था, परमाणु है और परमाणु रहेगा।

अब आपको यह जानना है कि परमाणु में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं या नहीं? चूँकि परमाणु भी एक दृष्टि से पुद्गल ही है, इसलिए उसमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श अवश्यमेव होते हैं। पर परमाणु एक प्रदेशी ही होता है, अतः उसमें एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध और दो स्पर्श ही पाए जाते हैं।

यहाँ प्रश्न सामने आएगा, परमाणु में कृष्ण, नील, श्वेत, रक्त और पीत—इन पाँचों वर्णों में से कौन-सा एक वर्ण पाया जाता है? परमाणु में कौन-सा एक वर्ण पाया जाता है?—इसका कोई निश्चित विधान नहीं है। पाँचों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण पाया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि वह एक वर्ण परिवर्तित होता रहता है। यानी श्वेत वर्ण का पीत वर्ण, पीत वर्ण का रक्त वर्ण, रक्त वर्ण का कृष्ण वर्ण... बन सकता है। इस परिवर्तन का कोई निश्चित क्रम नहीं है।

यही स्थिति परमाणु में गन्ध और रस की भी है। कोई भी एक गंध और एक रस उसमें पाया जा सकता है और उनमें परिवर्तन का क्रम भी चलता रहता है।

स्पर्श के बारे में कुछ भिन्न विधान हैं। जहाँ वर्ण, गंध, और रस एक-एक ही पाए जाते हैं, वहाँ स्पर्श दो पाए जाते हैं। यहाँ पुनः प्रश्न आएगा, कौन-कौन से दो स्पर्श पाए जाते हैं? इसका समाधान यह कि उष्ण और शीत स्पर्श में से एक तथा रूक्ष और स्निग्ध स्पर्श में से एक स्पर्श परमाणु में होता है। ये भी स्थायी नहीं हैं। इनमें भी परिवर्तन होता रहता है।

परमाणु का इतना विवेचन करने के बावजूद अभी तक मैं पूरे श्लोक का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि उसमें बहुत थोड़े-से शब्दों में बहुत बात कह दी जाती है। दूसरी-दूसरी भाषाओं में जिस बात को कहने के लिए बीस-तीस शब्दों में जरूरत होती है, उसी बात को संस्कृत भाषा में पाँच-सात शब्दों में कहा जा सकता है। सचमुच यह इस भाषा का अत्यंत महत्त्वपूर्ण गुण है। हम भाषा को ही क्यों, वक्तृत्व को भी देखें। कुछ लोग जहाँ बहुत थोड़े में बहुत अधिक कहने की कला में माहिर होते हैं, वही बहुत-सारे लोग बोलते तो बहुत हैं पर उसमें तथ्य बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती है—'खोदा पहाड़ निकली चुहिया।'

मौन की शक्ति

बोलने का अपना महत्त्व है तो न बोलने का भी अपना महत्त्व है, बल्कि बोलने की अपेक्षा न बोलना/मौन ज्यादा महत्त्वपूर्ण और उपयोगी होता है। संसार के सभी महापुरुषों ने इसीलिए मौन पर बहुत बल दिया है। भगवान् महावीर ने बारह वर्षों तक मौन किया। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन किया करते थे। बोलने से शक्ति क्षय होती है। उस क्षरित शक्ति को पुनः संगृहीत करने में मौन सर्वाधिक उपयोगी है। अपने स्वयं के अनुभव की बात मैं बताऊँ। सुदूर प्रदेशों की यात्राओं के दौरान मुझे बहुत अधिक बोलना पड़ता। कभी-कभी तो दिन में पाँच-पाँच बार प्रवचन करना पड़ता। यह निश्चित है कि कोई चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, अधिक बोलने में आखिर उसकी शक्ति तो टूटेगी ही। मैं कई बार बोलते-बोलते बहुत थक जाता। मन में प्रश्न उभरा, क्या समाधान खोजा जाए इस समस्या का? मैंने प्रति दिन दो घंटे का मौन प्रारम्भ कर दिया। इस मौन से मैं बहुत लाभान्वित हुआ। ऐसा अनुभव हुआ कि दिन भर बोलने में जो शक्ति क्षीण होती है, वह दो घंटे के मौन से पुनः अर्जित हो जाती है।

दीर्घश्वास का लाभ

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बलते-बोलते मेरा गला बैठने लगता और दूसरे दिन हजारों की विशाल सभा को सम्बोधित करना निश्चित होता। (उन दिनों हमारे यहाँ माईक का उपयोग नहीं होता था।) मन में विचार

आता—यह कैसे संभव होगा ? रात को मौन करके सो जाता । मुझ उठकर अनुभव करता कि शक्ति अर्जित तो हुई, गला भी साफ हुआ है, पर फिर भी अभी हजारों को सुनाने की स्थिति में नहीं हूँ । इस स्थिति में मौन के साथ-साथ दीर्घ-श्वास का प्रयोग करता । मौन और दीर्घ श्वास दोनों का योग मिलने से मुझे पूरी शक्ति प्राप्त हो जाती और मैं अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रवचन कर पाता ।

अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि पूरे दिन में ऐसे बहुत कम प्रसंग आते हैं, जब बोलना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है । अधिकांश तो व्यक्ति निष्प्रयोजन या बहुत सामान्य प्रयोजन के लिए ही बोलता है । उस तथ्य से अपरिचित होने के कारण लोग अपनी शक्ति का बहुत अपव्यय करते हैं । इसीलिए हमारे तीर्थङ्करों ने कहा, निष्प्रयोजन कोई काम मत करो ।

मुझे लगता है कि महापुरुषों की वाणी सुनने में तो सब को कर्णप्रिय होती है पर उसका आचरण बहुत कम लोग कर पाते हैं । जब आदमी किसी मुसीबत में फँसता है, तब उसे महापुरुषों की वाणी की स्मृति उभरती है । इसीलिए कबीरजी ने कितना मार्मिक कहा है—

‘दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय ।

जो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे को होय ॥’

दुःख में, कठिन परिस्थितियों में मनी भगवान की वाणी को याद करते हैं । पर सुख में उसे कोई याद नहीं करता । यदि सुख में, अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति भगवान की वाणी को याद कर ले तो संभवतः दुःख उत्पन्न ही न हो । पर मानव मन की यह कमजोरी ही माननी चाहिए कि वह जानते हुए भी सुख में भगवान और भगवान के उपदेश को भूल जाता है ।

मैंने प्रसंगवश कुछ बातें विषय से हटकर भी कही । पर ये बातें भी कम उपयोगी नहीं हैं । समय-समय पर प्रसंगवश ऐसी बातें प्रवचन में आनी ही चाहिए, जिससे तात्त्विक ज्ञान के साथ-साथ लोगों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होता रहे ।

गंगाशहर

२७ जुलाई, १९७८

परमाणु : एक अनुचिन्तन

कल के प्रवचन मे मैने परमाणु का विवेचन किया । आज पुनः उसी अधूरे विषय के विवेचन से प्रवचन का प्रारम्भ कर रहा हूँ । मैने कल बताया था कि परमाणु कार्य (स्कन्ध) का अन्तिम कारण है । अन्तिम सूक्ष्म है । नित्य है और एक वर्ण एक, गन्ध, एक रस तथा दो स्पर्श से युत है ।

अब प्रश्न है, जब परमाणु को आंखो से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता हाथ मे पकड़ा नहीं जा सकता, तब उसके अस्तित्व को किस आधार पर स्वीकार किया जाए ? यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । यह तो स्पष्ट है कि परमाणु किसी भी स्कन्ध (कार्य) का अन्तिम कारण है । उसके बिना स्कन्ध की कल्पना ही नहीं की जा सकती । यह ठीक है कि हमे परमाणु (कारण) दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, पकड मे नहीं आता । पर कार्य तो दिखाई देता ही है । जब कार्य सामने है तो कारण चाहे प्रत्यक्ष दिखाई दे या न दे, उसके अस्तित्व को कभी नकारा नहीं जा सकता । उसमे संदेह के लिए कभी कोई अवकाश नहीं रहता । उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति के हाथ में मक्खन है । मक्खन दूध से निकलता है । यानी दूध मक्खन का अन्तिम कारण है । दूध के बिना मक्खन कभी हो ही नहीं सकता । पर उस व्यक्ति ने दूध कभी देखा नहीं । दूध चाहे नहीं देखा, परन्तु जब उसने मक्खन देख लिया तो वह दूध के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता ।

आपने धुआं निकलते देखा । पर धुआ कहां से निकल रहा है ? अग्नि कहां है ? यह सब दिखलाई नहीं देता । ऐसी स्थिति मे क्या आप अग्नि को इन्कार कर सकते हैं ? कभी नहीं कर सकते । क्योंकि धुआं है तो अग्नि होगी ही । ऐसा कभी हो नहीं सकता कि धुआ तो मौजूद हो और अग्नि न हो । एक आदमी खूब हूण्ट-पुण्ट है पर कहता कि मैं दिन मे कभी रोटी नहीं खाता । इसका अर्थ है कि रात को अवश्य खाता है, अन्यथा उसका शरीर हूण्ट-पुण्ट नहीं हो सकता ।

न्याय-शास्त्र का एक नियम है कि जब कार्य है तो कारण अवश्यमेव होगा । यह दूसरी बात है कि कारण कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखाई देता । परमाणु को भी हम इसी परिप्रेक्ष्य मे देखें । चाहे

परमाणु हमें दिखलाई नहीं देता पर जब रन्ध्र दिखलाई देता है तो परमाणु का अस्तित्व रवत. प्रमाणित है ।

सदृश परमाणुओं में तरतमता

परमाणु के वर्ण के बारे में मैंने कल बताया था । परमाणु में एक ही वर्ण पाया जाता है । इस सन्दर्भ में एक बात और जातव्य है । एक ही वर्ण के परमाणुओं में परस्पर बहुत बड़ी तरतमता हो सकती है । उदाहरणार्थ—दो श्यामवर्ण के परमाणु हैं । उन दोनों परमाणुओं की श्यामता में दो गुण में लेकर असंख्य, अनन्त, अनन्तानन्त गुण तक अन्तर हो सकता है । यानी एक परमाणु एक गुण श्याम है तो दूसरा परमाणु तान्त्र गुण, करोड़ गुण, असंख्य गुण, अनन्तानन्त गुण श्याम हो सकता है । हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक कपड़ा भी काला होता है, एक आदमी भी काला होता है और एक भैंसा भी काला होता है । पर इनके कालेपन में बहुत तरतमता रह जाती है । श्यामवर्ण कि तरह सभी वर्णों में इसी प्रकार तरतमता होती है ।

वर्ण की तरह परमाणु की गंध और रस में भी दो गुण से लेकर अनन्तानन्त गुण तक तरतमता होती है । हम देखते हैं, एक इत्र ऐसा होता है, जिसकी महक दूर-दूर तक फैल जाती है । वही दूसरे इत्र की सुगंध कुछ दूर बैठे व्यक्ति की नाक का भी पूरा विषय नहीं बन पाती । इसी प्रकार रस की तरतमता भी अनुभव की जा सकती है । दूध मीठा है । मिथी मीठी है । गुड मीठा है । पर इनके मीठेपन में बहुत तरतमता है । यह तरतमता जैसा कि पहले बताया गया, उत्कृष्ट रूप में अनन्तानन्त गुण तक हो सकती है ।

परमाणु में दो स्पर्श होते हैं । पर स्पर्श की तरतमता का कम पूर्व क्रम की तरह ही है । कुएं का पानी गर्म है । दूध गर्म है । चूल्हा गर्म है । भट्टी गर्म है । रेल का इंजन गर्म है । पर इनकी गर्मी-गर्मी में बहुत बड़ी तरतमता है । वर्ण, गन्ध और रस की तरह ही यह तरतमता दो गुण में लेकर अनन्तानन्त गुण तक हो सकती है । अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु परमाणु के बीच कितना अन्तर हो सकता है । इस संदर्भ में एक बात और बता दूं । आज एक परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की जो स्थिति है, वह कालान्तर में परिवर्तित भी हो सकती है । आज जो परमाणु कम श्याम है, वह कल अधिक श्याम भी बन सकता है । आज जो परमाणु कम तिक्त है, वह कल अति तिक्त भी हो सकता है ।

परमाणु गति करता है ?

अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि परमाणु गति करते हैं या नहीं ? परमाणु गति करते हैं । पर इसके साथ यह भी समझ लेना चाहिए कि उनकी गति स्वप्रेरित ही होती है । दूसरों के हिलाए वे नहीं हिलते । आपको

जिज्ञासा हो सकती है, परमाणुओं की गति कैसी होती है ? परमाणुओं की गति इतनी तेज होती है कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। संसार का तीव्र-से-तीव्र गतिवाला यन्त्र भी उनकी की तुलना में बहुत पीछे ठहरता है। शास्त्रों में उनकी गति की चर्चा करते हुए बताया गया है कि कोई भी परमाणु एक समय (काल का सूक्ष्मतम हिस्सा) में लोकान्त से लोकान्त तक जा सकता है। पर इस विषय में कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वह गति कर भी सकता है और बहुत लम्बे काल तक गतिविहीन भी रह सकता है।

परमाणु जितना सूक्ष्म है, उतना ही अधिक शक्तिशाली है। सब स्कन्धों की शक्ति उसमें अन्तर्निहित है। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है, वह उतना ही अधिक शक्तिसम्पन्न होता है। होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति का यह सिद्धान्त है कि दवा जितनी सूक्ष्म होकर शरीर में प्रवेश करती है, वह उतनी ही अधिक असरकारी होती है। आयुर्वेद विज्ञान में भी सूक्ष्म दवा की एक परम्परा रही है। वह दवा बड़ी तीव्र गति से रोग का निरोध करने वाली और शक्ति देनेवाली होती है।

परमाणु हमें दिखाई नहीं देता, न ही उसका हमारे लिए कोई उपयोग है। पर वह हर छोटे-बड़े स्कन्ध का आधार है। इस दृष्टि से उसका महत्त्व कभी भी कम नहीं आकना चाहिए।

स्कन्ध

परमाणु की विस्तृत विवेचना के पश्चात् अब आप स्कन्ध को समझे। तदेकीभावः स्कन्धः।

तेषां द्व्याद्यनन्तपरिमितानां परमाणूनामेकत्वेनावस्थानं स्कन्धः, यथा—
द्वौ परमाणू मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं त्रिप्रदेशी, दशप्रदेशी, संख्येयप्रदेशी, असंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च।

दो से लेकर अनन्त तक के एकीभूत परमाणु स्कन्ध कहलाते हैं। यानी दो, चार, दस, सौ, हजार, करोड़, संख्येय, असंख्येय और अनन्त परमाणुओं तक का एक स्कन्ध हो सकता है। दो परमाणुओं से मिलकर बनने वाला स्कन्ध द्विप्रदेशी स्कन्ध, तीन परमाणुओं से मिलकर बनने वाला स्कन्ध त्रिप्रदेशी स्कन्ध कहलाता है। इसी प्रकार दसप्रदेशी, हजारप्रदेशी, लाखप्रदेशी, करोड़प्रदेशी, संख्येयप्रदेशी, असंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी स्कन्ध होते हैं।

जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, हमें केवल अनन्तप्रदेशी स्कन्ध ही दिखलाई देता है। उससे छोटे स्कन्ध हमारी दृष्टि के विषय नहीं बन पाते। अब प्रश्न है, स्कन्ध केवल परमाणुओं के एकीभाव से ही बनते हैं या किसी अन्य प्रकार से भी ?

तद्भेदसंघाताभ्यामपि ।

स्कन्धस्य भेदतः संघाततोऽपि स्कन्धो भवति, यथा—भिद्यमाना गिला, संहन्यमानाः तन्तवश्च ।

परमाणुओं के एकीभाव/मिलन के अतिरिक्त स्कन्धों के भेद से भी स्कन्ध बनते हैं। एक मोटा लकड़ है। दर्शन की भाषा में वह एक स्कन्ध है। उसे तोड़ कर दो, चार, पाँच..... टुकड़े कर दिए गए। अब उनमें से प्रत्येक टुकड़ा एक स्कन्ध बन गया। एक बीस मीटर कपड़े का थान है। वह एक स्कन्ध है। अब एक-एक मीटर के बीस टुकड़े कर दिए गए तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्कन्ध बन गया। स्कन्ध को तोड़ने से तब तक स्कन्ध बनते रहेंगे, जब तक वह परमाणु नहीं बन जाए। यानी जब तक दो प्रदेश अवशिष्ट हैं, तब तक वह स्कन्ध ही कहलाएगा।

प्रसंग रासायण का

रामायण में प्रसंग आता है कि राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने रावण पर चक्र चलाया। चक्र रावण के पास आया। रावण ने कहा—“चक्र ! तू मेरे पास आया तो है पर मेरी मुट्टी की ताकत शायद नहीं जानता।” पर चक्र नहीं रुका। वह आगे-से-आगे उसकी ओर बढ़ता ही रहा। तब रावण ने अपनी मुट्टी का तीव्र प्रहार किया। चक्र के दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े क्या हुए, दो चक्र हो गए। अब तो और भी अधिक समस्या हो गई। दो-दो चक्रों में मुकाबला करना पड़ा। रावण ने दोनों चक्रों पर दोनों हाथों की मुट्टियों से प्रहार किया। परिणामतः वे चार हो गए। अब उसने ज्यो-ज्यों उन चक्रों पर प्रहार किया, त्यों-त्यों चक्र बढ़ते गए।

घटना लम्बी है। पर चूँकि यह यहाँ अप्रासंगिक हो जाएगी, इसलिए मैं इसे यही समाप्त करता हूँ। इसके माध्यम से मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ कि स्कन्ध के भेद से भी स्कन्ध बनते हैं।

स्कन्ध बनने का एक अन्य प्रकार है—स्कन्धों का परस्पर मिलन। दो, चार, सौ, हजार.....स्कन्ध परस्पर एकीभूत होने पर भी स्कन्ध बनता है। उदाहरणार्थ—यह पट्ट आपके सामने है। यह एक स्कन्ध है। यह लकड़ी के अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। ये जितने लकड़ी के टुकड़े हैं, वे सब अलग अलग स्कन्ध हैं।

कैसे बनता है परमाणु ?

यहाँ यह प्रश्न भी पैदा हो सकता है कि स्कन्ध की तरह क्या परमाणु भी बनता है ? एक दृष्टि से परमाणु नहीं बनता। पर चूँकि स्कन्ध के टूटते-टूटते जो अन्तिम अविभाज्य खंड बच जाता है, वह परमाणु कहलाता है, इसलिए जनभाषा में हम कह सकते हैं कि परमाणु बनता है। उदाहरणार्थ—लड्डू टूटा और उसकी बूदी अलग-अलग बिखर गईं। जिस प्रकार

एक-एक वूदी मिलकर एक लड्डू बना था, उसी प्रकार लड्डू के टूटने से वूदी बन गई । परमाणु बनने का यह एक मात्र प्रकार है । इसके सिवाय और किसी भी प्रकार से परमाणु नहीं बनता ।

अब हमे इस बात पर विचार करना है कि स्कन्ध केवल परमाणुओं के एकीभाव को ही कहते हैं या अन्य किमी प्रकार को ?

अविभागिनि अस्तिकायेऽपि स्कन्धशब्दो ध्यवहियते, यथा—धर्मा-धर्माकाशजीवास्तिकाया. स्कन्धा. ।

जैन दर्शन मे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय को भी स्कन्ध कहा गया है । यहाँ हमे यह समझना है कि परमाणुओं के एकीभाव के अतिरिक्त अविभाग अस्तिकायो के लिए भी स्कन्ध शब्द का व्यवहार हुआ है ।

स्कन्ध दो प्रकार के हैं—

१. स्वाभाविक ।

२. कृत्रिम

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय स्वाभाविक स्कन्ध हैं । क्योंकि वे सदा-सदा से बने हुए हैं । पुद्गलास्तिकाय के स्कन्ध कृत्रिम हैं । वे बनते रहते हैं । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय—इन तीनों का एक-एक स्कन्ध है । जीवास्तिकाय मे प्रत्येक जीव का एक स्कन्ध है । पुद्गलास्तिकाय के स्कन्ध अनन्त हैं ।

पुद्गल के प्रकार

आपने यह समझ लिया कि पुद्गल अनन्त है । अब आपको यह जानना है कि पुद्गल के कितने विभाग है ? जैन दर्शन मे पुद्गल के पांच विभाग किए गए हैं—

१. मनो वर्गणा ।

२. वचन वर्गणा ।

३. काय वर्गणा ।

४, श्वासोच्छ्वास वर्गणा ।

५. कार्मण वर्गणा ।

मन रूप मे प्रयुक्त होनेवाले सजातीय पुद्गल-समवाय को मनो वर्गणा कहा जाता है । जैन दर्शन की यह मान्यता है कि हम मन से जो कुछ भी चिन्तन-मनन करते है, उसमे पुद्गलो का अनिवार्य सहयोग अपेक्षित है । हम मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण करके ही चिन्तन-मनन कर सकते है, अन्यथा नहीं । मानसिक चिन्तन की तरह हमारे बोलने मे जो पुद्गल-समूह काम आता है, उसे वचन वर्गणा कहा जाता है । वचन वर्गणा के पुद्गलो को

ग्रहण किए बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। आंदारिक, वैक्रिय, आहारक और तैजस शरीर के रूप में काम आनेवाले मजानीय पुद्गल-समूह का नाम काय वर्गणा है। श्वासोच्छ्वास और कर्म बन्धन के रूप में काम आने वाले पुद्गल-समूह क्रमशः श्वासोच्छ्वास वर्गणा और कामर्ण वर्गणा कहलाते हैं।

दीर्घ श्वास का मूल्य

श्वासोच्छ्वास वर्गणा के पुद्गलो की वात मेंने अभी बताई। इस सन्दर्भ में एक वात और जानने योग्य है। यद्यपि वह विषय मे सीधी सम्बन्धित तो नहीं है पर आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए प्रसंगवश उसे बता ही देना चाहता हूँ।

हम सब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। हम ही क्यों, ससार का कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं हो सकता। पर मुझे लगता है कि श्वास लेना बहुत कम लोग जानते हैं। वह हमारे जीवन के लिए जितना उपयोगी है, उतनी ही उसके प्रति उपेक्षा होती है। यदि व्यक्ति श्वासोच्छ्वास के प्रति जागरूक हो जाए तो उसका जीवन ही रूपान्तरित हो जाए।

हमें सदा दीर्घ श्वास लेना चाहिए। जिसने दीर्घ श्वास लेना सीख लिया, मानना चाहिए कि उसने दीर्घ जीवन का नुस्खा प्राप्त कर लिया। आप ध्यान दें, प्राणायाम के साधक प्रायः दीर्घजीवी हुए हैं। प्राणायाम शब्द प्राण और आयाम इन दो शब्दों के योग से बना है। प्राणायाम का अर्थ है—श्वास का दीर्घीकरण, श्वास-प्रश्वास की गति का नियमन। यह कोई बहुत कठिन वात नहीं है। अभ्यास के द्वारा यह स्थिति निर्मित की जा सकती है। आप स्वयं इसका प्रयोग एवं अभ्यास कर देखें। आपको इसके लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा।

आप पूछेंगे, श्वास को किस सीमा तक लम्बाना चाहिए? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। पर एक वात अवश्य ध्यान में रखने की है। श्वास लम्बाने में जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। यानी सहजरूप से जितना दीर्घ हो सके उसे उतना दीर्घ करना चाहिए। बलात् श्वास को दीर्घ करना खतरे से खाली नहीं है। आप घड़ी सामने रखकर अपने श्वास की गति की ओर ध्यान दें। संभवतः आपको एक मिनट में १८-२० श्वास आएँ। अब आप सकल्पपूर्वक दीर्घ श्वास का अभ्यास शुरू करें। कुछ समय के अभ्यास से आप अनुभव करेंगे कि आप का श्वास दीर्घ होने लगा है। श्वास की गति की सख्या एक मिनट में १८-२० से घटकर १४-१६ रह गई है। अभ्यास की परिपक्वता के साथ यह संख्या क्रमशः घटते-घटते १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५ तक पहुँच सकती है। लम्बे अभ्यास के बाद एक मिनट में एक श्वास की स्थिति भी निर्मित हो सकती है।

हमारे जीवन में दीर्घ श्वास का बहुत बड़ा महत्त्व है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसने अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना सीख लिया। आप ध्यान दें, चाहे कोई शारीरिक बीमारी हो या काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, भय जैसा कोई मानसिक आवेग हो, उस स्थिति में व्यक्ति का श्वास अस्वाभाविक/चंचल बन जाता है। श्वासों की संख्या आवेग के अनुपातानुसार बहुत बढ़ जाती है।

क्रोध-विजय का उपाय

क्रोध की बीमारी से कौन पीड़ित नहीं है? क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए श्वास-संयम का प्रयोग बहुत उपयोगी है। जिस समय आपको क्रोध आए उस समय आप अपने श्वास पर ध्यान दें। आप पाएंगे कि आपका श्वास स्वाभाविक नहीं रहा है। उसकी गति बढ़ गई है। यदि उस समय आप अपने श्वास को दीर्घ कर स्वाभाविक स्थिति में ला सके तो निश्चय ही आप क्रोध-विजय के प्रयास में सफल हो सकेंगे।

एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और बोला—“डॉक्टर साहब! मुझे क्रोध बहुत आता है। आप कोई ऐसी दवा दें, जिससे क्रोध न आए।” डॉक्टर लोग शारीरिक बीमारी को मिटाने की दवा तो दे सकते हैं पर क्रोध जैसी मानसिक बीमारी की दवा प्रायः उनके पास नहीं होती। पर वह डॉक्टर बड़ा अनुभवी था। उसने उस मरीज को एक भरी हुई बोतल दी और कहा—“जिस समय तुम्हें क्रोध आए, तत्काल बोतल खोलकर दवा मुह में ले लेना। पर ध्यान रखना—दवा को दस मिनट तक के लिए केवल मुह में ही रखना है, निगलना नहीं है।”

वह मरीज बोतल लेकर घर आ गया। जब भी उसे क्रोध आता, वह बोतल खोलकर दवा मुह में ले लेता। दवा से पूरा मुह भर जाता और देखते-देखते उसका क्रोध विदा हो जाता। अब उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। उसने सोचा—डॉक्टर ने तो गजब की दवा दी है, जो कि महीनों, दिनों, घंटों व मिनटों में नहीं, अपितु सेकंडों में ही अपना असर दिखाती है!

वन्धुओं! उस दवा के प्रति आप भी जिज्ञासु होंगे। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि उस बोतल में दवा के नाम पर केवल पानी था। पर होता यह था कि ज्योंही उस व्यक्ति का मुह पानी से भरता कि श्वास बन्द हो जाता। श्वास बन्द हुआ कि क्रोध विदा हो जाता।

मुझे बहुत-सारे लोग पूछते हैं कि क्रोध को शान्त कैसे किया जाए? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं उन्हें उपाय सुझाना हूँ। मैं कहना हूँ, जिस समय गुस्सा आए उस समय कुछ क्षणों के लिए श्वास-निरोध की आदत डालो। पर कठिनाई यह है कि जब क्रोध का उन्माद आदमी पर छाता है,

उसे श्वास-निरोध की बात याद ही नहीं रहती । फिर भी यह निश्चित है कि जो व्यक्ति सकल्पपूर्वक श्वास-निरोध का अभ्यास व प्रयोग करता है, वह अवश्यमेव लाभान्वित होता है । श्वास को सर्वथा रोकना यदि एकाएक कठिन हो तो श्वास-दर्शन करते हुए एक-एक श्वास को गिनना भी बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है ।

क्रोध ही क्यों, अन्यान्य सभी प्रकार के आन्तरिक आवेगों को शान्त करने के लिए श्वास-दर्शन व श्वास-संयम का प्रयोग रामबाण औपध है । जब कभी भी व्यक्ति को वासना सताए, तब तत्काल वह यदि उपर्युक्त प्रयोग करे तो निश्चय ही वह वासना-विजय में सफल होगा । यह प्रयोग-सिद्ध बात है कि घघकते अंगारों से भरे वर्तन को जब ढक्कन से बंद कर दिया जाता है तो अंगारे बुझ जाते हैं । कारण उनको हवा मिलनी बंद हो जाती है । जब बाहर की अग्नि बाहर की हवा के अभाव में शान्त हो जाती है, तो अन्दर की यह आग (काम-वासना) अन्दर की हवा (श्वास) के अभाव में शान्त कैसे नहीं होगी ?

गंगाशहर

२८ जुलाई, १९७८

परमाणु-संश्लेष की प्रक्रिया

परमाणु और स्कन्ध की चर्चा कल मैने की। यह तो आपने जाना कि परमाणुओं के मिलने से स्कन्ध बनता है। पर ये परमाणु परस्पर कैसे मिलते हैं, यह बात अभी तक बहुत-से लोग शायद नहीं जानते। क्या कोई भी परमाणु अन्य किसी परमाणु से सहजरूप में मिल जाता है या उसके मिलने की कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, इस विषय पर जैन दर्शन में बड़ा सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है।

स्निग्ध और रूक्ष

स्निग्धरूक्षत्वाद् अजघन्यगुणानाम् ।

अजघन्यगुणानाम्—द्विगुणादिस्निग्धरूक्षाणां परमाणूनां तद्विषमैः समैर्वा द्विगुणादिस्निग्धरूक्षैः परमाणुभिः समं स्निग्धरूक्षत्वाद्धेतोरेकीभावो भवति न तु एकगुणानामेकगुणैः सममित्यर्थः ।

अयं हि विसदृशापेक्षया एकीभावः ।

सबसे पहले आप इस बात को समझें कि परमाणुओं के परस्पर मिलने में मूल हेतु स्पर्श है। आप कहेंगे, स्पर्श तो रूक्ष और स्निग्ध दो प्रकार के होते हैं। क्या दोनों से एकीभाव होता है या केवल एक से? और यदि एक से ही होता है तो वह रूक्ष से होता है या स्निग्ध से? इस प्रश्न का समाधान यह है कि मूलतः परमाणुओं का एकीभाव स्निग्धता के कारण होता है। आप देखते हैं कि दीवाल पर यदि चिकनाहट है तो रजकण आ-आकर उस पर चिपक जाते हैं। अन्यथा रजकण आ तो सकते हैं, पर चिपकते नहीं यही बात परमाणुओं के एकीभाव के लिए लागू होती है। पर इसके साथ ही यह भी ध्यान रहना चाहिए कि केवल स्निग्धता से एकीभाव नहीं हो सकता। स्निग्धता के साथ-साथ रूक्षता भी चाहिए। आप कोई मिठाई बना रहे हैं। यदि उसमें बहुत ज्यादा घी डाल दिया तो क्या वह बंध सकती है? नहीं बंध सकती। बंधने के लिए स्निग्धता जरूरी है, पर एक सीमा तक ही जरूरी है। यदि स्निग्धता-ही-स्निग्धता हो और रूक्षता विलकुल न हो तो वह मिठाई बंध नहीं सकती। तत्त्व यह है स्निग्धता के साथ-साथ एक सीमा तक रूक्षता भी जरूरी है।

परमाणुओं के परस्पर एकीभाव के सम्बन्ध में शास्त्रों में बताया गया है कि अजघन्य गुणवाले अर्थात् दो या दो से अधिक गुणवाले स्निग्ध एवं रूक्ष परमाणु क्रमशः अजघन्य गुणवाले रूक्ष एवं स्निग्ध परमाणुओं से मिलते हैं। यदि परमाणु जघन्य गुणवाले (एक गुणवाले) हैं तो उनका कभी भी परस्पर एकीभाव नहीं होता। अर्थात् परमाणुओं के मिलने में एक परमाणु कम-से-कम द्विगुण रूक्ष एवं दूसरा द्विगुण स्निग्ध अवश्य चाहिए।

सम और विषम परमाणु

यहाँ यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या सम गुणवाले परमाणु ही परस्पर मिलते हैं या विषम गुणवाले परमाणु भी? परमाणुओं के मिलने में गुणों की संख्या का सम होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। सम गुणवाले परमाणु परस्पर मिल सकते हैं तो विषम गुणवाले परमाणु भी परस्पर एकीभूत हो सकते हैं। उदाहरणार्थ—एक परमाणु द्विगुण स्निग्ध है और दूसरा त्रिगुण रूक्ष है तो उनका परस्पर एकीभाव हो जाएगा। इसी प्रकार एक परमाणु द्विगुण रूक्ष है और दूसरा परमाणु त्रिगुण स्निग्ध है तो उनका परस्पर एकीभाव हो जाएगा। सारांश यही है कि परमाणु चाहे विषम गुणवाले हों या सम गुणवाले, उनका परस्पर संबंध हो जाता है। केवल एक ही शर्त है कि वे सब अजघन्य गुणवाले होने चाहिए। आप पूछेंगे, क्या जघन्य गुणवाले भी परमाणु होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं और उनका कभी भी परस्पर एकीभाव नहीं हो पाता।

परमाणुओं के परस्पर मिलने के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है—क्या स्निग्ध परमाणुओं के साथ स्निग्ध परमाणुओं का तथा रूक्ष परमाणुओं के साथ रूक्ष परमाणुओं का एकीभाव हो सकता है?

द्व्यधिकादिगुणत्वे सदृशानाम् ।

अजघन्यगुणानां सदृशानां—स्निग्धैः सह स्निग्धानां रूक्षैः सह रूक्षाणां च परमाणूनाम्, एकत्र द्विगुणस्निग्धत्वम्, अन्यत्र चतुर्गुणस्निग्धत्वमितिरूपे द्व्यधिकादिगुणत्वे सति एकीभावो भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगुणानाञ्च । उक्तञ्च—

निद्धस्स निद्धेण दुआहियेण, लुब्लस्स लुब्लेण दुआहियेण ।

निद्धस्स लुब्लेण उवेइ वंधो, जहन्नवज्जो विसमो समो वा ॥

(पन्नवणा पद १३)

हाँ, स्निग्ध परमाणुओं के साथ स्निग्ध परमाणुओं का तथा रूक्ष परमाणुओं के साथ रूक्ष परमाणुओं का एकीभाव हो सकता है। पर होता उसी स्थिति में है, जब परस्पर मिलनेवाले परमाणुओं में द्विगुण या उससे अधिक

गुणों का अन्तर हो। उदाहरणार्थ—दो गुण स्निग्ध परमाणु का चार गुण स्निग्ध परमाणु के साथ सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार रूक्ष परमाणु का रूक्ष परमाणु के साथ सम्बन्ध होने के लिए कम-से-कम दो गुणों का अंतर अवश्यंभावी है।

गंगाशहर

२९ जुलाई, १९७८

काल

छह द्रव्यों की व्याख्या के अन्तर्गत धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय का विवेचन आप सुन चुके हैं। आज मैं 'काल' के बारे में कुल बताऊंगा। यद्यपि पुद्गल की तरह काल को हम देख तो नहीं सकते पर न देखने मात्र से उसके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। यह ठीक है कि वह औपचारिक द्रव्य है, वास्तविक नहीं, पर वह द्रव्य तो है ही, यह हमें मानना होगा। छह द्रव्यों में उसको बराबर का स्थान प्राप्त है।

कालः समयादि ।

निमेषस्यासंख्येयतमो भागः समयः, कमलपत्रभेदाद्युदाहरणलक्ष्यः ।
आदिशब्दात् आवलिकादयश्च । उषतञ्च—

समयावलियमुहुत्ता, दिवसमहोरत्तपखमासा य ।

संवच्छरजुगपलिया, सागरओसधिपरियट्टा ॥

(अनुयोगद्वार ४१५)

काल की सबसे छोटी इकाई

'समय' आदि को काल कहते हैं। 'समय' काल का सबसे छोटा भाग है। एक बार आख भ्रपकने यानी एक निमेष में असंख्य समय होते हैं। दूसरे शब्दों में निमेष का असख्यातवां भाग 'समय' है। 'समय' की सूक्ष्मता को समझने के लिए 'कमलपत्रभेद' और 'जीर्ण वस्त्र विदारण'—ये दो उदाहरण दिए गए हैं।

कमल-पत्र-भेद—सौ कमल के पत्ते एक-दूसरे से सटे हुए हैं। कोई व्यक्ति सूई से उन्हें छेद देता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सारे पत्ते एक साथ छेदे गए हैं। किन्तु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। पहला पत्ता जिस समय छेदा गया, उस समय दूसरा पत्ता नहीं। जिस समय दूसरा पत्ता छेदा गया, उस समय तीसरा नहीं। इस प्रकार सब पत्ते क्रमशः अलग-अलग छेदे गए हैं।

दूसरा उदाहरण जीर्ण वस्त्र विदारण का है। एक व्यक्ति जीर्ण-

शीर्षं कपड़े को शीघ्रता से फाड़ डालता है । इतनी शीघ्रता से कि प्रत्यक्षदर्शी को ऐसा लगवा है मानो पूरा वस्त्र एक साथ ही फाड़ा गया है । किन्तु यह वास्तविकता नहीं है । जब ऊपर का पहला तन्तु नहीं फटता, तब तक नीचे का दूसरा तन्तु नहीं फट सकता । अतः यह निश्चित है कि कपड़े के फटने में कालमेद अवश्य रहता है । वस्त्र अनेक धागों से मिलकर बनता है । प्रत्येक धागे में भी अनेक रोंए होत हे । उनमें भी ऊपर का रोंआ पहले छिदता है, उसके बाद उसके नीचे का रोंआ, उसके बाद उसके बाद नीचे का.....। इस प्रकार एक-एक रोंआं छिदते-छिदते पूरा धागा और एक-एक धागा छिदते-छिदते पूरा कपड़ा फटता है ।

कमल के पहले पत्ते तथा तंतु के पहले रोंए के छेदन में जितना समय लगता है, उसका अत्यंत सूक्ष्म यानी असंख्यातवा भाग 'समय' कहलाता है ।

काल के विभिन्न विभाग

'समय' काल का सबसे छोटा भाग और 'पुद्गलपरावर्तन' काल का सबसे बड़ा भाग है । 'समय' और पुद्गलपरावर्तन के बीच आवलिका, मुहूर्त दिवस, आहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, पूर्व, पल्योपम, सागर और कालचक्र—ये विभिन्न काल के विभाग है ।

असंख्य समय की एक आवलिका होती है । १६७७७२१६ आवलिकाओं का एक मुहूर्त और तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र (दिन-रात) होता है । पन्द्रह दिन का एक पक्ष और दो पक्षों का एक माह होता है । दो माह की एक ऋतु और तीन ऋतुओं का एक अयन होता है । दो अयनों का एक साल और पांच साल का एक युग होता है । सत्तर क्रोडाक्रोड़, छप्पन लाख क्रोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है । असंख्यात वर्ष का एक पल्योपम और दस क्रोडा-क्रोड़ पल्योपम का एक सागर होता है । बीस क्रोडाक्रोड़ सागर का एक कालचक्र (अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी) होता है । अनन्त कालचक्र का एक पुद्गलपरावर्तन माना गया है ।

बीता समय वापस नहीं आता

बन्धुओ ! काल-विभाग का यह संक्षिप्त विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया । काल सतत प्रवहमान है । गया हुआ काल वापस नहीं आता । खोया हुआ धन वापस मिल सकता है । खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः मिल सकता है । खोई हुई इज्जत भी कठिनाई से वापस मिल जाती है । और तो क्या, सफेद केश भी पुनः काले हो सकते हैं, गिरे हुए दांत भी फिर आ सकते हैं ।

मुझे बहुत याद है, कन्हू चौधरी । उसकी उम्र एक सौ आठ वर्ष की थी । महाराज गंगासिंहजी ने उसे कंठी बख्शिशकर अपने राज्य के

सर्वाधिष्ठ वृद्ध के रूप में सम्मानित किया था। वह पूज्य गुरुदेव कालूगणी के दर्शनार्थ आया। पूज्य कालूगणी ने पूछा—“कन्हू ! तेरे दांत तो सारे गिर गए होंगे ?” कन्हू ने करवद्ध निवेदन किया—“हां महाराज ! एक बार तो सारे ही गिर गए थे, पर अब पुनः नए आ गए हैं।” और उसने अपना मुंह खोलकर दिखाया। हमने देखा कि सचमुच उसके नए दांत आ रहे थे। इसी प्रकार उसके केश, जो कि विदकुल सफेद हो गए थे, अब पुनः काले होने शुरू हो गए थे।

हां, तो मैं आपसे बता रहा था कि धन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो सकते हैं पर बीता हुआ काल किसी भी कीमत पर लौट कर नहीं आता। आप में से किसी भाई-बहिन के पास यदि कोई ऐसी विद्या या शक्ति हो, जिससे कि बीते हुए काल को लौटाया जा सके तो मुझे भी बताए। मैं उसे ग्राहक-बुद्धि से स्वीकार करूंगा। पर मैं निश्चित जानता हूँ कि आप ही क्या, ससार का कोई भी व्यक्ति ऐसी विद्या या शक्ति से सम्पन्न नहीं है।

काल बीतता जा रहा है, इसकी हमें कोई चिन्ता नहीं। हमें तो इस बात का चिन्तन करना है कि यह काल किस प्रकार बीतता है। भगवान महावीर ने कहा—

‘जा जा घच्चइ रयणी,
न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स,
अफला जन्ति राइओ ॥

जा जा वच्चइ रयणी,
न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स,
सफला जन्ति राइओ ॥’

—जो-जो रातें बीत रही हैं, वे लौटकर नहीं आती। अधर्म करने वालों की रात्रियां निष्फल चली जाती हैं और धर्म करने वालों की रात्रियां सफल होती हैं।

आप लोग इस बात पर चिन्तन करें कि आपका जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा। यदि आपका समय सत्य, शील, संतोष, समता....की अराधना में व्यतीत हो रहा है तो आपके जीवन की सार्थकता है। आपको बीते हुए काल के लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सार आपने निकाल लिया। पर इसके विपरीत यदि आपका अमूल्य समय हिंसा, शोषण, हास्य, चुगली, आलोचना-प्रत्यालोचना, निठल्लेपन....में व्यतीत है तो अवश्य चिन्ता की बात है। सचमुच जीवन के कीमती क्षणों को इन बातों में खोना

वहुत बड़ी निधि से हाथ धोना है। जो लोग ऐसी जिन्दगी जीते हैं, उन्हें देखकर मुझे कई बार मन में आता है, क्या ही अच्छा हो कि इनका समय मुझे मिल जाए। क्योंकि मेरे पास इतना काम है कि दिन-रात व्यस्त रहने के बावजूद भी वह आगे-से-आगे तैयार रहता है। और मैं तो मानता हूँ कि व्यक्ति के सामने काम आगे-से-आगे बना ही रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के सामने करणीय कार्य नहीं, वह व्यक्ति किस काम का ?

खणं जाणाहि

भाईयो ! आप निश्चित मानें, हमारी जिन्दगी में एक मिनट का भी कोई भरोसा नहीं है। एक इबास आया पर दूसरा इबास आएगा या नहीं, इसका किसीको पता नहीं है। एक पैर यहां रखा पर दूसरा पैर रखा जाएगा या नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं है। हमारे युवक भाई जरा सोचें। मैं मानता हूँ, उनकी अवस्था जवान है। उनका जोश भी जवान है। उनकी कर्मजा शक्ति भी जवान है। साथ ही उनका अहं भी जवान है। वे शायद सोचते हैं कि मरने वाले दूसरे ही हैं। हम तो सदा अमर रहेंगे। पर उनको मैं सजग करना चाहता हूँ कि काल समवर्ती है। वह बच्चों, बुढ़ों और जवानों पर समान रूप से वर्तता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा—‘समयं गोयम ! मा पमायए—हे गौतम ! तू एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर। सचमुच ही अप्रमाद का यह सूत्र बहुत गहरा है। जो व्यक्ति काल के प्रति जागरूक हो जाता है, वह फिर करणीय कार्य करने में एक क्षण का भी प्रमाद नहीं कर सकता। यानी आज करने का कार्य कल के लिए वही व्यक्ति छोड़ सकता है, जो काल के प्रति जागरूक नहीं है। आगम की भाषा में—

‘जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलायण ।

जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सया ॥’

तीन ही प्रकार के व्यक्ति कल करने की बात कह सकते हैं—जिनकी मौत के साथ मैत्री हो या जो मौत के आगमन पर पलायन करने में समर्थ हों या जो यह जानते हो कि हम सदा अमर रहेंगे। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति करणीय कार्य को करने के लिए कल की बात नहीं कर सकता। तात्पर्य यह है कि काल का आगमन हर व्यक्ति के लिए अवश्यभावी है। इसलिए जिस क्षण व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, उसे उसी क्षण से धर्म की आराधना के लिए जागरूक बन जाना चाहिए। फिर एक क्षण का भी प्रमाद करना, उसके लिए समझदारी की बात नहीं है। आप देखें, संसार में जितनी भी ऊँची आत्माएँ हुई हैं, उन्होंने काल की स्थिति को समझते हुए धन-वैभव, परिवार.....को तिलाजलि देकर सयम-आराधना का पथ अंगीकार किया है।

प्रसंग थावर्चापुत्र का

ज्ञाताधर्मकथा मे थावर्चापुत्र का घटना प्रसंग आता है। वह मेठानी थावर्चा का पुत्र था। उसके नाम से उसे थावर्चापुत्र की अभिधा से सम्बोधित किया जाता था। थावर्चापुत्र की वृत्ति वचन से ही धार्मिक थी। एक बार द्वारिका मे तीर्थंकर अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ। हजारों-हजारों लोग उनके उपदेशामृत को सुनने के लिए उपस्थित हुए। भगवान अरिष्टनेमि ने अपने प्रवचन मे मानव जीवन की दुर्लभता एवं संसार की निस्सारता का बोध कराते हुए जन-जन को आत्म-संयम की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उपदेश से प्रभावित होकर लोगों ने यथाशक्ति महाव्रत और अणुव्रत स्वीकार किए। थावर्चापुत्र भी भगवान के समवसरण मे उपस्थित था। भगवान के उपदेशामृत से उसका हृदय आर्द्र हो गया। उसके मन में संसार से विरक्ति हो गई और वैराग्य के अंकुर फूट पडे। अवसर देखकर वह भगवान अरिष्टनेमि के श्रीचरणों मे उपस्थित हुआ। बद्धांजलि मुद्रा में उसने भगवान से निवेदन किया—“भन्ते ! मैंने संसार की नश्वरता को समझा है। मनुष्य जीवन की कीमत को आंका है। मैं अब आपके चरणों मे सयम-जीवन स्वीकार कर अपना आत्म-कल्याण करना चाहता हूँ।”

“अहासुहं—जैसा तुम्हें सुखकर हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वैसा करो।”—भगवान ने कहा।

इन्ही पंरों वहां से चलकर वह माता थावर्चा के पास आया और प्रणाम कर बोला—“मा ! आज मैं भगवान अरिष्टनेमि के समवसरण में गया था।”

“पुत्र ! यह तो तूने अच्छा किया।”—मां ने उसके मस्तक को सहलाते हुए कहा।

“मां ! मैं केवल वहां गया ही नहीं, अपितु मैंने भगवान का प्रवचन भी सुना।”

“बेटा ! यह तो तूने बहुत ही अच्छा किया।”

“मां ! मुझे भगवान का प्रवचन बहुत ही मार्मिक और प्रिय लगा।”—भाव विभोर होता हुआ थावर्चापुत्र बोला।

“बेटा ! तू बहुत ही सौभाग्यशाली है। अन्यथा प्रथम तो भगवान के दर्शन नहीं होते, धर्म की वाणी सुनने को नहीं मिलती। और यदि मिल जाती है तो उस पर प्रतीति नहीं होती। वह प्रिय नहीं लग सकती। अच्छा, तू प्रतिदिन भगवान का प्रवचन सुना कर।”

“ठीक है मा ! अब मैं प्रतिदिन प्रवचन सुना करूंगा। तू मुझे आज्ञा

दे, मैं भगवान का शिष्य बन जाऊँ ।”

“ना-ना, वत्स ! यह शिष्य बनने की बात किसने बताई ? मैं तुझे यह आज्ञा नहीं दूंगी ।”

“मां ! अभी तूने ही तो कहा था कि उनका प्रतिदिन प्रवचन सुना कर ।”

“हां, प्रवचन सुनने के लिए कहा था, उनका शिष्य बनने के लिए नहीं कहा था ।”

बन्धुओ ! मैं नहीं समझता लोगो के प्रवचन सुनने का उद्देश्य क्या है ? यदि प्रवचन मात्र सुनने के लिए ही है, उसका जीवन में कोई फलित नहीं है तो मानना चाहिए कि प्रवचन-श्रवण का बहुत लाभ नहीं है । वास्तव में प्रवचन सुनने का उद्देश्य तभी फलित होता है, जब प्रवचन की बातें जीवन-व्यवहार में उतारी जाएं । आज युवा-पीढी में धर्म के प्रति अरुचि और अनास्था का भाव उभर रहा है । इसका एक बहुत बड़ा कारण तथाकथित धार्मिको का जीवन है । उनका जीवन-व्यवहार उसके धर्म के प्रति आकृष्ट होने में बाधक बन रहा है । और यदि यह भी कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका जीवन-व्यवहार नई पीढी में धर्म के प्रति अनास्था और अरुचि पैदा करने में सहयोगी है । आजकल के तथाकथित धार्मिक धार्मिक-क्रियाकाण्ड, प्रवचन-श्रवण आदि तो अवश्य करते हैं पर धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना आवश्यक नहीं समझते । वर्षों तक धर्म करने के पश्चात् भी वही गुस्सा, वही छल-प्रपंच, वही दुकान में बैठकर ग्राहको के साथ धोखा, वही शोषण और अन्याय ! ऐसी स्थिति में आज का बौद्धिक एवं चिन्तनशील युवक यदि धर्म के प्रति आकृष्ट न हो तो कोई आश्चर्य नहीं । हा, आकृष्ट होता है तो आश्चर्य अवश्य है ।

सेठ अद्वैतवादी था । प्रतिदिन अद्वैत पर प्रवचन सुनता । एक दिन उसका बेटा भी प्रवचन सुनने के लिए चला गया । पंडितजी ने अद्वैतवाद का बहुत तलस्पर्शी विवेचन किया—‘एकं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’, ‘उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।’ बेटा बहुत प्रभावित हुआ । वहां से चलकर वह दुकान पर आया । दुकान अनाज की थी । दुकान पर बैठे उसे थोड़ी ही देर हुई होगी कि एक गाय उधर आई और दुकान पर रखे अनाज को खाने लगी । बेटे ने गाय को देखा पर उसे हटाने का कोई प्रयास नहीं किया । उसने सोचा—अभी-अभी मैं प्रवचन में सुनकर आया हूँ कि इस जगत् न कोई अपना है और न कोई पराया । पशु और मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है । सब एक ब्रह्म के ही रूप हैं । अनाज मैं खाऊँ या गाय खाए, एक ही बात है । जैसा मेरा शरीर है, वैसा ही उसका शरीर है ।.....

सयोग से दो-चार मिनिट बाद ही सेठ दुकान की ओर आया । दूर

से उसने देखा—गाय दुकान पर अनाज चर रही है और घेठा हाथ पर हाथ दिए देख रहा है। उसने अपनी चाल तेज की। जल्दी से दुकान पर पहुंचा। हाथ में भट्ट लट्टी संभाली। गाय के दो-चार लट्टियां जमाकर उसे दूर भगाया और आखें लाल करता हुआ घेठे से बोला—“ओ वेचकूफ ! घैठा-घैठा क्या देख रहा था ? गाय अनाज खा रही थी और तूने उसे हटाया तक नहीं।”

“पिताजी ! अभी तो हम प्रवचन सुनकर आए थे कि पशु और मनुष्य एक ही है। हमारे में और उनमें कोई अन्तर नहीं है। इस स्थिति में अनाज हम खाएं या गाय खाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है ?”—घेठे ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन किया।

“ये उपदेश की बातें मुझे बताना रहने दे। ये उपदेश तो मैंने तेरे से बहुत ज्यादा सुने हैं। पर ये उपदेश धर्मस्थानों में सुनने के लिए होते हैं, यहां दुकान पर लाने के लिए नहीं होते। यदि इन उपदेशों को दुकान पर लाया गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा।”—वाप ने झिड़कते हुए कहा।

बन्धुओं ! कितना करारा व्यंग्य है यह आज के धार्मिक जीवन पर। माता-पिता तथा बुजुर्गों के लम्बे धार्मिक जीवन की उपलब्धियों को देखकर उनके बच्चे धर्म को अफीम या दकियानूसी विचार समझने लगे हैं। वे ऐसे धर्म की जीवन के लिए कोई उपयोगिता नहीं देखते।

मुझे कुछ समय पहले की एक घटना याद आ रही है। एक श्रावक ने अपने लड़के की शिकायत करते हुए कहा—“महाराज ! मेरे बेटे को समझाइए। धर्म के प्रति उसके मन में जरा-सी भी अभिरुचि नहीं है। जब भी मैं उसे धर्म की बात कहता हूं तो वह कहता है मुझे नहीं चाहिए धर्म।”

“ठीक है, कभी मौका लगेगा तो उससे बात करूंगा।”—मैंने उसे आश्चस्त करते हुए कहा।

संयोग से एक दिन वह लड़का मेरे पास आ गया। बातचीत के प्रसंग में उससे मैंने पूछा—“तुम्हारी धर्म के प्रति इतनी अरुचि क्यों ? तुम धर्म से नफरत क्यों करते हो ?”

उसने चारों तरफ सहमी-सहमी दृष्टि डाली—कही पिताजी तो मौजूद नहीं हैं। फिर निश्चित होकर बोला—“आचार्यश्री ! वास्तव में धर्म के प्रति मेरी कोई अरुचि नहीं। जीवन की पवित्रता में मैं विश्वास करता हूं। पर सामायिक, पीषध, उपवास, सन्त-दर्शन आदि में मेरी अभिरुचि नहीं है और इसके कारण है—मेरे पिताजी।”

“पिताजी कारण कैसे ?”—मैंने जरा विस्मय के साथ पूछा।

“मेरे पिताजी धर्म-क्रिया करते-करते बूढ़े हो गये हैं। पर उनका स्वभाव व व्यवहार इतना विचित्र है कि मुझे बड़ा दुःख होता है। मुंह से दिन

भर गालिया बोलते रहते हैं। गुस्सा तो इस सीमा तक है कि मुझे पीट देते हैं, मेरी माताजी को पीट देते हैं। मुझे कहे गए अपशब्द और गालियां तो खैर मैं सहन कर सकता हूँ, अपनी मार भी सहन कर सकता हूँ, पर मेरी माताजी को कुछ भी कहा जाए या मारपीट की जाए, यह मेरे वर्दाश्त की सीमा से बाहर की बात है। इस प्रकार वे स्वयं भी अशान्त रहते हैं और पूरे परिवार के वातावरण को भी अशान्त बनाए रखते हैं। मेरे मन में बार-बार यह प्रश्न उभरता है, जब इन्हें पचास वर्ष धर्म करते हो गए और धर्म के द्वारा इनके जीवन में कोई रूपान्तरण घटित नहीं हुआ, इन्हें मानसिक शान्ति नहीं मिली, तब फिर उस धर्म से हमारा क्या भला हो सकेगा ?”—युवक ने अपना हृदय खोलकर रख दिया।

“तुम्हारे पिताजी ने धर्म को सही अर्थ में नहीं समझा है, इसीलिए उनके जीवन में रूपान्तरण नहीं हुआ। यदि धर्म को वे सही रूप में समझते और अपनाते तो निस्संदेह उनका जीवन शान्तिमय होता। पर दूसरो को बदलना किसी के हाथ की बात नहीं। स्वयं को ही बदला जा सकता है। अब तुम धर्म को सही रूप में अपनाकर आदर्श उपस्थित करो।”—युवक को समाहित करते हुए मैंने उसे धर्म को जीवनगत बनाने की दिशा में प्रेरित किया।

बन्धुओ ! यह एक युवक की बात मैंने कही। पर आप इसे एक युवक की बात ही न समझें। मुझे लगता है कि काफी युवको की आज यही मनःस्थिति है। गहराई से अनुभव करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वस्तुतः युवा पीढ़ी धर्म के प्रति उदासीन नहीं, अपितु तथाकथित धार्मिकता से नफरत करती है। धर्म का जो व्यावहारिक फलित उसके सामने आता है, वह निश्चय ही उसे आकर्षित करनेवाला नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि आज भी धर्म का सही रूप युवको के सामने हो, धर्म का व्यावहारिक फलित—पवित्रता, मानसिक शान्ति आदि धार्मिकों के जीवन में परिलक्षित हो तथा धर्म के क्षेत्र में उन्हें सही मार्ग-दर्शन मिले तो वे इस क्षेत्र में भी बड़े उत्साह के साथ आगे आने को तैयार हैं।

मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि जो लोग प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनते हैं, उनका हृदय परिवर्तित क्यों नहीं होता। क्यों उनका मानस आर्द्र नहीं होता ! मुझे लगता है कि ऐसे लोग केवल सुनने के लिए ही प्रवचन सुनते हैं, ग्राहक-बुद्धि से नहीं। यदि ग्राहक-बुद्धि से एक भी प्रवचन सुन लिया जाए तो उससे व्यक्ति का जीवन रूपान्तरित हो सकता है। हृदय आर्द्र व वैराग्य भावना से परिपूर्ण हो सकता है।

हां, तो थावर्चापुत्र का हृदय भगवान अरिष्टनेमि के एक दिन के प्रवचन-श्रवण से आर्द्र हो गया। उसने माता से पुनः-पुनः दीक्षा की अनुमति

प्रदान करने के लिए सविनय प्रार्थना की। माता ने साधु जीवन की कठिनाइयों से परिचित करवाते हुए एवं भौतिक सुखों का प्रलोभन देते हुए उसे संयम-जीवन स्वीकार न करने की बात कही। पर आप जानते हैं कि जिसके मन में वैराग्य की तीव्रतम भावना जागृत हो जाती है, उसे संयम-मार्ग की कठिनाइयाँ और भौतिक सुखों के प्रलोभन आगे बढ़ने से रोक नहीं पाते। थावर्चापुत्र भी अपने विचारों में विलकुल दृढ़ रहा और विभिन्न प्रकारों से माता के समक्ष अपना वैचारिक पक्ष प्रस्तुत करता रहा। आखिर माता को जब यह विश्वास हो गया कि यह अब पूर्ण रूप से विरक्त हो गया है, ससार के क्षणिक सुखों में फंसनेवाला नहीं है तो उसे दीक्षा की अनुमति दे दी।

वह घर से चल कर सीधी महाराज श्रीकृष्ण के दरवार में उपस्थित हुई और बोली—“महाराज ! मेरा इकलौता लाडला पुत्र दीक्षित हो रहा है। मैंने उसके वैराग्य की जाच करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। पर वह मेरी हर परीक्षा में उत्तीर्ण रहा है। अब मैं उसकी दीक्षा का समारोह करना चाहती हूँ। अतः आप मुझे समारोह के लिए आवश्यक लवाजिमा—घोड़ी, आभूषण, छत्र आदि दिलवाने की कृपा करें।”

श्रीकृष्ण ने बड़े ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और उसे निश्चित करते हुए कहा—“तुम्हें इस सम्बन्ध में जरा भी चिन्ता करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उसकी दीक्षा का समारोह मनाऊँगा।”

राजा जब स्वयं दीक्षा का समारोह मनाए, फिर प्रसन्नता का कहना ही क्या ! माता थावर्चा खुशी-खुशी घर लौट आई।

थोड़ी देर पश्चात् श्रीकृष्ण स्वयं चलकर थावर्चा के घर पहुँचे। कुमार के रग-लावण्य एवं चेहरे की आकृति को देखकर उनको सहसा लगा कि यह कोई मनुष्य-पुत्र नहीं, अपितु अवश्य ही देवकुमार है। उन्हें बड़ा आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि वचपन की इस छोटी अवस्था में इसने सयम के कठोर पथ पर बढ़ने का निर्णय किया है !

थावर्चापुत्र के विचारों की दृढ़ता को मापने की दृष्टि से श्रीकृष्ण ने उससे कहा—“कुमार ! तू दीक्षा मत ले। तेरे जीवन की सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यह हवा तो तेरा स्पर्श करके अवश्य निकलेगी, इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का कष्ट मैं तेरे जीवन में नहीं आने दूँगा।”

“आपने संरक्षण प्रदान करने की बात कहकर मेरे पर बड़ी कृपा की। मैं आपके आदेशानुसार दीक्षा नहीं लूँगा। पर दो खतरों की तरफ से पहले आप मुझे आश्वस्त कर दें। मुझे अपनी जिन्दगी में कभी बुढ़ापा न

देखना पड़े और मैं कभी भी काल द्वारा ग्रसित न होऊँ।”—थावर्चापुत्र ने अत्यन्त यौक्तिक ढंग से अपनी बात रखी।

श्रीकृष्ण कुमार की ज्ञान भरी बात सुनकर चकित रह गये। वे बोले—“इन दोनों खतरो को मैं टाल सकू, यह सामर्थ्य मेरे मे नहीं। मैं तो क्या, साक्षात् तीर्थंकरदेव भी इनकी अनिवार्यता को नहीं टाल सकते। इनको टालने का तो एक मात्र मार्ग है—संयम-आराधना।”

“प्रभो! यही कार्य तो मैं करने जा रहा हूँ।”—थावर्चापुत्र ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन किया।

यह घटना लम्बी है। मैं इसे अभी लम्बाना नहीं चाहता। मैं तो इतना-सा बताना चाहता हूँ कि काल को सफल बनाने का एक मात्र मार्ग है—संयम की आराधना, धर्म का आचरण। धर्म के सिवाय इस संसार मे हमारा कोई त्राण नहीं है। मूढ प्राणी धन, परिजन.....को शरण या त्राण मानकर उनमें आसक्त होता है। पर मीत, बीमारी, बुढ़ापा आदि के समय इनमें से कोई भी उसका त्राण या सहारा नहीं बनता।

उपाध्याय विनयविजयजी ने इस स्थिति का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है—

१. स्वजनजनो बहुधा हितकामं, प्रीतिरसैरभिरामम् ।
मरणदशावशमुपगतवन्तं, रक्षति कोऽपि न सन्तम् ॥
२. तुरगरथेभनराऽऽवृत्तिकलितं, दधत्तं बलमस्खलितं ।
हरति ययो नरपत्तिमपि दीनं, मैनिक इव लघुमीनम् ॥
३. प्रविशति वज्रमये यदि सद्ने, तृणमथ घटयति ववने ।
तदपि न मुञ्चति हतसमवर्ती, निर्दयपीरुपनर्त्ती ॥
४. विद्यामंत्र महौषधिलेवां सृजतु यशोदृत-देवाम् ।
रसतु रसायनमुपचयकरणं, तदपि न मुञ्चति मरणम् ॥
५. शरणमेकमनुसर चतुरङ्गं, परिहर ममतासङ्गम् ।
विनय ! रचय शिवसौख्यनिधानं, शान्तसुधारसपानम् ॥

मैं इन पद्यों का सविस्तार अर्थ अभी नहीं करूँगा। इनका सारांश इतना ही है कि मनुष्य की इस अशरण की स्थिति में धर्म ही उसका एक मात्र त्राण है, शरण है, सहारा है। इसके सिवाय सभी सहारे एक समय जाकर असहारे सिद्ध होते हैं।

ये मीठी-मीठी बातें करनेवाले पारिवारिक जन व्यक्ति की पीडा को नहीं बंटा पाते। बुढ़ापे को नहीं रोक पाते। उसे मीत से नहीं बचा पाते। यह मकान, यह जायदाद और अपार धन-संपत्ति सब उस समय यों-के-यो धरे रह जाते हैं।

ऐसा पता होता तो.....

कहते हैं मुहम्मद गजनवी भारतवर्ष से बहुत-सारा धन लूट कर अपने देश लौटा । वहां जाकर उसने कई ऐसी तिजोरियां बनाई, जो सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित थी । वह धन को उन तिजोरियों में रख कर बड़ा प्रसन्न था । आखिर जब मौत का समय निकट आया, तब उसको बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उसने कहा— “यह सारा-का-सारा धन मेरी छाती के ऊपर लाकर रख दो ।” उसके मन में विचार आया—हाय ! जिस धन को प्राप्त करने के लिए मैंने कितनी-कितनी हत्याएं की, कितनी-कितनी लड़ाइयां लड़ी, वह धन मेरे कुछ भी काम का नहीं । मुझे ऐसा पता होता तो मैं क्यों इतना पाप करता !

यह एक सच्चाई है । इस सच्चाई से लोग अनभिज्ञ है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता । पर आसक्तिवश या अज्ञानवश अधिकांश लोग इस धन-परिवार के चक्कर में अपने करणीय कार्य को भूल जाते हैं—यह एक वास्तविकता है । कवि ने इसलिये सबको सचेत किया है—

जे ते मनि-माणिक है जो रे मतिमान कहै,
धरा में धरे हैं सो तो धरा ही धरायवो ।
एक भूख राख, मत राख भूख भूषन की,
वह भूख राख, जो न भूषन बनायवो ।
देह देह देह फिर पायवो न एह देह,
कहा जानू इह जीव कौन जोन जायवो ।
गमन के समय नग न न गनन देह,
नग न चलेंगे संग नगन चलायवो ॥

लीला की लगन मांहि ज्ञान की जगन नांहि,
जग न रहाय नर तोऊ न रहायवो ।
चले जर कौन वट्ट, को इहां करे हट्ट,
नदी तट्ट तर कौन भांति ठहरायवो ।
सपना जहान तामें अपना निदान कौन,
जपना 'किसन' जान जाते दुःख जायवो ।
मोह में भगन सग सग न धरे हैं पग,
नग न चलेंगे संग नगन चलायवो ॥'

बन्धुओ ! हम लोग सब प्रकार की भौतिक सुख-सुविधाओ से सम्पन्न थे । अपने धन, परिजन, एशो-आराम को छोड़ कर हमने कोई भूल तो नहीं की है । हमने उन्हें निस्सार और अशरण जाना है । यही कारण है कि हम अर्किचन होते हुए भी प्रसन्न है ।

आप रोते हैं, मैं हंसता हूँ !

दिल्ली की घटना है। भारत व पाकिस्तान का उस समय बंटवारा हुआ ही था। हजारों-हजारों शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। बड़ी दयनीय स्थिति थी उनकी। किसी का बेटा पीछे रह गया तो किसी का बाप छूट गया। किसी की मां छूट गई तो किसी का पति से वियोग हो गया। उनका धन छीन लिया गया, मकान छीन लिए गए। बिलकुल बेसहारे और दुखी थे वे लोग। किसी के कहने से वे सैकड़ों की सख्या में मेरे प्रवास-स्थल पर आए। उन्होंने अपनी दर्दमयी कहानी सुनाई और सुनाते-सुनाते उनकी आंखों से आसुओं की धारा बह चली। अब मेरे सामने भी कठिन परिस्थिति थी। क्योंकि सैकड़ों व्यक्तियों को दुख-दर्द से रोने देख अपने आपको संभाल कर रखना किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पर मैंने ऐसी परिस्थितियों में अपने आपको संभाल कर रखने का अभ्यास किया है।

हां, तो उनको रोते देखकर मैंने सोचा—इन्हे आवश्यक सबल की अपेक्षा है। धन, परिवार, मकान आदि तो मैं इन्हे त्रापस नहीं कर सकता पर मानसिक सबल अवश्य दे सकता हूँ और वह मुझे देना चाहिए। मैंने कहा—“माइयो ! आप अन्यथा न माने, आपकी और मेरी स्थिति लगभग एक-जैसी है।”

मेरी इस बात को सुनकर वे रोना तो भूल गए और अगली बात सुनने के लिए श्रवणोत्सुक होकर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने कहा—“मकान आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। परिवार आपका भी छूट गया है और मेरा भी छूट गया है। सम्पत्ति आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है।.....सरकार आपको पुनः बसाने की तो सोच रही है, पर हमारे बारे में तो ऐसी भी कोई बात नहीं है।”

“आपके चेहरे पर तो मुस्कान-ही-मुस्कान है। दुःख और चिन्ता की एक रेखा भी नहीं।”—उनको मेरी बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ।

“हां, इतना अन्तर अवश्य है कि इन समान परिस्थितियों के बावजूद भी मैं सदा हंसता-खिलता रहता हूँ और आप आंसू बहाते हैं। इसका कारण है कि आपसे ये सारी चीजें छीन ली गई हैं और मैंने इन्हे असार समझकर प्रसन्नतापूर्वक छोड़ दिया है। यह रोना धन, सम्पत्ति, परिजन के न होने का नहीं, अपितु उनके जबरदस्ती छीने जाने का है। यह हसना-खिलना उनके स्वेच्छापूर्वक छोड़ देने के कारण है।”—तत्त्व समझाते हुए मैंने कहा।

दो क्षण रुककर प्रसंग को थोड़ा-सा मोड़ देते हुए मैंने कहा—“मैं मानता हूँ कि आप लोग कठिन परिस्थितियों में हैं। पर अब रोने से और हाथ पर हाथ देकर बैठने से कुछ भी होनेवाला नहीं है। आपके दो हाथ हैं।

दो पैर है। हृष्ट-पुष्ट शरीर है। श्रम करने की क्षमता है। चिन्तन करने के लिए दिमाग है। फिर कमी किस बात की है? आपको ख्याल रहे, आदमी ने संसार में बहुत कुछ बनाया है, आदमी को किसी ने नहीं बनाया।.....”

मैंने सूक्ष्मता से उनके चेहरों को पढ़ा। मुझे लगा कि मेरे इन शब्दों से उनके मन में पुनः एक आशा की किरण फूटी है। वे मानसिक दृष्टि से अपेक्षाकृत स्वस्थ हुए हैं।

हा, तो मैं आपसे कह रहा था कि हमने अभाव में या किसी प्रलोभन-वश यह संयम का मार्ग स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कुछ अवोध लोग आज भी ऐसा मानते हैं और यदा-कदा मुंह से कह भी देते हैं कि पेट भरने के लिए ये लोग साधु बन गए हैं। हमारे मन में उनके प्रति रोष-आक्रोश नहीं है। लोग हमें कुछ भी बुरा-मला कहे, गालियां दें, निंदा करें, हमारे दोष निकालें, पर हम इन सब परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में अपने आपको संतुलित रखने का प्रयास करते हैं। हमारा सिद्धांत है—‘जो हमारा ही विरोध, हम उसे समझें विनोद।’ विरोध को विनोद में बदल देने की यह कला हमने आचार्य भिक्षु के जीवन से सीखी है। आचार्य भिक्षु से किसी ने कहा—“महाराज! लोग आपके दोष निकालते हैं।” (आपकी आलोचना-प्रत्यालोचना करते हैं।) अपनी आलोचना-प्रत्यालोचना की बात सुनकर साधारणतया व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। पर आचार्य भिक्षु ने ऐसा सुनकर अपने मन को तनिक भी असंतुलित नहीं किया, बल्कि हंसते हुए कहा—“दोष निकालते ही तो है, डालते तो नहीं। वे (आलोचक) तो मेरे हितैषी ही हैं। मैंने साधु-जीवन इसीलिए तो अंगीकार किया है कि सारे दोषों (कर्मों) को नष्ट कर दूँ। कुछ दोष तो मैं स्वयं त्याग/तपस्या/स्वाध्याय/ध्यान के द्वारा निकाल रहा हूँ और कुछ वे (आलोचक) निकाल रहे हैं।”

बन्धुओ! मैं मानता हूँ कि विरोधी विचारों और आलोचना-प्रत्यालोचनाओं को समभावपूर्वक सहन करने की क्षमता सभी धर्मगुरुओं में विकसित होनी चाहिए। मुझे बड़ा दुःख तो तब होता है, जब मैं देखता हूँ कि धर्मगुरु कहलानेवाले, धर्म के अधिकारी कहलानेवाले समझदार लोग भी बिना सोचे-समझे कभी-कभी ऐसी छिछली एवं हलकी बात कह देते हैं कि जिससे लाखों-लाखों लोगों में उत्तेजना या द्वेष का भाव फैल जाता है। मैं नहीं समझता, जब धर्माधिकारी लोग भी समय पर थोड़ी-सी गंभीरता नहीं रख पाते, विरोधी विचारों को हजम नहीं कर पाते तो वे लाखों-लाखों लोगों का धार्मिक पथ-दर्शन कैसे कर सकेंगे?

मानव जीवन की सार्थकता

काल की अनिवार्यता को बताते-बताते मैं कहां का कहां पहुंच गया।

बन्धुओ ! अब आप काल को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे । समझने का अर्थ यही है कि आप प्रतिक्षण बीतते हुए इस काल को अधिक-से-अधिक सत्य, शील, संतोष, त्याग, तपस्या आदि के द्वारा सार्थक बनाने का प्रयास करें । इसी में मानव जीवन की सार्थकता है । यह सार्थकता प्राप्त होने के बाद काल जब भी आए, कोई चिन्ता की बात नहीं है ।

काल परिपाक

एक दृष्टि से काल का विवेचन समाप्त हुआ । पर एक अन्य दृष्टि से भी आपको काल को समझना है । आप इस बात को समझें कि हर कार्य हर वस्तु काल का परिपाक मांगती है । जब तक काल का परिपाक नहीं हो जाता, तब तक अन्य सारे निमित्त मिलने पर भी कार्य बनता नहीं । आज किसान ने बीज बोया । पानी भी सींचा । पर वृक्ष एक दिन में खड़ा नहीं होता । फल आते-आते समय लगता है । यानी काल का परिपाक होने पर ही वृक्ष फूलो-फलों से हरा-भरा होता है । इसीलिए सन्त कबीरदासजी ने कहा है—

‘धीरे धीरे रे मना ! धीरे सब कुछ होय ।

माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय ॥’

अर्थात् किसी भी प्रवृत्ति या क्रिया का फल समय के परिपाक से मिलता है । इस तत्त्व को जानकर व्यक्ति को सदा धैर्य रखना चाहिए । विद्यार्थी आज पढ़ना आरंभ करे और चाहे कि मैं आज ही विद्वान् बन जाऊं, यह कभी भी संभव नहीं है । धैर्यपूर्वक अध्ययन करने के बाद जब काल का परिपाक होगा, तभी वह विद्वान् बन सकेगा ।

मुख्य फल : गौण फल

कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमने धर्म तो किया पर फल कुछ नहीं मिला । मैं मानता हूँ, ऐसा कभी भी संभव नहीं है । पर इस संदर्भ में हमें एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए । धर्म के दो प्रकार के फल हैं— वास्तविक तथा प्रासंगिक । व्यक्ति ने धर्म की आराधना की और उसको मानसिक शांति की प्राप्ति हुई, यह उसका वास्तविक फल है, तात्कालिक और मुख्य फल है । पर धर्म-क्रिया के साथ पुण्य का बंधन भी होता है और काल-परिपाक से जब वे पुण्य उदय में आते हैं तो व्यक्ति को धन, सम्पत्ति, पुत्र.....के रूप में भौतिक लाभ भी मिलता है । यह है धर्म का प्रासंगिक या गौण फल । वास्तविक/तात्कालिक/मुख्य/मूल फल तो व्यक्ति को धर्म करने के साथ-साथ ही प्राप्त होता है । पर प्रासंगिक फल काल के परिपाक के बिना नहीं मिल पाता ।

इस संदर्भ में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को धर्म सदा आत्म-शांति तथा जीवन की पवित्रता के लिए ही करना चाहिए। आत्म-शांति की दृष्टि से किए जाने वाले धर्म में प्रासंगिक/आनुपंगिक फल तो सहज रूप से प्राप्त होता ही है। उसके लिए धर्म करने की जरूरत नहीं। पर संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं, जो प्रासंगिक/आनुपंगिक फल—धन-सम्पत्ति, मकान, जायदाद, सन्तान आदि भौतिक सुख-सुविधाओं के लिए ही धर्म करते हैं। मेरी दृष्टि में वे लोग उस नासमझ किसान के समान हैं, जो तूड़ी के लिए खेती करता है। वस्तुतः कोई थोड़ा समझदार किसान भी कभी तूड़ी के लिए खेती नहीं करता। हर किसान धान के लिए ही खेती करता है। तूड़ी तो उसे अनाज के साथ सहजरूप में उपलब्ध होती है।

तेरापंथ धर्मसंघ के आद्यप्रणेता आचार्य भिक्षु ने धर्म करने के इस दृष्टिकोण को बहुत सूक्ष्मता से स्पष्ट किया है। इस दृष्टिकोण को न समझने के कारण बहुत-से लोग मुख्य/मूल/सारभूत तत्त्व को तो गौण कर देते हैं और गौण/प्रासंगिक/आनुपंगिक तत्त्व को प्रमुख।

मैंने सुनी है एक घटना। एक यूरोपीय पर्यटक भारत में आया। घूमता-घूमता वह राजस्थान के रेतीले प्रदेश में पहुंच गया। संयोगवश एक दिन वह मार्ग भूल गया और जंगल में भटकने लगा। उसे कड़कड़ाती भूख लग गई। पर रेतीले जंगल में खाने को मिले ही क्या? आखिर काफी देर तक इधर-उधर भटकने के पश्चात् उसे दूर एक भोपड़ी दिखाई दी। वह उस भोपड़ी के पास पहुंचा। वह एक किसान का घर था। वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। किसान ने अतिथि का अपने सांस्कृतिक शैली से स्वागत किया। पर्यटक ने अपनी परिस्थिति बताई। पर कठिनाई यह हो गई कि वे दोनों ही एक-दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि किसान अंग्रेजी नहीं जानता था और वह पर्यटक हिंदी और राजस्थानी। आखिर वह पर्यटक सकेतो के माध्यम से किसान को यह समझाने में सफल हो गया कि वह भूखा है। उसे खाने को कुछ दो। किसान ने एक बाजरे की रोटी पर थोड़ा-सा प्याज रखा और वह उसके हाथ में थमा दी। विदेशी पर्यटक ने प्याज तो खा लिया और उस रोटी को तस्तीरी समझ कर फेंक दिया। उसको इतना ज्ञान नहीं था कि यह तस्तीरी नहीं, रोटी है और यही सारभूत खाने की वस्तु है। प्याज तो मात्र इसके साथ लगवण के रूप में है।

बन्धुओ! आप हंस सकते हैं उस विदेशी पर्यटक के अज्ञान पर। पर टटोलें जरा अपने-अपने जीवन को। कहीं आप भी तो ऐसी भूल नहीं कर रहे हैं? धर्म की क्रिया यदि आप आत्म-शांति के लिए करते हैं तब तो ठीक है, पर कहीं भौतिक सुख-सुविधाओं एवं भोगविलास की सामग्री की प्राप्ति के

लिए करते हैं तो मानना होगा कि आप भी उसी पर्यटक के साथी हैं। मैं नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति उस पर्यटक जैसी भूल करे। अपेक्षित है, हम धर्म करने के सही दृष्टिकोण को समझे और मात्र आत्म शांति और जीवन की पवित्रता के उद्देश्य से ही उसे जीवन में स्थान दें।

गंगासागर

३० जुलाई, १९७८

क्या काल पहचाना जाता है ?

‘काल’ की विस्तृत चर्चा कल की गई । आज हमें चर्चा करनी है कि काल को कैसे पहचाने ?

वर्तना-परिणाम-क्रिया-परत्वापरत्वादिभिर्लक्ष्यः ।

वर्तमानत्वम्—वर्तना । पदार्थानां नानापययिषु परिणतिः—परिणामः ।

क्रिया—चक्रमणादिः । प्राग्भावित्वम्—परत्वम् । पश्चाद्भावित्वम्—अपरत्वम् ।

जैन दर्शन में काल को पहचानने के लिए पांच लक्षण बताए गए हैं—

१. वर्तना
२. परिणाम
३. क्रिया
४. परत्व
५. अपरत्व

वर्तना

वर्तमान से रहने का नाम है—वर्तना । यह वस्तु वर्तमान है, मौजूद है, इसे हम काल से ही जानते हैं । इसी प्रकार यह वस्तु अतीत में थी या भविष्य में होगी—यह भी काल के द्वारा ही जाना जाता है । क्योंकि अतीत की वस्तु भी कभी-न-कभी वर्तमान में अवश्य थी और भविष्य की वस्तु भी कभी-न-कभी वर्तमान में अवश्य रहेगी । हमारे पूज्य गुरुदेव अब अतीत हो गए, पर मेरे से पहले वे वर्तमान थे । उनके पहले हमारे धर्मसंघ के सात आचार्य वर्तमान थे । उनके पहले दूसरे-दूसरे आचार्य वर्तमान थे और उनके पहले भगवान महावीर वर्तमान थे । इसी प्रकार भविष्य में भी जितने आचार्य होंगे, वे अपने-अपने समय में वर्तमान होंगे । काल को हम नहीं देख सकते, पर वर्तमान में मौजूद उस व्यक्ति को तो देख ही सकते हैं ।

काल सबको चलाता है । एक-एक क्षण चलाता है । बच्चे को जवान और जवान को बूढ़ा बना देता है । काल के सिवाय संसार में और कोई दूसरी शक्ति नहीं, जो किसी को जवान या बूढ़ा बना सके । यह वर्तना है । इसके द्वारा काल को पहचाना जा सकता है ।

परिणाम

परिणाम अर्थात् परिणति । हम ससार के पदार्थों में जितनी भी प्रकार की परिणतिया देखते हैं, ने सब काल के ही कारण है । वचपन जवानी में परिणत हो गया—यह काल के द्वारा ही होता है । अमुक अवस्था तक बालकपन, अमुक अवस्था तक कैशोर्य, अमुक अवस्था तक जवानी, अमुक अवस्था तक प्रौढ़ता..... । ये सब काल की ही परिणतियाँ हैं ।

संसार के हर पदार्थ में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । यह कोई आवश्यक नहीं कि जो पदार्थ हमारे काम में आते हैं, उन्हीं में परिणति हो । जो पदार्थ हमारे काम नहीं आते हैं, उनमें भी परिणति होती रहती है । उदाहरणार्थ—एक कपड़े का थान आपने वकसे में रख दिया । कुछ वर्षों के पश्चात् उस कपड़े का रंग बदल गया । वह जीर्ण-शीर्ण हो गया । आप कहेंगे, हमने तो उसे काम में नहीं लिया । यह ठीक है कि आपने काम में नहीं लिया, पर काल ने तो काम में ले ही लिया । तात्पर्य यही है कि काल के कारण हर पदार्थ में प्रतिक्षण सहज परिवर्तन होता रहता है ।

क्रिया

काल हमारी हर क्रिया में परम सहयोगी है । काल के अभाव में अन्य सभी निमित्त होने के बावजूद भी वह क्रिया नहीं हो पाती । इसलिए क्रिया में समय चाहे कम लगे या अधिक, पर यह निश्चित है कि समय अवश्य लगेगा । इसलिए क्रिया से हम काल को पहचान सकते हैं ।

परत्व और अपरत्व

अमुक व्यक्ति बड़ा है और अमुक व्यक्ति छोटा है, यह पहले जनमा है और यह बाद में जनमा है—यह सब काल के कारण ही है । काल के अभाव में हम बड़े-छोटे का भेद नहीं जान सकते । इसलिए परत्व और अपरत्व—ये दोनों भी काल के लक्षण हैं । इनके द्वारा काल को हम जान सकते हैं ।

हमारे धर्मसंघ में स्थान, भोजन आदि की व्यवस्थाएं दीक्षा-पर्याय से होती हैं । उदाहरणार्थ—रात को सोना है । अब प्रश्न है, सबसे पहले किसके स्थान का निर्धारण हो ? हमारे आचार्यों ने व्यवस्था दी कि दीक्षा में जो सबसे बड़ा है, उसे सबसे पहले स्थान मिलना चाहिए, उससे छोटे को उसके बाद, उससे छोटे को उससे बाद..... । इस प्रकार दीक्षा-क्रम के अनुसार सबके स्थान का निर्धारण होता है । यह दीक्षावस्था में बड़ा-छोटा होना काल का ही लक्षण है ।

प्रसंग मेघकुमार का

मेघकुमार की घटना हम पढ़ते हैं । उसका मन सयम से विचलित क्यों हुआ ? रात भर नीद न आने से । उसे रात भर नीद क्यों नहीं आई ? उसके

क्या काल पहचाना जाता है ?

सोने का स्थान रास्ते में दरवाजे के बीच था । अतः आते-जाने साधुओं के रजोहरणों और पैरों से उसके शरीर को वार-वार स्पर्ण होता रहा, ठोकरें लगती रही । मेघकुमार को सोने का स्थान रास्ते में दरवाजे के बीच क्यों मिला ? वह सबसे छोटा था । छोटे को स्थान सबसे बाद में मिलता है । वह छोटा क्यों हुआ ? काल के कारण ।

काल को यद्यपि हम पकड़ नहीं सकते, देग्न नहीं सकते, पर ये पांच ऐसे लक्षण हैं, जिनसे स्पष्टरूप से हम उसे जान सकते हैं, उसके अस्तित्व को पहचान सकते हैं । हम सब काल को पहचानें और तदनुसार अपने जीवन को मोड़ दें—यही कल्याण का पथ है ।

गंगाशहर

३१ जुलाई, १९७८

षड्द्रव्यों की स्थिति

छह द्रव्यों के अन्तर्गत धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल—इन पांच द्रव्यों की व्याख्या सम्पन्न हो चुकी है। केवल जीव का विवेचन अब अवशेष है। जीव के बारे में हम अलग से फिर चर्चा करेंगे। आज हमें इस बात पर विचार करना है कि छह द्रव्यों की स्थिति किस-किस रूप में है।

आद्यत्रीणि एकद्रव्याणि अगतिकानि ।

आकाशपर्यन्तानि त्रीणि एकद्रव्याणि—एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि—
गतिक्रियाशून्यानि ।

छह द्रव्यों में प्रथम तीन द्रव्य—धर्म, अधर्म व आकाश एक-एक द्रव्य हैं। इनके त्रिकाल में भी टुकड़े नहीं हो सकते। ये तीनों द्रव्य सर्वथा गति-शून्य हैं।

धर्म, अधर्म और आकाश—इन तीनों को छोड़कर शेष तीनों द्रव्य—काल, जीव और पुद्गल अनेक-अनेक हैं। काल के विभाग हमारे सामने हैं। दिन, रात, प्रहर, मास, वर्ष आदि काल के ही विभाग हैं।

पुद्गल भी अनेक (अनन्त) है। परमाणु अनन्त है और पुद्गल स्कन्ध भी अनन्त है।

जीव अनेक (अनन्त) है—यह आप सब जानते ही हैं। पर आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रत्येक जीव सत्ता रूप में स्वतंत्र है। जीव न तो किसी से पैदा होता है और न ही किसी में विलीन होता है। कुछ लोग ससार के जीवों को ईश्वर के विभिन्न रूप मानते हैं। वे ईश्वर को परमपिता मानते हैं और ससार के प्राणियों को उनकी सन्तान। ईश्वर पूज्य है, इसलिए पूज्यता के भाव से उन्हें परमपिता कहा जाए, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पर पैदा करने के अर्थ में ईश्वर को पिता कहना जैन दर्शन की मान्यता से मेल नहीं खाता। जैन दर्शन के अनुसार जीव को किसी ईश्वर या परमात्मा ने पैदा नहीं किया है। वह तो अनादिकाल से स्वयं ही पैदा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि जीव अनेक है और सबकी अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता है।

पुद्गल और जीव—ये दोनों गतिशील द्रव्य हैं। काल औपचारिक द्रव्य है, इसलिए गतिशील और अगतिशील दोनों ही नहीं है।

पदार्थों की मापक इकाई

अब हम इस प्रश्न पर चिन्तन करें कि छह द्रव्यों के कितने-कितने प्रदेश हैं ?

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मलोकाकाशैकजीवानाम् ।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव—इन चारों के प्रदेश असंख्य-असंख्य होते हैं ।

धर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य कैसे हैं ?—इस बात को आप ध्यान से समझें । यों तो धर्मास्तिकाय, जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया, एक द्रव्य है । उसके टुकड़े नहीं हो सकने । पर यदि हम उसे प्रदेश के माप से मापें तो वह असंख्येयप्रदेशी है । इस बात को आप एक स्थूल उदाहरण से समझें । यह पण्डाल है । बताया गया कि यह लगभग पंद्रह हजार घनफुट का है । पर यह पंद्रह हजार घनफुट अलग-अलग कहां है ? इसे मापें तो पंद्रह हजार घनफुट है, अन्यथा पण्डाल तो एक ही है । ठीक यही बात धर्मास्तिकाय के बारे में जाननी चाहिए । धर्मास्तिकाय यों एक ही है । उसका कोई विभाग नहीं है । पर यदि मापा जाए तो परमाणु जितने असंख्य विभाग उसके हो सकते हैं । इस दृष्टि से धर्मास्तिकाय असंख्येयप्रदेशी है । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश के भी अलग-अलग असंख्य प्रदेश जानने चाहिए ।

एक जीव के प्रदेश भी असंख्य हैं । पर यह बात शायद आप लोगों को सहजतया समझ में नहीं आ सकती । वास्तव में जीव में संकोच और विकोच की शक्ति होती है । वह चाहे तो अपने आत्मप्रदेशों को एक केश जितने सूक्ष्म शरीर में संकुचित कर सकता है और चाहे तो इतना विकोच कर सकता है कि पूरे लोक में उसके (एक जीव के) आत्म-प्रदेश फैल सकते हैं ।

अलोकस्यानन्ताः ।

अलोकाकाश अनन्तप्रदेशी है । कोई कह सकता है, यह बात तर्क सगत नहीं है ।

यह विवेचन दर्शन-जगत् की सूक्ष्मता है । आप इस बात को यदि तर्क से समझना चाहेंगे तो कभी भी समझ में नहीं आएगी । इसे श्रद्धा से ही समझना होगा । इसे ही क्यों, ऐसी अनेक बातें श्रद्धा से ही समझनी होंगी । पर मेरे इस कथन का यह तात्पर्य नहीं कि तर्क सर्वथा हेय है । मैं तर्क का एकान्ततः विरोधी नहीं हूँ । तर्क शास्त्र तो मैंने स्वयं पढा है । और एक सीमा तक मैं तर्क को उचित भी समझता हूँ । पर सब जगह तर्क उचित नहीं । बहुते-सी बातें तर्क से समझी जाती हैं, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो तर्क की सीमा से परे की होती हैं । आकाश इतना बड़ा क्यों है ? आकाश में इतने तारे क्यों चमकते हैं ? सूरज पूर्व में ही क्यों उदित होता है ? ...ऐसी सैकड़ों नैसर्गिक बातें हैं, जिन्हें तर्क से कभी भी नहीं समझा जा सकता ।

यदि इन्हें तर्क से समझने का प्रयास किया जाएगा तो सिवाय उलझन के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसी बातों को श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। कील लकड़ी में गाड़ी जा सकती है, दीवाल में गाड़ी जा सकती है, फर्श में गाड़ी जा सकती है पर वज्र में नहीं गाड़ी जा सकती। इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि दर्शन की इन सूक्ष्म बातों को, जो कि प्राकृतिक है, समझने के लिए तर्क नहीं, विश्वास या श्रद्धा का उपयोग करें। आप देखें, केवल जैन दर्शन में ही नहीं, अपितु सभी दर्शनों ने नैसर्गिक नियमों को समझने के लिए तर्क को अनुपयोगी माना है।

बन्धुओ ! श्रद्धा बहुत गहरा तत्त्व है। ये बड़े-बड़े वैज्ञानिक कितने श्रद्धालु होते हैं ! मैं दाव देता हूँ इनकी श्रद्धा को। मुझे बहुत ख्याल है, जब शुरू-शुरू में वैज्ञानिकों ने चन्द्रलोक में जाने की कल्पना प्रस्तुत की तो लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों लोगों ने उनका मखौल उड़ाया। पर वे अपने विचारों के अनुसार आगे बढ़ते रहे। आरम्भिक असफलताएं उन्हें निराश नहीं बना सकीं। इस प्रयास में उनकी कई पीढ़ियां खप गईं। करोड़ों-अरबों रुपए खर्च हुए। पर अपनी श्रद्धा के बल पर आखिर उन्होंने उस कल्पना को साकार बना दिया। वे मखौल करनेवाले लोग देखते ही रह गए। अब उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था।

मैं अपने शोध साधु-साध्वियों से कहा करता हूँ कि वे अभी ज्यादा तर्क में न जाएं। जो उन्हें आदेश, निदेश या अनुशासन मिले, उसे श्रद्धा से स्वीकार कर आगे बढ़ते रहें। यह आदेश, निदेश एवं अनुशासन के प्रति श्रद्धा उनके भावी जीवन-निर्माण का प्रमुखतम आधार बनेगी। मैं यह बात केवल सिद्धांत के रूप में नहीं, अपितु अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैं स्वयं फड़े अनुशासन में रहा हूँ। उस अनुशासन में मैंने दृढ़ श्रद्धा के साथ चरण बढ़ाए हैं।

स्वतंत्रता सबको प्रिय है

अभी मैंने आपको बताया कि हर जीव की स्वतंत्र सत्ता है। सचमुच ही स्वतंत्रता बहुत ही प्रिय शब्द है। इससे प्रिय शब्द दूसरा हो नहीं सकता। संसार का हर मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। मनुष्य ही क्यों, ये पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, और कहना चाहिए कि संसार के सभी छोटे-मोटे प्राणी अपने आपको स्वतंत्र रखना चाहते हैं। कोई परतन्त्रता नहीं चाहता। कोई किसी का तावेदार बनकर रहना पसन्द नहीं करता। इसलिए यह सिद्धान्त बना कि कोई किसी को अपना तावेदार न बनाए। हमारे तीर्थंकरों ने यहाँ तक कहा कि यदि तुम किसी को तावेदार बनाओगे तो तुम्हें हिंसा का पाप लगेगा। जब व्यक्ति स्वयं किसी का तावेदार बनकर नहीं रहना चाहता तो उसे क्या अधिकार है कि वह किसी को अपना तावेदार बनाए ?

इस संदर्भ में इतना अवश्य है कि यदि कोई अपने जीवन-निर्माण की दृष्टि से अपने आपको दूसरे के अधीन रखता है तो यह परतन्त्रता नहीं है। शिष्य गुरु से निवेदन करता है कि मैं आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूँ, मेरी सारी इच्छाएं आपकी इच्छा में विलीन करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुशासित करें। इस स्थिति में गुरु का कर्त्तव्य है कि वे उस पर अनुशासन करें। उस पर अपना समय लगाएं। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि यदि किसी के सहारे किसी का जीवन निर्मित होता है तो उसे अपना जीवन भेंट देना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम गुरु की सेवा करते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि इस माने में तो गुरु ही उनकी सेवा करते हैं। एक-एक व्यक्ति के जीवन-निर्माण के लिए वे कितने-कितने प्रयास और प्रयोग करते हैं। वच्चे कहते हैं कि हम माता-पिता की सेवा करते हैं। पर मैं देखता हूँ कि बड़ी सेवा तो माता-पिता ही करते हैं। पिता का नाम मैंने यो ही जोड़ दिया। वास्तव में तो माता ही वच्चों की सेवा करती है। वह जैसी सेवा वच्चों की करती है, वैसी सेवा कोई दूसरा कभी कर नहीं सकता। माना, दूसरी जगह वच्चों को दूध मिल सकता है, भोजन मिल सकता है, मन वहलाव के साधन मिल सकते हैं, पर मां का वात्सल्य/निश्चल प्यार कहा से मिलेगा? वस्तुतः यह वात्सल्य/निश्चल प्यार ही बालक के जीवन-निर्माण का मौलिक आधार है।

सत्संस्कार : जीवन की थाती

आज पश्चिम जगत् में यह विचार बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है कि वच्चों को मां से कभी जुदा नहीं करना चाहिए। वहा के लोगो को यह बहुत स्पष्टतया अनुभव हो रहा है कि वच्चों को माताओं से अलग रख कर हमने बहुत बड़ी भूल की है। वच्चो के जीवन में जो मानवीय सवेदनशीलता आनी चाहिए, वह इस भूल के परिणामस्वरूप नहीं आ रही है। पर आश्चर्य तो यह है कि भारतीय माताएं आजकल बाल-वच्चो के लालन-पालन को बोझ समझने लगी हैं ! यह पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। दूसरी-दूसरी संस्कृतियों से अच्छे संस्कारों को ग्रहण किया जाए, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ। पर आंख मीच कर अनुकरण की मनोवृत्ति को कदापि उचित नहीं मानता। दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करने का तात्पर्य यह नहीं कि आप अपने अच्छे संस्कारों को भूल जाएं। आपको अपने मौलिक सत्-संस्कारों को सुरक्षित रखना है। सत्संस्कार जीवन की थाती है।

ग गणेशहर

१ अगस्त, १९७८

पुद्गल, धर्म व अधर्म की स्थिति

कल के प्रवचन में आपने यह जाना कि वर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश असंख्य-असंख्य होते हैं। अलोकाकाश के प्रदेश अनन्त होते हैं। अब हम आगे चले।

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ।

चकारादनन्ता अपि ।

पुद्गल-स्कंधों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि वे द्विप्रदेशी से लेकर अनन्तप्रदेशी तक होते हैं। इसलिए कहा गया कि पुद्गल-स्कंधों के प्रदेश संख्येय, असंख्येय और अनन्त तीनों ही होते हैं।

परमाणु

पुद्गल के बाद परमाणु का क्रम है। आपके मन में जिज्ञासा होगी, परमाणु के प्रदेश कितने हैं ?

न परमाणोः ।

परमाणोरेकत्वेन निरशत्वेन च न प्रदेशः ।

परमाणु के कोई प्रदेश नहीं होता। क्योंकि परमाणु अकेला ही होता है। उसका कोई भाग नहीं होता। व्यवहार में परमाणु को एकप्रदेशी कह दिया जाता है। इसका इतना सा ही अर्थ है कि परमाणु एक प्रदेश जितना होता है। हम कहते हैं, एक गज कपड़ा। वास्तव में कपड़ा कोई गज नहीं होता। केवल एक गज जितने प्रमाणवाले कपड़े को हम एक गज कपड़ा कह देते हैं।

क्या काल सप्रदेशी है ?

अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि काल के कितने प्रदेश होते हैं ?

कालोऽप्रदेशी ।

काल का कोई प्रदेश नहीं होता। काल अप्रदेशी द्रव्य है। क्योंकि काल का कोई भाग नहीं होता। यहां आपके मन में प्रश्न उभर सकता है कि सेकंड, मिनिट, घंटा, मास, वर्ष आदि के रूप में काल के अनेक विभाग हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, फिर काल का कोई भाग नहीं होता—इस कथन की क्या संगति

है ? मूलतः ये जो काल के विभाग किए जाते हैं, वे सारे के सारे अध्यास्तविक/काल्पनिक हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए कल्पना से इसे अनेक भागों में विभक्त कर लिया है।

देश : प्रदेश

छह द्रव्यों का विवेचन के अन्तर्गत स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु— इन चार शब्दों का अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है। स्कन्ध और परमाणु को मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। अब देश और प्रदेश—इन दोनों शब्दों को भी समझ लेना चाहिए।

बुद्धिकल्पितो वस्त्वंशो देशः।

वस्तुनोऽपृथग्भूतो बुद्धिकल्पितोऽंशो देश उच्यते।

किसी भी वस्तु (स्कन्ध) का बुद्धिकल्पित अंश/विभाग 'देश' कहलाता है। 'देश' शब्द यो राष्ट्र के अर्थ में व्यवहृत होता है। पर हमारे दर्शन-जगत् में यह शब्द अंश/विभाग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हमारे यहाँ श्रावक को देशव्रती कहा गया है। यहाँ इसका अर्थ यही तो है कि आंशिक रूप से व्रतों को स्वीकार करनेवाला। इसी प्रकार अनेक स्थलों पर यह शब्द अंश के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरे-दूसरे दर्शनों में भी यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

छह द्रव्यों में काल को छोड़ कर शेष पाँच द्रव्य—धर्म, अधर्म, आकाश जीव और पुद्गल के देश होते हैं।

निरंशः प्रदेशः।

निरंशो देशः प्रदेशः कथ्यते। परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इत्यर्थः।

अविभागी परिच्छेदोऽप्यस्य पर्यायः। पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्नः।

जिसका कोई खण्ड/विभाग न हो सके, स्कन्ध के ऐसे सूक्ष्मतम भाग को प्रदेश कहा जाता है। प्रदेश परमाणु जितना होता है। एक दृष्टि से प्रदेश और परमाणु एक ही हैं। उनमें कोई अन्तर नहीं है। पर दूसरी दृष्टि से वे दोनों एक नहीं भी हैं, भिन्न-भिन्न हैं। स्कन्ध का सूक्ष्मतम भाग, जब तक स्कन्ध के साथ जुड़ा हुआ है, प्रदेश कहलाता है। पर वही सूक्ष्मतम भाग जब स्कन्ध से अलग हो जाता है, तब उसे परमाणु कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परमाणु स्वतंत्र पुद्गल होता है, जबकि प्रदेश स्कन्ध के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे मैं एक स्थूल उदाहरण से और स्पष्ट करूँ। मेरे हाथ में यह एक कपड़ा है। यह सैकड़ों-हजारों तंतुओं से बना है। हम समझने के लिए कल्पना से प्रत्येक तंतु को एक प्रदेश मान लें। इस प्रकार इस कपड़े में सैकड़ों-हजारों प्रदेश हो गए। अब हमने इसका एक तंतु बाहर निकाल लिया। यह तंतु अब प्रदेश नहीं, परमाणु कहलाएगा। जब तक यह तंतु कपड़े के साथ जुड़ा हुआ था, तब तक ही प्रदेश था।

‘अविभागी परिच्छेद’ प्रदेश का दूसरा नाम है ।

षड्द्रव्यों की अवगाहना

देश और प्रदेश की चर्चा के बाद हम इस बात पर विचार करें कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव— इन छह द्रव्यों की अवगाहना कितनी-कितनी है ? यानी ये कितने-कितने क्षेत्र में व्याप्त हैं ? सबसे पहले हम धर्मास्तिकाय को ही लें ।

कृत्स्नलोकेऽवगाहो धर्माधर्मयोः ।

धर्माधर्मास्तिकायो संपूर्णं लोकं व्याप्य तिष्ठतः ।

धर्मास्तिकाय क्षेत्र की दृष्टि से पूरे लोक में व्याप्त है । आप पूछ सकते हैं, यहां धर्मास्तिकाय है या नहीं ? इसका उत्तर नकारात्मक है । आप पूछेंगे, क्यों ? इस ‘क्यों’ का उत्तर आपको भगवती सूत्र में प्राप्त हो जाएगा । भगवान से प्रश्न पूछा गया—“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय पूर्व दिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय पश्चिम दिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय दक्षिण दिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय उत्तर दिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय ऊर्ध्व दिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय अधो दिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय विदिशा में है ?”

“नहीं ।”

“भन्ते ! क्या धर्मास्तिकाय अनुदिशा में है ?”

“नहीं ।”

अब आपके सामने प्रश्न होगा कि एक तरफ तो भगवान बता रहे हैं कि धर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है और दूसरी तरफ कहते हैं, यह पूर्व, पश्चिम दक्षिण...इनमें से किसी भी दिशा में नहीं है, यह विसंगति क्यों ?

आप निश्चित मानें भगवान जो कुछ भी कहते हैं, वह याथार्थ से किंचित् भी परे नहीं हो सकता । क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं । उनकी वाणी में संदेह नहीं किया जा सकता । जो उनकी वाणी में संदेह करता है, वह अज्ञानी होता है । धर्मास्तिकाय के मन्वन्ध में भगवान जो कुछ कह रहे हैं, उसमें कोई विसंगति नहीं है । विलकुल संगति है । केवल आप लोग समझ नहीं पा रहे

है। कई बार ऐसा होता है कि तत्त्व विलकुल सामने होता है, फिर भी लोग उसे पहचान पाते हैं। एक संस्कृत श्लोक है—

‘माला स्वयं वरस्थाने, कण्ठे रामस्य सीतया ।
मुधा बुधा भ्रमन्त्येव, प्रत्यक्षेपि क्रियापदे ॥’

आप लोग संभवतः इसे न समझें। संस्कृत जाननेवाले इसे समझ सकेंगे। इस पूरे श्लोक में क्रिया कहा है? विलकुल प्रत्यक्ष है। लेकिन श्लोक-रचना इस ढंग से हुई है कि सहजतया विद्यार्थी पकड़ नहीं पाते, उसमें उलझ जाते हैं। पर थोड़ा-सा गहराई से ध्यान दें तो वह विलकुल ध्यान में आ जाती है।

‘प्रत्यक्षेपि’ जिगका अर्थ नहजतया—प्रत्यक्ष होने पर भी—यह समझा जाता है, वह स्वयं क्रिया है। इसे न समझने के कारण प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी वह ध्यान में नहीं आती। ठीक यही बात धर्मास्तिकाय के सम्बन्ध में भगवान द्वारा किए गए कथनों के लिए लागू होती है। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में व्याप्त है और धर्मास्तिकाय पूर्व, पश्चिम... दिशा में नहीं है, इन दोनों कथनों में पूर्ण संगति है। आप जरा गहराई से ध्यान दें भगवान जब स्पष्ट कह रहे हैं कि धर्मास्तिकाय पूरे लोक में व्याप्त है तो वह केवल पूर्व, पश्चिम, उत्तर या अन्य किसी भी एक दिशा में कैसे समाएगी? हां, किसी भी दिशा में, यहां गंगाशहर में या अन्यत्र कहीं भी (लोक में) धर्मास्तिकाय का एक हिस्सा है, यह कहने में कोई कठिनाई नहीं। पर अखण्ड धर्मास्तिकाय तो मात्र लोकाकाश में ही व्याप्त है। आपको एक स्थूल उदाहरण दें। आदमी का शरीर है। मैं पूछता हूँ, क्या यह हाथ शरीर है? उत्तर होगा—नहीं। तो क्या यह पैर शरीर है? नहीं। तो क्या यह पेट शरीर है? नहीं। तब फिर शरीर क्या है? शरीर हाथ, पैर, पेट, पीठ आदि सब अवयवों के योग का नाम है। सब शरीर के एक-एक अंग हैं। इनमें से अकेला कोई भी शरीर नहीं है। जब ये सारे मिलते हैं तो हम इसे शरीर कहते हैं।

उपवास · ऊनोदरी

किसी ने अन्न खाने का त्याग कर दिया। पर क्या इसे हम उपवास मान ले? कदापि नहीं। क्योंकि वह फल, फूल, दूध, दही आदि नाना प्रकार की चीजें खाने के लिए सावकाश है। यह ठीक है कि उसे अन्न खाने का त्याग है, पर मात्र अन्न के त्याग को हम उपवास तो नहीं कह सकते। उपवास तो तभी होगा, जब खाने-पीने का सर्वथा त्याग किया जाएगा। यद्यपि हमारी परम्परा में पानी पीकर उपवास किया जाता है। पर वास्तव में चारों ही आहार—अशन, पान, खादिम, स्वादिम का त्याग करने से ही उपवास होता है। आपको ख्याल रहे, भगवान महावीर ने जितनी भी तपस्या की थी, वह सारी-क़ी-सारी बिना पानी के ही की थी। इसलिए उपवास आदि में चारों ही प्रकार के आहार का त्याग होना चाहिए। यों जितना त्याग किया जाए,

वह अच्छा है। पर उसे ऊनोदरी में गिना जाता है, उपवास में नहीं।

अनशन का मूल्य

एक दिन के उपवास से लेकर दो दिन, तीन दिन, यावज्जीवन के त्याग (संथारा) के लिए हमारे यहां 'अनशन' शब्द का प्रयोग हुआ है। पर यह 'अनशन' आजकल चलनेवाले अनशन से सर्वथा अलग है। गजनैतिक लोगो ने इस अनशन को इतना विकृत रूप दे दिया है कि यह शब्द बदनाम बनता जा रहा है। जहां भी अनशन की बात चलती है, लोग समझते हैं कि जरूर कुछ गडबड है।

वस्तुतः उपवास/अनशन आदि तपस्या बहुत ऊंचा तत्त्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका महत्त्व है ही, शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा से भी यह कम उपयोगी नहीं है। महीने में यदि दो उपवास होते रहे तो शरीर के पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। दीर्घ काल तक कार्य करने के लिए यह अत्यावश्यक है। आप देखें, आप की कार भी चलते-चलते विश्राम मागती है। यदि उसके इंजन को भी बीच-बीच में विश्राम न मिले तो वह बहुत जल्दी बेकार हो जाती है। यही बात हमारे शरीर के यंत्र के बारे में भी है। स्वास्थ्य-विशेषज्ञ भी इस सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में दो बार, माह में दो बार, और वर्ष में दो बार जरूरी है। यानी दिन में दो बार उत्सर्ग, महीने में दो बार उपवास (लंघन) और वर्ष में दो बार जुलाव (विरैचन) बहुत आवश्यक है।

हां, तो मैं आपसे कह रहा था कि वस्तु के एक अंश को उस वस्तु का एक भाग कहा जा सकता है, सम्पूर्ण वस्तु नहीं। इस दृष्टि से गतिसहायक द्रव्य—धर्मास्तिकाय लोक के हर प्रदेश में मौजूद है। पर वह सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय नहीं, आंशिक धर्मास्तिकाय है। सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय तो पूरे लोक में ही व्याप्त है।

धर्मास्तिकाय की तरह अधर्मास्तिकाय भी क्षेत्र की दृष्टि से लोक-प्रमाण है। सम्पूर्ण लोकाकाश में अधर्मास्तिकाय—स्थितिसहायक द्रव्य व्याप्त है।

एकप्रदेशादिषु विकल्प्यः पुद्गलानाम् ।

लोकस्यैकप्रदेशादिषु पुद्गलानामवगाहो विकल्पनीयः ।

पुद्गल क्षेत्र की दृष्टि से लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। यानी कुछ पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में रहते हैं तो कुछ दो प्रदेश में, कुछ तीन प्रदेश में..... और कुछ समूचे लोक में। परमाणु का कोई प्रदेश नहीं होता। वह केवल लोकाकाश के एक प्रदेश में ही रहता है। पुद्गल स्कन्ध द्विप्रदेशी यावत् अनन्तप्रदेशी होते हैं।

ये पुद्गल-स्कन्ध लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर समूचे लोक में समाते हैं । मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि एक प्रदेश एक परमाणु जितना होता है । अब यह प्रश्न उभरता है कि अनन्तप्रदेशी स्कन्ध लोकाकाश के एक प्रदेश में कैसे समाता है ? यह वाद सहज बुद्धिगम्य नहीं है । पर जैसा कि कल मैंने कहा था, सब बातें बुद्धि और तर्क से सम्भव मे नहीं आती । तर्क और बुद्धि से वे बातें सम्भव में आ सकेंगी, जो उनकी सीमा में हैं । बुद्धि और तर्क की सीमा के पार की बातों को हमें श्रद्धा और विश्वास के आधार पर जानना चाहिए । अनन्तप्रदेशी पुद्गल-स्कन्ध लोकाकाश के एक प्रदेश में कैसे समाता है, इस बात को हम इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि पुद्गल का सकोच और विकोच का स्वभाव है । वह संकुचित हो तो परमाणु जितने लोकाकाश के क्षेत्र में रह सकता है और विस्तार पाए तो समूचे लोक में व्याप्त हो सकता है । उदाहरणार्थ—आपने कमरे में एक बल्ब जलाया । उसका प्रकाश पूरे कमरे के आकाश में व्याप्त हो गया । अब आपने दूसरा बल्ब और जला दिया । उसका प्रकाश भी उस कमरे के आकाश में समा गया । इस प्रकार तीन, चार, दस, बीस, पचास.....बल्ब आपने अपने कमरे में जलाए और सबका प्रकाश उस कमरे में समा गया । कमरा एक है और बल्ब एक हो या हजार, सबका प्रकाश उसमें समा जाता है । इसी प्रकार लोकाकाश के एक प्रदेश में अनन्त पुद्गलों का स्कन्ध समा जाता है । आप पूछेंगे, प्रकाश पुद्गल है क्या ? आप क्या भूल गए इतनी जल्दी ? अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पुद्गलों के लक्षणों का वर्णन करते हुए आप लोगों को बताया था कि अधकार, प्रकाश, उद्योत, छाया.....सब पुद्गल के लक्षण हैं और जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, वह पुद्गल है । अब आपको इस बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध लोकाकाश के एक प्रदेश में भी समा सकता है ।

गंगाशहर

२ अगस्त, १९७८

संसार में जीव की अवस्थिति

कल के प्रवचन मे धर्म, अधर्म और पुद्गल की अवगाहना के बारे में आपने सुना । आज हम जीव की अवगाहना पर विचार करेंगे ।

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ।

जीवः खलु स्वभावात् लोकस्य अल्पादल्पं असंख्येयप्रदेशात्मक असंख्येयतम भागमवस्थयति तिष्ठति, न पुद्गलवत् एक प्रदेशादिकम्, इति असंख्येय भागादिषु जीवानामवगाहः ।

असंख्येयप्रदेशात्मके च लोके परिणतिवैचित्र्यात् प्रवीपप्रभापटलवत् अनन्तानामपि जीवपुद्गलानां समावेशो न दुर्घटः ।

जैन दर्शन की मान्यतानुसार प्रत्येक जीव कम-से-कम लोकाकाश के असंख्येयप्रदेशी असत्यातर्वे भाग का अवगाहन करता है । अर्थात् जीव की अवगाहना लोकाकाश के असंख्येयप्रदेशात्मक असंख्यतवे भाग से लेकर लोकाकाश तक है ।

जीव संकोच-विकोच करता है

वास्तव में जीव शरीरव्यापी है । जिस जीव को बड़ा, छोटा, जैसा भी शरीर मिलता है, वह उसी में व्याप्त होकर रहता है । जो जीव हाथी जैसे विशाल शरीर में रहता है, वही जीव चीटी या उससे भी बहुत छोटे प्राणी के शरीर में रह जाता है । आप पूछेंगे, क्या जीव छोटे और बड़े होते हैं ? नहीं, जीवों में छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं होता । सभी जीव असंख्येयप्रदेशात्मक होते हैं । पर जिसको जैसा शरीर मिलता है, वह उसीमें व्याप्त हो जाता है । यदि जीव को हाथी का शरीर मिला तो वह हाथी के शरीर में व्याप्त हो जाता है और यदि चीटी या कुंथुआ का शरीर मिला तो वह उसमें व्याप्त हो जाता है । शरीर के छोटे-बड़े होने से उसके व्याप्त होने में कोई फर्क नहीं पड़ता । क्योंकि जीव का संकोच और विकोच का स्वभाव है ।

आप इस बात को स्थूल उदाहरण से समझ सकते हैं । एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मकान है । उस मकान में दसियों-वीसियों कमरे हैं । खाने का कमरा अलग, सोने का कमरा अलग, पढ़ने का कमरा अलग..... ।

वही व्यक्ति बग्वई या कलकत्ता जैसे बड़े शहर में जाता है तो एक छोटे-से कमरे में ही रह जाता है। खाना, पीना, सोना, अध्ययन आदि उसके सारे कार्य उसी एक कमरे में होने लगते हैं। मैंने देखा है—एक-एक छोटे कमरे में परिवार के आठ-आठ, दस-दस सदस्य रहते हैं। उनके सभी काम वही पर अच्छी तरह से होते हैं। हम साधु लोग हैं। हमें कभी बड़ा भवन मिल जाता है तो उसमें फँसकर रह जाते हैं और कभी एक दो झोपड़े मिलते हैं तो उनमें भी आराम से रह जाते हैं। क्षेत्र की संकीर्णता या विशालता हमारे आवश्यक कार्यों में बाधक नहीं बनती। इसी प्रकार जीव को भी यदि बड़ा शरीर मिलता है तो वह उसमें व्याप्त होकर रहता है और छोटा शरीर मिलता है तो वह उसमें व्याप्त होकर रह जाता है। यह सब संकोच और विकोच के कारण है। संकोच और विकोच पुद्गल भी करता है। पर पुद्गल और जीव दोनों की संकोच शक्ति में अन्तर है। पुद्गल जहाँ संकुचित होकर लोकाकाश के एक प्रदेश परिमाणवाले क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, वहाँ जीव अधिक-से-अधिक लोकाकाश के असंख्येयप्रदेशात्मक असंन्यातवै भाग में ही संकुचित हो सकता है। लोकाकाश के एक से लेकर संख्येयप्रदेश तक के क्षेत्र में वह नहीं रह सकता।

पुद्गल के संकोच-विकोच को समझने के लिए मैंने कल प्रकाश का उदाहरण दिया था। वह उदाहरण जीव के संकोच-विकोच को समझने के लिए भी काम में आ सकता है। आपने एक दीपक जलाया। उस पर आपने एक ढक्कन रख दिया। परिणामतः उस दीपक का प्रकाश उस ढक्कन के अन्दर-अन्दर संकुचित हो गया। आपने ढक्कन हटा लिया और प्रकाश सारे कमरे में फैल गया। इसी प्रकार जीव को छोटा शरीर मिलता है तो वह अपने आत्मप्रदेशों को संकुचित करके रह जाता है और विशाल शरीर मिलता है तो आत्मप्रदेशों को फैला कर रह जाता है।

भवभ्रमण का हेतु

इस संदर्भ में यह जान लेना भी प्रासंगिक है कि मनुष्य सदा मनुष्य ही नहीं रहता। इस जन्म में मनुष्य है तो अगले जन्म में वह देव भी बन सकता है, नारक भी हो सकता है। पशु-पक्षी और पेड़-पौधों के जीव भी सदा उसी योनि में रहेगे, यह जरूरी नहीं है। आज जो पशु है, कल वह मनुष्य या पेड़-पौधे का शरीर भी धारण कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक जीव संसार की विभिन्न योनियों में चक्र लगाता रहता है। आप पूछेंगे, जीव को विभिन्न योनियों में कौन भेजता है? न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश है—स्वकृत कर्म। यद्यपि कर्म स्वयं में जड़ है पर उन्हें करने-वाला चेतन प्राणी है। वह उनमें शक्ति भर देता है, इसलिए वे जड़ होते

हुए भी समय पर अपना फल देते हैं। टाइम वम को आप जानते होंगे। वह जड़ है। पर चेतन उसमें शक्ति भर देता है और वह ठीक समय पर विस्फोट करता है। यह टेपरिकार्डर आपके सामने है। क्या यह जड़ नहीं है? पर चेतन इसमें आवाज के रूप में शक्ति भर देता है। अब जब भी इसे चलाया जाता है, यह चेतन की तरह आवाज करने लगता है। हां, तो मैं कह रहा था कि कर्म जड़ हैं पर वे चेतन को फल भुगताने में समर्थ ही जाते हैं। इन कर्मों के कारण जीव विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करता हुआ छोटे-बड़े शरीर को धारण करता है।

आहारक लब्धि

हमारे शास्त्रों में आहारक लब्धि का वर्णन आया है। लब्धिधारी साधु उसका कभी-कभी प्रयोग कर लेते हैं। कल्पना कीजिए मुनि बैठे हैं और किसी ने उनसे कोई प्रश्न पूछा। प्रश्न इतना गहरा है कि उसका उत्तर उनको आता नहीं। अब मुनि सोचते हैं—मेरा यहां इतना सम्मान है, लोग मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, इस स्थिति में यदि मैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा तो यह प्रश्नकर्त्ता मुझे क्या समझेगा? इस प्रतिष्ठा या अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए लब्धिधारी मुनि अपने शरीर से एक हाथ का एक पुतला निकालते हैं। उस पुतले में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े-बड़े पहाड़ों और समुद्रों के बीच से चला जाता है। कहीं रुकता नहीं। सैंकड़ों-हजारों मील की दूरी पार कर वह वहां पहुंचता है, जहां केवलज्ञानी विराजित हैं। उनसे उस प्रश्न का जवाब लेकर वह वापस आता है और मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मुनि उसके उत्तर के आधार पर प्रश्नकर्त्ता को समाहित करते हैं। पुतला यह काम इतनी त्वरित गति से और इतने अल्प समय में सम्पन्न करता है कि प्रश्नकर्त्ता को यह पता भी नहीं चल पाता कि मुनिश्री को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता या उन्होंने इसके उत्तर देने में तनिक भी विलम्ब किया है। उसे तो ऐसा ही महसूस होता है कि मैंने प्रश्न पूछा और मुनि महाराज ने मेरे प्रश्न का तत्काल समाधान दे दिया।

यहां प्रश्न उठ सकता है कि मुनि जब शरीर से पुतला निकालते हैं, तब आत्मा कहां रहती है? शरीर में या पुतले में? इसका समाधान यह है कि आत्मा मुनि के मूल शरीर और पुतले दोनों में ही रहती है। आप कहेंगे, पुतला तो मूल शरीर से सैंकड़ों-हजारों मील दूर भी हो सकता है, फिर दोनों में आत्मा कैसे? वास्तव में आत्मा के प्रदेश उस समय फैल जाते हैं और मूल शरीर से लेकर पुतले तक (चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो) उनका एक तांता लग जाता है। बीच का एक प्रदेश भी आत्मप्रदेश से रहित नहीं रहता।

सूत्री में बताया गया है कि तीव्र बीमारी, तीव्र क्रोध, लब्धि-प्रयोग (समुद्रघात) आदि के समय आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। उत्कृष्ट रूप में एक आत्मा पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो सकती है।

काल की अवगाहना

जीव की अवगाहना को जानने के बाद अब हम काल की अवगाहना को समझें।

कालः समयक्षेत्रवर्ती ।

समयक्षेत्रम्—मनुष्यलोकः । तत्रैव सूर्यचन्द्रप्रवर्तितो व्यावहारिकः कालो विद्यते । नैश्चयिकस्तु प्रतिद्वयं वर्तते तेन तस्य सर्वव्यापित्वम् ।

काल को जैन दर्शन में केवल समयक्षेत्रवर्ती माना गया है। समय क्षेत्र यानी मनुष्यलोक। जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड और अर्धपुष्कर—इन टाई द्वीपों तथा लवणोदधि एवं कालोदधि—इन दो समुद्रों को मिनाकर मनुष्यलोक बनता है। समय केवल इन मनुष्यलोक में ही है। सूर्य और चन्द्र द्वारा प्रवर्तित दिन, रात, मास, वर्ष आदि सब मनुष्यलोक में ही होते हैं। क्योंकि सूर्य और चन्द्र मनुष्यलोक में ही गतिमान होते हैं। मनुष्यलोक के बाहर गतिमान नहीं होते। अतः मनुष्यलोक के बाहर ऐसा कोई काल का विभाग नहीं है। इस अपेक्षा से मनुष्यलोक को समयक्षेत्र कहा गया है।

इस संदर्भ में एक बात और समझ लेनी आवश्यक है। काल दो प्रकार का है—व्यावहारिक और नैश्चयिक। दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष व्यावहारिक काल के भेद हैं। नैश्चयिक काल का अर्थ है—वर्तमान। यहां काल को जो मनुष्यलोकवर्ती कहा गया है, वह व्यावहारिक काल की अपेक्षा से है। नैश्चयिक काल तो लोक और अलोक में सर्वत्र व्याप्त है।

गंगाशहर

३ अगस्त, १९७८

गुण क्या है ?

छह द्रव्यों का विवेचन चल रहा है। गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रव्य कहा जाता है—यह मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। दूसरे शब्दों में जिसमें गुण और पर्याय दोनों विद्यमान हों, वह द्रव्य है। आज हमें यह समझना है कि गुण किसे कहते हैं।

सहभावी धर्मों गुणः।

‘एगदव्वस्सिआ गुणा’ इत्यागमवचनात् गुणो गुणिनमाश्रित्यैव अवतिष्ठते, इति स द्रव्यसहभावी एव।

द्रव्य के सहभावी धर्म को गुण कहा जाता है। संसार के हर पदार्थ का कुछ-न-कुछ अपना धर्म होता है। ‘धर्म’ शब्द विभिन्न मन्दर्भों में विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में वह स्वभाव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

सहभावी धर्म क्या है ?

धर्म के दो प्रकार हैं—सहभावी और परभावी। पदार्थ के निरन्तर साथ रहनेवाले धर्म को सहभावी धर्म और कभी-कभी साथ रहनेवाले धर्म को परभावी धर्म कहा गया है। सहभावी धर्म द्रव्य से कभी भी अलग नहीं होता। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों ? आगम में इसका समाधान देते हुए कहा गया है—‘एगदव्वस्सिआ गुणा’ अर्थात् गुण एक मात्र द्रव्य के आश्रित होकर ही रहते हैं। द्रव्य के बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। द्रव्य है तो गुण है, द्रव्य नहीं तो गुण भी नहीं। उष्णता अग्नि का सहभावी धर्म है। अग्नि समाप्त हो गई तो उष्णता भी समाप्त हो गई। यह कभी भी संभव नहीं कि अग्नि तो समाप्त हो जाए और उसका सहभावी धर्म—उष्णता शेष रह जाए। इसलिए द्रव्य के सहभावी धर्म को गुण कहा गया है।

प्रश्न होगा, भ्रूज, प्यास, वासना आदि मनुष्य और पशु के सहभावी धर्म हैं या नहीं ? यह ठीक है कि ये सब बातें मनुष्य और पशु के साथ रहती हैं। पर इन्हें हम सहभावी धर्म नहीं कह सकते। क्योंकि ये निरन्तर साथ नहीं रहती। भरपेट भोजन करने के बाद क्या भ्रूज शेष रहती है ?

गुण क्या है ?

वासना भी आदमी को सदा नहीं सताती । प्रसंग उपस्थित होने पर ही वह अपना उन्माद दिखलाती है । सहभावी धर्म में 'कभी है' और 'कभी नहीं' की स्थिति नहीं होती ।

जीव का स्वभाव

कुछ लोग कह दिया करते हैं कि क्रोध तो जीव का सहज स्वभाव है । पर वास्तव में क्रोध जीव का सहज स्वभाव नहीं है । क्रोध जीव में होता है, इसलिए भाव तो है, पर वह विकृत भाव/विभाव है, स्वभाव नहीं । प्रश्न है, तब स्वभाव क्या है ? जीव का स्वभाव है—चेतना । चेतना के बिना चेतन/जीव नहीं हो सकता । दुःख में, सुख में, बुढ़ापे में, बीमारी में—जीव की हर स्थिति में चेतना अनिवार्यरूपेण मौजूद रहेगी । 'गुणो गुणिनं विहाय न तिष्ठति' अर्थात् गुण त्रिकाल में भी गुणी को छोड़कर नहीं रह सकता । आप निश्चित मानें, गुण गुणी के सिवाय अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता । न तिजोरियो में मिल सकता, न भण्डारों में मिल सकता और न ही बाजार और दुकानों में ही मिल सकता । यानी उसका एक मात्र मिलने का स्थान वह गुणी ही है ।

धर्म और धार्मिक

मैं बहुधा कहा करता हूँ कि धर्म धार्मिक के जीवन में ही वास करता है । यदि वह धार्मिक के जीवन में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है । पर आज कठिनाई यह हो गई है कि वह धर्मस्थलों और धर्मशास्त्रों में समा गया है । धार्मिक के जीवन से उसका सम्बन्ध कटता-सा चला जा रहा है । यह स्थिति धर्म के विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक धर्म धार्मिक के जीवन में नहीं आता, तब तक वह मानव समाज का अपेक्षित हित कभी भी नहीं कर सकता ।

आप देखें, काला, लाल, पीला, सफेद आदि जितने भी रंग हैं, वे सब किसी न किसी पदार्थ में मिलते हैं । पदार्थ के बिना उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है । हम मिठास को ही लें । वह कहां है ? क्या वह बिना पदार्थ कहीं मिलती है ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता । मिठास होगी तो गुड़, चीनी, मिश्री, दूध.....में ही होगी । केवल मिठास कभी नहीं हो सकती । द्रव्य का आधार उसको अवश्य चाहिए । हां, यह दूसरी बात है कि द्रव्य के रस में, रंग में कालान्तर से परिवर्तन आ जाए । जो वस्तु आज 'मीठी' लगती है, वह कुछ दिनों पश्चात् खट्टी या कड़वी भी हो सकती है । इसी प्रकार आज जो कपड़ा सफेद दिखाई देता है, वह कुछ दिनों पश्चात् पीला या काला भी हो सकता है । पर इस परिवर्तन के बावजूद भी वह द्रव्य तो रहेगा ही ।

गुण के प्रकार

सामान्यो विशेषश्च ।

द्रव्येषु समानतया परिणतः सामान्यः ।

व्यक्तिभेदेन परिणतो विशेषः ।

गुण के दो प्रकार हैं—

१. सामान्य ।

२. विशेष ।

सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जानेवाला सहभावी धर्म सामान्य गुण कहलाता है । एक-एक द्रव्य में पाया जानेवाला सहभावी धर्म विशेष गुण कहलाता है । उदाहरणार्थ—संसार के जितने भी मनुष्य हैं, उनमें मनुष्यता सामान्य गुण है । पर किसी व्यक्ति का विवेक कम जागृत होता है और किसी का अधिक । कोई बहुत क्षमावान् होता है, तो किसी में सहन-शक्ति बहुत कम होती है । ये विशेष गुण हैं ।

सामान्य गुण के प्रकार

अस्तित्व-वस्तुत्व-द्रव्यत्व-प्रमेयत्व-प्रदेशवत्त्व-अगुरुलघुत्वादिः सामान्यः ।

विद्यमानता—अस्तित्वम् ।

अर्थक्रियाकारित्वम्—वस्तुत्वम् ।

गुणपर्यायाधारत्वम्—द्रव्यत्वम् ।

प्रमाणविषयता—प्रमेयत्वम् ।

अवयवपरिमाणता—प्रदेशवत्त्वम् ।

स्वस्वरूपाविचलनत्वम्—अगुरुलघुत्वम् ।

सामान्य गुण के छह प्रकार माने गए हैं—

१. अस्तित्व ।

२. वस्तुत्व ।

३. द्रव्यत्व ।

४. प्रमेयत्व ।

५. प्रदेशवत्त्व ।

६. अगुरुलघुत्व ।

अस्तित्व

हर द्रव्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता है । द्रव्य त्रिकाल में भी कभी नष्ट नहीं हो सकता । यह त्रैकालिक अस्तित्व जिस गुण के कारण होता है, वह अस्तित्व कहलाता है ।

हमें यह बात गहराई से समझनी चाहिए कि कोई पदार्थ हमारी दृष्टि से ओझल तो अवश्य हो सकता है, पर उसका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं

गुण क्या है ?

हो सकता। आप कहेंगे, यह बात तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि आदमी देखते-देखते मर जाता है। यह ठीक है कि आदमी मरता है और ऐसा लगता है कि वह समाप्त हो गया। पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मौत के पश्चात् भी आत्मा का अस्तित्व ज्यों-का-त्यों विद्यमान रहता है। केवल वह अपना घर या स्थान का परिवर्तन कर लेती है। आप स्थूल उदाहरण से समझें। आपके गंगाशहर के सैकड़ों-हजारों आदमी यहां से बाहर बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रान्तों में चले गए। वहां जाने से उनके मकान बदल गए, फिर भी उनका अस्तित्व तो विद्यमान है ही। ठीक यही बात मृत्यु के समय होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस शरीर-परिवर्तन का नाम ही मृत्यु है। वस्तुतः आत्मा अमर है। और जो अमर है उसकी मौत कैसी? इस संदर्भ में इतना और समझ लें कि आत्मा अमर है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि पुद्गल नाशवान् हैं। पुद्गल भी अमर है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती तो पुद्गल भी कभी पैदा नहीं होते। केवल उनकी पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। पर पर्याय-परिवर्तन तो आत्मा में भी होता है। इसलिए आप इस भ्रान्ति में न रहें कि पुद्गल नाशवान् हैं और आत्मा अमर है।

आप पूछेंगे, जब आत्मा भी अमर है और पुद्गल भी अमर हैं, तब मौत किसकी होती है? नष्ट कौन होता है? नष्ट वही होता है, जो पैदा हुआ है। जीव और शरीर दोनों ही पैदा नहीं होते। पैदा होता है मात्र जीव और पुद्गल (शरीर) का संयोग। तात्त्विक दृष्टि से जीव और पुद्गल के संयोग का नाम ही जन्म है। जब यह संयोग नष्ट हो जाता है तो उसे हम मौत कह देते हैं। अब आपके सामने यह स्पष्ट है कि मौत के समय आत्मा और शरीर दोनों ही नष्ट नहीं होते। नष्ट केवल दोनों का संयोग होता है। वियोग तभी है, जब संयोग है। संयोग नहीं तो वियोग भी नहीं। जब आत्मा और पुद्गल दोनों ही शाश्वत हैं, तब भी मृत्यु के समय लोग रोते हैं, यह एक आश्चर्य है! आत्मा यहां से छूटकर स्थूल शरीर के रूप में दूसरे पुद्गलों को ग्रहण कर लेती है और छोड़े हुए पुद्गल (स्थूल शरीर) दूसरी पर्यायों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर यह रोना, धोना किसके लिए? कोई अपनी माता को रोता है, कोई पिता को, कोई भाई को कोई.....। पर कटु सत्य तो यह है कि सब अपने-अपने स्वार्थ को रोते हैं। जाने वाले व्यक्ति के साथ सबके अपने-अपने स्वार्थ जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो अनेक व्यक्तियों के स्वार्थ उसके साथ चले जाते हैं, इसलिए वे उसके पीछे आंसू बहाते हैं।

धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वह किसी की मौत पर कभी रोता नहीं। सभी स्थितियों में वह अपने आप को सभाल कर रखता है। भेरे देखते-

देखते मेरे हृदय-सम्राट् अराध्यदेव, पूज्य गुरुदेव कालूगणी चले गए । आज भी वह दृष्य मेरी आंखों की पुतलियों में ज्यों-का-त्यों नाच रहा है । सूर्यास्त से थोड़ा पहले का समय । मैं हाथ में दवा का पुड़िया लिए खड़ा हूँ । पर आप अनशन कर लेते हैं और कुछ ही देर में हमें सदा-सदा के लिए छोड़ कर चले जाते हैं । एक क्षण के लिए मुझे उस समय गहरा धक्का लगता है । मेरे लिए पूज्य गुरुदेव से बढ़कर संसार में और कौन था ? क्योंकि आपसे मैंने ज्ञान पाया चिन्तन पाया, पथ-दर्शन पाया और जीवन पाया । निश्चय ही ऐसी स्थिति में गुरुदेव का एकाएक हमें छोड़कर चले जाना आघातकारी था, फिर भी मैंने अपने आप को संभालकर रखा । उसके परिणामस्वरूप मेरी आंखें जरा भी गीली नहीं हुईं । मैंने सोचा—संयोग के साथ वियोग, जन्म के साथ मृत जुड़ी हुई है । कोई भी व्यक्ति इसका अपवाद नहीं हो सकता । तब दुःख करना व्यर्थ है । वन्धुओ ! सामान्य प्राणियों की तो हम बात ही छोड़े, तीर्थंकर भगवान को भी एक दिन इस शरीर को छोड़कर जाना होता है । ऐसी स्थिति में हम किस-किस की मृत के लिए आंसू बहाएँ ।

वस्तुत्व

जिस गुण के कारण द्रव्य कोई न कोई अर्थक्रिया अनिवार्यरूप से करे, वह गुण वस्तुत्व कहलाता है । आप इस बात को सिद्धान्त रूप में समझ लें कि संसार में हर पदार्थ कुछ-न-कुछ क्रिया अवश्य करता है । यदि क्रिया नहीं है तो वह पदार्थ नहीं है । यह अलग बात है कि किसी पदार्थ की क्रिया हमें दृष्टिगोचर होती है और किसी पदार्थ की नहीं भी होती । पर दृष्टि-गोचर हो या न हो, पदार्थ होगा तो क्रिया होगी ही । कोई भी पदार्थ इसका अपवाद नहीं हो सकता ।

मेरे मन में बहुत बार यह प्रश्न उभरता है, जब संसार का प्रत्येक प्राणी/पदार्थ क्रिया करता है तो मनुष्य निष्क्रिय और निट्टला क्यों रहता है ? आप देखें, ये जरा-जरा-सी चीटियाँ भी दिन भर सक्रिय रहती हैं । सब मिल-जुलकर अपना घर बनाती हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं । कहा जाता है कि कोई भी चीटी काम किए बिना नहीं रह सकती । यदि कोई एक-दो चीटियाँ चाहें कि हम कार्य नहीं करेगी तो उन्हें दूसरी चीटियाँ तत्काल मार देती हैं । उन्हें जीवित नहीं रहने देती । मेरे कथन का आशय यही है कि द्रव्य के साथ क्रिया अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है ।

द्रव्यत्व

जिस गुण के कारण द्रव्य सदा नई-नई पर्यायों को धारण करता है, द्रव्य का वह सामान्य गुण द्रव्यत्व कहलाता है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव्यत्व द्रव्य में होनेवाले परिणमन का आधार है । यदि द्रव्यत्व न हो तो

और अधर्म धर्म नहीं बनता । क्योंकि द्रव्य में एक ऐसा गुण है, जो उन्हें अपनी सीमा की छोड़कर दूसरे को सीमा में जाने से बराबर रोके रखता है ।

हम व्यवहार में देखते हैं कि विभिन्न सम्प्रदायों के लोग साथ-साथ रहते हैं पर रहते हैं अपने-अपने सम्प्रदाय में ही । अपना सम्प्रदाय छोड़कर दूसरे सम्प्रदाय में नहीं जाते और तब तक नहीं जाते जब तक उनका विश्वास अपने सम्प्रदाय के सिद्धांतों में बना है । यह विश्वास एक ऐसा गुण है, जो लोगों को अपने सम्प्रदाय को छोड़ कर दूसरे सम्प्रदाय में जाने से रोके रखता है । जिस दिन यह विश्वास समाप्त हो जाता है, उस दिन वह अपना सम्प्रदाय छोड़कर दूसरे सम्प्रदाय में भी जा सकता है ।

प्रसंग आचार्य भिक्षु का

आचार्य भिक्षु के पास कुछ दिगम्बर भाई आए और उन्होंने कहा—“आपके विचार बहुत क्रान्तिकारी हैं । आपका आचार निर्मल है । आपकी प्रतिभा विलक्षण है । आपकी तार्किक शक्ति अपराजेय है । तत्काल प्रश्नों के उत्तर देने की कला का तो कहना ही क्या ! यदि आप एक बात हमारी मान लें तो हम सब आपके अनुयायी बन जाएं ।”

“क्या ?”—प्रश्नायित नयनों से आचार्य भिक्षु मुखर हुए ।

“आप कपड़े रखते हैं, यह उचित नहीं । अतः आप कपड़े रखना छोड़कर दिगम्बरत्व स्वीकार कर लें ।”—समागत भाइयों ने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया ।

उनकी बात सुनकर आचार्य भिक्षु तनिक भी उत्तेजित नहीं हुए । उन्होंने उन्हें अत्यन्त मधुर उत्तर दिया—“भाइयो ! मैंने धन छोड़ा, मकान छोड़ा, परिवार छोड़ा और सारा संसार छोड़ा, इसलिए कपड़े छोड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं । पर एक कठिनाई है कि मैंने श्वेताम्बर शास्त्रों के आधार पर दीक्षा अंगीकार की है । उन शास्त्रों पर मेरा दृढ़ विश्वास है । उनमें साधु के लिए निर्दिष्ट प्रमाण युक्त कपड़ा रखने का विधान है । इसलिए मैं वस्त्र रखता हूँ । हां, जिस दिन श्वेताम्बर शास्त्रों से मेरा विश्वास हट जाएगा और दिगम्बर शास्त्रों में विश्वास हो जाएगा, उस दिन मैं कपड़े रखने का तनिक भी आग्रह न करता हुआ तत्काल दिगम्बर बन जाऊंगा ।”

बन्धुओ ! यह विश्वास ऐसा तत्व है, जो मनुष्य को बांधे रखता है । हम देखते हैं कि एक घर में दसियों-बीसियों व्यक्ति रहते हैं । उनका दूसरे-दूसरे परिवारों और समाज के लोगों से सम्पर्क होता रहता है । पर कोई भी अपने घर या परिवार को छोड़ कर दूसरे घर या परिवार में नहीं जाता । क्योंकि घर या परिवार के सदस्य स्नेह के धागे से बंधे होते हैं ।

जब तक यह स्नेह का धागा नहीं टूटता, तब तक कोई भी घर या परिवार का सदस्य अपना घर या परिवार छोड़कर दूसरे के साथ सम्बन्धित नहीं हो पाता। पति-पत्नी का सम्बन्ध उम्र भर क्यों बना रहता है? कारण स्पष्ट है। दोनों प्रगढ़ स्नेह के सूत्र से बंधे हुए होते हैं।

अपना-अपना अस्तित्व

यही बात है द्रव्य के सम्बन्ध में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सत्ता स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगुरुलघुत्व ऐसा गुण है, जो अपनी सीमा में बांधे रखता है। दूसरे की सत्ता को स्वीकार करने के लिए बराबर रोकता रहता है। आप गौर से देखें, जैन सिद्धान्त, नहीं-नहीं सिद्धान्त यह कहता है कि कोई भी द्रव्य कभी अपनी सत्ता को छोड़ कर दूसरे द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करता।

सिद्धशिला में, जहाँ सिद्धात्माएँ रहती हैं, संसारी आत्माओं की भी कोई कमी नहीं है। हाँ, स्थूल शरीरवाले प्राणी वहाँ नहीं हैं, पर सूक्ष्म शरीर वाले प्राणी तो वहाँ भरे पड़े हैं। इसके साथ ही बाहर वायुकाय के जीव भी वहाँ भरे पड़े हैं। और वे जीव इस प्रकार भरे हुए हैं, जैसे काजल की कोटड़ी में काजल। मैं आपको यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ न तो संसारी आत्माएँ कभी भी अपने अस्तित्व को छोड़ कर सिद्धात्मा की सत्ता को स्वीकार करती हैं और न ही सिद्ध आत्माएँ संसारी आत्मा के अस्तित्व को।

हम आत्मा की बात छोड़ें। लोक में एकप्रदेशी (परमाणु), द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी.....संख्येयप्रदेशी, असंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी पुद्गल भरे पड़े हैं। पर त्रिकाल में भी न कोई पुद्गल जीव बनता है और न ही जीव पुद्गल। दोनों ही अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। एक-दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करते।

हमारी आत्मा (संसारी आत्मा) कर्मों से सम्बन्धित है। कर्म पुद्गल है। पर कर्म कभी आत्मा नहीं बनते और आत्मा कर्म/पुद्गल नहीं बनती। हाँ, प्रभाव एक-दूसरे पर डाला जा सकता है। पर यह कोई महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। आप लोक-व्यवहार को ही देखें। क्या कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी पर प्रभाव नहीं डालता है? क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है? क्या एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र प्रभावित नहीं होता है? पर प्रभाव डालने या प्रभावित होने का अर्थ अपनी सत्ता को छोड़कर दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना नहीं है। कर्म पुद्गल हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं और आत्मा कर्म पुद्गलों को प्रभावित करती है। पर हर स्थिति में वे रहते हैं अपने-अपने अस्तित्व में ही। द्रव्य का जो गुण अपने

अस्तित्व को बनाए रखता है, वही है—अगुरुलघुत्व । मैं इस बात को भिन्न-भिन्न प्रकारों से और बार-बार बता रहा हूँ, इसका उद्देश्य इतना-सा ही है कि मुझे सरलता से तत्त्व को हृदयंगम करवाना है ।

आत्मा पुरुषार्थ क्यों करे ?

कुछ लोगो की (सांख्य मतावलम्बियो की) ऐसी मान्यता है कि आत्मा सदा शुद्ध स्वरूप में ही रहती है । उसके कर्मों का बन्धन नहीं होता । तब प्रश्न होता है, आत्मा को कौन बांधता है ? इसका समाधान वे यह देते हैं कि विशुद्ध आत्मा से प्रकृति का सम्बन्ध होता है । (कर्म को वे प्रकृति के रूप में स्वीकार करते हैं ।) प्रकृति का कोई बन्धन नहीं होता । सांख्य मतावलम्बियों के अतिरिक्त कुछ जैनो की भी ऐसी मान्यता है । पर हमारे अनुभव से यह बात सही नहीं है । क्योंकि यदि कर्मों के ही कर्मों का बन्धन है, आत्मा के कर्म का बन्धन नहीं है तो आत्मा कर्मों को काटने के प्रयास ही क्यों करे ? कर्मों को ही उन्हें काटने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए । पर हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कर्म कभी भी कर्मों को काटने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते । त्याग, तप, ध्यान, स्वाध्याय, आदि के द्वारा कर्मों को काटने का जो भी प्रयास होता है, वह सब आत्मा के द्वारा ही होता है । आप व्यापारी हैं । आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कर्ज कौन चुकाता है ? कर्ज वही चुकाता है, जो कर्जदार है । जिसके कर्ज ही नहीं, उसके कर्ज चुकाने की बात वेमानी है । जब यह कहा जाता है कि आत्मा के कर्मों का बंधन होता ही नहीं तो फिर आत्मा उन्हें काटने का प्रयत्न किस न्याय से करे ? पर आत्मा कर्मों को तोड़ने का प्रयत्न करती है । इससे यह बात सर्वथा अयथार्थ साबित होती है कि आत्मा के कर्मों का बंधन नहीं होता ।

सम्बन्ध और बन्धन

मैं उनसे (सांख्य मतावलम्बियों से) एक बात और पूछना चाहता हूँ, आत्मा कर्मों से जुड़ी है या नहीं ? वे कहेंगे, जुड़ी है । और अब आत्मा कर्मों के साथ जुड़ी है तो यही बंधन है । बंधन का अर्थ दोनों का एक रूप होना नहीं, सबध होना है । वहिन भाई के हाथ पर राखी बांधती है । क्या राखी से भाई-वहिन एक साथ जुड़ जाते हैं ? नहीं जुड़ते । पर परस्पर सबध हो जाता है । यह संबंध ही, रक्षा का बंधन हो जाता है । यही बात यहाँ समझने की है । सांख्य मतावलम्बी भी कहते हैं कि प्रकृति के साथ आत्मा का बंधन नहीं, केवल सम्बन्ध होता है । मैं नहीं समझता, यदि प्रकृति और आत्मा का बन्धन नहीं होता तो फिर सम्बन्ध कैसे ? और जब सम्बन्ध ही नहीं तो फिर उसे तोड़ने का प्रयास क्यों ?

इन सब बातों से आत्मा और कर्म का बन्धन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई

पड़ता है। पर कठिनाई यह है कि मताग्रह के कारण यथार्थ को समझ कर भी व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर पाता। व्यक्ति को यह विलकुल साफ अनुभव होता है कि मैं गलती पर हूँ फिर भी मताग्रह के कारण गलत बात को छोड़ कर वह यथार्थता को स्वीकार करने में हिचकिचाता है और गलत तत्त्व से चिपका रहता है।

शुद्ध अध्यात्म

कल ही मेरे सामने सैकड़ों की संख्या में युवक बैठे थे। मैंने उनके बीच सामायिक की चर्चा की। सामायिक में 'सावज्जं जोगं पच्चवखामि' यानी सावद्य (सपाप) प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है। निरवद्य—पापरहित / धार्मिक प्रवृत्ति का उसमें कोई त्याग नहीं होता। दिल खोल कर कोई भी निरवद्य प्रवृत्ति की जा सकती है। आप पूछेंगे, सामायिक में पिताजी को नमस्कार करना या नहीं? नहीं करना। क्योंकि यह व्यावहारिक नमस्कार है, आध्यात्मिक नमस्कार नहीं। सामायिक में खाना-पीना आदि करना या नहीं? नहीं करना। क्योंकि यह सब सावद्य है। सामायिक में सन्तो को दान देना या नहीं? अवश्य देना चाहिए। क्योंकि यह निरवद्य प्रवृत्ति है। इस प्रकार की पचासो-सैकड़ों बातें पूछी जा सकती हैं। इन सबका एक ही जवाब है—जो प्रवृत्ति सावद्य है, वह नहीं की जा सकती और जो प्रवृत्ति निरवद्य है, उसे करने में कोई कठिनाई नहीं।

कोई पूछ सकता है कि कोई बच्चा ऊपर से नीचे गिर रहा है और सामने एक व्यक्ति सामायिक लिए बैठा है, वह उस बच्चे को बचा सकता है या नहीं? इसका उत्तर नकारात्मक है। क्योंकि यह सावद्य प्रवृत्ति है। यह केवल जैनधर्म की ही बात नहीं है, अपितु प्रायः सभी धर्मों में शुद्ध अध्यात्म की भूमिका में लगभग ऐसा-सा ही विधान प्राप्त है। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते समय यदि कोई मुसलमान भाई का बच्चा उसके सामने गिर रहा है तो विधानानुसार वह उसे बचाने के लिए बीच में नहीं उठ सकता। क्योंकि नमाज पढ़ने के समय उसका वह बच्चा है ही नहीं।

आप देखें, मूर्तिपूजक साधु-साध्विया और सामायिक में मूर्तिपूजक श्रावक भी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। ये सब ऐसी बातें हैं, जिन्हें शुद्ध अध्यात्म की भूमिका में ही समझा जा सकता है। जो लोग इस भूमिका में नहीं हैं, उन्हें ये बातें ठीक से समझ में नहीं आ सकती। पर किसी के समझ में आए या न आए तत्त्व तो तत्त्व ही है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा-सा अपना दुराग्रह या मताग्रह छोड़कर आदमी इन्हें समझे तो समझ में आने में बहुत कठिनाई नहीं होती। पर मुश्किल तो यही है कि लोग अपनी पकड़ को नहीं छोड़ते। और जहाँ पकड़ होती है, वहाँ आदमी वास्तविकता को जानकर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, तो मैं कह रहा था

कि आत्मा के कर्मों का बंधन विल्कुल स्पष्टतया समझ में आ सकता है। पर वैचारिक आग्रह के कारण लोग इस सत्य को अस्वीकार करने का असफल प्रयास करते हैं।

एक विदेशी श्रावक

आत्मा के कर्म-बन्धन के सम्बन्ध में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। आत्मा अरूप है और कर्म पुद्गल रूपवान है, ऐसी स्थिति में प्रारंभ में अरूप आत्मा और रूपवान् कर्म पुद्गलो का परस्पर सम्बन्ध कैसे हुआ ? यह प्रश्न मेरे सामने सबसे पहले आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व आया था। इससे पहले न तो कभी मेरे सामने यह प्रश्न उपस्थित ही हुआ और न ही मैंने कभी इस पर चिन्तन ही किया। एक मजे की बात यह और है कि यह प्रश्न किसी तेरापंथी जैन या भारतीय विद्वान् के द्वारा नहीं, अपितु एक अंग्रेज विद्वान् द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनका नाम था—डॉ० हर्वर्ट वारन्। जैन दर्शन के वे एक प्रकांड पण्डित थे। पर हमारे धर्मसंघ से उनका कोई सम्पर्क नहीं था और न ही उनके बारे में हमें कोई जानकारी थी। मैं अभी नहीं ऊठूंगा

ऑक्सफार्ड यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर डॉ० एफ० डब्ल्यू० थोम्स के माध्यम से उनके बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी मिली। डॉ० थोम्स भी गजब के आदमी थे ! ज्ञानप्राप्ति की उनकी तड़प भारतीय विद्वानों के लिए अनुकरणीय है। जैन दर्शन के अध्ययन के लिए वे भारत आए थे। हमारे बारे में उन्हें जानकारी मिली तो वे वीदासर में मेरे से मिलने आए। राजस्थान की भयंकर गर्मी और उसमें भी लू और धूलमरी आंधियां। एक ठण्डे मुल्क में रहनेवाले व्यक्ति के लिए इन परिस्थितियों में रहना कितना कठिन होता है ! पर जैसाकि मैंने बताया, ज्ञानप्राप्ति की उनके दिल में इतनी गहरी तड़प थी कि ऊपर की इन छोटी-मोटी कठिनाइयों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मुझे बहुत याद है—जब वीदासर से प्रस्थान कर हम पार्श्ववर्ती छोटे-से गांव—वेनाथा में गए तो वे वहां भी आए। घंटों-घंटो उन्होंने जैन दर्शन पर बहुत सूक्ष्म और गहरी चर्चा की। श्रावक दानचन्दजी चौपड़ा उस समय वही थे। उन्होंने एक तम्बू में उनके ठहरने की व्यवस्था की। अचानक सामने से आधी आने लगी। दानचन्दजी ने कहा—“साहब ! आपको यहां से उठना होगा, क्योंकि आधी आ रही है।” डॉ० थोम्स ने कहा—“नहीं, मैं अभी नहीं ऊठूंगा। मुझे काम करने दें, मेरा दिमाग अभी काम कर रहा है। यदि तम्बू उड़ता है तो आप लोग इसे पकड़ कर रखें।” इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि उनके मन में ज्ञानप्राप्ति की कितनी गहरी तड़प थी, कर्म के प्रति कितनी गहरी निष्ठा थी।

हां, तो डॉ० थोम्स के साथ लम्बी चर्चा के बीच हमें डॉ० वारन् की जानकारी प्राप्त हुई। श्रावक शुभकरण दसानी ने पत्रों के माध्यम से उनसे सम्पर्क स्थापित किया। इस सम्पर्क से ज्ञात हुआ कि डॉ० वारन् का जैन धर्मन सम्वन्धी ज्ञान अत्यन्त ठोस है। यह जानकर तो आश्चर्य भी हुआ कि डॉ० वारन् एक पक्के जैन श्रावक है और उसमें भी वारहव्रती श्रावक है। सामायिक, पौषध आदि सभी जैन उपामना विधिवत् करते हैं। पर एक प्रश्न हुआ, ग्यारह व्रतों का तो वे पालन करते हैं पर बाहरवे व्रत का पालन कैसे संभव है? क्योंकि इस व्रत का पालन तो साधु को दान देने से ही हो सकता है और इंग्लैंड में साधु हैं नहीं। जब उनको इस सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने लिखा—“मैं जब भोजन करने बैठता हूं तो पांच मिनट तक पहले यह भावना करता हूं—साधुजी महाराज! आओ, पधारो, मेरा भोजन ग्रहण करो और मुझे कृतार्थ करो। इस प्रकार भावना करने के बाद मैं भोजन ग्रहण करता हूँ।” मुझे उनके इस उत्तर से बड़ा सतोप हुआ। साधु मिक्षा के लिए आएँ या न आएँ, यह कोई आवश्यक नहीं है पर श्रावक भोजन करने से पूर्व इस प्रकार भावना करे—यह प्राचीन पद्धति है।

डॉ० वारन् ने पत्रों के माध्यम से मेरे सामने जैन तत्त्वज्ञान सम्बन्धी अनेक प्रश्न प्रस्तुत किए। उन प्रश्नों की लम्बी शृंखला में उन्होंने अमूर्त आत्मा का मूर्त कर्मों से सम्बन्ध का भी प्रश्न किया था। प्रश्न उपस्थित होने पर मैंने इस पर चिन्तन किया।

आप पूछेंगे, इस प्रश्न का आपने क्या समाधान दिया? मैंने समाधान दिया—आकाश अमूर्त है, फिर भी उसमें सभी मूर्त पदार्थ रहने हैं। ठीक इसी तरह अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म पुद्गलों के सम्बन्ध को जाना जा सकता है।

हालाकि हमने यह उत्तर दे तो दिया पर हमें स्वयं भी इससे सतोप नहीं था। हममें इस प्रश्न के समाधान के सदर्थ में डॉ० वारन् के स्वयं के चिन्तन को जानना चाहा। हमारी भावना उन तक पहुंची। उन्होंने अपना चिन्तन प्रस्तुत करते हुए बताया—हम आत्मा को अमूर्त कहते हैं, पर अमूर्त है कहा? वह तो अनादिकाल से पुद्गलों के आश्रित होकर ही रह रही है। पुद्गलों का आश्रय या सम्बन्ध उसे एक अपेक्षा से पुद्गल बना देता है, मूर्त बना देता है। और यह मूर्त ही मूर्त का सग्राहक होता है। वैसे शुद्ध स्वरूप में आत्मा अमूर्त है। उस अवस्था में आत्मा मूर्त का ग्रहण नहीं करती। यह स्वरूप मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। यही कारण है कि मुक्त आत्मा (सिद्ध) पर कभी कोई कर्म पुद्गल नहीं चिपकता। अतः हम यह मान सकते हैं कि मूर्त आत्मा के साथ ही कर्म पुद्गलों का सम्बन्ध होता है।

अगुरुलघुत्व की विवेचना करते-करते मैं और भी कई बातें कह गया । यद्यपि ये बातें विषय से सीधी सम्बन्धित तो नहीं हैं; तथापि ज्ञातव्य हैं । ज्ञातव्य बातों को भी प्रसंग आने पर बतलाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आप लोगों को विभिन्न विषयों की जानकारी हो सके ।

गंगाशहर

५ अगस्त, १९७८

विशेष गुण : एक विमर्श

द्रव्य के सामान्य गुणों का विवेचन मैं पिछले दिनो अपने प्रवचन में कर चुका हूँ। आज के प्रवचन में मैं विशेष गुणों की चर्चा करूँगा।

गतिस्थित्यवगाहवर्तनाहेतुत्व-स्पर्शरसगन्धवर्ण-ज्ञानदर्शन-सुखवीर्य-चेतनत्वाचेतनत्व-मूर्त्तत्वाऽमूर्त्तत्वादिविशेषः।

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दो योजनीयः।

एतेषु च प्रत्येकं जीवपुद्गलयोः षड्गुणाः, अन्येषां च त्रयो गुणाः।

स्पर्शः—कर्कशमृदुगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षभेदाददृष्टा।

रसः—तिष्ठतकटुकपायाम्लमधुरभेदात् पञ्चविधः।

गन्धो द्विविधः—सुगन्धो दुर्गन्धश्च।

वर्णः—कृष्णनीलरक्तपीतशुक्लभेदात् पञ्चधा।

द्रव्य का वह गुण, जो सभी द्रव्यों में समान रूप से प्राप्त नहीं होता, विशेष गुण कहलाता है। विशेष गुण सोलह प्रकार के हैं—

१. गतिहेतुत्व	९. ज्ञान
२. स्थितिहेतुत्व	१०. दर्शन
३. अवगाहहेतुत्व	११. सुख
४. वर्तनाहेतुत्व	१२. वीर्य
५. स्पर्श	१३. चेतनत्व
६. रस	१४. अचेतनत्व
७. गन्ध	१५. मूर्त्तत्व
८. वर्ण	१६. अमूर्त्तत्व

गतिहेतुत्व

जीव और पुद्गल की गति में जो अवश्यंभावी हेतुभूत/निमित्त बनता है, वह द्रव्य धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय के अभाव में कोई भी गत्यात्मक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यह गतिहेतुत्व धर्मास्तिकाय का विशेष गुण है। धर्मास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में यह गुण प्राप्त नहीं है। यद्यपि जीव और पुद्गल की गति में और भी अनेक कारणों का योग

होता है, पर मूलभूत निमित्त कारण धर्मास्तिकाय ही है। उदाहरणार्थ—यह कपड़ा हिल रहा है। इस हिलने की गत्यात्मक प्रवृत्ति में हवा भी कारण है। और भी अनेक कारण हो सकते हैं। पर मूलभूत कारण धर्मास्तिकाय ही है। यदि धर्मास्तिकाय का सहयोग न हो तो उपादान और निमित्त—दोनों कारणों की मौजूदगी के बावजूद भी कपड़ा कभी भी हिल नहीं सकता। इसलिए गतिहेतुत्व धर्मास्तिकाय का द्रव्य का विशेष गुण है।

स्थितिहेतुत्व

जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में जो अवश्यभावी हेतुभूत/निमित्त वनता है, वह अधर्मास्तिकाय है। यह स्थितिहेतुत्व अधर्मास्तिकाय का विशेष गुण है। गति की तरह यों तो स्थिति में भी दूसरे-दूसरे अनेक कारणों का योग होता है, पर मूलभूत निमित्त कारण अधर्मास्तिकाय ही है। अधर्मास्तिकाय के अभाव में दूसरे सारे कारण उपस्थित होने के उपरांत भी जीव या पुद्गल कभी स्थित नहीं रह सकता। मैं यहां बैठा हू। इसमें यह पट्ट भी कारण है। और भी कारण हो सकते हैं। पर इन सब से ऊपर है—अधर्मास्तिकाय। उसके सहयोग के बिना मैं किसी भी स्थिति में भी यहां नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार कोई भी जीव या पुद्गल अधर्मास्तिकाय के अभाव में लोक में कहीं स्थित नहीं रह सकता। इसलिए स्थितिहेतुत्व को अधर्मास्तिकाय का विशेष गुण माना गया है।

अवगाहहेतुत्व

जीव और पुद्गल को अवगाह/आश्रय/स्थान देना आकाश का विशेष गुण है। आकाश के अतिरिक्त और किसी भी द्रव्य में यह गुण अप्राप्त है।

वर्तनाहेतुत्व

वर्तनाहेतुत्व काल का विशेष गुण है। हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां चलती हैं या हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, उनमें काल हेतुभूत है। यदि काल नहीं हो तो कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। कोई वस्तु नई से पुरानी बनती है, आदमी बच्चे से जवान बनता है और जवान से बूढ़ा बनता है—यह सब काल के कारण ही है। यदि काल वर्तन न करे तो कोई जवान न हो, कोई बूढ़ा न हो। न कोई वस्तु नई हो और न पुरानी। काल के सिवाय वर्तन का गुण किसी भी अन्य द्रव्य में प्राप्त नहीं होता।

स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण

स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण—ये चार पुद्गल के विशेष गुण हैं।

कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष—ये आठ प्रकार के स्पर्श हैं।

तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर—ये पांच रस हैं ।

सुगन्ध और दुर्गन्ध—इन दो रूपों में गंध को जाना जाता है ।

कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत—ये पांच वर्णों के विभाग हैं ।

ये सारी बातें पुद्गल के सिवाय किसी अन्य द्रव्य में प्राप्त नहीं हो सकती ।

ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्य

ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य—ये चारों बातें जीव में प्राप्त होती हैं । जीव के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में इनकी प्राप्ति नहीं है । अजीव में भी शक्ति होती है और वह बहुत बड़े-बड़े काम भी करता है, पर उसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, सुख की अनुभूति नहीं और सहज शक्ति नहीं ।

ज्ञान और दर्शन को आप समझते हैं । सुख से भी आप परिचित हैं । पर यहाँ जिस सुख की बात कही गई है, वह आत्मानन्द है । जीव का यह विशेष गुण है । हर आत्मा में किसी-न-किसी रूप में आत्मानन्द/सुखानुभूति अवश्य रहती है । शुद्ध आत्मा सर्वथा सुखमय होती है । सुख की तरह दुःख की अनुभूति भी सांसारिक आत्मा करती है । पर यह आत्मा/जीव का स्वभाव नहीं है । आत्मा अपने मूल स्वरूप में किसी प्रकार के दुःख का वेदन नहीं करती ।

वीर्य सहज शक्ति का नाम है । हर जीव में अनन्त शक्ति सहज रूप से रहती है । आप कहेंगे, हमें तो अपनी अनन्त शक्ति की अनुभूति नहीं होती । हाँ, ठीक है आपकी बात । आपको यह अनुभूति नहीं हो सकती । क्योंकि आज वह शक्ति आवृत है । दबी हुई है । पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है । उसका आंशिक रूप ही प्रकट हो पाया है । जिस दिन उसके आवरण दूर हो जाएँगे, वह स्वयं प्रकट हो जाएगी । यह त्याग-तपस्या उसको अनावृत करने का ही उपक्रम है ।

गगाशहर

७ अगस्त, १९७८

द्रव्य के विशेष गुण

द्रव्य के सोलह विशेष गुण माने गए हैं। इन सोलह विशेष गुणों में से बारह विशेष गुणों का संक्षिप्त विवेचन कल में कर चुका हूँ। शेष चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त्तत्व और अमूर्त्तत्व—इन चार विशेष गुणों के बारे में आज कुछ बताना चाहता हूँ।

चेतनत्व

जिस विशेष गुण के कारण जीव चेतनायुक्त होता है, वह विशेष गुण चेतनत्व कहलाता है। जीव के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य में यह विशेष गुण नहीं है।

अचेतनत्व

जिस विशेष गुण के कारण धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल और पुद्गलास्तिकाय अचेतन हैं, वह विशेष गुण अचेतनत्व है। जीव में यह गुण अप्राप्त है।

मूर्त्तत्व

जिस विशेष गुण के कारण पुद्गल हमारी इन्द्रियों के विषय बनते हैं, वह विशेष गुण मूर्त्तत्व के नाम से पहचाना जाता है। पुद्गलास्तिकाय को छोड़कर शेष पांचो द्रव्यो—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीवास्तिकाय में यह गुण नहीं होता।

अमूर्त्तत्व

जिस विशेष गुण के कारण पुद्गल के अतिरिक्त शेष पांचों द्रव्य हमारी इन्द्रियों के विषय नहीं बनते, वह विशेष गुण अमूर्त्तत्व है।

किस द्रव्य में कितने विशेष गुण ?

द्रव्य छह हैं और विशेष गुण सोलह है। कोई पूछ सकता है, किस-किस द्रव्य में कौन-कौन-से विशेष गुण प्राप्त होते हैं ? जीव और पुद्गल में छह-छह विशेष गुण प्राप्त होते हैं। शेष द्रव्यों में तीन-तीन विशेष गुण होते हैं।

धर्मास्तिकाय में गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्त्तत्व—ये तीन विशेष गुण होते हैं।

अधर्मास्तिकाय में स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्त्तत्व—इन तीन विशेष गुणों की प्राप्ति होती है ।

आकाशास्तिकाय में अवगाहहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्त्तत्व—ये तीन विशेष गुण पाए जाते हैं ।

काल में वर्तनाहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्त्तत्व—इस तीन विशेष गुणों की अवस्थिति है ।

पुद्गलास्तिकाय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व एवं मूर्त्तत्व—इन छह विशेष गुणों से युक्त होता है ।

ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व और अमूर्त्तत्व—ये छह विशेष गुण जीवास्तिकाय की पहचान के अनन्य हेतु हैं ।

गंगाशहर

८ अगस्त, १९७८

हम पर्याय को पहचानें

द्रव्य के सामान्य और विशेष गुणों की चर्चा करने के पश्चात् आज मैं पर्याय के सम्बन्ध में आपको कुछ बताऊंगा ।

पूर्वोत्तराकारपरित्यागादानं पर्यायः ।

‘लक्ष्णं पञ्जवाणं तु, उभयो अस्तित्वा भवे’ इत्यागमवचनात् द्रव्यगुण-योर्यः पूर्वाकारस्य परित्यागः, अपराकारस्य च आदानं स पर्यायः ।

जीवस्य नरत्वामरत्वादिभिः, पुद्गलस्य स्कन्धत्वादिभिः, धर्मास्तिकाया-दीनाञ्च, संयोगविभागादिभिर्द्रव्यस्य पर्याया बोध्याः ।

ज्ञानदर्शनादीनां परिवर्तनादेर्वर्णादीनां च नवपुराणतादेर्गुणस्य पर्याया ज्ञेयाः ।

पूर्वोत्तराकाराणामानन्त्यात् पर्याया अपि अनन्ता एव ।

परिवर्तन : शाश्वत सिद्धांत

हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता है । आप आज हैं, वैसे दस वर्ष पूर्व नहीं थे और दस वर्ष बाद वैसे नहीं रहेंगे । ये शामियाने सामने लगे हुए हैं । क्या ये प्रारम्भ में ऐसे ही थे ? नहीं, ऐसे नहीं थे । शुरू में इनका जो रंग था, इनकी जो मजबूती थी, वह आज नहीं है । चातुर्मास की समाप्ति तक इनका रूप और भी अधिक परिवर्तित हो जाएगा । आप ध्यान दें—आप में, आपके परिवार में, आपके कपड़ों में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में.....कितना-कितना परिवर्तन आया है । यह परिवर्तन शाश्वत सिद्धान्त है । जिसमें यह परिवर्तन नहीं, वह द्रव्य नहीं । द्रव्य है तो परिवर्तन अवश्यभावी है । परिवर्तन के बिना वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । उदाहरण के रूप में देखें—आपने दूध को जमाया । वह दही बन गया । पर दही बनने से दूध नष्ट नहीं हुआ, केवल उसका रूप परिवर्तित हो गया ।

विगय क्या है ?

हमारे बहुत-से भाई-बहिनों को सम्पूर्ण विगय या कुछ विगय खाने का त्याग होता है । दस प्रत्याख्यान में भी एक दिन ‘निवी’ का होता है । यह

मूलतः 'निव्विगइ' शब्द है। इसका अपभ्रंश होते-होते 'निवी' रूप बन गया है। 'निव्विगइ' का अर्थ है—विगयरहित। मैं विगय-वर्जन करनेवाले भाई-बहनों को यदि पूछूँ कि विगय क्या होती है तो वे कहेंगे, दूध, दही, घी, तेल, चीनी और मिठाई—ये छह विगय होती हैं। इनको नहीं खाना चाहिए। विगय छह होती हैं—यह तो ठीक है, पर विगय शब्द का अर्थ क्या है, यह वे नहीं जानते। विगय का अर्थ है—विकृत। गाय को अपने घास खाने को दिया। उसका विकार है—दूध। दूध को विकृत किया और दही बना। दही को विकृत किया तब मक्खन, घी आदि प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि विगय आपके प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली चीज है। आप उसे जानते भी हैं। पर परिभाषा ने उसे इतना जटिल बना दिया है कि सहसा किसी को विगय का अर्थ पूछा जाए तो वह नहीं बता पाता।

पर्याय शब्द की लगभग ऐसी ही स्थिति है। आप सब पर्याय को अच्छी तरह जानते हैं। हरदम पर्यायो से होकर गुजरते हैं, तथापि उससे परिचित नहीं हैं। पूर्व अवस्था के परित्याग और उत्तर (नई) अवस्था की प्राप्ति को पर्याय कहा जाता है। पर पूर्वावस्था का परित्याग और नई अवस्था की प्राप्ति अलग-अलग नहीं होती। पूर्व अवस्था का त्याग अर्थात् नई अवस्था की प्राप्ति और नई अवस्था की प्राप्ति यानी पूर्वावस्था का परित्याग। यह एक शाश्वत चक्र है। हम दोनों को अलग-अलग कर नहीं देख सकते। एक शब्द में पर्याय का अर्थ है—परिवर्तन। जैसा कि मैंने बताया, द्रव्य में सदैव परिवर्तन अवश्यभावी है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं, जिसमें परिवर्तन न हो।

पर्याय : एक दृष्टांत

आचार्य भिक्षु ने तेरह-द्वार में पर्याय को समझाने के लिए एक स्थूल उदाहरण दिया है—किसी व्यक्ति के पास सोना है। उसने सोने से गले का सूत बनवा लिया। थोड़े दिन पश्चात् उसके मन में सूत पहिनने की अनिच्छा हो गई। उसने उसकी अंगूठियाँ बनवा ली। कुछ दिनों पश्चात् अंगूठियाँ पहिनने से भी उसके मन में अरुचि हो गई। उसने उन अंगूठियों को सुनार को देकर वापस सोना बनवा लिया। तात्पर्य यह है कि सोने की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन उसकी विभिन्न पर्यायों हैं।

जीवन में कितने पर्यायों हैं ?

प्रश्न होगा, हमारी जिन्दगी में कितनी पर्यायों होती हैं ? जीवन में स्थूल पर्यायों तो बहुत कम हैं, पर सूक्ष्म पर्यायों प्रतिक्षण है, अनन्त हैं। यह केवल हमारी जिन्दगी की ही बात नहीं, अपितु प्रत्येक द्रव्य की स्थिति है। उसमें प्रतिक्षण सूक्ष्म परिवर्तन होता ही रहता है।

सचमुच में बदल गया हूँ !

कुछ लोग मुझे कहते हैं कि, आप स्वामीजी (आचार्य मिश्र) से बहुत बदल गए हैं। मैं उनकी बात को बिलकुल भी अन्याया नहीं लेता। सचमुच में बदल गया हूँ और प्रतिक्षण बदल रहा हूँ। मैं ही क्यों, आप भी तो प्रतिक्षण बदल रहे हैं और सदा बदलते रहेंगे। यह परिवर्तन कोई बुरा नहीं है, अपितु कहना चाहिए कि द्रव्य के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है।

बदलती पर्याय : वस्तुओं की उपयोगिता

व्यवहार में कहा जाता है कि अमुक वस्तु पुरानी हो गई। उसका इतना-सा ही अर्थ है कि उस वस्तु की पर्याय परिवर्तित हो गई है। आप जिस कूड़े-करकट को वेकार समझते हैं, उसका बहुत बड़ा उपयोग है। उसके बड़े-बड़े ढेरों की विक्री होती है। उससे अच्छे-से-अच्छा कागज तैयार होता है। और तो क्या, मल-मूत्र, जिसे सर्वथा हेय और अनुपयोगी समझा जाता है, पर्याय-परिवर्तित होने पर उसकी अच्छी-से-अच्छी खाद बनती है। लोग उससे लाखों-करोड़ों रुपये कमाते हैं। सारांश यह है कि पर्याय-परिवर्तन के कारण जो पदार्थ हमारे लिए वेकार और अनुपयोगी हो जाता है, वही पुनः भिन्न पर्यायों में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। इस तत्त्व को समझाने के लिए ज्ञाता सूत्र में एक सुन्दर कथा मिलती है।

तत्त्व समझ में आ गया

राजा और मंत्री घूमते-घूमते शहर के बाहर चले आए। वहाँ पास में ही एक गंदा नाला बह रहा था। उसकी बदबू से राजा का दम घुटने लगा। उसने नाक सिकोड़कर उस पर कपड़ा लगा लिया। मंत्री जैन था। अच्छा तत्त्वज्ञ था। वह शान्त भाव से चलता रहा। राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री को सम्बोधित करते हुए कहा—“नाले से इतनी बदबू आ रही है और तुम यों ही चल रहे हो। नाक के आगे कपड़ा क्यों नहीं लगा लेते।”

“महाराज ! यह तो पुद्गलों का स्वभाव है।”—मंत्री ने सहजभाव से कहा।

“तुम बहुधा कहते रहते हो—यह पुद्गलों का स्वभाव है, यह पुद्गलों का स्वभाव है.....। यह क्या है पुद्गलो का स्वभाव ?”—राजा ने जरा विगड़ते हुए पूछा।

“महाराज ! जो पानी आपको गन्दा एवं दुर्गन्धमय लगता है, वह कल स्वच्छ और सुगन्धमय बन सकता है। इसी के समानान्तर जो पानी आज निर्मल एवं सुगन्धयुक्त है, वह कल गंदा और दुर्गन्धयुक्त हो सकता है।”—मंत्री ने उसी शान्त भाव से कहा।

“तब तो इस नाले का पानी भी पीने के योग्य बन सकता है।”—
राजा ने व्यग्र किया।

“हां महाराज ! अवश्य बन सकता है।”—मंत्री के स्वयं में आत्म-
विश्वास झलक रहा था।

“यह त्रिकाल में भी संभव नहीं है। मेरे अनुभव में तो गन्दा गन्दा ही है और अच्छा अच्छा ही। गन्दा कभी अच्छा नहीं होता और अच्छा कभी गन्दा नहीं बनता। सुगन्धयुक्त कभी दुर्गन्धयुक्त नहीं बनता और दुर्गन्धयुक्त कभी सुगन्धयुक्त नहीं होता।”—राजा ने अपना मंतव्य प्रकट किया।

मंत्री ने राजा से विवाद करना उचित नहीं समझा। अतः इस बात को उसने वही समाप्त कर दिया। पर मन-ही-मन सोचा—जब तक मैं अपनी बात सिद्ध न कर दूँ, इस गंदे नाले का पानी राजा को न पिला दूँ, तब तक मैं जैन कहलाने का सच्चा अधिकारी नहीं।

राजा और मंत्री दूसरे-दूसरे विषयों पर बात करते राजमहल लौट आए।

दूसरे दिन मंत्री ने उसी गंदे नाले का पानी घर मंगवाया। शोधन-प्रक्रियाओं द्वारा उसका विधिवत् शोधन शुरू किया। जब वह पूर्ण शोधित/स्वच्छ हो गया तो उसने उसमें कुछ सुगन्धित द्रव्य मिला दिए और उसे राजमहल ले आया। चूँकि इस सारे कार्य को संपादित करने में उसे कई दिन का समय लग गया, इसलिए अब तक राजा के दिमाग से गंदे नाले के पानी की बात निकल चुकी थी।

अबसर देखकर मंत्री ने एक गिलास पानी राजा को पिलाया। पानी पीते ही राजा की तबीयत प्रसन्न हो गई। एक गिलास के बाद दूसरी गिलास पीकर भी उसकी रसना तृप्त नहीं हुई। उसने मंत्री से कहा—“यह पानी तो बड़ा मधुर और सुगन्धित है। ऐसा पानी तो मैंने अपनी जिन्दगी में पहली बार ही पिया है। किस कुएं में यह पानी मंगवाया गया है ? आज से मेरे पीने के लिए उसी कुएं का पानी प्रतिदिन आना चाहिए।”

“महाराज ! यह तो पुद्गलो का स्वभाव है।”—मंत्री ने अपने मन की हंसी रोकते हुए कहा।

‘यह तो पुद्गलो का स्वभाव है।’ इस शब्दावली को सुनते ही राजा को गंदे नाले के पानी की बात याद हो आई। वह एकदम झल्लाया। फिर व्यंग्यात्मक हंसी हसते हुए बोला—“अभी तक भूले नहीं पुद्गलों के स्वभाव को ? उस गंदे नाले के पानी का क्या हुआ ?”

“महाराज ! यह उसी गंदे नाले का पानी है।”—मंत्री ने करवद्ध निवेदन किया।

“मैं तुम्हारे कहने मात्र से यह बात नहीं मान सकती। तुम्हें मेरी आंखों के सामने सब कुछ करके दिखलाना होगा।”—मंत्री के कथन पर अविश्वास का चिह्न लगाता हुआ राजा मुखर हुआ।

मंत्री ने एक दिन का भी विलम्ब किए बिना उसी गंदे नाले का पानी फिर मंगवाया। राजा के सामने ही उसके शोधन की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी बिलकुल स्वच्छ हो गया। सुगन्धित द्रव्य मिश्रित कर मंत्री ने उसे राजा को पिलाया। पानी पीते ही राजा को तत्त्व समझ में आ गया। उसने मंत्री के तत्त्व-ज्ञान की सराहना करते हुए पर्याय-परिवर्तन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया।

बन्धुओ! आप भी तत्त्व को समझ गए होंगे। हम जो कुछ परिवर्तन देखते हैं, नया या पुराना देखते हैं, नष्ट हुआ या पैदा हुआ देखते हैं, वह और कुछ नहीं, केवल द्रव्यों की पर्यायों का परिवर्तन मात्र है। न कोई द्रव्य कभी नष्ट होता है और न कोई पैदा होता है। केवल विभिन्न रूपों में उसका परिणमन होता रहता है। उसकी एक अवस्था नष्ट होती है और वह दूसरी अवस्था को ग्रहण कर लेता है। पहले की अवस्था को छोड़ना और नई अवस्था को ग्रहण करना, यह क्रम सदैव चलता रहता है।
छेड़छाड़ जरूरी है

लोग दर्शन की इन बातों को केवल पण्डितों के लिए समझते हैं। पर मैं जीवन में हर क्षण काम आनेवाली और प्रतिक्षण अनुभव होनेवाली इन बातों को केवल पण्डितों को ही नहीं, अपितु जनसाधारण को भी बताना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। इसीलिए दर्शन के इन तत्त्वों का परिपद् में विवेचन करता हूँ। पर एक बात समझने की है—केवल सुनने मात्र से आप बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। आप सुनने के साथ-साथ इन सब बातों का स्वयं गहराई से चिन्तन करें, अनुभव करें और जहाँ न समझ में आए वहाँ तर्क व जिज्ञासा उपस्थित करें। तत्त्व को सही रूप में समझने की यही प्रक्रिया है।

प्रवचन से पूर्व मेरे उपपात में शैक्ष साध्वियां बैठी थीं। मैंने उनसे कहा—“तुम लोग अध्ययन करती हो। तुम्हें पढ़ाया जाता है। पर तुम दूसरों के पढाए गए पर ही संतोष मत करो, अपितु अपना दिमाग और चिन्तन भी उसके साथ लगाओ। उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश करो। तब ही तुम्हारा ज्ञान विकसित हो सकेगा। उसमें नए-नए उन्मेष आ सकेंगे। सांप की जब तक छेड़-छाड़ नहीं की जाती, वह फन नहीं उठाता। अग्नि को जब तक इधर-उधर नहीं किया जाता, वह प्रज्वलित नहीं होती। ठीक यही स्थिति मस्तिष्क की है। जब तक तुम मस्तिष्क को कुरेदोगी नहीं, तब तक केवल पढ़ी-पढ़ाई बातों से ज्ञान नहीं हो सकेगा।”

‘धम्मो संगल मुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवावि तं नमंस्संति, जस्स धम्मं सया मणो ॥’

दशवैकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की इस प्रथम गाथा को प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा—“भगवान महावीर ने धर्म के तीन प्रकार बताए हैं—अहिंसा, सयम और तप । यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या अहिंसा संयम के अन्तर्गत नहीं है ? क्या विना संयम के भी अहिंसा होती है ? यदि अहिंसा संयम के अन्तर्गत है तो फिर अहिंसा और संयम—इन दो शब्दों का प्रयोग क्यों ? क्योंकि हम मानते हैं कि तीर्थंकरों की वाणी में एक शब्द भी निरर्थक या निष्प्रयोजन नहीं होता ।”

साध्विया अपने-अपने ढंग से इस प्रश्न का समाधान खोजने लगी ।

मैंने उनसे कहा—“तुम इस बात की चिन्ता मत करो कि तुम्हारा समाधान सही है या गलत । पर तुम इस विषय पर गहराई से सोचो, अपनी बौद्धिक शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करो ।”

सभी साध्वियों को सुनने के पश्चात् मैंने समाधान दिया—“हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि सयम कहा होता है ? हमारी सैद्धान्तिक मान्यता के अनुसार चौथे गुणस्थान (अविरतसम्यग्दृष्टि) तक सर्वथा संयम नहीं होता । पर संयम न होने के बावजूद भी चौथे गुणस्थान तक के प्राणी सत्प्रवृत्ति कर सकते हैं । सत्य का आचरण कर सकते हैं । ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं.....’। ‘अहिंसा’ उन सब सत्प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि शब्द है । इस बात से हमें समझना चाहिए कि सयम में अहिंसा अनिवार्यरूप से होती है, पर अहिंसा में सयम अनिवार्य नहीं । विना संयम भी अहिंसा हो सकती है । जो लोग संयमी नहीं हैं, वे भी अहिंसारूप धर्म का पालन कर सकते हैं ।

मिथ्यादृष्टि से सम्यग्दृष्टि बनने का मार्ग

कुछ लोगों की मान्यता है कि मिथ्यादृष्टि धर्म कर ही नहीं सकता । उसकी अच्छी या बुरी सभी प्रकार की प्रवृत्तिया असत् अर्थात् अधर्म हैं । भवभ्रमण की बढ़ानेवाली हैं । ऐसी स्थिति में प्रश्न है, मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि कैसे बनेगा ? यह तो ठीक है कि अभी कभी भगी नहीं बनता । पर मिथ्यादृष्टि सम्यग्दृष्टि बनता है । यदि मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति मात्र को ही अधर्म मान लिया जाएगा तो इसका अर्थ यह होगा कि मिथ्यादृष्टि और अभी दोनो एक ही हो गए । उनमें कोई अन्तर नहीं रहा । यदि हम मिथ्यादृष्टि की मुक्ति मानते हैं तो यह निश्चित है कि वह कभी-न-कभी सम्यग्दृष्टि बनता है । इस स्थिति में क्या यह माना जाए कि वह असत्प्रवृत्ति यानी अधर्म से सम्यग्दृष्टि बनता है ? यह कभी त्रिकाल में भी संभव नहीं है । मिथ्यादृष्टि से सम्यग्दृष्टि बनाने का एकमात्र मार्ग सत्प्रवृत्ति अर्थात् धर्म ही है ।

तत्त्व यह है कि संयम सम्यक्त्व के बिना नहीं होता। जब तक एक व्यक्ति मिथ्यादृष्टि है, तब तक चाहे वह कितना भी त्याग-प्रत्याख्यान क्यों न करे, वह सैद्धान्तिक दृष्टि से संयम नहीं कहलाएगा। पर उस त्याग-प्रत्याख्यान को धर्म मानने में कोई अड़चन नहीं है। संसार से मोक्ष की ओर गतिशील बनानेवाला सहयोगी तत्त्व मानने में कोई कठिनाई नहीं है। कोई मिथ्यादृष्टि अब्रह्मचर्य, असत्य और चोरी करने का परित्याग करता है। हम उसे त्याग दिलवाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं पूछना चाहता हूँ, त्याग-प्रत्याख्यान करके क्या वह अधर्म कर रहा है? क्या हम त्याग दिलवाकर उसके भवभ्रमण को बढ़ा रहे हैं? अभी हम लाडलू से गंगाशहर आये। मार्ग में हमने हजारों-हजारों व्यक्तियों को दुर्व्यसनो को त्यागने का उपदेश दिया। उपदेश से प्रेरित होकर सैकड़ों व्यक्तियों ने शराब, मांस, तम्बाकू तथा अन्यान्य अनेक प्रकार की बुराइयों को छोड़ा। हमने उनको त्याग करवाए। क्या वे सभी सम्यग्दृष्टि थे? नहीं, वे सब सम्यग्दृष्टि नहीं थे। इस स्थिति में क्या हम ऐसा मानें कि उन्होंने शराब, मांस, तम्बाकू आदि छोड़कर अधर्म किया? नहीं, शराब, मांस आदि का त्याग करके न तो उन्होंने अधर्म किया और न ही हमने अधर्म के लिए प्रेरित ही किया। यह शुद्ध धर्म का काम है। व्यक्ति की आत्मा जितनी-जितनी पाप-कर्म से निवृत्त होती है, वह सदा धर्म ही है। उसमें अधर्म की बात करना चिन्तन का अधूरापन है।

अणुव्रत का सैद्धान्तिक आधार

प्रस्तुत सदर्म में अहिंसा और संयम इन दो शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य यही है कि धर्म का द्वार केवल संयमी प्राणियों के लिए ही नहीं, अपितु असंयमी प्राणियों के लिए भी खुला है। उन्हें भी सत्प्रवृत्ति/धर्म करने का उतना ही अधिकार है, जितना संयमी प्राणियों को। अर्थात् आत्मोत्थान या मोक्ष जाने का जितना अधिकार एक संयमी प्राणी को है, उतना ही एक असंयमी प्राणी को भी। इसी सिद्धान्त के आधार पर हमने 'अणुव्रत' की बात कही। एक जैन अणुव्रती बन सकता है तो एक अजैन भी अणुव्रती बन सकता है। एक सम्यग्दृष्टि अणुव्रती बन सकता है तो एक मिथ्यादृष्टि भी अणुव्रती बन सकता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए, फिर चाहे कोई नास्तिक भी क्यों न हो, अणुव्रत का रास्ता सदा खुला है। शतं एक ही है कि उसका विश्वास जीवन की पवित्रता में होना चाहिए। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हजारों-हजारों अजैन और मिथ्यादृष्टि कहे जानेवाले लोगों ने अणुव्रत के सहारे अपने जीवन को ऊंचा उठाया है। अपने आचरण और व्यवहार में धर्म को स्थान दिया है।

हां, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप केवल सुने ही नहीं, उस पर

गहराई से चिन्तन भी करें। अपनी वौद्धिक शक्ति का उपयोग कर उस तत्त्व को आत्मसात् करने का प्रयास भी करें। ऐसा करने से ही आपके सुनने की पूरी सार्थकता होगी और जन-जन को तत्त्व-ज्ञान से परिचित कराने का मेरा उद्देश्य भी सफल हो सकेगा।

गंगाशहर

९ अगस्त, १९७८

पर्याय के लक्षण व प्रकार

पर्याय के संबंध में मैंने कल कुछ बातें आप से बताईं। आज उसी विषय को कुछ और स्पष्ट करना चाहूंगा।

‘लवखणं पञ्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे’—‘पर्याय द्रव्य और गुण इन दोनों के आश्रित रहता है।’ इस आगम वाक्य के अनुसार द्रव्य और गुण की पूर्व-पूर्व अवस्था के व्यय और उत्तर-उत्तर (नई-नई) अवस्था के उत्पाद को पर्याय कहते हैं।

हम देखते हैं कि जीव देव, मनुष्य तिर्यच और नारक रूपों में परिवर्तित होता है। इन अवस्थाओं में वह न जाने कितने-कितने रूपों को बदलता है। इसी प्रकार पुद्गल मित्र-मित्र स्कन्धों के रूप में परिणमन करते रहते हैं। कोयले को जलाने से वह राख रूप में परिवर्तित हो जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं काल के साथ जीव व पुद्गलों का संयोग और विसम्बन्धन होता है। ये सब द्रव्य की पर्यायें हैं।

जीव के ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि में परिवर्तन होता रहता है। पुद्गलों के स्पर्श, रस, गंध और वर्ण में परिवर्तन होता है। वे नवीन और पुरातन होते हैं। ये सब गुण की पर्यायें हैं।

प्रश्न होगा, पर्यायें कितनी हैं? चूंकि पूर्व अवस्थाएँ और उत्तर अवस्थाएँ अनन्त हैं, इसलिए पर्यायें भी अनन्त हैं। हम अपना ही उदाहरण लें। हम में से प्रत्येक की अनन्त-अनन्त पर्यायें बदलती हैं। भूत और भविष्य की बात हम छोड़ दें, केवल वर्तमान में भी हम इतनी पर्यायें बदलते हैं, जिनकी गणना कठिन है।

प्रश्न किया जा सकता है, पर्याय के कितने प्रकार हैं ?

व्यञ्जनार्थभेदेन स्वभाव-विभावभेदेन चास्यद्वैविध्यम् ।

पर्याय के दो प्रकार हैं—

१. व्यञ्जन पर्याय ।

२. अर्थ पर्याय ।

पर्याय के अन्य दो प्रकार भी हैं—

१. स्वभाव पर्याय ।

२. विभाव पर्याय ।

व्यञ्जन पर्याय

स्थूलः कालान्तरस्यायी शब्दानां संकेतविषयो व्यञ्जनपर्यायः ।

स्थूल पर्याय को व्यञ्जन पर्याय कहते हैं । यह इसकी संक्षिप्त परिभाषा है । विस्तार में जाए तो जो पर्याय विल्कुल स्पष्ट होती है—सर्व साधारण जिसका अनुभव कर सकता है, जो त्रिकालस्पर्शी होती है और जिसे शब्दों के द्वारा बताया जा सकता है, वह व्यञ्जन पर्याय है । उदाहरणार्थ—वच्चा जवान हो गया । केश काले से सफेद हो गए ।.....ये ऐसी पर्यायें हैं; जो सर्व-साधारण के लिये भी वुद्धिगम्य हैं, त्रिकालस्पर्शी हैं और शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त होती हैं ।

अर्थ पर्याय

सूक्ष्मो वर्तमानवर्ती अर्थपरिणाम. अर्थपर्यायः ।

सूक्ष्म पर्याय अर्थ पर्याय कहलाती है । आप इसे और स्पष्ट रूप में समझें । जो पर्याय अस्पष्ट है, प्रतिक्षण परिवर्तन होने के पश्चात् भी सर्व-साधारण के लिए गम्य नहीं है, जिसके बदल जाने से भी द्रव्य का आकार नहीं बदलता और जो केवल वर्तमानवर्ती है—वह अर्थ पर्याय है । उदाहरणार्थ—यह सामने वेल है । प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है । यह बढ़ रही है । पर हमें इसका बोध नहीं होता । कवि की भाषा में—

‘चंदा तो चलता न दीखे, बढ़ती दीखे ना वेल ।

साधु तो जपता न दीखे, यह कुदरत का खेल ॥’

—चन्द्रमा चलता हुआ दिखाई नहीं देता । वेल बढ़ती हुई मालूम नहीं पड़ती । साधु जाप करता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता । क्योंकि ये सब प्रकृतिगत बातें हैं ।

क्या यह जाप नहीं है ?

वन्धुयो ! सचमुच कवि ने बहुत गहरी बात कही है । साधु जाप करता हुआ दिखाई नहीं देता । आप यदि घटा-दो-घटा णमो अरहताण, णमो सिद्धाणं.....या अर्हम्-अर्हम् की ध्वनि को ही जाप मानते हैं तो बहुत बड़ी भूल में हैं । वास्तव में साधु का हर क्षण, हर सांस और हर प्रवृत्ति जापमय होती है । मैं प्रतिदिन प्रवचन करता हूँ । क्या यह जाप नहीं है ? मैं इसे किसी जाप में कम महत्त्व नहीं देता । दो घटे मुद्राविशेष में अवस्थित होकर किसी मंत्र की साधना करना जाप है, तो दो घटे जनता के बीच बोलना, उसे तत्त्व ज्ञान देना भी जाप है । मेरी दृष्टि में यह बहुत उपयोगी और आवश्यक भी है ।

सच्चा सेवक कौन ?

आज समाज के सभी वर्ग अपने को सेवक बताते हैं। व्यापारी कहते हैं कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। जनता की जीवनोपयोगी सभी वस्तुओं को स्थान-स्थान से एक स्थान पर लाना, उनको व्यवस्थित रूप में वितरित करना जनता की कितनी बड़ी सेवा है ! मजदूर कहते हैं कि हम कठिन श्रम करते हैं। खून का पसीना बनाकर उत्पादन करते हैं, जिससे पूरे राष्ट्र का काम चलता है। सैनिक कहते हैं कि हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करते हैं। यह सबसे महत्त्वपूर्ण सेवा है। नेताओं की तो बात ही छोड़िए। वे तो सोचते हैं कि हमारे जैसी सेवा तो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यदि हम न हों तो पता नहीं जनता और राष्ट्र का कैसा बुरा हाल हो !.....पर मैं सोचता हूँ, वास्तव में अधिकांश लोग राष्ट्र और जनता की सेवा के बहाने अपनी ही सेवा करते हैं। अपनी उदरपूर्ति एवं स्वार्थ-सिद्धि के लिये ही अधिकांश काम करते हैं। राष्ट्र और जनता की सच्ची सेवा तो साधु-संत ही कर सकते हैं। वे निःस्वार्थ भाव से जनता का पथ-दर्शन करते हैं। उसे ज्ञान-दान देते हैं। उन्हें कोई भिक्षा देना है तो भी वे ज्ञान देते हैं। और कोई नहीं देता है तो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। भिक्षा देने के साथ उनके ज्ञान-दान का कोई सम्बन्ध नहीं है। और तो क्या, उम्र भर गालियाँ देनेवाले को भी वे ज्ञान-दान से वंचित नहीं रखते। पथ-दर्शन के लिए इनकार नहीं करते। उसके प्रति भी अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं करते।

संतजनों का स्वभाव

एक भाई साधु-संतों का बहुत बड़ा आलोचक था। उम्र भर उसने साधु-संघ की बहुत निम्नस्तरीय निन्दा की। जीवन के संघ्याकाल में वह बीमार पड़ा। उसने मुझे दर्शन के लिए कहलाया। मुझे सुनकर आश्चर्य तो हुआ पर मैं तत्काल वहाँ गया। उसकी मानसिक समाधि के लिए मैंने संभावित प्रयत्न किया। उसको अत्यन्त प्रसन्नता हुई। अपने उम्र भर के दुर्व्यवहार के लिए उसका मन पश्चात्ताप से भर गया। उसी भाव धारा में उसने कहा—“मैं तो उम्र भर आपकी निन्दा-आलोचना करता रहा पर आपने अपना संत-स्वभाव नहीं छोड़ा।”

बन्धुओ ! संत सदा अपने आत्म-स्वभाव में रमण करते हैं। चंदन को घिसो तो भी वह सुवास ही फैलाएगा। वृक्ष को भले पत्थर की मारो पर वह तो मधुर फल ही देगा। यही वृत्ति संतों की होती है। संतो को चाहे कोई कितनी भी गालियाँ दे, मारपीट करे, वे वापस उसका गाली और मारपीट से प्रतिकार नहीं करते। और को गाली के बदले गाली दे, ईंट का जवाब पत्थर से दे, वे सच्चे संत नहीं हैं। सन्त तो हर स्थिति में सबके लिए

करुणा की भावना ही रखते हैं। तटस्थ भाव से सबको आत्मोत्थान की ओर प्रेरित करते हैं। इसलिए मैंने कहा, सत लोगों की सेवा ही सच्ची सेवा है।

मैं प्रसंगवश आपसे बहुत-सी दूसरी-दूसरी बातें कह गया। मेरा मूल प्रतिपाद्य था—पर्याय। पर्याय के दो प्रकार—व्यञ्जन और अर्थ को हमने जाना। अब हम पर्याय के अन्य प्रकारों को भी समझें।

स्वभाव पर्याय

परनिमित्तानपेक्षः स्वभावपर्यायः ।

सहज परिवर्तन अर्थात् दूसरी वस्तु के निमित्त की अपेक्षा न रखने-वाली अवस्था को स्वभाव पर्याय कहा जाता है। जिस प्रकार पानी में सहज रूप से कल्लोले उठती रहती हैं, उसी प्रकार वस्तु में विना किसी निमित्त के सहजरूप से परिवर्तन होता रहता है। पर्याय परिवर्तित होती रहती है। आपके घर में दूध है। दूध के विना किसी चीज के मिले सहजरूप से प्रतिक्षण सूक्ष्म परिवर्तन होता है—यह स्वभाव पर्याय है।

विभाव पर्याय

परनिमित्तानपेक्षो विभावपर्यायः ।

दूसरे पदार्थ के निमित्त से होनेवाले परिवर्तन को विभाव पर्याय कहते हैं। मैंने अभी दूध का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूध में जो स्वाभाविक परिवर्तन होता है, वह स्वभाव पर्याय है। पर मान लीजिए आपने उसमें दही का जामन दे दिया। वह दही के रूप में परिवर्तित हो गया। यह दही के रूप में परिवर्तित होना विभाव पर्याय है। क्योंकि विना जामन का निमित्त मिले, वह दही के रूप में परिणत नहीं हो सकता था।

क्रोध स्वभाव नहीं, विभाव है

कुछ लोग क्रोध, वासना आदि को स्वभाव कह देते हैं। पर वस्तुतः ये सब स्वभाव नहीं, विभाव हैं। क्योंकि क्रोध आदि कर्मों के निमित्त से पैदा होते हैं। यदि क्रोध, वासना आदि स्वभाव हैं तो शुद्ध-आत्मा/सिद्ध में भी होने चाहिए। पर हम देखते हैं कि शुद्धात्मा में इनका सर्वथा अभाव है। इसलिए क्रोध, वासना आदि को स्वभाव नहीं, विभाव ही जानना चाहिए।

पर्याय के लक्षण

पर्याय के प्रकार जानने के पश्चात् अब हम पर्याय के लक्षणों पर चर्चा करेंगे।

एकत्व-पृथक्त्व-संख्या-संल्यान-संयोग-विभागास्तल्लक्षणम्

एतैः पर्याया लक्ष्यन्ते ।

एकत्वम्—भिन्नेष्वपि परमाण्वादिषु यदेकोऽयं घटादिरिति प्रतीतिः ।

पृथक्त्वम्—संयुक्तेषु भेदज्ञानस्य कारणभूतं पृथक्त्वम्, यथा—अयमस्मात्

पृथक् ।

संख्या — द्वौ त्रय इत्यादिरूपा ।

संस्थानम्—यथा इदं परिमण्डलम् ।

संयोगः—अयसंगुल्योः संयोगः ।

विभागः—वियुक्तेषु भेदज्ञानस्य कारणभूतो विभागः, यथा—अयमितो
विभक्तः ।

एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग और विभाग—ये सब पर्याय
के लक्षण हैं ।

एकत्व

भिन्न-भिन्न परमाणुओं व स्कन्धों से बना होने के बावजूद भी 'यह
घड़ा एक है' इस प्रकार की प्रतीति के कारणभूत पर्याय को एकत्व कहते
हैं ।

पृथक्त्व

भिन्न-भिन्न परमाणुओं एवं स्कन्धों से बने एक पदार्थ में भिन्नता
की प्रतीति के कारणभूत पर्याय को पृथक्त्व कहते हैं । उदाहरणार्थ—यह पट्ट
है । यह पूरा एक स्कन्ध है । पर एक होने के बावजूद भी इसमें लकड़ी के
भिन्न-भिन्न छोटे-मोटे अनेक टुकड़ों का हमें अनुभव होता है ।

संख्या

जिसके द्वारा दो, पाँच, सात.....संख्यात, असंख्यात आदि की प्रतीति
होती है, वह संख्या है ।

संस्थान

गोल, परिमण्डल, त्रिकोण आदि के आकारों को संस्थान कहा जाता
है ।

संयोग

अन्तररहित मिलन को संयोग कहते हैं । जैसे, पाँचों अंगुलियाँ मिल-
कर मुठ्ठी बन गई ।

विभाग

अलग-अलग पदार्थों में भिन्नता की प्रतीति के कारणभूत पर्याय को
विभाग कहा जाता है ।

इस विवेचन के साथ जैन सिद्धांत दीपिका का प्रथम प्रकाश समाप्त
होता है । कल सभवतः मैं द्वितीय प्रकाश का विवेचन प्रारंभ कर सकूँगा ।

गगाशहर

१० अगस्त, १९७८

तत्त्व-बोध

पिछले प्रवचनों में आप लोगो ने द्रव्य, गुण और पर्याय के संबंध में जाना। आज मैं तत्त्व के संबंध में कुछ बताऊंगा। जैन दर्शन में नौ तत्त्व माने गए हैं।

जीवाऽजीव-पुण्य-पापाश्रव-संवर-निर्जरा-बन्ध-मोक्षास्तत्त्वम् ।

तत्त्वं पारमार्थिकं वस्तु ।

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष—ये नव तत्त्व हैं।

तत्त्व क्या है

प्रश्न है, तत्त्व किसे कहते हैं? पारमार्थिक वस्तु को तत्त्व कहा जाता है। अर्थात् जिस वस्तु का महान्तम प्रयोजन है, वह तत्त्व है। हम व्यवहार में भी प्रायः कहते हैं कि इसमें तत्त्व क्या है? यानी जो कुछ कहा गया, बताया गया, पढा गया उसमें सारभूत क्या है? आप जानते हैं कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसमें सब कुछ सारभूत नहीं होता। व्यक्ति जो कुछ खाता-पीता है, उसमें सारभूत उतना ही होता है जो शरीर में रस के रूप में परिणमित होता है। शेष सब निस्सार होता है। आप कहेंगे, तब तो हमें केवल सारभूत को ही ग्रहण करना चाहिए, निस्सार से हमारा क्या प्रयोजन? बात ठीक है। पर कठिनाई यह है कि सारभूत के साथ बहुत-सी निस्सार वस्तुएं सहजरूप से जुड़ी होती हैं। इसलिए सारभूत को ग्रहण करने के लिए प्रारम्भ में सम्पूर्ण को ही ग्रहण करना होता है। फिर उसमें से सारभूत को अलग निकाला जाता है। यह सारभूत ही तत्त्व कहलाता है। यो तो यह संसार बहुत लम्बा-चौड़ा है। पर इसमें सारभूत बातें नौ ही हैं। उन्हें ही तत्त्व कहा गया है।

ज्ञेय नव ही तत्त्व हैं

नौ तत्त्वों के नाम और उनकी संक्षिप्त जानकारी प्रत्येक जैन कहलाने वाले भाई-बहिन को अवश्य होनी चाहिए। यद्यपि इन नौ तत्त्वों में उपादेय केवल संवर, निर्जरा और मोक्ष—ये तीन ही तत्त्व हैं। अवशिष्ट छह तत्त्व—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और बन्ध हेय हैं। पर उपादेय

और हेय सभी तत्त्वों का अवबोध आवश्यक है ।

जीव हेय क्यों ?

आप कह सकते हैं कि अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है, यह बुद्धिगम्य है, पर जीव को छोड़ने योग्य क्यों कहा गया ? यदि जीव को ही छोड़ देगे तो शेष रहेगा ही क्या ? इस बात को थोड़ा गहराई से समझना चाहिए । वास्तव में संसार में जीव कभी भी शुद्धावस्था में नहीं रहता । वह कर्मों से बंधा हुआ रहता है । कर्मबद्ध जीव कभी भी उपादेय नहीं हो सकता । कर्मबद्ध जीव को छोड़ने का अर्थ है—मोक्ष की प्राप्ति । उस अवस्था में जीव तो रहेगा पर वह कर्ममुक्त/शुद्ध चैतन्य-स्वरूप होगा ।

जीव को जानें

नौ तत्त्वों में जीव पहला तत्त्व है । जिस प्रकार कंकर और गेहूं, छाछ और मक्खन, मिट्टी और सोना दोनों साथ-साथ रहते हैं, उसी प्रकार जीव और अजीव/पुद्गल दोनों साथ-साथ रहते हैं । जिस प्रकार गेहूं को नहीं समझनेवाला गेहूं और कंकर को अलग-अलग नहीं कर सकता, मक्खन को नहीं जाननेवाला छाछ से मक्खन पृथक् नहीं कर सकता, सोने को नहीं जाननेवाला मिट्टी से सोने को नहीं निकाल सकता, उसी प्रकार जीव को नहीं समझनेवाला जीव और अजीव के भेद को नहीं जान सकता । इसीलिए जीव को जानना बहुत जरूरी है ।

उपयोगलक्षणो जीवः ।

‘उपयोग’ लक्षण है जिसका वह तत्त्व जीव कहलाता है । प्रश्न होगा ‘उपयोग’ किसे कहते हैं ? साधारण बोलचाल में उपयोग का अर्थ होता है—काम में लेना । पर जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा, हर शब्द हर स्थान में एक ही अर्थ में व्यवहृत नहीं होता । भिन्न-भिन्न स्थानों में वह भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है । प्रस्तुत संदर्भ में ‘उपयोग’ शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

चेतनाव्यापारः—उपयोगः ।

चेतना—ज्ञानदर्शनात्मिका । तरया व्यापारः—प्रवृत्तिः उपयोगः ।

चेतना के व्यापार को उपयोग कहा जाता है । चेतना क्या है ? चेतना है—ज्ञान व दर्शन । इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान-दर्शन की प्रवृत्ति ‘उपयोग’ है ।

चेतना का विस्तार क्षेत्र

हम कानों से अनेक शब्द सुनते हैं । आंखों से विभिन्न रूपों को देखते हैं । नाक से गंध लेते हैं । जीभ से रस का अनुभव करते हैं । शरीर/त्वचा

से स्पर्श का ज्ञान करते हैं। शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान होना चेतना का व्यापार है। कान, आंख, नाक, जीभ और शरीर/त्वचा—इन सब में चेतना परिव्याप्त है। इसे भावेन्द्रिय कहते हैं। पांच भावेन्द्रियों के अतिरिक्त भाव मन भी चेतन है। मन से सुख-दुःख का अनुभव करना चेतना का व्यापार है।

पांच इन्द्रियो और मन की चेतना के विभिन्न स्तर हैं। उसके द्वारा हम विभिन्न रूपों में ज्ञान करते हैं। वह स्थूल चेतना है। स्थूल चेतना पुद्गलसापेक्ष होती है। किसी व्यक्ति की आंखें चली गईं तो वह देख नहीं सकता। यद्यपि देखने की शक्ति उसके पास विद्यमान है पर पौद्गलिक यंत्र के खराब हो जाने से उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए हम तात्त्विक चर्चा में अचक्षु आदमी के इन्द्रिया पांच ही स्वीकार करते हैं। वास्तव में हमें ऊपर से जो इन्द्रियां दिखाई देती हैं, वे उनके पौद्गलिक आकार हैं। इन्द्रियों में ज्ञान करने की चेतना तो अन्दर विद्यमान होती है। पर वह चेतना पौद्गलिक उपकरणों (इन्द्रियो और मन) की सहायता के बिना अपना व्यापार नहीं कर सकती, इसलिए उस चेतना को स्थूल चेतना माना गया है।

उस स्थूल चेतना के अतिरिक्त एक सूक्ष्म चेतना और है। सूक्ष्म चेतना पुद्गलसापेक्ष नहीं है। यानी उस चेतना को अपना व्यापार करने में किसी भी प्रकार के पौद्गलिक उपकरणों (इन्द्रियो और मन) की अपेक्षा नहीं होती। वह आत्मा के स्तर पर अपना कार्य करती है। अवधि, मनः पर्यव और केवलज्ञान इस कोटि में आते हैं। स्थूल चेतना में मति और श्रुत ज्ञान को जानना चाहिए।

अधजल गगरी छलक जाये

चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप केवलज्ञान है। सचमुच यह स्थिति गर्व करने जैसी है। मति और श्रुत ज्ञान तो उसके सामने बहुत ही नगण्य हैं। पर मजे की बात तो यह है कि फिर भी लोग अपने ज्ञान पर्व करते हैं। केवलज्ञानी अपने ज्ञान का किञ्चित् भी अभिमान नहीं करते। वस्तुतः अभिमान करना अपूर्णता का प्रतीक है। पूर्णता की स्थिति में कभी कोई अभिमान नहीं कर सकता। सांप के पास कितना जहर होता है, पर वह कभी भी अपने जहर का प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन विच्छू, जिसके पास बहुत थोड़ा जहर होता है, अहं करता है। उसका प्रदर्शन करने के लिए वह अपनी पूंछ ऊंची करके चलता है।

सुयश वनाम आत्म-निर्जरा

छोटे आदमी की यह सबसे बड़ी पहचान है कि वह कार्य कम करता है और उसका प्रदर्शन अधिक करता है। उसके कार्य करने के पीछे कर्तव्य-

बुद्धि कम या नहीं के बराबर होती है और नाम/प्रतिष्ठा की भावना अधिक होती हैं। पर महान् व्यक्ति की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न होती है। वह कर्त्तव्य-बुद्धि से ही कार्य करता है। भगवान् महावीर ने साधना की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहा—साधक को मात्र आत्म-निर्जरा की भावना से प्रवृत्ति करनी चाहिए। यश/प्रतिष्ठा/नाम के लिए कोई भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। सचमुच यह गहरी बात है। जिस साधक के जीवन में यह आत्म-निर्जरा/कर्म-निर्जरा की भावना जितनी प्रबल होती है, उसकी साधना उतनी ही अधिक तेजस्वी बनती है। हालांकि कर्म-निर्जरा की भावना से किए जानेवाले कार्य में यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि बातें भी प्रासंगिक फल के रूप में सहज ही प्राप्त होती हैं, पर सफल साधक इनकी किंचित् भी आकांक्षा नहीं करता। इनके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करता।

मैं प्रतिदिन प्रवचन करता हूँ। इससे सैकड़ों-हजारों लोग सहजरूप से ही लाभान्वित होते हैं, पथ-दर्शन प्राप्त करते हैं। कुछ लोग मेरी प्रशंसा भी कर सकते हैं। पर मेरे प्रवचन करने का मूलभूत उद्देश्य लोगों को लाभान्वित करना, उनका पथ-दर्शन करना या प्रशंसा पाना नहीं, अपितु आत्म-निर्जरा ही है। हाँ, इतना अवश्य है कि मेरी इस आत्म-निर्जरा की प्रवृत्ति का ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूरा-पूरा उपयोग होता है तो मुझे सहजरूप से अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति होती है। पर उसका पूरा उपयोग यदि नहीं भी होता है तो मेरी आत्म-निर्जरा में कहीं कोई कमी नहीं आती।

बन्धुओं ! मेरे अन्तःकरण की बहुत बड़ी तड़फ है, भावना है कि समाज का हर भाई और बहिन तत्त्व-ज्ञान सीखे। यह माना कि सबका क्षयोपशम समान नहीं होता, इसीलिए सब समान रूप से तत्त्वज्ञ नहीं हो सकते। तथापि एक सीमा तक तो तत्त्व का ज्ञान प्रत्येक जैन और तेरापंथी कहलानेवाले व्यक्ति को होना ही चाहिए। मैं देख रहा हूँ, समाज में इन दिनों तत्त्व-ज्ञान के प्रति थोड़ी अरुचि या उपेक्षा हो रही है। यह उचित नहीं है। इस अरुचि या उपेक्षा को मिटाना चाहिए और ज्ञान-प्राप्ति के लिए अभिरुचि जागृत करनी चाहिए। प्रारंभिक भूमिका तक तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से 'कालू तत्त्व शतक' अत्यंत उपयोग और आवश्यक है। इस ग्रन्थ का यदि सांगोपांग अध्ययन कर लिया जाता है तो मानना चाहिए कि प्रारंभिक स्तर तक तत्त्व की जानकारी हो गई है। मैं आप लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप इस ग्रन्थ का अध्ययन अवश्य करें। जो लोग नियमित रूप से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहेंगे, उनके लिए मैं स्वयं प्रतिदिन समय देने का सभावित प्रयास करूँगा।

गंगाशहर

११ अगस्त, १९७८

स्वयं के अस्तित्व को पहचानें

साधना का अर्थ

कल से मैंने नौ तत्त्वों का विवेचन प्रारम्भ किया था । जैसा कि आपने कल जाना—नौ तत्त्वों में कुछ हेय हैं, कुछ उपादेय हैं, पर ज्ञेय सभी नौ ही तत्त्व हैं । साधना की दृष्टि से इस विवेचन का बहुत महत्त्व है । क्योंकि जानने, छोड़ने और ग्रहण करने का ही दूसरा नाम साधना है । जब तक इन तीनों की समन्विति नहीं होती, तब तक साधना फलित नहीं हो सकती । कुछ लोग कहते हैं कि साधना के लिए कुछ भी छोड़ने की क्या अपेक्षा है ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बुराई को छोड़े बिना वे अच्छाई को स्वीकार कैसे करेंगे ? अच्छाई को स्वीकार करना है तो बुराई को छोड़ना ही होगा । इसलिए आपकी यह सहज मनोवृत्ति और संस्कार होना चाहिए कि आप अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई का परित्याग करें । हाँ, आपको कोई अच्छाई छोड़ने की बात कहे तो अवश्य आपके मन में प्रश्नचिह्न हो सकता है, आपके लिए यह चिन्तन का विषय बन सकता है । पर बुराई छोड़ने में चिन्ता और चिन्तन किस बात का ? आपसे कोई रोटी छोड़ने की बात कहे तो निस्संदेह यह आपके लिए कठिन हो सकता है । पर आपको यदि मिट्टी छोड़ने के लिए कहा जाए और आप धवराएँ तो यह आश्चर्य की बात है । कहने का तात्पर्य यह है कि सभी तत्त्वों को जानना और उनमें उपादेय को ग्रहण करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है—हेय को छोड़ना ।

एक ही सिक्के के दो पहलू

वस्तुतः अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को छोड़ना—दोनों अलग-अलग बातें नहीं, अपितु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । यदि हम एक पक्ष को स्वीकार करते हैं तो दूसरा पक्ष सहज ही हमारे लिए स्वीकार्य हो जाता है । अच्छाई को स्वीकार करने का अर्थ ही है—बुराई को छोड़ना । बुराई को छोड़ने का अर्थ ही है—अच्छाई का संग्रहण । अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण की कि बुरी-बुरी बातें स्वयं छूट जाएंगी । इसी प्रकार बुराइयाँ छूटी कि शेष अच्छाइयाँ रह जाएंगी । पाप को छोड़ने का अर्थ है—धर्म का संग्रहण तथा

धर्म की स्वीकृति का फलित है—पाप-भुक्ति । कहने का तात्पर्य यह है कि बुराई का परित्याग और अच्छाई का संग्रहण—इन दोनों बातों का एक ही परिणाम है । इसलिए मैंने कहा कि उपादेय को स्वीकार करना और हेय को छोड़ना दोनों एक ही बात है । पर समझने की सुविधा के लिए इन्हें अलग-अलग करके बताया जाता है ।

नौ तत्त्वों में सबसे पहले हमने जीव पर चर्चा प्रारम्भ की थी, क्योंकि जीव को जानना सबसे जरूरी है । आप कहेंगे, यह तो अपने स्वार्थ की बात है । चूंकि हम सब जीव हैं, इसलिए सबसे पहले जीव की चर्चा करते हैं ।

स्वार्थ बुरा भी, अच्छा भी

मैं नहीं समझता, स्वार्थ को आप बुरा ही क्यों मानते हैं ? स्वार्थ वही बुरा है, जो दूसरों के हितों को चोट पहुंचाता हो । जो स्वार्थ दूसरों के हितों को नहीं रोकता, वह कभी भी बुरा नहीं कहा जा सकता । एक व्यक्ति ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, यह क्या स्वार्थ नहीं है ? स्वार्थ है, पर यह स्वार्थ कभी भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता । क्योंकि इसमें किसी के हितों को नुकसान नहीं पहुंचता । इस संदर्भ में एक बात और जान लेने योग्य है—व्यवहार में हमें बहुत से कार्य परार्थ लगते हैं, पर वास्तव में वे परार्थ नहीं, स्वार्थ ही होते हैं । उदाहरणार्थ—कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विद्या/ज्ञान देता है । समाभ्यतः ज्ञान-दान तो परार्थ समझा जाता है । परोपकार की संज्ञा दी जाती है । पर तत्त्वतः वह परार्थ नहीं, स्वार्थ ही है । क्योंकि पढ़ाया जानेवाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, यह कोई निश्चित नहीं है । पर ज्ञान दान देनेवाला तो निश्चित ही लाभान्वित होता है । उसका ज्ञान तो निस्संदेह ही बढ़ता है । मैं आपके सामने प्रवचन करता हूँ । आप इसे परार्थ/परोपकार कह सकते हैं । पर वास्तव में यह कोई परार्थ/परोपकार नहीं, अपितु स्वार्थ ही है । क्योंकि प्रवचन करके मैं अपने अनन्त-अनन्त कर्मों का क्षय कर रहा हूँ । यह ठीक है कि लोग प्रवचन से लाभान्वित होते हैं और पथ-दर्शन प्राप्त करते हैं । पर दो क्षण के लिए यदि ऐसा भी मान लिया जाए कि लोग प्रवचन से लाभान्वित नहीं होते हैं, तथापि मेरी आत्म-निर्जरा में कोई कमी आनेवाली नहीं है । वस्तुतः ऐसे कार्यों को एकांत परोपकार मानना चिंतन की भूल है । क्योंकि परोपकार का अर्थ है—कार्य करके किसी को आभारी बनाना । हम प्रवचन या धर्मोपदेश किसी को आभारी बनाने के लिए नहीं, अपितु मात्र अपने कर्तव्य-निर्वाह/आत्म-निर्जरा की दृष्टि से ही करते हैं । ऐसी स्थिति में परोपकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिए मैंने कहा कि उत्कृष्ट कोटि का स्वार्थ (जहां किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि लाभ ही संभावित है ।) कभी भी बुरा नहीं कहा जा सकता । जीव को जानना भी इस दृष्टि से स्वार्थ मान भी

लिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं है ।

मैं कौन हूँ ?

आप पूछेंगे, क्या हम (जीव) अपने आपको नहीं जानते ? हां, नहीं जानते । यदि आप स्वयं से परिचित होते तो आज आपकी यह दुर्दशा नहीं होती ।

एक दार्शनिक की रात में दो-तीन बजे नींद टूट गई । उसे समय का कोई ख्याल नहीं हुआ । 'मैं कौन हूँ ?', 'कहाँ से आया हूँ ?', 'कहाँ जाऊँगा ?' आदि प्रश्नों के चिन्तन-चिन्तन में वह घर से बाहर निकल गया । चलते-चलते वह एक बगीचे के पास पहुँचा । वह किसी श्रेष्ठी का व्यक्तिगत बगीचा था । बगीचे के द्वार पर एक संतरी पहरा दे रहीं थी । असमय में अपरिचित व्यक्ति को उधर आते देख उसने उस दार्शनिक से पूछा—“तुम कौन हो ?”

पर वह दार्शनिक तो अपनी धुन में आगे-से-आगे बढ़ता ही आ रहा था । 'कहाँ जा रहा हूँ ?', 'क्यों जा रहा हूँ ?' इत्यादि बातों का उसे कोई ख्याल ही नहीं था । संतरी ने द्वारा पूछा । पर उसे कोई जवाब नहीं मिला । जब वह दार्शनिक उस संतरी के बिलकुल समीप आ गया और लगभग टकराने की स्थिति आ गई तो उसने उसे पकड़कर झुकभोरते हुए पुनः वही प्रश्न दुहराया—“तुम कौन हो ?”

अब दार्शनिक को ख्याल आया कि मैं कहीं गलत स्थान पर आ गया हूँ । उसने कहा—“यदि यही मुझे मालूम होता कि 'मैं कौन हूँ ?' तो यहाँ आता ही क्यों ? अपने आप से अपरिचित होने के कारण ही तो मेरी यह हालत हुई है ।”

क्या आप मन के गुलाम नहीं हैं ?

बन्धुओ ! यही स्थिति आप लोगों की है । अपने आपको नहीं पहचानने के कारण ही विभिन्न रूपों में आपकी दुर्गति हो रही है । स्वयं के अस्तित्व से अनभिज्ञ होने के कारण ही आप कभी आग्रह के गुलाम बन जाते हैं, कभी क्रोध के गुलाम बन जाते हैं, कभी अहंकार के गुलाम बन जाते हैं.....यदि स्वयं को जान लेते तो यह गुलामी फिर आप नहीं करते । गुलामी शब्द आपको बिलकुल पसन्द नहीं है, फिर भी आप सब गुलाम हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माता-पिता की गुलामी चाहे आप नहीं करते, गुरुजनों की गुलामी भी आपने छोड़ दी, पर मन के गुलाम है या नहीं ? तब कहता है कि होटल में जाना ठीक नहीं है, वहाँ का खाद्य मेरे अनुकूल नहीं है, फिर भी मन आपको वहाँ ले ही जाता है । ऐसी स्थिति में क्या आप मन के गुलाम नहीं हैं ? पर यह स्थिति केवल आपकी ही नहीं है, अपितु सारे संसार की है । यह मन की गुलामी ही तो कारण है कि आदमी नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में फँस जाता

स्वयं के अस्तित्व को पहचानें

है। कषाय मे अन्धा बन जाता है। वासना उस पर हावी हो जाती है।

प्रसंग गोस्वामी तुलसीदासजी का

कल पूरे राष्ट्र में गोस्वामी तुलसीदासजी की जन्म-जयन्ती मनाई गई। सचमुच वे भारतीय परम्परा के एक महान् कवि थे। अपनी लेखनी से उन्होंने एक ऐसे महान् ग्रन्थ का निर्माण किया, जिसमें भारतीय संस्कृति कूट-कूट के भरी पड़ी है। इस कार्य के लिए भारतीय समाज युगों-युगों तक उनका आभारी रहेगा। पर उनका प्रारम्भिक जीवन कैसा था?—यह शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। कहा जाता है कि वे अपनी युवावस्था में वासना के दास थे। स्थिति यहां तक थी कि पत्नी से एक दिन भी अलग रहना उनके लिए असह्य था। एक बार वे किसी आवश्यक कार्यवश बाहर गए। पीछे से पत्नी अपने पीहर चली गई। जब वे वापस आए तो पत्नी को घर में न पाकर बिलकुल खेद-खिन्न हो गए। उन्हीं पँरो वे पत्नी से मिलने ससुराल रवाना हो गए। रास्ते में अनेक नदियां, नाले व घाटिया पार करके वे ससुराल पहुंचे। पतिदेव का बिना कोई पूर्व सूचना के यो ससुराल मे आना उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसे अत्यधिक शर्म व संकोच का अनुभव हुआ। अवसर देखकर उसने कडे उपालम्भ-भरे शब्दो मे कहा—“आपको मेरे पीछे-पीछे यहां आने की क्या जरूरत थी? क्या लोक-लज्जा का आपको तनिक भी ख्याल नहीं? मेरे पीहरवाले आपको क्या समझे? माना कि आपका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम है। पर जितना प्रेम आप मुझसे करते है, उतना प्रेम यदि राम से करने लग जाए तो क्या आपका कल्याण न हो जाए?”

पत्नी के इन शब्दो ने तीर का-सा काम किया। उनका हृदय विध गया। वासना प्रभु-उपासना मे रूपान्तरित हो गई। ठीक है, अब तो ‘रमा (स्त्री) से नहीं, राम से प्रेम करूंगा’—इस वृद्ध सकल्प के साथ वे तत्काल वहां से जंगल की ओर प्रस्थित हो गए। वापस मुड़कर उन्होंने कभी घर की तरफ देखा तक नहीं। वर्षों तक जंगल मे साधना करते रहे। ‘राम’ नाम की धुन लगाते रहे। राम के सिवाय उन्हे अब कुछ भी नहीं सुहाता। जहां राम का नाम नहीं, वह स्थान/वह वस्तु उन्हे अखरने लगी।

कहा जाता है कि वे एक बार घूमते-घूमते वृन्दावन चले गए। वहां लोग राधेश्याम की रटन लगा रहे थे। राम का उन्होंने कही नाम नहीं सुना। यह स्थिति उनके लिए असह्य हो गई। उनका रामभक्त हृदय बोल उठा—

‘तुलसी’ या ब्रजभूम में, आक, ढाक औं कैर।

राधे-राधे रटत है, का राम नाम से वैर?’

मेरे कथन का साराश यही है कि जिस दिन व्यक्ति अपनी मित्कियत

को जान लेता है, उसे अपने अस्तित्व का बोध हो जाता है, यानी स्वयं को वह यथार्थ रूप में पहचान लेता है, फिर सभी प्रकार की गुलामियों से मुक्त होते उसे समय नहीं लगता। जब तक स्वयं की पहचान नहीं हो पाती, अपने अस्तित्व का अवबोध नहीं होता, तभी तक उस पर कभी क्रोध का नशा चढता है। कभी वह वासना का दास बनता है। कभी अहंकार के दल-दल में फंसता है।”

अहंकार अज्ञान का सूचक है

अहंकार वस्तुतः व्यक्ति के अज्ञान का ही सूचक है। हमारे घर्मसंघ के मंत्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी बहुधा कहा करते थे कि हम अनंत-अनंत वार वेर की गुठली बन कर लोगों के पैरो के नीचे रौंदे गए हैं। ऐसी स्थिति में फिर हमारे लिए अभिमान करने को शेष रहता ही क्या है? पर अभिमान की स्थिति बड़ी विचित्र है! आदमी के पास थोड़ी-सी संपत्ति हो जाए, थोड़ा-सा ज्ञान हो जाए, वह तत्काल अभिमान में अधा हो जाता है। वह सोचता है कि संसार में सबसे बड़ा आदमी मैं ही हूँ।

कहाँ है तुम्हारी जमीन ?

यूनान के महान् दार्शनिक सुकरात के पास एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी जमींदार आया। पर वह जितना बड़ा जमींदार था, उससे भी बड़ा उसका अहं था। सुकरात ने पूछा—“तुम कौन हो ?”

इस प्रश्न के साथ ही उसका अहंकार जागृत हो गया। उसने जरा अकड़ कर सुकरात से कहा—“क्या आप इतना भी नहीं जानते कि मैं फ्रांस देश का सबसे बड़ा जमींदार हूँ।”

“कहाँ है तुम्हारी जमीन ?”—सुकरात का अगला प्रश्न था।

“अमुक जिले की अमुक तहसील में मेरी बहुत बड़ी जमीन है।”—उसी अकड़ में उसने कहा।

सुकरात ने तत्काल विश्व का मानचित्र मंगवाया और उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा—“इस संसार में कहाँ है तुम्हारा देश ?”

उसने बड़े ध्यान से मानचित्र को देख कर मुश्किल से छोटे-से फ्रांस देश को पकड़ा। तब सुकरात ने प्रश्न किया—“इस देश में कहाँ है तुम्हारा जिला ?”

विश्व के मानचित्र में एक जिले का क्या पता चले पर फिर भी उसने अन्दाज से एक बिंदु बना दिया अपने जिले के लिए।

“इस जिले में कहाँ है तुम्हारी तहसील ? कहाँ है उममें तुम्हारी जमीन ?”—सुकरात के प्रश्न की शृंखला आगे-से-आगे चालू थी।

जब जिला भी मानचित्र में नहीं दिखाया गया, तब तहसील का तो पता ही कैसे चलता ? तथापि अपने अहं को पोषण देते हुए अपनी तहसील के

स्वयं के अस्तित्व को पहचानें

लिए उसने फिर एक सूक्ष्म बिन्दु बनाया। पर अपनी जमीन को वह कैसे दिखाता ? उसने झुंझलाते हुए कहा—“क्या जमीन भी कही मानचित्र में दिखाई जाती है ?”

“जब संसार के मानचित्र में तुम्हारी इतनी बड़ी जमीन का कोई स्थान ही नहीं है, फिर तुम किस बात का अभिमान कर रहे हो ?”—उसके अहंकार पर चोट करते हुए सुकरात ने कहा।

अथाह ज्ञानसागर

बन्धुओ ! यही बात मैं आपसे कह रहा था। व्यक्ति के पास थोड़ा-सा धन हुआ कि उसके पैर जमीन पर टिकने मुश्किल हो जाते हैं। थोड़ा-सा ज्ञान हुआ कि उसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। सामान्य लोगों से सीधे मुंह बात करने में वह अपना अपमान समझता है। पर मैं नहीं समझता, यह अभिमान किस बात का है ? केवलज्ञानी के ज्ञान के सामने उसका ज्ञान एक बिन्दु भी नहीं होता। केवलज्ञानी अपने ज्ञान का गर्व करे तो कर सकते हैं। पर वे कभी ऐसा करते नहीं। और जिसके पास अभिमान करने जैसा कुछ भी नहीं, वह झूठा अभिमान करता है। युवक लोग सोचें इस बात को। क्या यह वास्तविकता नहीं है ? सामान्य-सा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके क्या वे अपने आपको विद्वान् तो नहीं मान बैठे हैं ? कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने तीन चतुर् में सारे सागर का पानी पी लिया था। कहीं युवक लोग भी ऐसा तो नहीं सोचते कि दो-चार पुस्तकें पढ़कर उन्होंने समग्र/अथाह ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यदि ऐसा सोचते हैं तो वे सचमुच भयंकर भूल करते हैं। ज्ञान अनन्त है। वह दो-चार पुस्तकों के पढ़ने से कदापि प्राप्त होनेवाला नहीं है। उसके लिए बहुत लम्बी साधना अपेक्षित है।

हां, तो मैं अब अपने मूल विषय पर लौटता हूं। सबसे पहले हम जीव को समझे। जैसा कि कल मैंने बताया था, जिसमें उपयोग होता है, वह जीव है। उपयोग, चेतना की ज्ञान-दर्शनमय प्रवृत्ति का नाम है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपयोग के कितने प्रकार हैं ?

साकारोऽनाकारश्च ।

उपयोग के दो प्रकार हैं—

१. साकार ।

२. अनाकार ।

साकार और अनाकार उपयोग की विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा। उसे आगे के लिए छोड़ता हूं। फिर भी आप संक्षेप में इतना-सा समझ लें कि ज्ञान को साकार उपयोग और दर्शन को अनाकार उपयोग कहा गया है।

साकार और अनाकार शब्द आप लोगों के लिए नए नहीं हैं।

अ्योंकि व्यवहार में इनका काफी प्रयोग होता है। हम देखते हैं, कुछ लोग भगवान के साकार रूप के उपासक होते हैं तो कुछ लोग अनाकार रूप के। आप पूछ सकते हैं कि जैन दर्शन इन दोनों में से किस रूप को स्वीकार करता है? जैन दर्शन अपेक्षाभेद से साकार और अनाकार दोनों ही रूपों में भगवान को स्वीकार करता है। अरहन्त/तीर्थंकर अशरीर होते हैं। उनको स्पष्ट देखा जाता है। वे साकार भगवान हैं। अशरीर यानी जो आत्माएं सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाती हैं, वे निराकार भगवान हैं।

आप इन तथ्यों को गहराई से समझें। मैं एक ही बात को बार-बार इसलिए कहता हूँ कि जिससे शिक्षित, कम शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के लोग इन तत्त्वों की बातों के गहराई से समझ सकें। मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। पर इस प्रयत्न की बहुत बड़ी सफलता आप लोगों पर निर्भर है। मुझे आशा है कि आप तत्त्व-ज्ञान को हृदयंगम कर इस प्रयास को अवश्य सफल बनाएंगे।

गंगाशहर

१२ अगस्त, १९७८

परिवर्तन का प्रारम्भ कहां से ?

साकार और अनाकार उपयोग की चर्चा कल में प्रारम्भ की थी। जिस जानकारी में पदार्थ का स्पष्ट चित्र व्यक्ति के सामने आ जाए, वह साकार उपयोग है। जिस जानकारी में स्पष्ट चित्र सामने न आए, वह अनाकार उपयोग है। उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति ने दरवाजे में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही प्रथम क्षण में उसने देखा कि कुछ है। पर क्या है? कौन है? कौन प्रवचन कर रहा है? किस विषय पर प्रवचन हो रहा?—इन बातों की जानकारी उस प्रथम क्षण में उसे नहीं होती। यह अनाकार उपयोग है। अब दूसरे क्षण में वह जानता है, साधु बैठे हैं, साध्वियाँ बैठी हैं.....यह मारी जानकारी साकार उपयोग है। साकार उपयोग को ज्ञान और अनाकार उपयोग को दर्शन कहते हैं।

चक्षु दर्शन : अचक्षु दर्शन

लोग सामान्यतः दर्शन का अर्थ आंखों से देखना और ज्ञान का अर्थ दिमाग से जानना समझते हैं। पर वास्तव में केवल आंखों से देखना दर्शन नहीं है। जब तक दिमाग का सहयोग नहीं मिलता, तब तक चाहे कोई व्यक्ति कितनी ही आंखें फाड़-फाड़ कर क्यों न देखे, उसे दिखाई नहीं देगा। दर्शन नहीं होगा। दर्शन तभी होगा, जब आंखों को दिमाग का सहयोग प्राप्त होगा। यह दर्शन चक्षु दर्शन कहलाता है।

आंखों की तरह ही दिमाग के सहयोग से कान, नाक, जीभ और स्पर्श से भी देखा जाता है। यह भी दर्शन है। पर यह दर्शन चक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु दर्शन कहलाता है। जैसे—आपके कानों में कोई ध्वनि पड़ी। आपने आंखों से कुछ नहीं देखा। पर कानों में ध्वनि पडते ही आपने देखा कि कुछ है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मन के द्वारा जो प्रथम क्षण का दर्शन होता है, वह अचक्षु दर्शन कहलाता है।

ज्ञान : अज्ञान

प्रथम क्षण के दर्शन के पश्चात् जब व्यक्ति अवग्रह, ईहा, अवाय और

धारणा में जाता है तो 'कुछ है' इस अस्पष्ट चित्र को क्रमशः स्पष्ट बना लेता है। यह ज्ञान कहलाता है।

ज्ञान के सम्बन्ध में एक बात जान लेनी बहुत जरूरी है। ज्ञान के साथ सम्यक् और असम्यक् दृष्टिकोण का बहुत गहरा सम्बन्ध है। यदि ज्ञान के साथ व्यक्ति का दृष्टिकोण सही नहीं है, यानी गलत है तो उसका ज्ञान ज्ञान न कहलाकर, अज्ञान कहलाएगा। अयथार्थ दृष्टिकोणवाले की विद्या विद्या नहीं, अविद्या कहलाएगी। जैन दर्शन में जिसे ज्ञान कहा गया है, उसे वेदात में विद्या बतलाया गया है। आप इस बात पर गहराई से ध्यान दें कि अज्ञान का अर्थ मात्र ज्ञान का अभाव नहीं है, अपितु मिथ्या दृष्टिकोणयुक्त ज्ञान भी अज्ञान ही है।

हम देखते हैं, ज्ञान तो छोटी-छोटी चींटियों को भी होता है और किमी अपेक्षा से तो उन्हें हम से भी अधिक होता है। मान लीजिए, यहाँ पर कहीं जरा-सी चिकनाहट है। आपको संभवतः उसका पता नहीं लगेगा। पर चींटियों को तुरन्त पता लग जाएगा। वे सँकड़ों की संख्या में वहाँ आकर इकट्ठी हो जाएंगी। हम जहाँ भोजन करते हैं, उस स्थान को साधु लोग हाथ से साफ करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, सफाई ठीक से करना, कहीं असावधानी से कुछ रह न जाए। तुम्हारी सफाई की परीक्षा चींटियाँ और मक्खियाँ करेगी। सफाई करने के बावजूद भी जब कभी कुछ रह जाता है तो तत्काल चींटियाँ और मक्खियाँ वहाँ आकर बैठने लगती हैं। तब मैं साधुओं से कहता हूँ, यहाँ दुबारा सफाई करो। यहाँ कुछ-न-कुछ रह गया है। कहने का सारांश यह है कि चींटियों, मक्खियों आदि को भी कोई अपेक्षा से हमारे से अधिक ज्ञान हो सकता है। पर सम्यक् दृष्टिकोण के अभाव में उनका ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है।

प्राथमिक अपेक्षा

हम प्रतिक्रमण में प्रतिदिन कहते हैं—'मिच्छन्त परियाणामि, सम्मत्तं उवसपवज्जामि।' अर्थात् मैं मिथ्यात्व को छोड़ता हूँ और समयवत्त्व को स्वीकार करता हूँ। यह मिथ्यात्व क्या है? यह समयवत्त्व क्या है? मिथ्यात्व का अर्थ है—दृष्टिकोण की अयथार्थता। समयवत्त्व का अर्थ है—दृष्टिकोण की यथार्थता। आप गृहस्थ हैं। गृहस्थ को जीवनयापन के लिए अनेक प्रकार की हिंसा करनी पड़ती है। क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चलता। पर काम नहीं चलता या अनिवार्य है, इसलिए हिंसा अहिंसा नहीं हो सकती। हिंसा को हिंसा ही समझा जाए और अहिंसा को अहिंसा—यह दृष्टिकोण की यथार्थता समयवत्त्व है। अर्थात् हिंसा को हिंसा, अहिंसा को अहिंसा, अधर्म को अधर्म और धर्म को धर्म मानना समयवत्त्व है। पर हिंसा को यदि अहिंसा

परिवर्तन का प्रारंभ कहा से ?

माना जाता है तो दृष्टिकोण अयथार्थ हो जाता है। मिथ्यात्व आ जाता है। इसलिए सबसे पहली अपेक्षा यह है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ बने। यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ हो जाता है तो फिर बुराई से मुक्त होने में समय नहीं लगता। पर जब तक दृष्टिकोण ही अयथार्थ है, तब तक वह बिना मजबूरी भी बुराई को पकड़े रहता है।

दही खूब खाओ !

वैद्य के पास एक खांसी का मरीज आया। वैद्य उसकी नब्ज देखकर उसे कुछ औषध/उपचार बताता उससे पहले ही वह बोला—“वैद्यजी ! मैं कड़वी-से-कड़वी दवा लेने को तैयार हूँ, पर दही छोड़ने के लिए आप मुझे मत कहना। मैं अब तक जितने भी वैद्यों के पास गया, वे सभी-के-सभी न जाने क्यों दवा की बात वाद में करते हैं और दही छोड़ने की बात पहले ही शुरू कर देते हैं।”

वैद्य अनुभवी था। उसने सोचा—मनोवैज्ञानिक ढंग से बात करनी चाहिए। यदि मैं सीधा ही इसे दही छोड़ने की बात कहूँगा तो बहुत संभव है कि यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और दूसरे-दूसरे वैद्यों की तरह मुझे भी..... अतः उसने रोगी से कहा—“दही छोड़ने की कोई अपेक्षा नहीं है। तुम दही खूब खाओ। अब तक यदि दो बार खाते थे तो आज से चार बार खाना शुरू कर दो।”

मरीज वैद्य की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा—“आप ही मुझे एक अच्छे और समझदार वैद्य मिले हैं। शेष तो जितने वैद्य आज तक मिले, वे सारे-के-सारे मूर्ख थे। अच्छा, अब मुझे दवा क्या लेनी है?”

“दवा की कोई जरूरत नहीं। दही स्वयं दवा है। कहा गया है—

‘कासे दध्नो भोजनेन, लाभाः सन्ति प्रयो ध्रुवम् ।

न वार्धक्यं न वा चौर्यं, न रवा भक्षयति ष्वचित् ॥’

—खांसी में दही खानेवाले को तीन लाभ होते हैं—वह कभी बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता। (उसका शरीर इतना जर्जरित हो जाता है कि बुढ़ापा आने से पूर्व ही वह काल को प्राप्त हो जाता है।) उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। (रात भर खांसते-खांसते निकालनी होती है। नींद हराम हो जाती है। घर का कोई सदस्य जागता हो, ऐसी स्थिति में चोर आएगा ही कैसे?) उसे कुत्ता नहीं काटता। (निरंतर खांसने से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इवास फूलने लगता है। अतः बिना लाठी दस कदम भी चलना उसके लिए कठिन हो जाता है। और जब हाथ में लाठी हो तो कुत्ता पास आ भी कैसे सकता है? फिर काटने की तो बात बहुत पीछे छूट जाती है।)।”

वैद्य की बात सुनकर रोगी आज पहली बार दही खाने के दुष्परिणामों से परिचित हुआ। दही के प्रति उसकी आसक्ति टूट गई। वह बोला—“तब

तो मैं दही खाना छोड़ूंगा।”

“तुम खुशी से दिल भर दही खा सकते हो। मैं तुम्हें दही छोड़ने के लिए विलकुल नहीं कहता।”—वैद्य ने उसी लहजे में फिर कहा।

पर रोगी का दृष्टिकोण अब परिवर्तित हो चुका था। उसने उसी क्षण दही न खाने का मानसिक संकल्प कर लिया।

सबसे बड़ा पाप

मैं मानता हूँ, व्यभिचार पाप है। मदिरा-पान पाप है। मांस खाना पाप है। शोषण और ब्लेक-मार्केटिंग पाप है। पर इन सबसे भी बड़ा पाप है—दृष्टिकोण की अयथार्थता। मदिरापान को बुराई मानते हुए यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक कमजोरी या मजबूरीवश शराब पीता है तो वह केवल स्वयं पागल बनता है, दूसरों को पागल नहीं बनाता। क्योंकि दृष्टिकोण सम्यक् होने के कारण वह दूसरों को कभी भी उसके पीने की प्रेरणा या प्रोत्साहन नहीं देता। पर जिस व्यक्ति का इस बारे में दृष्टिकोण ही अयथार्थ है, वह स्वयं तो शराब पीकर पागल होता ही है, साथ-ही-साथ सम्पर्क में आनेवाले दूसरे-दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित और प्रेरित कर उन्हें शराबी बनाने में सहयोगी बनता है। अर्थात् वह बुराई को आगे-से-आगे बढ़ाता है।

यथार्थ दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आज चाहे व्यक्ति मजबूरीवश या दुर्बलतावश बुराई करता है, पर ज्योंही उसकी मजबूरी समाप्त हो जाएगी या दुर्बलता मिट जाएगी, वह तत्काल बुराई से मुक्त बन जाएगा। पर जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण ही अयथार्थ है, वह हर स्थिति में बुराई को बढ़ावा देगा। इसलिए मैंने कहा, सब पापों में मिथ्या दृष्टिकोण का पाप सबसे बड़ा है।

जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि

हमारे यहाँ प्रसिद्ध कहावत है—जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि। मैं मानता हूँ, यह बहुत गहरी और शतशः यथार्थ उक्ति है। एक राही अपने गाँव से पड़ोस के दूसरे गाँव को जा रहा था। मार्ग में सामने से आता हुआ उसे एक व्यक्ति मिला। राही ने, यह जानकर कि यह व्यक्ति उसी गाँव से आ रहा है, जिस गाँव में कि मैं जा रहा हूँ, प्रश्न किया—“भाई! तुम जिस गाँव से आए हो, वह कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं?”

उस व्यक्ति ने प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही प्रतिप्रश्न किया—“राही! तुम जिस गाँव से आ रहे हो वह कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं?”

“वह गाँव तो विलकुल रद्दी है। वहाँ के लोगों की तो बात ही मत

परिवर्तन का प्रारंभ कहा से ?

पूछो, इतने निम्न-स्तर के है कि कोई भला आदमी एक दिन भी उनके साथ नहीं रह सकता।”—राही ने अपना मंतव्य प्रकट किया।

“जिस गांव से तुम अभी आ रहे हो, उससे भी यह गांव ज्यादा खराब है। यहां के लोग तो इतने क्रूर है कि एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक घंटा भी किसी भले आदमी का उनके साथ रहना असंभव है।”—उस व्यक्ति ने अपने गांव और गांववासियों का चित्र प्रस्तुत किया।

दोनों का वार्तालाप अभी पूरा हुआ ही नहीं था कि एक दूसरा राही भी उधर पहुंच गया और संयोग से उसने भी उस व्यक्ति से वही प्रश्न किया, जो पहले राही ने किया था। उस व्यक्ति ने इस वार भी प्रश्न के जवाब देने की वही शैली अपनाई, जो पहले राही के लिए अपनाई थी। ‘यह गांव कैसा है और गांव के लोग कैसे है?’ इस प्रश्न के उत्तर में उसने वही प्रतिप्रश्न कर दिया—“तुम जिस गांव से आए हो, वह कैसा है और वहां के लोग कैसे है?”

“वह गांव तो बहुत अच्छा है। वहां के निवासी अत्यन्त भले एवं शिष्ट है।”—दूसरे राही ने गांव के प्रति अपनी अवधारणा बताई।

“यह गांव तो उससे भी अधिक अच्छा है। यहां के लोगों की भद्रता और शिष्टता का तो कहना ही क्या! एक वार उनसे मिलने के बाद उम्र भर उनकी स्मृति बनी रहती है।.....”—छूटते ही वह व्यक्ति बोल उठा।

वह पहला राही भी उन दोनों के इस वार्तालाप को सुन रहा था। उस व्यक्ति की परस्पर विरोधी बातों को सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने उस व्यक्ति को बीच में ही टोकते हुए कहा—“इतने जल्दी बदल गए तुम! दो मिनट पहले तक तो इस गांव और इसके निवासियों को तुम बिलकुल निकृष्ट बता रहे थे और अब अच्छे बताने लगे।”

“तुम समझे नहीं मेरी बात को। गांव या गांव के वासी अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छी या बुरी तो व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि अच्छी है, उसे हर गांव और हर व्यक्ति अच्छा लगेगा। इसके विपरीत जिसकी दृष्टि दोषदर्शी है, उसे हर गांव और हर व्यक्ति बुरा ही प्रतीत होगा।”—ऐसा कहते हुए उसने महाभारत की एक कथा सुनाई—“श्रीकृष्ण के सान्निध्य में कौरव, पाण्डव आदि सब बैठे थे। चर्चा चल पड़ी कि द्वारिका नगरी में अच्छे मनुष्य कितने हैं और बुरे मनुष्य कितने हैं? सबने अपने-अपने ढंग से समाधान दिया। पर कोई निर्णयात्मक बात सामने नहीं आ सकी। आखिर श्रीकृष्ण ने सबको समझाने की एक युक्ति सोची। उन्होंने दुर्योधन और धर्मपुत्र युधिष्ठिर दोनों को इस बात का पूरा-पूरा ब्यौरा लाने के लिए द्वारिका में भेजा।”

“दोनों द्वारिका में खूब घूमे। व्यक्ति-व्यक्ति से उन्होंने सम्पर्क साधा। जानकारी प्राप्त की। आखिर पूरी द्वारिका का चक्कर लगाकर वे वापस श्रीकृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। सभा जुड़ी हुई थी। श्रीकृष्ण ने दुर्योधन से पूछा—बोलो, द्वारिका में अच्छे आदमी कितने और बुरे आदमी कितने? दुर्योधन ने कहा—द्वारिका का चप्पा-चप्पा मैंने छान लिया। एक-एक व्यक्ति को मैंने निकटता से देखा। पर एक भी भला आदमी मुझे वहाँ नहीं मिला। सब बुरे-ही-बुरे मिले।”

“अब धर्मपुत्र की वारी थी। धर्मपुत्र से भी वही प्रश्न किया गया। धर्मपुत्र ने कहा—द्वारिका में मैं खूब घूमा। पर मुझे तो सब भले-ही-भले मनुष्य मिले। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला, जिसे मैं बुरा कह सकूँ।”

“दोनों के अध्ययन एक दूसरे को बिलकुल काटनेवाले थे। अतः समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसकी बात सही मानी जाए? श्रीकृष्ण ने दोनों को क्रमशः अपने-अपने कथन को स्पष्ट करने का निदेश दिया। दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला—महाराज! मैं जितने व्यक्तियों से मिला, उनमें से प्रत्येक किसी न किसी बुराई से ग्रस्त है। कोई चोरी करता है। कोई भ्रूट बोलता है। कोई मांस खाता है। कोई मदिरा पीता है। कोई... सर्वथा बुराई से मुक्त कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला।”

“अब धर्मपुत्र खड़ा हुआ। उसने कहा—मैंने व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन को टटोला है। मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला, जिसके जीवन में किसी-न-किसी प्रकार की अच्छाई/गुण न हो। कोई सत्यवादी है। कोई शीलसम्पन्न है, कोई ईमानदार है। कोई.....सर्वथा गुणहीन व्यक्ति मुझे पूरी द्वारिका में एक भी नहीं मिला।”

“श्रीकृष्ण ने मर्म का उद्घाटन करते हुए कहा—द्वारिका नगरी वही है, जनता वही है। पर दृष्टि अपनी-अपनी है। जहाँ गुणग्राही दृष्टि है, वहाँ सब अच्छे-ही-अच्छे हैं। इसके विपरीत जहाँ दोषग्राही दृष्टि है वहाँ सब बुरे-ही-बुरे हैं।”

इस कथा को सुनकर वह राही तत्त्व को समझ गया। बन्धुओं! आप भी समझ गए होंगे तत्त्व को। ज्ञान से पहले अपने दृष्टिकोण को सही बनाने की अपेक्षा है। यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है तो बुराई से ग्रसित होने के बावजूद भी उस व्यक्ति से बहुत अच्छा है, जो बुराई न करता हुआ भी बुराई को अच्छा समझता है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, दृष्टिकोण सम्यग् बनने के पश्चात् व्यक्ति बुराई को छोड़ने की दिशा में बहुत आसानी से गतिशील हो जाता है, जबकि दृष्टिकोण अयथार्थ/मिथ्या बनने के पश्चात् व्यक्ति बुराई को छोड़ सकने की स्थिति में होने के बावजूद भी उससे मुक्त नहीं हो पाता।

यों तो हम गृहस्थ हैं !

मैं यात्रा पर था। एक गाँव में मैंने प्रवचन किया। धर्म-प्रवचन सुनने का अधिकार हर व्यक्ति को है, इसलिए मेरे प्रवचन में केवल जैन या तेरापन्थी ही नहीं, अपितु विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित थे। एक सेना के अफसर ने भी प्रवचन सुना। प्रवचनोपरान्त मैं अपने स्थान पर गया। वह अफसर भी वहाँ पर आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने उससे बातचीत करनी शुरू की। मेरे पीछे कुछ जैन बन्धु भी बैठे थे। उस व्यक्ति से मुझे वार्तालाप करते देख उन्होंने संकेतों के द्वारा मुझे कुछ समझाने की चेष्टा की। पर मैंने उनके संकेतों की तरफ कुछ भी ध्यान दिए बिना वार्ता चालू रखी। परिणामतः उन्होंने फिर प्रयत्न किया मुझे कुछ समझाने का। एक भाई ने आकर मेरे पट्टे को पीछे से खटखटाया। पर उनका यह प्रयत्न भी असफल रहा। इस बार उनका प्रयत्न और तीव्र था। एक भाई ने मेरे कान के समीप आकर धीमे से कहा—“आचार्यजी ! आप किससे बात कर रहे हैं ? यह व्यक्ति बात करने के काबिल नहीं है।” मैं उसके कथन के आशय को पूरा समझ नहीं पाया। आपने आशय को स्पष्ट करता हुआ बोला—“यह आदमी बहुत बड़ा शराबी है, इसलिए आप इससे बात न करें।”

मैंने उस भाई की बात सुन ली और पुनः वार्ता प्रारम्भ कर दी। मैंने बात-ही-बात में अफसर से पूछ लिया—“तुम्हारा जीवन कैसा है ?”

“मत पूछिए महाराज ! शराब पीने की लत पड़ गई थी। बहुत शराब पीता था मैं।”—बड़ी सरलता से अपनी कमजोरी स्वीकार करते हुए उसने कहा।

“अब क्या स्थिति है ?”—मेरा अगला प्रश्न था।

“अब तो काफी कम कर दी है।”—उसने अपनी स्थिति स्पष्ट की।

मैंने उसके मानस को पढ़ा। इस बुराई के प्रति उसके मन में गहरी आत्म-ग्लानि थी। मैंने अवसर को समझा और कहा—“अब थोड़ी शेष क्यों रखी है ?”

“आपकी कृपा और आशीर्वाद होगा तो वह भी छूट जाएगी।”—उसने आत्म-विश्वास के साथ कहा।

“ऐसे कार्य के लिए मेरी कृपा और आशीर्वाद सदा है और सदा रहेगा।”—मैंने उसके आत्म-विश्वास को बढ़ाते हुए कहा।

बस, वह तत्काल खड़ा हो गया और उसने जीवन भर के लिए शराब न पीने का सकल्प स्वीकार कर लिया।

उसके चले जाने के पश्चात् मैंने उन जैन बन्धुओं की ओर अपनी दृष्टि घुमाते हुए प्रश्न की भाषा में कहा—“आप लोग क्या करते हैं ?”

मेरे प्रश्न के उत्तर में सबने अपने-अपने धंधों के बारे में बताया । पता लगा कि उनमें से अधिकांश किराना, गल्ला, कपड़ा आदि के व्यापारी हैं । मैंने उनसे पूछा—“क्यों भाइयो ! आप अपने धंधों में नकली को असली बताकर तो नहीं बेचते हैं ?”

“महाराज ! यों तो हम गृहस्थ हैं । गृहस्थी में सब कुछ चलता है ।”
—उनका उत्तर था ।

“खैर, अब तक आपने जो कुछ किया सो किया, पर आज से तो इस बुराई को छोड़ दें ।”—मैंने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा ।

“नहीं महाराज ! यह छोड़ दें तो हमारा व्यापार कैसे चले ?”—
उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की ।

“आप लोग तौल-माप में कमी-वैसी तो नहीं करते हैं ?”—मैंने उनसे दूसरा प्रश्न किया ।

“यो तो हम गृहस्थ हैं, वाल-बच्चेदार हैं । हमें सब कुछ करना पड़ता है ।”—उनका लगभग वही पहलेवाला उत्तर था ।

“अब तो छोड़ दें इसे ।”—मैंने उन्हें बुराई से मुक्त करने का फिर प्रयास किया ।

“इसे छोड़ दें तो हम भूखे मर जाए ।”—उन्होंने फिर अपनी असमर्थता प्रकट की ।

मैंने यो एक-एक बुराई के बारे में पूछा और उनको छोड़ने के लिये प्रेरित किया । पर उनका वही रट-रटाया उत्तर था—“हम गृहस्थ हैं । गृहस्थ को सब कुछ करना पड़ता है । इसके बिना हमारा काम नहीं चलता ।”

मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उन्हें समझाने के लिए । पर मेरा सारा प्रयास असफल रहा । वे अपने आचरण और व्यवहार में तनिक भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुए । तब दो क्षण रुककर मैंने कहा—“एक शराबी व्यक्ति से आपके गुरु बातचीत करें, इसमें तो आपको इतनी आपत्ति है, जबकि उसने मेरा उपदेश मानकर शराब को सदा के लिए छोड़ दिया । दूसरी तरफ अपने आपको भक्त मानते हुए भी आप लोग बुराइयों से गहरे चिपके हुए हैं, उन्हें छोड़ने के लिए विलकुल भी तैयार नहीं हैं—इस बात का आपके मन में किंचित् भी विचार नहीं है । जरा भी चिन्ता नहीं है । मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा उस शराबी व्यक्ति से बात करना ज्यादा सार्थक था या आपसे ? यदि मैं उससे बात नहीं करता तो उसे शराब से मुक्त बनने की प्रेरणा कैसे देता और वह शराब से इतना जल्दी छुटकारा कैसे पाता ? शराबी होने के बावजूद भी मैं उसको आप लोगों की अपेक्षा अधिक ठीक समझता हूँ, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सही है । वह

परिवर्तन का प्रारम्भ कहां से ?

बुराई को बुराई समझता है। आप लोग बुराई करते हुए भी उसे बुराई नहीं मान रहे हैं।”

बन्धुओ ! यह दृष्टिकोण का मिथ्यात्व सचमुच बड़ा खतरनाक है। इस गलत दृष्टिकोण के कारण ही व्यक्ति बड़े-बड़े पाप करता है। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक् बन जाता है, वह फिर ग्राहको को धोखा नहीं दे सकता। भ्रूठा तोल-माप नहीं कर सकता। शोषण व भ्रष्टाचार के सहारे धन का उपार्जन नहीं कर सकता।.....

दृष्टिकोण की अस्पष्टता

दृष्टिकोण की अयथार्थता की तरह दृष्टिकोण की अस्पष्टता के कारण भी कभी-कभी नुकसान हो जाता है। इस बात को मैं एक दो उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा—“भिक्षुओ ! तुम्हें भिक्षा में सहजरूप से चिकना-चुपड़ा, रूखा-सूखा, गर्म या ठंडा-वासी, सुगंधित या दुर्गन्धित जैसा भी भोजन प्राप्त हो, उससे अपना काम चलाओ। पर कभी भी किसी वस्तु की गृहस्थ से याचना मत करो।” भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध की बात सहज रूप में स्वीकार की। एक दिन एक भिक्षु भिक्षा के लिए जा रहा था। रास्ते में एक चील के मुँह से छूटकर एक मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिर पड़ा। वह बहुत दुविधा में फँस गया। एक तरफ भिक्षुचर्या में मांस खाने का कोई विधान नहीं और दूसरी तरफ शास्ता बुद्ध का यह आदेश कि जो भी भिक्षा-पात्र में सहजरूप में आ जाए उसे खा लेना चाहिए। उसने काफी चिन्तन किया, पर कोई निर्णयात्मक स्थिति प्राप्त नहीं हुई। अतः वह महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे सारी बात निवेदित की। गौतम बुद्ध ने सोचा—चील कोई रोज थोड़े आती है। यह तो कोई सयोग था। अतः इसे खाने में कोई आपत्ति नहीं। अपने चिन्तन के अनुसार उन्होंने भिक्षु को उस मांस के टुकड़े को खाने की आज्ञा दे दी। महात्मा बुद्ध ने उस मांस के टुकड़े को खाने की आज्ञा क्या दी, मांस-भक्षण शुरू हो गया। अब प्रतिदिन भिक्षा में मांस आने लगा। महात्मा बुद्ध ने यह तो सोच लिया कि चील रोज कहा आने को है, पर दृष्टिकोण की अस्पष्टता के कारण यह नहीं सोच पाए कि मांस आने के दूसरे रास्ते बहुत हैं। इस छूट से बौद्ध भिक्षुक मांसाहारी बन जाएंगे।

इसी संदर्भ में दूसरा उदाहरण और देखें। महात्मा बुद्ध से पूछा गया—“प्राण-वध करना चाहिए या नहीं ?” उन्होंने उत्तर दिया—“प्राण-वध सर्वथा त्याज्य है, खाने के लिए भी वध नहीं करना चाहिए।” लोगो ने इसका अर्थ यह लिया कि वध करके मांस नहीं खाना चाहिए। सहजरूप से मरे हुए पशु-पक्षियों का मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसका परिणाम

हमारे सामने प्रत्यक्ष है। आज लगभग मारा बौद्ध समाज मांसाहारी है। बौद्ध धर्मावलम्बी देशों में जाकर आप देखें, वहाँ होटलों के बाहर लिखा मिलेगा—यहाँ बिना प्राण-वध का मांस मिलता है। (यद्यपि उसमें अधिकांश पशु-पक्षियों का वध करके ही बनाया जाता है।)

मेरे मन में गौतम बुद्ध के प्रति तनिक भी असम्मान की भावना नहीं है। वे एक महापुरुष थे, इसमें मुझे किंचित् भी सदेह नहीं। मैं कभी नहीं मानता कि उन्होंने मांसाहार का समर्थन किया था। पर इतना अवश्य कहता हूँ कि दृष्टिकोण की अस्पष्टता के कारण वे इस बात को गहराई से नहीं सोच सके। इसीलिए यह स्थिति बनी। यदि उस समय गौतम बुद्ध इस बात पर गहराई से चिन्तन कर लेते तो मुझे विश्वास है कि वे स्पष्ट रूप से मांसाहार का निषेध कर देते और उसका बहुत सभावित सुपरिणाम यह होता कि आज बौद्ध समाज मांसाहारी नहीं होता।

इतना तो अवश्य करें

बन्धुओ ! सम्यग् दृष्टिकोण के महत्त्व को आप भलीभाँति समझ गए होंगे। मैं मानता हूँ, जो व्यक्ति सम्यग् दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, वह कभी भी दूसरे के गुणों को देखकर ईर्ष्या नहीं कर सकता। वह स्वयं कोई अच्छा कार्य चाहे न भी कर सके पर सत्क्रिया करनेवालों की सदा प्रशंसा करेगा। मैं मानता हूँ, यह भी एक बहुत ऊँची बात है। उपाध्याय विनय-विजयजी की वे पक्तियाँ मेरी स्मृति में आ रही हैं—

‘दिट्यास्यं वितरति बहुदानं, वरमयमिह लभते बहुमानम् ।
 किमिति न विमृशसि परपरभागं, यद्विभजसि तत्सुकृतविभागम् ॥
 येषां मन इह विगतविकारं, ये विदधति भुवि जगदुपकारम् ।
 तेषां वयमुचिताचरितानां, नाम जपामो वारं वारम् ॥
 तात्त्विक-सात्त्विक-सुजन-वतंसा, केचन युक्तिविवेचनहंसाः ।
 अलमकृषत किल भुवनाऽऽभोगं, स्मरणमभीषां कृतशुभयोगम् ॥’

इन पद्यों का सारांश यही है कि व्यक्ति चाहे त्याग व तपस्या नहीं कर सकता, धर्मारोधना नहीं कर सकता, पर कम-से-कम इतना तो अवश्य करे कि जो लोग त्याग-तपस्या करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, उनको अच्छा समझे, उनका गुणोत्कीर्तन करे। गुणी के गुणगान करने से भी व्यक्ति बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह तभी संभव है जब व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ हो। यथार्थ दृष्टिकोण के अभाव में यह कभी भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहली अपेक्षा यही है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण सही बने। सही दृष्टिकोणयुक्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।

गंगाशहर

१३ अगस्त, १९७८

परिवर्तन का प्रारम्भ कहाँ से ?

१७१

सतिज्ञान के प्रकार

साकार और अनाकार उपयोग की मक्षिप्त चर्चा मने पिछले प्रवचनों मे की । अब हम विस्तार में उनको समझें ।

विशेषग्राहित्वाज्ज्ञानं साकारः ।'

सामान्यविशेषात्मकरय वरतुनः सामान्यधर्मान् गौणीकृत्य विशेषाणां ग्राहकं ज्ञानं आकारेण—विशेषेण सहितत्वात् साकार उपयोग इत्युच्यते ।

भेद और अभेद हर वस्तु में

ज्ञान पदार्थ के विशेष धर्मों का ज्ञाता होता है, अतः उसे साकार उपयोग कहते हैं । प्रश्न होगा, विशेष किसे कहते हैं ? व्यवहार मे जो सामान्य नहीं है, उसे विशेष कहा जाता है । इसी प्रकार जो विशेष नहीं है, उसे

१. जैन सिद्धांत दीपिका के तृतीय संशोधित संस्करण (सन् १९८२) मे कुछ सूत्रों को परिवर्तित किया गया है । उसी क्रम मे अमुक सूत्र के स्थान पर निम्न सूत्र रखा गया है—

पर्यायग्राहेत्वाज्ज्ञानं साकारः ।

उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकस्य द्रव्यस्य ध्रौव्यं गौणीकृत्य उत्पादव्यययो ग्राहकं ज्ञानं साकार उपयोग इत्युच्यते । अयं आकारेण पर्यायेण सहितत्वात् साकारः । सविकल्प उपयोग इत्यस्य पर्यायः ।

ज्ञान द्रव्य की पर्यायों को ग्रहण करता है, अतः उस साकार उपयोग कहा जाता है ।

द्रव्य के तीन धर्म होते हैं—उत्पाद व्यय और ध्रौव्य । इनमे ध्रौव्य-धर्म को गौणकर उत्पाद और व्यय को ग्रहण करने वाला ज्ञान साकार उपयोग कहलाता है । वह आकार—पर्याय-सहित होने के कारण साकार है । यह इसका व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है । इसका दूसरा नाम है—सविकल्प उपयोग ।

साकार उपयोग की पूर्व व्याख्या और इस नई व्याख्या मे कोई मौलिक अन्तर नहीं है । मात्र विवक्षा भेद ही है । इस विवक्षा मे विशेषग्राही अर्थात् भेदात्मक ज्ञान के स्थान पर पर्यायात्मक ज्ञान के रूप मे साकार उपयोग को व्याख्यायित किया गया है ।

सामान्य कहा जाता है। पर प्रस्तुत सदर्भ में विशेष और सामान्य दोनों ही शब्द इनसे भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। विशेष का अर्थ है—भेदात्मक। सामान्य का अर्थ है—अभेदात्मक।

हम जानते हैं कि हर वस्तु में सामान्य और विशेष दो प्रकार के धर्म होते हैं। उदाहरणार्थ—हाथ में पांच अंगुलिया होती हैं। अभेदात्मक दृष्टि से सब अंगुलियां हैं। पर जहां हम उन्हें कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ—इन पांच अलग-अलग भागों में विभक्त करते हैं, वहां हमारी दृष्टि भेदात्मक हो जाती है। संसार में अरबों मनुष्य हैं। यह अभेदात्मक दृष्टि है। पर जब हम उन्हें भेदात्मक दृष्टि से देखते हैं तो ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये जवान हैं, ये वृद्ध हैं, ये भारतवर्ष के वासी हैं, ये विदेशी हैं..... इस प्रकार भेद होते ही जाएंगे। इनका कोई अन्त आनेवाला नहीं है। यह भेद और अभेद सभी पदार्थों में पाया जाता है।

भेद और अभेद दोनों उपयोगी हैं

आप कहेंगे, हम तो समन्वय के सिद्धांत को माननेवाले हैं, इसलिए हमें तो अभेद की बात करनी चाहिए। भेद की बात ही क्यों करें? मैं मानता हूँ, अभेदात्मक दृष्टि बहुत अच्छी है, पर इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि भेदात्मक दृष्टि सर्वथा बुरी है। वस्तुतः अपने-अपने स्थान पर अपेक्षाभेद से दोनों ही दृष्टियां उपयोगी और आवश्यक हैं। भेद भी उतना ही आवश्यक है, जितना अभेद। हाँ, इतना अवश्य है कि यह भेदात्मक दृष्टि केवल तत्त्व को सूक्ष्मता से समझने-समझाने के लिए ही होनी चाहिए, लड़ने-भगड़ने के लिए नहीं।

भेदात्मक गुण का महत्त्व और उपयोग हम व्यवहार में भी स्पष्ट देखते हैं। जहाँ इसका अभाव होता है, वहाँ कई बार बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दूध गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, आक और थोर का भी होता है। यदि अभेदात्मक दृष्टि न हो तो बहुत संभव है कि व्यक्ति गाय के दूध के स्थान पर आक का दूध ले आए। थोर का दूध ले आए। दो सगी बहिनों की एक साथ शादी हुई। बराते रवाना होने के समय दोनों के वर परस्पर बदल गए। ऐसा क्यों हुआ? यह इसीलिए हुआ कि भेदात्मक दृष्टि नहीं थी। भेदात्मक दृष्टि होती तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लड़की की शादी किसी के साथ हुई हो और वह जाए किसी दूसरे के साथ। यह कोई कल्पित कहानी नहीं, अपितु घटित घटना है। इस प्रकार की अनेक बातें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। इन सबके पीछे मूलभूत कारण भेदात्मक दृष्टि का अभाव ही होता है। इसी प्रकार अभेदात्मक दृष्टि भी व्यवहार में बहुत उपयोगी है। उसके अभाव में भी व्यक्ति के सामने नाना प्रकार की समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं।

ज्ञान के प्रकार

दर्शन की भाषा में इस भेदात्मक प्रतीति को ज्ञान और अभेदात्मक प्रतीति को दर्शन कहा गया है। ज्ञान के पांच प्रकार हैं—

मतिश्रुतावधिमनःपर्यवकेवलानि ।

१. मतिज्ञान
२. श्रुतज्ञान
३. अवधिज्ञान
४. मनःपर्यवज्ञान
५. केवलज्ञान ।

मतिज्ञान

इन्द्रियमनोनिबन्धनं मतिः ।

मतिः, स्मृतिः, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध इति एकार्थाः ।

मनन या मस्तिष्क का ज्ञान मतिज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में इन्द्रियों और मन के द्वारा होनेवाला ज्ञान मतिज्ञान है। आप पूछेंगे, मतिज्ञान किस-किस में होता है? मैं पूछता हूँ, मतिज्ञान किस-किस में नहीं होता है? और यही पूर्व प्रश्न का उत्तर है। अर्थात् संसार के समस्त प्राणियों में, चाहे वे सूक्ष्म हों या वादर, त्रस हों या स्थावर, समनस्क हो या अमनस्क..... यह ज्ञान होता है। यह दूसरी बात है कि किन्हीं-किन्हीं प्राणियों का ज्ञान प्रकट होता है और किन्हीं-किन्हीं प्राणियों का अप्रकट। मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ये सभी मतिज्ञान के ही पर्यायवाची नाम हैं।

मतिज्ञान के प्रकार

अवग्रहेहावायधारणास्तद्भेदाः ।

मतिज्ञान के चार प्रकार हैं—

१. अवग्रह
२. ईहा
३. अवाय
४. धारणा

प्रश्न है, अवग्रह किसे कहते हैं?

इन्द्रियार्थयोगे दर्शनानन्तरं सामान्यग्रहणमवग्रहः ।

इन्द्रियार्थयोरुचितदेशाद्यवस्थानरूपे योगे सति दर्शनम्—अनुत्लिखित-विशेषस्य सन्मात्रस्य प्रतिपत्तिः, तदनन्तरं अनिर्देश्यसामान्यस्य (वस्तुन.) ग्रहणमवग्रहः ।

इन्द्रिय और पदार्थ का जब योग होता है, तब प्रथम क्षण में हमें दर्शन होता है। उसे हम छोड़ दें। उसके पश्चात् पदार्थ का जो प्रारम्भिक

भेदात्मक ज्ञान होता है, वह अवग्रह है ।

अवग्रह के प्रकार

व्यञ्जनार्थयो ।

व्यञ्जनेन इन्द्रियार्थसम्बन्धरूपेण, व्यञ्जनस्य—शब्दादेरर्थस्य ग्रहणम्
—अव्यक्तः परिच्छेदः व्यञ्जनावग्रहः ।

ततो मनाम् व्यक्तं जातिद्रव्यगुणकल्पनारहितमर्थग्रहणं अर्थावग्रहः, यथा
एतत् किञ्चिद् अस्ति ।

अवग्रह के दो प्रकार हैं—

१. व्यञ्जनावग्रह ।

२. अर्थावग्रह ।

व्यञ्जनावग्रह

अव्यक्त ज्ञान अवग्रह है । आप इसे और स्पष्टता में समझें । इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध होने पर दर्शन के पश्चात् जो प्रारम्भिक भेदात्मक ज्ञान होता है, वह अवग्रह है । इस ज्ञान में पदार्थ (व्यजन) और इन्द्रिय (व्यजन) का जो मिलन होता है या इन्द्रिय (व्यजन) द्वारा पदार्थ (व्यजन) का जो ग्रहण होता है, वह व्यञ्जनावग्रह है ।

अर्थावग्रह

अर्थावग्रह व्यञ्जनावग्रह से कुछ अधिक स्पष्ट है । पदार्थ का इन्द्रिय द्वारा ग्रहण के पश्चात् 'यह कुछ है' ऐसी प्रतीति होना अर्थावग्रह है ।

ईहा

अमुकेन भाव्यमिति प्रत्यय ईहा ।

अमुकस्तदितरो वा इति सशयाद्दूर्ध्वं अन्वयव्यतिरेकपूर्वकम् 'अमुकेन भाव्यम्, इति प्रत्यय ईहा, यथा—शब्देन भाव्यम् ।

अवग्रह के पश्चात् संशयात्मक ज्ञान होता है । वह पदार्थ अमुक है या दूसरा ? इसके अनन्तर यह विकल्प उठता है—यह कान का विषय है, इसलिए यह शब्द होना चाहिए, स्पर्श नहीं । इस प्रकार अवग्रह द्वारा जाने हुए पदार्थ का निश्चय करने के लिए विमर्श करने वाले ज्ञान का नाम ईहा है ।

अवाय

अमुक एवेत्यवायः ।

यथा अयं शब्द एव ।

यह पदार्थ अमुक ही है, यह निर्णयात्मक ज्ञान अवाय कहलाता है । जैसे—यह शब्द ही है, स्पर्श नहीं । अवाय ईहा के द्वारा किए गए ज्ञान

मतिज्ञान के प्रकार

का समर्थन ही नहीं करता, अपितु उसका विशेष अव्ययनपूर्वक निर्णय भी करता है ।

धारणा

तस्यावस्थितिर्धारणा ।

वासना, सस्कार द्वयस्याः पर्यायः । प्रत्येकमिन्द्रियमनसाऽवग्रहादीनां संयोगात् नयनमनसोर्व्यञ्जनावग्रहाभावाच्च नतिज्ञानमष्टाविंशतिभेदं भवति ।

निर्णयात्मक ज्ञान की अवस्थिति को धारणा कहते हैं । जैसे—यह लालटेन का प्रकाश है, ऐसा आज हमने निर्णय किया । हम सदा के लिए निर्णय करते हैं कि ऐसा प्रकाश लालटेन का ही होता है । यह निर्णयात्मक अवस्थित ज्ञान धारणा है । अवाय मे भी निर्णयात्मक स्थिति होती है परन्तु उसके द्वारा किया गया निर्णय अधिक समय तक टिकता नहीं । मन के विषयान्तरित होते ही वह चला जाता है । केवल अपना संस्कार पीछे छोड़ जाता है । वह स्मृति का हेतु होता है ।

गंगाशहर

१४ अगस्त, १९७८

श्रुतज्ञान : एक विश्लेषण

ज्ञान हमारी चेतना है। उसका जितना अधिक उपयोग हम करते हैं, उतने ही अधिक लाभान्वित होते हैं। कल के प्रवचन में मैंने ज्ञान के पांच प्रकार और उसके अनन्तर मतिज्ञान का विवेचन किया था। आज मैं श्रुतज्ञान पर कुछ कहना चाहूंगा।

द्रव्यश्रुतानुसारि परप्रत्यायनक्षमं श्रुतम्।

द्रव्यश्रुतम्—शब्दसंकेतादिरूपम्, तदनुसारेण परप्रत्यायनक्षमं ज्ञानं श्रुतमभिधीयते।

श्रुत के सहयोग से मन और इन्द्रियां जो ज्ञान करती हैं—वह श्रुत-ज्ञान है। जो सुना जाता है, वह श्रुत है। स्वतः सुनने के लिए या दूसरो को सुनाने-समझाने के लिए श्रुत की अनिवार्य अपेक्षा है। दूसरे शब्दों में श्रुतज्ञान की यह परिभाषा भी की जा सकती है—द्रव्यश्रुत के अनुसार दूसरो को समझाने में समर्थ ज्ञान।

द्रव्य-श्रुत

शब्द, संकेत आदि का नाम द्रव्यश्रुत है। मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं—इसमें शब्दों का प्रमुखतम हाथ है। यदि मैं नहीं बोलू तो आप कैसे समझेंगे? पर बहुत-सी स्थितियों में बिना शब्द भी समझाया जा सकता है और समझा जाता है, जैसे—मा ने आंख से जरा-सा संकेत किया और बच्चा समझ गया कि मां मुझे यहां से उठकर चले जाने के लिए कह रही है।

मति और श्रुत का अन्तर

आप पूछ सकते हैं, मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में क्या अन्तर है? मतिज्ञान केवल स्वयं के लिए ही होता है, जबकि श्रुतज्ञान स्वयं और पर दोनों के लिए होता है। यद्यपि स्वयं को जानने के लिए श्रुत की कोई जरूरत नहीं, पर जहां हमें किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझाना है, वहां श्रुत का सहारा लेना ही होगा। वास्तव में वहां मतिज्ञान ही श्रुतज्ञान के रूप में परिणत होता है। दूध में चावल और चीनी डाली कि खीर बन गई। श्रुतज्ञान खीर के सदृश है और मतिज्ञान दूध के समान।

प्रश्न हो सकता है, श्रुतज्ञान किस-किसके पास होता है ? श्रुतज्ञान मतिज्ञान की ही तरह समस्त प्राणी जगत् में पाया जाता है । ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जिसमें श्रुतज्ञान न हो । यह एक अलग बात है कि कुछ प्राणियों का श्रुतज्ञान अधिक विकसित होता है, कुछ का अल्प विकसित और कुछ का अति अल्प विकसित । प्रायः मनुष्यों का श्रुतज्ञान विकसित होता है । पर कुछ लोगों का बहुत कम विकसित भी होता है । इसीलिए वे अपनी बात को दूसरो को समझाने में असफल रहते हैं । पशु-पक्षियों का ज्ञान अल्प विकसित होता है । भूख लगती है तो वे आवाज करने लगते हैं । उनकी आवाज को हम साधारणतया न भी समझ पाएं, पर वे तो समझाने का प्रयत्न करते ही हैं । यह श्रुतज्ञान के ही कारण होता है । वस्तुतः दूसरो को समझाने के लिए बहुत विकसित श्रुतज्ञान की अपेक्षा होती है । आपने तीन-चार दिन पूर्व यहां विद्वानो को सुना । सारी सभा को हिला दिया उन्होंने । यह श्रुतज्ञान का ही प्रभाव था । वे इस बात को समझाने में सफल रहे कि 'जैनआगमकोष' एवं 'जैनविश्वकोष' का काम हाथ में लेकर वे सचमुच एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं ।

मैं प्रतिदिन प्रवचन करता हूं और उसके माध्यम से जन-जन को तत्त्व समझाने का प्रयास करता हूं । यह दूसरी बात है कि सब श्रोता समान रूप से सारी बातें नहीं समझ पाते । पर मेरा प्रयास तो सदा यही रहता है कि सब समानरूप से तत्त्व को समझ पाएं । पूज्य कालूगणी बहुधा फरमाया करते थे—“मेरी भावना है कि हमारे संघ का प्रत्येक साधु आचार्य-पद के योग्य बने । यह ठीक है कि एक समय में संघ में एक ही आचार्य हो सकेगा, पर योग्यता तो सब प्राप्त कर ही सकते हैं ।” यद्यपि हम जानते हैं कि ऐसा कभी भी संभव नहीं होता, पर गुरु की भावना तो अपने शिष्यों को समान रूप से विकसित देखने की होती है । यही बात मैं कह रहा हूं । यद्यपि सबको समान रूप से समझाने के बावजूद भी सब समानरूप से तत्त्वज्ञ नहीं बन सकेंगे, फिर भी मेरी भावना और प्रयास तो सदा सबको समानरूप से तत्त्व-वेत्ता बनाने का ही रहेगा ।

पूजनीय शास्त्र नहीं, ज्ञान है

आज हमारे सामने ग्रन्थ, शास्त्र, पुस्तकें आदि उपलब्ध हैं । वे श्रुतज्ञान ही हैं । प्रश्न होगा, वे ज्ञान कैसे ? क्या ज्ञान जड़ है ? वस्तुतः पुस्तकें, शास्त्र आदि स्वयं ज्ञान नहीं, अपितु उनके अन्दर ज्ञान है । उनके सहारे ज्ञान किया जाता है । दूसरो को ज्ञान कराने में वे निमित्त बनते हैं । इस दृष्टि से उन्हें व्यवहार में श्रुतज्ञान कह दिया जाता है । आजकल स्थान-स्थान पर ज्ञान-मन्दिर बन रहे हैं । पूरे भवन की दीवारों पर धर्म-ग्रंथों को खुदवाकर या लिखवाकर उन्हें सज्जित किया जाता है । कुछ लोग धर्म

ग्रंथों की पूजा भी करते हैं। ऐसा करनेवाले स्वतंत्र हैं। मैं उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। पर इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि ग्रन्थ और मन्दिर पूजने की वस्तुएं नहीं, पूजने की वस्तु है—ज्ञान। पर ज्ञान की पूजा धूप, दीप और चदन से नहीं हो सकती। उसकी पूजा का तो एकमात्र तरीका यही है कि सच्चे दिल से उसकी आराधना की जाए। यानी धर्मग्रन्थों के आदर्शों को जीवन-व्यवहार में लाया जाए। पर धर्मग्रन्थों के आदर्शों को जीवन में उतारना कठिन होता है और उनकी धूप, दीप आदि से पूजा करना बहुत सरल। इसलिए लोगों ने आदर्शों को अपनाता तो छोड़ दिया और उनकी धूप, दीप आदि से पूजा करनी प्रारम्भ कर दी।

सेठ का बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े-बड़े शहरों में तेल का व्यवसाय था। सेठ मद्रास में था। उसे खबर मिली कि कलकत्ता में तेल का बाजार बहुत मंदा हो गया है और बम्बई में काफी तेज। उसने तत्काल दोनों स्थानों पर मुनीमों को अलग-अलग चिट्ठियां लिखीं। कलकत्ता के मुनीम को लिखा कि बाजार काफी मंदा है, इसलिए जितना तेल खरीद सको, खरीद लो। बम्बई वाले मुनीम की चिट्ठी में लिखा कि बाजार काफी तेज है, इसलिए जितना तेल बेच सको, बेच दो।

कलकत्ता चिट्ठी पहुची। मुनीम ने चिट्ठी पढ़ी। सेठ के निदेशानुसार उसने तत्काल तेल खरीदना शुरू कर दिया और चिट्ठी रद्दी की टोकरी में डाल दी।

चिट्ठी बम्बई भी पहुची। चिट्ठी मुनीम को मिली। सेठ के हाथ की चिट्ठी पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसे अपने मस्तक पर लगाया। एक ऊंचे पट्टे पर ससम्मान रखा और प्रतिदिन धूप-दीप से उसकी पूजा प्रारम्भ कर दी। पर चिट्ठी में क्या लिखा है, यह कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया।

कुछ समय पश्चात् सेठ कलकत्ता गया। मुनीम ने सेठ का स्वागत किया। औपचारिक वार्ता के पश्चात् सेठ ने मुनीम से पूछा—“मैंने तुम्हें एक पत्र दिया था, वह मिला या नहीं?”

“मिला।”—मुनीम ने कहा।

“कहां है वह?”—सेठ ने अगला प्रश्न किया।

“वह तो अब नहीं है, मैंने फाड़ कर फेंक दिया।”

“उसको पढ़ा या नहीं?”—सेठ की प्रश्न-शृंखला जारी थी।

“हां, पढ़ा।”—मुनीम ने सामान्यभाव से कहा।

“तो बताओ, क्या किया तुमने?”—सेठ के शब्दों में व्यग्रता थी।

मुनीम ने तत्काल वही लाकर सेठ के सामने रख दी। सेठ को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुनीम ने मेरे निदेश का पूरा-पूरा पालन

किया है। उसने हजारों टीन तेल खरीद लिया है। इसमें काफी मुनाफा होने की संभावना है। सेठ ने मुनीम की तनहाह दुगुनी कर उसके इस कार्य का अंकन किया।

अब सेठ वम्बई पहुंचा। वम्बई वाले मुनीम से भी उसने खत के बारे में पूछा। मुनीम ने झट ऊंचे पट्ट से पत्र उतार कर सेठ के सामने हाजिर किया।

“पत्र पढ़ा या नहीं?”—सेठ प्रश्नायित मुद्रा में मुखर हुआ।

“पढ़ा तो नहीं।”—मुनीम का संक्षिप्त-सा उत्तर था।

“फिर क्या किया?”—सेठ ने झुंझलाते हुए पूछा।

“क्या क्या किया, मैं इसकी प्रतिदिन पूजा करता हूँ। आपका पत्र हमारे पास कब-कब आता है?”—बड़ी उत्फुल्लता के साथ मुनीम बोला।

सेठ को मुनीम की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया। उसकी नासमझी के कारण वह एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह गया। यदि वह चिट्ठी को पढ़कर उसमें दिए गए निदेशानुसार गोदाम में पड़े हजारों तेल के टिन बेच देता तो वह मालामाल हो जाता।

सेठ ने तत्काल मुनीम को छुट्टी कर दी।

बन्धुओ! जो लोग धर्मग्रन्थों के आदर्शों को जीवन में न उतारकर केवल उनकी पूजा करते हैं, वे वम्बईवाले मुनीम के साथी हैं। आज ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। और बहुत सही बात तो यह है कि अधिकांश लोग इसी कोटि के हैं। पर कुछ लोग कलकत्ता वाले मुनीम जैसे भी मिलते हैं। वे धर्मग्रन्थों की पूजा तो नहीं करते, पर उनकी बातों को जीवन में उतारते हैं। सारांश यही है कि पुस्तकें, धर्मग्रंथ आदि पूजनीय नहीं, उनमें निहित ज्ञान ही पूजनीय है।

श्रुतज्ञान का साहाय्य

श्रुतज्ञान हमारा परम उपकारी है। क्योंकि पांच ज्ञानों में यही एक ऐसा ज्ञान है, जो ज्ञान-दान का साधन बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु द्वारा शिष्यों को जो ज्ञान मिलता है, वह श्रुतज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। और तो क्या, केवलज्ञानी भी यदि किसी को ज्ञान-दान करते हैं तो श्रुतज्ञान के द्वारा ही करते हैं। दूसरों को बोध देने में उनका केवलज्ञान काम नहीं आता। केवलज्ञान तो दर्पण के समान है। उसमें सब कुछ प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। पर जहाँ दूसरों को बताने का प्रश्न है, वहाँ तो श्रुतज्ञान का ही एकमात्र सहारा लेना होता है। इसलिए श्रुतज्ञान के महत्त्व को हम समझें और इसे अधिकाधिक विकसित करने का प्रयास करें।

कच्छ में तेरापन्थ के प्रथम प्रचारक

हमारे धर्मसंघ के साधु-साध्वियां तो श्रुतज्ञानी होते ही हैं, कुछ-कुछ

श्रावक भी बहुत विशिष्ट श्रुतज्ञानी होते हैं। श्रावक श्री गेरूलालजी व्यास का नाम आपने सुना होगा। आचार्य भिक्षु के चार प्रमुख श्रावको में उनका नाम आता है। वे महान् श्रुतज्ञानी थे। आपको ख्याल रहना चाहिए कि कच्छ प्रदेश में सबसे पहले तेरापन्थ के प्रचार-प्रसार के लिए वे ही गए थे। साधु-साध्वियां वाद में गए हैं। वहां जाकर उन्होंने अनेक व्यक्तियों को सत्य धर्म का तत्त्व समझाया। उनके समझाए हुए लोगों की पीढियां आज भी मौजूद हैं। इस शृंखला में और भी अनेक श्रावको के नाम गिनाए जा सकते हैं।

एक नई योजना

इस वार एक नई योजना बनी है। समाज के कुछ लोग श्रुत की उपासना करते हुए उपासक बनें। जिन क्षेत्रों में साधु-साधवियों के चातुर्मास नहीं है, उन क्षेत्रों में जाकर वे लोगों को धार्मिक आराधना में सहयोग और प्रेरणा दे सकेंगे। पिछले वर्ष पारमार्थिक शिक्षण संस्था का एक ग्रुप पर्युषण के अवसर पर रायपुर (मध्यप्रदेश) गया था। उसके माध्यम से वहां अच्छी धर्म जागरण हुई। उस प्रयोग की सफलता के आधार पर इस वार एक से अधिक क्षेत्रों में ऐसे ग्रुपों को भेजने की योजना बनी है। इसमें कुछ ग्रुप पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहनो के होंगे और कुछ उपासक साधको के। इस योजना के सफल होने का दोहरा लाभ होगा। एक तरफ तो समाज में विशिष्ट साधनानिष्ठ, चरित्रनिष्ठ व्यक्तियों को आगे आने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ साधु-साधवियों के चातुर्मास न होने के बावजूद भी श्रावक-समाज पर्युषण महापर्व को अच्छे ढंग से मना सकेगा।

गंगाशहर

१५ अगस्त, १९७८

श्रुतज्ञान के भेद

श्रुतज्ञान की संक्षिप्त चर्चा कल मैंने अपने प्रवचन में की। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा।

अक्षर-संज्ञि-सम्यक्-सादि-सपर्यवसित-गमिकाङ्गप्रविष्टानि सप्रतिपक्षाणि ।

श्रुतज्ञान के चौदह भेद हैं—

- | | |
|-----------------|------------------------|
| १. अक्षरश्रुत | ८. अनादिश्रुत |
| २. अनक्षरश्रुत | ९. सपर्यवसितश्रुत |
| ३. संज्ञिश्रुत | १०. अपर्यवसितश्रुत |
| ४. असंज्ञिश्रुत | ११. गमिकश्रुत |
| ५. सम्यक्श्रुत | १२. अगमिकश्रुत |
| ६. असम्यक्श्रुत | १३. अङ्गप्रविष्टश्रुत |
| ७. सादिश्रुत | १४. अनङ्गप्रविष्टश्रुत |

अक्षरों द्वारा कथन योग्य भाव की प्ररूपणा करना अक्षरश्रुत है। अंगुली, आंख, मुंह आदि के संकेतों से भावों को समझाना अनक्षरश्रुत है। यहां साधन को साध्य माना गया है। अक्षर और अनक्षर दोनों ही श्रुतज्ञान के साधन हैं। इनके माध्यम से लेखक, संकेतक और वक्ता के भावों को जाना जाता है।

समनस्क प्राणियों का श्रुत संज्ञिश्रुत है। इसी प्रकार अमनस्क प्राणियों का श्रुत असंज्ञिश्रुत है। ये दोनों भेद ज्ञान के अधिकारी की अपेक्षा से किए गए हैं। इस संदर्भ में यह समझ लेना आवश्यक है कि समनस्क कौन हैं और अमनस्क कौन? जो प्राणी मानसिक चिन्तन करने में सक्षम हैं, वे समनस्क कहलाते हैं। इसके विपरीत जो मानसिक चिन्तन करने में असमर्थ हैं, वे अमनस्क कहलाते हैं। देव और नैरयिक सब समनस्क हैं। मनुष्य (लगभग) और पशु-पक्षी भी समनस्क हैं। यह अलग बात है कि पशु-पक्षियों का मानसिक चिन्तन मनुष्य के मानसिक चिन्तन की तुलना में बहुत कम विकसित होता है। फिर भी उनमें मानसिक चिन्तन है, यह तो हमें स्वीकार करना ही होगा। आप देखें, गाय चरती है। पर वह खाएगी, वे ही चीजें, जो उसके खाने के योग्य हैं। अखाद्य को वह कभी नहीं खाएगी।

खाद्य-अखाद्य का विवेक वह मानसिक चिन्तन से ही करती है। पशु-पक्षी अपने-अपने वृत्तों की सुरक्षा करते हैं। यह तभी संभव है, जब मानसिक चिन्तन हो। एक इन्द्रियवाले प्राणियों से लेकर चार इन्द्रियों तक के सभी प्राणी अमनस्क हैं। यानी सारे स्थावर जीव—पृथ्वीकायिक, अष्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय प्राणी तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय प्राणी अमनस्क हैं।

प्रश्न पूछा जा सकता है, मक्खी (चतुरिन्द्रिय) के जब मन है ही नहीं, तब फिर वह मिठाई को छोड़ गंदगी पर आकर कैसे बैठती है? इस प्रश्न को गहराई से समझ लेना चाहिए। यह तो निश्चित ही है कि जब पांचो इन्द्रियां ही नहीं हैं, तब मन कभी नहीं हो सकता। वस्तुतः मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय प्राणी आंखों से देखकर वासना के कारण क्रियाएं करते हैं। इसी प्रकार चीटी आदि त्रीन्द्रिय प्राणी अपनी घ्राण से सूंघ कर कहा-से-कहां चले जाते हैं। आप कहेंगे, मक्खी बहुत दूर की वस्तु को आंखों से कैसे देख लेती है? चींटी बहुत दूर पड़ी वस्तु को कैसे सूंघ लेती है? इसका समाधान यह है कि जब प्राणी के एक-दो-तीन-चार इन्द्रियां नहीं होती तो शेष इन्द्रियां बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। जिन इन्द्रियों का उसके अभाव होता है, उन इन्द्रियों का बहुत कुछ काम वह दूसरी इन्द्रियों से कर लेता है। आपने प्रायः अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति अचक्षु होते हैं, उनकी श्रोत्रेन्द्रिय तीव्र हो जाती है, स्पर्शेन्द्रिय अत्यन्त सवेदनशील हो जाती है। वे शब्द, स्पर्श आदि के द्वारा इतना ज्ञान कर लेते हैं, जितना बहुत से आंखवाले भी संभवतः नहीं कर पाते। मैंने अपने जीवन में अनेक अचक्षु विद्वानों को देखा है।

अभी-अभी सरदारशहर में एक अचक्षु व्यक्ति ने एम. ए. की परीक्षा अच्छे अङ्कों से पास की है। वह अब पी-एच० डी० करना करना चाहता है। इसके लिए उसने हमसे विषय का सुझाव मांगा है। मुझे आश्चर्य होता है कि अचक्षु व्यक्ति तो इतना उच्च स्तर का अध्ययन कर लेते हैं और जिन्हें आंखें प्राप्त हैं, जो मेघासम्पन्न हैं, वे अपनी शक्ति का पूरा-पूर उपयोग नहीं करते। वे बहुत जल्दी अपने आपको अध्ययन के लिए अपात्र मान बैठते हैं और निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं—पढ़ने की उम्र तो बीस-पचीस वर्ष तक ही है। उसके बाद पढ़ने की उम्र नहीं है। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह मिथ्या धारणा और निराशा की बात बहुत अहितकारी है। इससे वे बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं।

साक्षरता अभियान

आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आजकल राष्ट्र में साक्षरता का आन्दोलन चल रहा है। इस आन्दोलन का उद्देश्य है कि राष्ट्र में कोई भी

व्यक्ति निरक्षर न रहे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भी सामाजिक स्तर पर इस विषय पर कभी चिंतन किया? क्या आप नहीं जानते कि आज भी आपके समाज का कुछ प्रतिशत भाग निरक्षर है? क्या यह निरक्षरता आपके समाज के लिए अशोभनीय नहीं है? मैं सोचता हूँ, यदि समाज का प्रबुद्ध व चिंतनशील वर्ग इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन कर कुछ ठोस प्रयास करे तो कोई कारण नहीं कि समाज से निरक्षरता जैसी अशोभनीय चीज बहुत जल्दी समाप्त न हो सके। आपको संभवतः पता नहीं होगा कि ऋजुमना मातुश्री वदनांजी ने सत्तर वर्ष की अवस्था में अक्षर-ज्ञान किया था। हमारी वृद्ध महिलाएँ, जो निरक्षर हैं, इस बात से प्रेरणा लें कि हम भी निरक्षरता जैसे अभिशाप से मुक्त होंगी। इसके लिए उनकी शिक्षित बहुएँ, बेटियाँ, पोतियाँ बहुत सहजतया सहयोग दे सकती हैं। आपको इस सन्दर्भ में शायद ख्याल नहीं होगा कि सरकार निरक्षरता मिटाने के लिए करोड़ों-करोड़ों रुपयों का सहयोग दे रही है। मुझे बताया गया कि केवल एक संस्था—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस अभियान को चलाने के लिए कई करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। रुपये लेने और देने की बात तो मैंने प्रसंगवश कह दी। यह कोई बहुत महत्त्वपूर्ण बात नहीं है। बहुत महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस कलंक को धोने के लिए सरकार भी बहुत सचेष्ट है।

कल ही मेरे पास मेवाड़ के एक कार्यकर्ता का पत्र आया। उसने मुझे यह सुझाव दिया है कि मैं घोषणा करूँ कि हमारे समाज में कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा। पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आदेश-निदेश तो दे नहीं सकता, केवल अपनी सीमा में रहकर प्रेरणा ही दे सकता हूँ और वह दे भी रहा हूँ। फिर भी उस भाई का सुभाव अच्छा है, यह कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। समाज सोचे और कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय ले। गंगाशहर से इसकी शुभ शुरुआत हो सकती है।

बन्धुओ! मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको यह बात आवश्यक नहीं लगती है कि समाज में कोई भी निरक्षर नहीं रहना चाहिए? यदि वास्तव में आप इसकी आवश्यकता और उपयोगिता समझते हैं तो इतना विश्वास मैं दिला सकता हूँ कि यह कार्य कठिन नहीं है। पर मुझे पता नहीं कि हमारे यहाँ क्यों ऐसी पद्धति-सी पड़ गई है कि लोग सुनना तो बहुत पसन्द करते हैं पर उसके अनुसार कुछ करने की आवश्यकता नहीं समझते। वस्तुतः सुनने का अर्थ यही है कि करणीय कार्य में अपने पुरुषार्थ का नियोजन किया जाए। अन्यथा वही बात होगी—घर से चोर सारा सामान ले गए और घर का मालिक कहता रहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ।

घर में चोर घुस आए। उनकी आदृष्ट से सेठानी नदी से जग गई। उसने निद्राधीन सेठ को जगाते हुए कहा—“जल्दी उठो, घर में चोर आ गए हैं।”

“तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ।”—सेठानी को आश्वस्त कर सेठ पुनः खरटि मरने लगा।

थोड़ी देर पश्चात् सेठानी ने सेठ को पुनः जगाते हुए सूचित किया—
“चोरो ने तिजोरियों के ताले तोड़ लिए हैं। अब तो जल्दी करो।”

“तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ।”—सेठ ने पुनः उसी शब्दावली में सेठानी को आश्वस्त किया।

चोर तिजोरियों से सारा नगद, जेवरात आदि निकालकर उनकी गठरियां बांधने लगे। सेठानी ने ताजा स्थिति से अवगत करते हुए सेठ को तीसरी बार फिर जगाने का प्रयास किया। पर सेठ इस बार भी वही शब्दावली ‘तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ’—दोहराते हुए करवट बदलकर सो गया।

अब चोर सारा धन-माल लेकर चलने की तैयारी में थे। सेठानी ने एक प्रयत्न और किया सेठ को जगाने का। परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। उसे सेठ का वही रटा-रटाया उत्तर मिला—“तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ।”

चोर सारा धन लेकर चलते वने। सेठानी के घैर्य का बांध टूट गया। उसने सेठ को भकभोर कर जगाते हुए तेज स्वर में कहा—“मैं समझ नहीं पाई, आपके इस जानने का क्या अर्थ है? चोर तो सारा घर खाली कर चले गए हैं।”

अब सेठ की नींद टूटी। खाली तिजोरियों को देखकर सहसा उसका होश-सा उड़ गया। फिर जरा स्वस्थ हुआ तो सेठानी से बोला—“चोर सारा धन ले गए और तूने मुझे तो जगाया.....”

“मैंने तो आपको बार-बार जगाने की चेष्टा की थी, पर किसी की नींद भी तो टूटे।”—सेठ का कथन पूर्ण होने से पूर्व ही सेठानी झल्ला उठी।

बन्धुओ! सचमुच जानना तमी सार्थक है, जब उसके अनुसार करणीय कार्य के प्रति आदमी सजग हो जाए। मैंने साक्षरता और निरक्षरता की बात प्रसंगवश कह दी है। यदि इस बात पर ध्यान देकर आप इस दिशा में कुछ सक्रिय कदम उठाते हैं और निरक्षरता को मिटा देते हैं तो आपके समाज का गौरव है, अन्यथा मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया।

अब मैं पुनः अपने मूल विषय पर लौटता हूँ। सम्यग्दृष्टि प्राणी का श्रुत या मोक्ष साधना में सहयोगी श्रुत सम्यक्श्रुत कहलाता है। इसके ठीक विपरीत मिथ्यादृष्टि प्राणी का श्रुत या मोक्षसाधना में बाधक श्रुत मिथ्याश्रुत है। आदिसहित श्रुत सादिश्रुत है। आदिरहित श्रुत अनादिश्रुत कहलाता है।

तत्त्व रूप में सारा श्रुत अनादि ही है। पर किसी तत्त्व को हम

अहिंसा के नाम से पुकारने लगे, किसी को तत्त्व सत्य के नाम से, किसी तत्त्व को ब्रह्मचर्य के नाम से, किसी तत्त्व को अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि शब्द सादि है पर तत्त्व अनादि है ।

सान्त—अन्तसहित श्रुत सपर्यवसितश्रुत है । अनन्त—अन्तरहित श्रुत अपर्यवसितश्रुत है ।

बारहवां अंग—दृष्टिवाद गमिकश्रुत है । इसमें एक समान पाठ होते हैं । कुछ वर्णन किया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि शेष पूर्वोक्त पाठ की तरह समझता चाहिए । इस प्रकार एक पाठ का सम्बन्ध दूसरे पाठ से जुड़ा रहता है । जिसमें एक समान पाठ न हों, वह अगमिकश्रुत है ।

गणधरो द्वारा रचित द्वादशांगी—आचाराग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती.....अंगप्रविष्ट श्रुत है ।

गणधरो के अतिरिक्त अन्य आचार्यों द्वारा रचे गए ग्रन्थ अनंगप्रविष्ट श्रुत है ।

कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आगम कितने मान्य है? इसका समाधान यही है कि द्वादशांगी मान्य है । और जो ग्रंथ द्वादशांगी से मिलते हैं, वे भी मान्य हैं । जो द्वादशांगी से नहीं मिलते, वे मान्य नहीं हैं ।

अवधिज्ञान

मति और श्रुत ज्ञान के विवेचन के पश्चात् अब मैं अवधिज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा ।

आत्ममात्रापेक्षं रूपिद्रव्यगोचरमवधिः ।

अवधानं अवधिः ।

अवधानपूर्वक किए जानेवाले ज्ञान को अवधिज्ञान माना जाता है । यानी एकाग्रचित्त होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह अवधिज्ञान है । क्योंकि जब भी किसी अवधिज्ञानी को किसी बात का ज्ञान करना होगा तो उसे तत्काल उस विषय पर अपना चित्त एकाग्र करना होगा । एकाग्र हुए बिना वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा ।

आप देखें, गौतम स्वामी अवधिज्ञानी थे । वे चाहते तो बहुत सारे प्रश्न, जिनका कि समाधान उन्होंने भगवान महावीर से प्राप्त किया, स्वयं ही समाहित कर सकते थे । पर उन प्रश्नों का स्वयं समाधान प्राप्त करने के लिए चूंकि उन्हें बहुत अधिक एकाग्र होना पड़ता, बहुत अधिक शक्ति व्यय करनी पड़ती, इसलिए उन्होंने उन प्रश्नों को सीधे भगवान के सामने प्रस्तुत कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया ।

अवधिज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है । यानी इसमें इन्द्रियो तथा मन

की अपेक्षा नहीं होती। 'अतीन्द्रिय' शब्द किसी समय बहुत अपरिचित-सा लगता था। पर आजकल वैसी बात नहीं है। क्योंकि आज इस शब्द की वैज्ञानिक जगत् में काफी चर्चा है। इस अतीन्द्रिय ज्ञान में व्यक्ति वे सारी बातें केवल आत्मा के सहारे जान सकता है, जिन्हें हम इन्द्रियो एवं मन के सहारे जानते हैं। पर इस सम्बन्ध में इतना अवश्य है कि वह (अवधिज्ञानी) समस्त पदार्थ-जगत् को नहीं जान सकता। मात्र रूपी पदार्थों को ही जान सकता है। अरूपी पदार्थों को जानना उसकी ज्ञान-सीमा से परे है।

इस प्रकार अवधिज्ञान की परिभाषा हम यह कर सकते हैं—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्मा के सहारे जो रूपी द्रव्यों का ज्ञान होता है, वह अवधिज्ञान है।

अवधिज्ञान के विभिन्न स्तर और विभिन्न स्थितियाँ हैं। मान लीजिए, किसी को हथेली में अवधिज्ञान हुआ। इस स्थिति में वह हथेली से ही देख सकेगा। इसी प्रकार किसी को पाँव में अवधिज्ञान हुआ तो वही से देख सकेगा। यह कभी सम्भव नहीं कि जिसे हथेली में अवधिज्ञान हुआ है, वह पाँव से देख सके। एक स्थिति यह भी है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक शक्ति खर्च करता है, एकाग्र होता है, उसको उतना ही अधिक अवधिज्ञान प्राप्त होता है।

प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या सभी प्राणियों को अवधिज्ञान हो सकता है? हाँ, हो सकता है पर सबको समानरूप से नहीं होता।

भवप्रत्ययो देवनारकाणाम् ।

देवों और नारकों का अवधिज्ञान भवहेतुक होता है। अर्थात् देव गति और नरकगति में पैदा होनेवाले प्राणियों को यह ज्ञान जन्म से ही प्राप्त होता है।

क्षयोपशमनिमित्तश्च शेषाणाम् ।

मनुष्यों और तिर्यञ्चों के लिए यह ज्ञान क्षयोपशमसापेक्ष है।

इस सन्दर्भ में एक बात समझ लेने की है। मनुष्यों एवं तिर्यञ्चों का अवधिज्ञान क्षयोपशमजन्य है—इसका अर्थ यह नहीं कि देवों और नारकों का यह ज्ञान क्षयोपशमजन्य नहीं है। अवधिज्ञान तो सभी का क्षयोपशमजन्य ही होता है। हाँ, इतना अन्तर अवश्य है कि देवों और नारकों का अवधिज्ञान पुरुषार्थसापेक्ष नहीं है। भवस्थिति के कारण उन्हें यह ज्ञान सहजरूप से प्राप्त होता है, जबकि मनुष्यों एवं तिर्यञ्चों को यह ज्ञान पुरुषार्थ/प्रयत्न के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

अवधिज्ञान के सम्बन्ध में एक बात और बताकर मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूँ। आज भी अवधिज्ञान हो सकता है। उसकी कोई नास्ति

नहीं है। पर उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ अपेक्षित है। इसके साथ ही यह भी संभव है कि किसी को अवधिज्ञान प्राप्त हो जाए और उसे मालूम ही न पड़े।

गंगावाहर

१६ अगस्त, १९७८

अवधिज्ञान के प्रकार

अवधिज्ञान की चर्चा कल में प्रारम्भ की थी। हमारी आत्मा में अनन्त ज्ञान है। पर ज्ञानावरणीय कर्म ने उस ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। जब ज्ञानावरणीय कर्म दूर हट जाता है तो वह ज्ञान उसी प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार बादलों के दूर होने पर सूर्य।

अवधिज्ञान के प्रकार

अनुगामि-अननुगामि-वर्धमान-हीयमान-प्रतिपाति-अप्रतिपाति भेदादसौ षोढा।

अवधिज्ञान के छह प्रकार हैं—

१. अनुगामी
२. अननुगामी
३. वर्धमान
४. हीयमान
५. प्रतिपाति
६. अप्रतिपाति

अनुगामी—अवधिज्ञानी के साथ-साथ चलनेवाला अवधिज्ञान अनुगामी अवधिज्ञान है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा मदैव उसके साथ-साथ ही रहती है, उसी प्रकार अनुगामी अवधिज्ञान भी अवधिज्ञानप्राप्त व्यक्ति के साथ-साथ चलता है।

अननुगामी—अवधिज्ञानी के साथ-साथ न चलनेवाला अवधिज्ञान अननुगामी अवधिज्ञान है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में अवधिज्ञान प्राप्त हुआ। पर ज्यों ही वह इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, उसका अवधिज्ञान समाप्त हो जाता है। पुनः जब वह इसी क्षेत्र में आएगा तो उसे अवधिज्ञान प्राप्त होगा।

वर्धमान—जो अवधिज्ञान क्रमशः बढ़ता रहता है, वह वर्धमान अवधिज्ञान कहलाता है। पैदा होते समय किसी का अवधिज्ञान बहुत सूक्ष्म

रूप में हो सकता है, पर बढ़ते-बढ़ते वह इतना बढ सकता है कि संसार के सभी रूपी द्रव्यों को जान सकता है ।

हीयमान—प्राप्त होने के समय किसी को अवधिज्ञान बहुत बड़े रूप में प्राप्त हो सकता है । पर क्रमशः वह यदि हीन होता जाता है तो उसे हीयमान अवधिज्ञान कहा जाता है ।

प्रतिपाति—उत्पन्न होकर वापस चला जानेवाला अवधिज्ञान प्रतिपाति अवधिज्ञान कहलाता है । इस सदर्म में आप पूछ सकते हैं, एक बार प्राप्त हुआ अवधिज्ञान वापस कैसे चला जाता है ? एक व्यक्ति को मोहरों से भरा एक कलश मिला । वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ कि सहजरूप से ही लाखों का धन मिल गया । उसने उन मोहरों को बाहर निकाला । वे मिट्टी से गंदी हो रही थी । उसने सोचा—पास में ही नाले में पानी वह रहा है, वहाँ इन्हे धो लूं । इस चिन्तन के साथ वह मोहरो को धोने लिए वहाँ आया । नाले में पानी बहुत थोड़ा-सा था । उसका प्रवाह भी अत्यन्त मंद था । उसने मोहरों को धोने के लिए उन्हे पानी में डाला । मोहरों को डालते ही पीछे से पानी का तेज प्रवाह आया और सारी मोहरें उसमें वह गईं । वह ज्यो-का-त्यो हाथ मलता रह गया । इसी प्रकार कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति को अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है । उस ज्ञान के द्वारा वह समस्त लोक के पुद्गलों को जगमगाते हुए देखता है । सहसा इस दृश्य को देखकर वह हक्का-बक्का-सा रह जाता है । यानी उस ज्ञान को पचा नहीं पाता है । इसका परिणाम यह होता है कि वह अवधिज्ञान वापस चला जाता है ।

अप्रतिपाति—एक बार प्राप्त होने के पश्चात् कभी भी वापस न जानेवाला अवधिज्ञान अप्रतिपाति अवधिज्ञान कहलाता है ।

मनःपर्यायज्ञान

अवधिज्ञान की चर्चा के पश्चात् अब मैं मनःपर्यायज्ञान का विवेचन करूंगा ।

मनोद्रव्यपर्यायप्रकाशि मनःपर्यायः ।

मनोवर्गणा के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का जो ज्ञान होता है, उसे मनःपर्यायज्ञान कहते हैं । इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति दूसरों के मनोगत भावों को जान लेने में सफल होता है । यह भी अतीन्द्रिय/ इन्द्रियातीत ज्ञान है । इस संदर्भ में इतना स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि वस्तुतः मनःपर्यायज्ञानी मनोवर्गणा को ही जानता है, मनोगत भावों को नहीं । मनोवर्गणा की विभिन्न पर्यायों के आधार पर अनुमान के द्वारा वह व्यक्ति के भावों को पकड़ता है । सीधे मनोभावों को पकड़ने की शक्ति इस ज्ञान में नहीं होती ।

प्रश्न हो सकता है, मनोवर्गणा की पर्यायों को अवधिज्ञान से भी जाना जाता है, फिर मनःपर्यायज्ञान की विशेषता क्या है ? इसका समाधान इतना-सा ही है कि अवधिज्ञान से मनोवर्गणा के अतिरिक्त समस्त लोक के पुद्गलो को जाना जाता है, जबकि मनःपर्यायज्ञानी सिर्फ मनोवर्गणा को ही जानता है। वह मनोवर्गणा का विशेषज्ञ होता है। आजकल आपको शरीर के विभिन्न अंगों के विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं। और तो क्या, दाहिनी और बायीं आंख के भी अलग-अलग विशेषज्ञ होने लगे हैं। अब आप ध्यान दें, आंख के बारे में शरीर के सभी अवयवों की चिकित्सा करनेवाला डॉक्टर भी जानता है और वह उसकी चिकित्सा भी करता है तथा एक नेत्र-विशेषज्ञ भी जानता है और वह उसकी चिकित्सा भी करता है। पर दोनों के जानने और चिकित्सा करने में काफी अन्तर रहता है। आंख के बारे में जितना सूक्ष्म ज्ञान नेत्र-विशेषज्ञ को होता है, उतना सूक्ष्म ज्ञान सामान्य डॉक्टर को नहीं हो सकता। इसलिए आंख की जैसी सफल चिकित्सा नेत्र-विशेषज्ञ कर पाता है, वैसी सफल चिकित्सा सामान्य डॉक्टर नहीं कर पाता। अवधिज्ञान और मन पर्यायज्ञान को भी हमें इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

आप पूछेंगे, इन दोनों ज्ञानों में बड़ा कौन-सा है ? इस प्रश्न का समाधान सापेक्ष है। अवधिज्ञान समस्त लोक के रूपी द्रव्यों को जान पाता है, पर मनःपर्यायज्ञान केवल मनोवर्गणा को ही जान पाता है, इस दृष्टि से अवधिज्ञान को बड़ा माना जा सकता है। पर मनःपर्यायज्ञान मनोवर्गणा को जितनी सूक्ष्मता से जान पाता है, उतनी सूक्ष्मता से अवधिज्ञान नहीं जान पाता, इस अपेक्षा से मनःपर्यायज्ञान बड़ा है।

किसी व्यक्ति का अवधिज्ञान बहुत अधिक विकसित है और किसी व्यक्ति का मनःपर्यायज्ञान बहुत अल्प विकसित है। इसके विपरीत किसी व्यक्ति का मन पर्यायज्ञान बहुत अधिक विकसित है और दूसरे व्यक्ति का अवधिज्ञान बहुत अल्प विकसित है। इस स्थिति में मनःपर्यायज्ञान बड़ा होगा।

तरतमता कितनी ?

पूछा जा सकता है, ज्ञान-ज्ञान में भी क्या अन्तर है ? हां, एक व्यक्ति के ज्ञान में तथा दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में बहुत बड़ी तरतमता रह सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति-व्यक्ति के ज्ञान में उत्कृष्ट रूप में अनन्तगुणा फर्क पड़ सकता है। यानी एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से अनन्त गुण भाग हीन और अनन्त गुण भाग अधिक हो सकता है। आप ज्ञान की बात करते हैं, पर मैं कहता हूँ कि साधु-साधु में अनन्त गुणा फर्क हो सकता है।

एक साधु पूर्णिमा के चन्द्रमा जैसा होता है और दूसरा द्वितीया के चन्द्रमा जैसा । एक साधु अत्यंत पापभीरु होता है, एक-एक कदम जागरूकता से रखता है, वही दूसरा साधु प्रमादी भी हो सकता है । बार-बार स्खलना कर सकता है । फिर भी दोनों साधु ही है । आप कहेंगे, इसका अर्थ तो यह हुआ कि प्रमाद किया जा सकता है । नहीं, प्रमाद करने का मैं किंचित् भी अनुमोदन नहीं कर रहा हूँ । पर छद्मस्थता के कारण वह हो सकता है और होता है—इस तथ्य को भी नकार नहीं सकता ।

प्रसंग अतिमुक्तक मुनि का

शैक्ष अतिमुक्तक मुनि की बात आपने सुनी होगी । देह-चिंता से निवृत्त होने के लिए जंगल में गए । वहां नाला बह रहा था । साधुचर्या के कल्प्य-अकल्प्य की विस्मृति हो गई । अपनी पात्रिका को कच्चे पानी में तैराने लगे । कुछ देर बाद स्थविर मुनि आए । अतिमुक्तक मुनि को पात्रिका कच्चे पानी में तैराते देखकर उन्होंने मन ही मन सोचा—भगवान ने कैसे अवोध बालक को दीक्षित कर लिया ! इसे अभी तक साधुत्व का जरा भी भान नहीं है !! वे उपालंभ की भाषा में बोले—“यह क्या कर रहे हो ? तुम्हें कल्प्य-अकल्प्य का जरा भी ग्याल नहीं है ?.....” अतिमुक्तक मुनि तत्काल संभले । उन्हें अपनी भूल का अहसास हुआ । स्थविर मुनि उन्हें अपने साथ लेकर भगवान महावीर के श्रीचरणों में उपस्थित हुए और व्यंग्य की भाषा में बोले—“भन्ते ! आपका यह छोटा शिष्य अतिमुक्तककुमार कितने गवों में मुक्त होगा ?” भगवान सर्वज्ञ थे । अतः सारी घटना से परिचित थे और स्थविर मुनियों के व्यग्यात्मक भावों से भी । भगवान ने कहा—“स्थविरो ! तुम लोग छोटे मुनि की इस प्रकार आशातना मत करो, सेवा-शुश्रूषा करो । यह इसी भव में मुक्ति जानेवाला है ।”

भगवान की बात सुनकर स्थविरों को अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए घोर पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने अतिमुक्तक मुनि से तत्काल क्षमायाचना की । अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास किया ।

अधीर न वनें

बन्धुओ ! आप लोग भी हमारे छोटे-छोटे साधु-साधवियों की स्खलना देखकर यह सोच सकते हैं कि आचार्यश्री ने इन्हे कैसे दीक्षित कर लिया ! मैं मानता हूँ, हमारे साधु-साधवियां स्खलना कर सकते हैं । छोटी गलती भी कर सकते हैं और बड़ी गलती भी कर सकते हैं । पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इनकी त्रुटियों को देखकर अधीर न वनें । आपको ख्याल रहना चाहिए कि साधना की अपरिक्वता में त्रुटियां होना अस्वाभाविक नहीं

है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं प्रमाद को प्रोत्साहन दे रहा हूँ। प्रमाद को मेरा कोई प्रोत्साहन नहीं है। मेरा प्रोत्साहन तो सदा अप्रमाद को ही है। और इस दृष्टि से प्रमाद करनेवाले साधु साध्वियों को समय-समय पर सजग भी करता रहता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो स्खलना कर रहे हैं, वे कल ठीक भी हो सकते हैं। अनेक ऐसे साधु-साध्वियाँ मेरे ख्याल में हैं, जिनका प्रारम्भिक साधना-काल बहुत सन्तोषप्रद नहीं था, पर धीरे-धीरे वे बहुत ही तेजस्वी और आत्मस्थ बन गए।

गंगाशहर

१७ अगस्त, १९७८

मनःपर्यायज्ञान के प्रकार

मनःपर्यायज्ञान की बात कल मैंने प्रारम्भ की थी। आज हम उसके भेदों को समझे।

ऋजु-विपुलमती।

साधारणमनोद्रव्यग्राहिणी मतिः ऋजुमतिः। तद्विशेषग्राहिणी मतिः विपुलमतिः।

मनःपर्यायज्ञान के दो प्रकार हैं—

१. ऋजुमति

२. विपुलमति

सामान्यरूप से मानसिक पुद्गलो को ग्रहण करनेवाली मति को ऋजु-मति कहा जाता है। उनकी विशेष पर्यायों को जाननेवाली मति विपुलमति कहलाती है।

एक व्यक्ति ने मन में चिंतन किया कि मैं अमुक-अमुक व्यापार करूंगा। मुझे इतना लाभ होगा।.....अब ऋजुमति केवल इतना जाना पाता है कि अमुक व्यक्ति सोच रहा है—उसे व्यापार में लाभ होगा। पर वह किस चीज का व्यापार करेगा? किस व्यापारी के साथ करेगा? कब करेगा? उसे कितना लाभ होने की आशा है? आदि-आदि बातों को वह नहीं जान सकता। ये सब बातें जानना विपुलमति की सीमा में है। विपुलमति इन सब विशेष पर्यायों को ग्रहण कर सकता है।

दूसरा उदाहरण और देखें—एक व्यक्ति ने घड़े का चिन्तन किया। ऋजुमति जानेगा कि अमुक व्यक्ति ने घड़े के बारे में चिंतन किया है। पर कितना बड़ा घड़ा? किस रंग का घड़ा?.....ये सब बातें विपुलमति ही जान पाता है, ऋजुमति नहीं।

निर्मल मेधा

हम मनःपर्यायज्ञान की बात एक बार छोड़ दे। मति और श्रुत ज्ञान को ही ले। किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियों का मति व श्रुत ज्ञान इतना विकसित होता है कि वे बहुत जल्दी दूसरे के मनोभावों का काफी हद तक सही-सही

अनुमान लगा लेते हैं। इसके विपरीत बहुत-से लोग ऐसे भी होते हैं, जिनका ज्ञान दूसरों के भावों को समझने में सर्वथा असफल रहता है।

घोड़े के पैर कितने होते हैं?

हमारे धर्मसंघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का जीवन हम पढ़ते हैं। उनकी मेधा बहुत निर्मल थी। दूसरों के मनोगत भावों को पढ़ने में वे बहुत ही दक्ष थे। एक बार एक भाई उनके पास आया और प्रश्न की भाषा में बोला—“स्वामीजी ! घोड़े के पैर कितने होते हैं ?”

स्वामीजी ने प्रश्नकर्ता के मन में छुपी दुर्भावना को तत्काल भांप लिया। वे कुछ क्षण के लिए चिंतन की मुद्रा में मौन रहे और फिर गिनती करते हुए बोले—“दो आगे के और दो पीछे के, कुल चार।”

स्वामीजी द्वारा उत्तर दिए जाने के इस अमामान्य ढंग को देखकर वह भाई बोला—“महाराज ! यह तो सामान्य-सा प्रश्न है। एक छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे सकता है। फिर इसमें इनना सोचने और पैर गिनने की क्या जरूरत थी ?”

“यह ठीक है कि तुम्हारा प्रश्न सामान्य-सा है। छोटा-सा बच्चा भी इसको उत्तरित कर सकता है। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर देने में मैं चिन्तन नहीं करता तो कोई कठिनाई नहीं थी। पर इस प्रश्न का उत्तर मैंने सोचकर और पैर गिनकर इसलिए दिया कि यदि तुम इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह कर लो कि कनखजूरे के पैर कितने होते हैं, तो मुझे सोचना और गिनना पड़ेगा। इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर तो भट से दे दू और दूसरे प्रश्न के उत्तर देने में अटक जाऊँ, यह उचित नहीं लगेगा। किन्तु जब मैं पहले प्रश्न का उत्तर भी सोचकर और पैर गिनकर दूँ, तब दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सोच कर और पैर गिनकर देने में कोई अनुचित बात नहीं होगी। उस प्रश्न का उत्तर सोचने और पैर गिनने का भी मेरे सामने अवकाश रह जाएगा।”
—स्वामीजी ने अपना अभिप्राय स्पष्ट किया।

वह भाई स्वामीजी की बात सुनकर चकित रह गया। शर्मिन्दा होता हुआ-ना धीरे से बोला—“वस्तुतः कनखजूरे के पैर पूछकर आपको पराजित और अपमानित करने के अभिप्राय से ही मैंने घोड़े के पूछे थे। पर आपने तो मेरे मन की भावना पहले ही भांप ली।”

वस्तुतः आचार्य भिक्षु केवल दूसरों के मनोगत भावों को जानने की कला में ही नहीं, अपितु द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की सारी स्थितियों को समझने की कला में बहुत ही माहिर थे। मैं मानता हूँ, जीवन की सफलता का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। जो व्यक्ति इस कला को नहीं जानता, वह कभी भी सफलता का वरण नहीं कर सकता। प्रवचनकार प्रवचन करता है तो

उसे इस बात का विवेक रखना बहुत जरूरी है कि मेरे सामने परिपद् कैसी है ? अर्थात् सुननेवाले कौन-कौन से मत को माननेवाले हैं ? परिपद् विद्वानों की है या सामान्य लोगों की ? जो प्रवचनकार ऐसी बातों की ओर ध्यान दिए बिना प्रवचन करता है, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान् और शास्त्रज्ञ क्यों न हो, सफल नहीं हो सकता ।

मन से जुड़ी है बुराई और अच्छाई

कुछ लोगों का चिन्तन है कि प्रवचनकार को प्रवचन करते समय आंखों को बन्द रखना चाहिए । क्योंकि आंखें खुली रहने से विकार आ सकता है । चिन्तन के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है । किसी को गैक नहीं जा सकता । पर मैं इस चिन्तन से सहमत नहीं हूँ । वस्तुतः विकार का कारण आंखें नहीं, मन है । यदि आंखें ही विकार का कारण हों तो फिर वे सबके प्रति विकार की दृष्टि से देख सकती हैं । पर आप ध्यान दें, उन्हीं आंखों से लोग अपनी माता को देखते हैं, साध्वियों को देखते हैं और उन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं, वेश्या को देखते हैं । अब समझना यह है कि यदि आंखें ही बुरी हैं तो माता और साध्वियों को तथा पत्नी और वेश्या को देखने की एक ही दृष्टि होती । पर क्या मजाल है कि माता और साध्वियों के प्रति कभी कोई विकार की भावना आ जाए । लेकिन उन्हीं आंखों से पत्नी या वेश्या को देखा जाता है तो विकार भी आ सकता है । उन्हीं दांतों से विल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और उन्हीं दांतों से चूहे को । पर अपने बच्चे को पकड़े तब उसे दांत लग तो क्यों जाए और चूहे को पकड़े तब चूहा उसके दांतों से बच तो क्यों जाए ।

वस्तुतः आंख, कान आदि इंद्रिया अपने आप में बुरी हैं न अच्छी । उनका काम तो अपने-अपने विषय को ग्रहण करना है । बुराई और अच्छाई तो मन में छुपी रहती है । यदि मन में राग-द्वेष है, विकार है तो आंख की दृष्टि विकृत बन जाती है । कान विकृत सुनने लगते हैं । जीभ लोलुप हो जाती है ।इसके विपरीत यदि मन में विकार या राग-द्वेष नहीं है तो आंखें सम्यक् देखती हैं, कान सम्यक् सुनते हैं ।कुछ लोग कह देते हैं कि यह जीभ बहुत बुरी है, क्योंकि बहुत सारे पाप इसके द्वारा ही होते हैं । यह खाकर भी नुकसान करती है और बोलकर भी । यह ठीक है कि खाने के असंयम और बोलने के असंयम से आदमी बहुत बड़ा नुकसान उठाता है । पर वस्तुतः इसमें जीभ का दोष नहीं है । दोष मन के विकार का ही है । यदि मन में विकार/आसक्ति/लोलुपता न हो तो जीभ कोई भी गलत कार्य नहीं करेगी । वह अप्रिय/कर्कश/अश्लील नहीं बोलेगी । अच्छी-से-अच्छी वस्तु सामने आने पर भी उसे विकृत रूप में नहीं खायगी ।

मिश्री गिली कैसे हो ?

एक व्यक्ति ने संत को एक मिश्री का टुकड़ा दिया और कहा—“इसे मुह मे रख ले ।”

संत ने उसे मुंह मे रख लिया । दो मिनट के बाद उस व्यक्ति ने उसे वापस निकालने के लिए कहा । संत ने तत्काल वह मिश्री का टुकड़ा मुह से निकाल कर उसके हाथ मे थमा दिया । वह भाई यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मिश्री का टुकड़ा थूक से गीला नहीं हुआ है । उसने सन्त से पूछा—“यह क्या ! मुंह मे रखी हुई मिश्री गीली क्यों नहीं हुई ?”

“मुह मे रखने से मिश्री गीली कैसे हो, वह तो खाने से गीली होती । तुमने मात्र मुझे मिश्री मुह मे रखने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं । जब मेरे मन मे खाने की भावना ही नहीं थी तो लार कैसे लगे ?”—सन्त का समाधान था ।

बन्धुओ ! यह बात शायद आपकी समझ मे न आए, पर कोई असभव नहीं है । जब मन विकाररहित होता है तो जीभ की क्या ताकत है कि वह किसी वस्तु के प्रति आसक्ति करे ।

आप परम ज्ञानी हैं

आप देखें, इसी जीभ से एक आदमी मीठा बोलता है और दूसरा कर्कश । यदि जीभ ही बुरी हो तो यह कैसे संभव हो सकता है ? बुढ़िया का इकलौता बेटा वर्षों से घर नहीं लौटा । वह बड़ी चिन्तित थी । एक दिन जब वह पानी भरने के लिए गई तो उसने तालाब की पाल पर दो ज्योतिषियों को बैठे देखा । वह उनके समीप गई और विनम्रतापूर्वक बोली—“पण्डितजी महाराज ! मेरा इकलौता पुत्र वर्षों पहले परदेश गया था । अब तक वापस घर नहीं आया । कृपया बताएं कि वह मुझसे कब मिलेगा ?”

इस प्रश्न के साथ ही उसके माथे पर रखा पानी से भरा घड़ा नीचे गिर कर चूर-चूर हो गया । ऐसा हुआ कि नहीं हुआ उन दोनों ज्योतिषियों मे से एक ज्योतिषी बोल उठा—“तेरा बेटा मर गया ।”

सुनते ही बुढ़िया के शरीर मे आग-आग लग गई । उस ज्योतिषी को दुत्कारती हुई बोली—“सूख ! हट जा मेरी आंखों के सामने से । मैं नहीं सुनना चाहती तेरे मुह का एक भी शब्द । नहीं देखना चाहती एक क्षण के लिए भी तेरा मुह ।”

दूसरे ज्योतिषी ने भी अपना फलित किया । बुढ़िया को आश्चर्य करता हुआ मधुर शब्दो मे वह बोला—“मां ! तू अधीर मत बन । तेरा बेटा अभी-अभी तुझे घर पर आया मिलेगा ।”

यह सुनते ही बुढ़िया बाग-बाग हो गई । उसी भावमुद्रा मे वह बोली

—“पण्डितजी ! आप परमज्ञानी हैं । आपकी वाणी में अमृत है । मेरा बेटा मुझे अवश्य घर पर मिलेगा ।”

वह उन्हीं पँरो अपने घर पहुँची । सचमुच उसका बेटा घर के बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था ।

बन्धुओ ! यह कहानी लम्बी है । मैं इसे अभी लम्बाना नहीं चाहता । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जीभ कोई बुरी नहीं है । बुरा है मन में छुपा अज्ञान, वासना और राग-द्वेष ।

इन्द्रियां सावद्य हैं या निरवद्य ?

कुछ लोग तत्त्व-दृष्टि से इन्द्रियो को सावद्य मानते हैं । परन्तु आचार्य मिश्र का अभिमत इससे सर्वथा भिन्न है । उनके पास जब यह प्रश्न आया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, इन्द्रिया सावद्य नहीं, निरवद्य हैं । इन्द्रिया क्षयोपशम भाव है, उदय भाव नहीं । (यह कथन मात्र भाव इन्द्रियो की अपेक्षा से है ।) क्षयोपशम भाव अर्थात् आत्मा की उज्ज्वलता से हमें जो कुछ प्राप्त होता है, वह कभी भी सावद्य नहीं हो सकता । उदय भाव यानी कर्मोदय से मिलनेवाली चीज सावद्य होती है । उन्होंने इस विषय पर ‘इन्द्रियवादी की चौपी’ नाम से एक पूरे ग्रन्थ की रचना कर दी । इस ग्रन्थ में उन्होंने सटीक तर्कों के द्वारा अपनी बात को प्रमाणित किया है । आप यदि इस ग्रन्थ को पढ़ें तो महसूस करेंगे कि स्वामीजी का तात्त्विक ज्ञान कितना तलस्पर्शी और यथार्थता से परिपूर्ण था ।

हा, तो मैं इस बात को पुनः दोहराता हूँ कि इन्द्रिया स्वयं बुरी नहीं है, बुरी है—मन की वासना/राग-द्वेष । इसलिए यदि बुराई से मुक्त होना है तो इन्द्रियो को निष्क्रिय करने से कोई उद्देश्य फलित नहीं होगा । उद्देश्य फलित होने का एकमात्र रास्ता है कि व्यक्ति अपने अन्तर् का शोधन करे । अन्तर्-शोधन की प्रक्रिया का नाम है—धर्म । धर्म में वह शक्ति है, जो व्यक्ति के अन्तर् को धोकर उसे विलकुल निर्मल बना सकती है । यदि धर्म में यह शक्ति न हो तो फिर उसकी कोई उपयोगिता या उपादेयता भी नहीं है । जैसाकि आप सब अनुभव करते हैं, धर्म इस दृष्टि से शत-प्रतिशत सफल रहा है । अतीत में उसने आत्मशोधन का कार्य किया है, वर्तमान में कर रहा है और अनागतकाल में करता रहेगा ।

धर्म का शाश्वत मूल्य

मानव जाति के लम्बे इतिहास में धर्म को समाप्त करने के अनेकानेक प्रयत्न हुए । पर धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ । हा, धर्म को समाप्त करनेवाले अवश्य धार्मिक बन गए या स्वयं समाप्त हो गए । मैं मानता हूँ, यह एक वास्तविकता है । इसे कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता । आप निश्चित मानें,

जब तक धर्म अपने मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति करता रहेगा, तब तक अनन्त काल में भी उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। हाँ, एक स्थिति में खतरा अवश्य है और वह समाप्त भी हो सकता है। वह स्थिति है—जब व्यक्ति स्वयं अपने धर्म को छोड़ने लगे। जब स्वयं धार्मिक भी अपने आत्म-गुणों को छोड़ कर वैभाविक गुणों में चला जाता है, दुराचरण करने लगता है तो स्वयं उसका धर्म समाप्त हो जाता है। पर संसार के किसी भी दूसरे व्यक्ति की यह ताकत नहीं कि वह किसी के धर्म को समाप्त कर सके। दूसरा व्यक्ति अधिक-से-अधिक कुछ करे तो किसी को पीट सकता है। उसके हाथ-पैर तोड़ सकता है। उसे गोली में उड़ा सकता है। पर उसके आत्म-गुणों को छीन सके, यह उसके सामर्थ्य से सर्वथा परे की बात है। इसलिए मैंने कहा कि धर्म शाश्वत है, धर्म की उपयोगिता शाश्वत है। संसार की कोई भी हस्ती उसके अस्तित्व को कभी मिटा नहीं सकती।

भेद रेखा

मैंने प्रासंगिकतौर पर कुछ दूसरी-दूसरी बातें कह दीं। अब मैं पुनः मनःपर्यायज्ञान की चर्चा पर आता हूँ। मनःपर्यायज्ञान के दोनो प्रकारों को हमने समझ लिया। इसके अनन्तर हमें इस बात को जानना है कि मनः-पर्यायज्ञान और अवधिज्ञान में क्या अन्तर है ?

विशुद्धि-क्षेत्र-स्वामि-विषयभेदादवधिभन्नः ।

विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय—इन चार भेदों के द्वारा अवधि-ज्ञान और मनःपर्यायज्ञान के अन्तर को समझना चाहिए।

विशुद्धिकृत भेद—अवधिज्ञानी जिन मनोद्रव्यों को जानता है, उन्हीं मनोद्रव्यों को मनःपर्यायज्ञानी विशुद्धता से जानता है।

क्षेत्रकृत भेद—अवधिज्ञानी अगुली के असख्यातवे भाग से लेकर समस्त लोक को जानता है। मनःपर्यायज्ञान केवल मनुष्य क्षेत्र तक ही सीमित है।

स्वामिकृत भेद—अवधिज्ञान नारक, तिर्यञ्च, देव और मनुष्य सभी को होता है। जबकि मनःपर्यायज्ञान केवल मनुष्य को होता है। मनुष्य में भी केवल पूर्ण सयमी मनुष्य यानी साधु को ही होता है।

आप कहेंगे, यह क्या पक्षपात ? नहीं, यह पक्षपात की बात नहीं है। यह पात्रता और अपात्रता के कारण है। मनःपर्यायज्ञान की स्थिति ही कुछ ऐसी है कि वह पूर्ण सयम के बिना प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो प्राणी पूर्ण सयमी नहीं होते, उनके लिए यह ज्ञान अलभ्य है।

साधु पूर्ण सयमी होता है इसलिए वह मनःपर्यवज्ञान को प्राप्त करने का पात्र है। यद्यपि सयम गृहस्थ के जीवन में भी हो सकता है पर उसका संयम अपूर्ण होता है; पूर्ण नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक गृहस्थ

हरदम एकांतर तप करता है, पौषध करता है, सामायिक करता है तथा एक साधु प्रतिदिन आहार करता है, फिर भी दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से साधु बड़ा है। आप पूछेंगे, क्यों ? इसका समाधान यही है कि गृहस्थ चाहे कितनी भी तपस्या, साधना क्यों न करता हो, फिर भी उसके पापकर्म आने का रास्ता—आश्रव द्वार सदा खुला रहता है। वही उपवास न करते हुए भी साधु के वह रास्ता बन्द रहता है।

गृहस्थ सामायिक करता है। सामायिक में सावद्य प्रवृत्ति करने का त्याग होता है। आप कहेंगे, तब तो वह एक प्रकार से साधु—पूर्ण संयमी बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। साधु और उसमें काफी अन्तर है। सामायिक करने के बाद भी अर्थात् सावद्य योग का त्याग करने के वावजूद भी उसके अप्रत्यक्षरूप से पापकारी प्रवृत्ति चालू रहती है। उदाहरणार्थ—कोई व्यक्ति सामायिक करने के लिए धर्मस्थान पर आता है। घर से चलने से पूर्व वह रसोइए को आदेश देकर आता है कि मेरे लिए अमुक-अमुक भोजन बनाकर तैयार रखना। अब उसने आकर सामायिक कर ली। पर भोजन के निमित्त होनेवाली सावद्य क्रिया उसके अप्रत्यक्ष रूप से चालू रहती है। दूसरा उदाहरण देखे—किसी ने आज पौषध किया। पौषध में पूरे दिन की सामायिक होती है। एक दिन के लिए व्यक्ति साधुवत् बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि उस व्यक्ति के एक लाख रुपये व्याज में दिए हुए हैं तो क्या वह उस दिन का व्याज छोड़ देता है ? नहीं छोड़ता। कहने का साराश यही है कि गृहस्थ के आश्रव द्वार सदा खुला रहता है। इसलिए वह कभी पूर्ण संयमी नहीं हो सकता। पूर्ण संयमी साधु ही होता है।

आप कहेंगे, तब तो मनःपर्यायज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधु बनना होगा। हा, निश्चित ही बनना होगा। जब तक आप साधु नहीं बनेंगे, तब तक मनःपर्यायज्ञान आपके लिए अप्राप्य है।

लोग कहते हैं, हमारे धर्म में तो गृहस्थ को भी मुक्ति है, पर जैनधर्म में उसके लिए साधु बनना जरूरी है। मैं मानता हूँ, यह एक प्रकार की भ्रांति है। इस भ्रांति को मिटाना चाहिए। यह ठीक है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधु बनना अनिवार्य है। पर साधु बनने का अर्थ केवल साधु वेप धारण करना नहीं है। यह तो साधु का ऊपरी चिह्न है। हालांकि इसका भी कई दृष्टियों से महत्त्व है। पर निश्चय दृष्टि से तो साधुत्व का सम्बन्ध अन्तर् के भावों से है। जिस दिन अन्तर् में साधुवृत्ति आ जाती है, उस दिन निश्चय नय की दृष्टि से साधुत्व आ जाता है, भले व्यक्ति का ऊपरी वेप गृहस्थ का भी क्यों न हो। इसके विपरीत यदि किसी ने साधु का वेप स्वीकार भी कर लिया पर अन्तर् के भावों में साधुवृत्ति नहीं आई, यानी पूर्ण

उसने अपने अतीत में कुछ सुकृत करके शुभ कर्मों का संचय किया था और अब वे उदय में आए हैं। इसी प्रकार चरित्रसम्पन्न या धर्मनिष्ठ व्यक्ति यदि आज कष्ट प्राप्त करता है तो इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्मों में अवश्य कुछ ऐसे दुष्कृत किए थे, जिनके कारण अशुभ कर्मों का बंधन हो गया और अब वे काल-परिपाक के साथ उदय में आए हैं।

जब दवा रोग से अधिक शक्तिशाली हो

प्रस्तुत सन्दर्भ में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अतीत में संचित अशुभ कर्म क्या सुकृत से समाप्त नहीं हो जाते? हाँ, हो सकते हैं। पर होंगे उसी अवस्था में जब व्यक्ति का सुकृत दुष्कृत से तेज हो। यदि सुकृत दुष्कृत से क्षीण है तो उस स्थिति में दुष्कृत द्वारा संचित अशुभ कर्म नष्ट नहीं होंगे। दवा से रोग शान्त होता है, पर उसी स्थिति में जब दवा रोग से अधिक शक्तिशाली हो। साधारण दवा तीव्र रोग को शान्त नहीं कर पाती।

निकाचित कर्म तपस्या से नहीं टूटते

कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, जिन्हें भोगना ही होता है। उन्हें निकाचित कर्म कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर हमारे त्यागी-तपस्वी साधु, आचार्य, उपाध्याय, केवली, तीर्थङ्कर आदि को कष्ट क्यों भुगतना पड़े। क्या उनकी तपस्या—साधना सामान्य होती है? वस्तुतः उनके भी कुछ ऐसे निकाचित कर्म होते हैं, जो तीव्र तपस्या से भी नहीं टूटते। आप अपने व्यावहारिक जीवन में भी इस बात को अनुभव कर सकते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि कुछ-कुछ व्यक्तियों को ऐसा रोग हो जाता है, जिस पर सारे उपचार निरर्थक साबित होते हैं। उसे उस बीमारी को भुगतना ही पड़ता है। यही स्थिति निकाचित कर्मों की जाननी चाहिए।

कर्म-बंधन और मनोभाव

एक बात यहां और स्पष्ट कर देना मैं आवश्यक समझता हूँ। कर्म-बन्धन में व्यक्ति की हर अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के साथ-साथ उसके मनोभावों का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है। ऊपर के व्यवहार या आचरण से जो व्यक्ति हमें तपस्वी, ध्यानी, मौनी, साधक प्रतीत होता है, वह भी अपने मनोभावों की मनिनता के कारण प्रगाढ़ अशुभ कर्मों का बन्धन कर लेता है। ठीक इसके विपरीत एक व्यक्ति जो सामान्य लोगों की दृष्टि में बहुत बुरा कार्य करता है, पापाचरण करता है, वह अपने आत्म-भावों की विशुद्धि के कारण प्रगाढ़ अशुभ कर्म-बंधन से बच जाता है।

वेश्या स्वर्ग में !

मैंने एक कहानी पढ़ी थी। शहर के बाहरी भाग में एक वेश्या रहती थी। उसके मकान के ठीक सामने एक सन्यासी की कुटिया थी। वर्षों तक

वे आमने-सामने रहे और संयोग से उन दोनों की मृत्यु भी एक ही समय में हुई। दोनों साथ-साथ ही धर्मराज के दरवार में पहुंचे। सबको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि धर्मराज ने संन्यासी को नरक और व्यभिचारिणी वेश्या को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया। बाबा ने धर्मराज से कहा— “महाराज ! लगता है खाता देखने में कोई भूल रह गई है। मैंने उम्रभर तपस्या की, साधना की, ब्रह्मचर्य का पालन किया” “इसलिए मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। नरक तो इस वेश्या को मिलना चाहिए, जो उम्रभर पापाचरण में आकंठ डूबी रही।” वेश्या को भी बाबा की बात न्यायोचित लगी। पर धर्मराज ने कहा— “मेरा निर्णय अटल है। उसमें कोई भी परिवर्तन होनेवाला नहीं है।” उपस्थित लोगों ने पूछा— “महाराज ! आखिर इस निर्णय का आधार क्या है ?” धर्मराज ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा— “यह ठीक है कि बाबा उग्र तपस्या करता था, उम्रभर ब्रह्मचारी भी रहा, पर इसका मन साफ नहीं था। वेश्या के पास अच्छे-अच्छे आदमियों को जाते देख इसके मन में ईर्ष्या की आग सुलगती रहती। यह सदा वेश्या के ऊपर कुडता रहता—यह कैसी पापिनी है, जो सब लोगों को भ्रष्ट करती है। इस मानसिक मलिनता के कारण इसकी सारी तपस्या, ब्रह्मचर्य-साधना निस्तेज हो गई इसके अशुभ कर्मों का प्रगाढ़ बंधन हो गया। अतः इसे नरक में जाना पड़ेगा।”

वेश्या को स्वर्ग में भेजने का आधार बताते हुए धर्मराज ने कहा— “यद्यपि यह उम्र भर पापाचरण करती रही, नारकीय जिन्दगी जीती रही, फिर भी इसकी भावना बड़ी ऊँची थी। यह सदा अपने बुरे आचरण के लिए अपनी आत्मा की निन्दा करती रहती। बाबा को देखकर बराबर सोचती कि यह बाबा कितनी त्याग-तपस्या की जिन्दगी बिताता है ! वह दिन मेरे लिए धन्य होगा, जिस दिन मैं भी इस गन्दगी से निकलकर ब्रह्मचर्य में उपस्थित होऊँगी और त्याग-तपस्या से आत्मा को भावित करूँगी। अपनी इस ऊँची और शुद्ध भावना के कारण पापाचरण में रत रहती हुई भी यह प्रगाढ़ अशुभ बंधन से बच गई। परिणामतः यह स्वर्ग में जाने की अधिकारिणी है।”

इस कहानी का सार आप समझ गए होंगे। कर्मों के बंधन में केवल दीखनेवाली अच्छी या बुरी प्रवृत्ति ही एकमात्र कारण नहीं है, भावना का भी बहुत निकट का सम्बन्ध है। इसलिए मैं आप लोगों से यह विशेष बलपूर्वक कहना चाहता हूँ कि आप हर प्रवृत्ति करने में अपने भावों को यथासंभव शुद्ध रखने का प्रयास करें।

अब मैं पुनः अपनी उसी बात पर आता हूँ, कर्म सदा काल का परिपाक पाकर ही फल देने में समर्थ होते हैं। अतीत में व्यक्ति ने जो कर्म-बंधन

किया है, वह काल-परिपाक से सुख-दुःख के रूप में आज फल दे रहा है और वर्तमान में जो कर्म-बन्धन कर रहा है, उसका परिणाम उसके परिपाक होने पर मिलेगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को कभी भी वर्तमान में आने वाले कष्टों को देखकर अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए।

संतुलन की एक नज़ीर

मैं तो यह भी मानता हूँ कि परीक्षा सदा धार्मिकों, धीरों और वीरों की होती है। अधार्मिकों, अधीरों और कायर-कमजोरों की कैसी परीक्षा! कैसी कसौटी!! क्या आपने कभी कांच और कोयले को कसौटी पर चढते देखा है? कसौटी पर तो हीरा या हेम ही चढ सकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबको कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा है। कठिन परिस्थितियों से निकलने पर उनके व्यक्तित्व में शतगुणित निखार आया है।

बन्धुओ! मुसीबतें और कठिन परिस्थितियां तो संसार के हर मनुष्य के जीवन में आती हैं। यह दूसरी बात है कि किसी व्यक्ति के जीवन में उनकी मात्रा अल्प होती है और किसी व्यक्ति के जीवन में उनकी मात्रा अधिक। पर ऐसा व्यक्ति खोजना असम्भव है, जिसके जीवन में सर्वथा उतार-चढाव न आया हो। सामान्य व्यक्ति इन उतार-चढावों में अपने संतुलन को खो देता है और बहुत जल्दी अधीर बन जाता है। इसके सामानान्तर महान् व्यक्ति दृढ़ता के साथ हर अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति से मुकाबला करते हैं और अपने संतुलन को बनाये रखते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस बात को यों भी कह सकते हैं कि अनुकूलता एवं प्रतिकूलता—दोनों ही परिस्थितियों में एक समान—मध्यस्थ बने रहने के कारण ही वे महान् हैं! कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

‘उदये सविता रक्तो, रक्तश्चास्तमये तथा ।

संपत्तौ च विपत्तौ च, महतामेकरूपता ॥’

जिस प्रकार सूर्य उदय एवं अस्त दोनों ही समय में अग्नि-पिंड की तरह लाल होता है, उसी प्रकार महापुरुष भी संपत्ति और विपत्ति—लाम और अलाम दोनों ही स्थितियों में एकरूप रहते हैं।

दशरथ कहते हैं—

‘आहूतस्याभिषेकाय, विसृष्टस्य वनाय च ।

न लक्षितो मया तस्य, स्वल्पोप्याकारविभ्रमः ॥’

—राम को मैंने राज्याभिषेक के लिये आमन्त्रित किया था वन में जाने के लिए—इन दोनों ही परिस्थितियों में उसके चेहरे पर वही सहजता पाई, जो सदा रहती है। राज्याभिषेक के प्रिय आमन्त्रण पर उसके चेहरे पर कोई

अतिरिक्त प्रसन्नता नहीं और वन जाने के अप्रिय आमंत्रण पर उसके चेहरे पर कोई विपाद की रेखा नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में वह विलकुल मध्यस्थ रहा।”

आप कहेंगे, यह समता बहुत कठिन है। मैं मानता हूँ, यह कोई सरल काम नहीं है। पर इसके साथ ही यह भी मानता हूँ कि यदि व्यक्ति को महान् वनना है तो उसे इस तत्त्व को स्वीकार करना ही होगा। अन्यथा वह महान् की कोटि में नहीं आ सकता। आप टटोले अपने आपको। अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने आपको किस सीमा तक संतुलित रख पाते हैं ?

कुछ लोग कहते हैं, सन्तो का जीवन बड़ा कष्टमय है। उनके भोजन का ठिकाना नहीं, पानी का ठिकाना नहीं, रहने के स्थान का ठिकाना नहीं... ठीक है, सन्तो का जीवन कठिनाइयों का जीवन है। पर उन्हें सदा अभाव में ही रहना होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन-निर्वाह की आवश्यकतामयी उन्हें भी मिलती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार तो आप लोगों से भी अच्छी सामग्री उन्हें प्राप्त होती है। क्योंकि आप लोगों के मन में सन्तो के प्रति अपार श्रद्धा/भक्ति है। इस श्रद्धा/भक्ति के कारण आप अपनी अच्छी-से-अच्छी वस्तु सन्तो को देकर प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। हाँ, कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी उपस्थित होते हैं, जब उनकी साधना की पूरी-पूरी कसौटी भी होती है। ऐसा भोजन और ऐसा पानी खा-पीकर भी उन्हें काम चलाना पड़ता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।

मैं अपने जीवन का एक घटना-प्रसंग सुनाऊँ। मैं यात्रा पर था। रास्ते में मुझे भयंकर प्यास लग गई। मैंने सन्तों से कहा—“पानी की खोज करो।” सन्तों ने इधर-उधर काफी प्रयास किया पर कहीं भी प्रासुक पानी प्राप्त नहीं हुआ। आखिर एक साधु धूमता-धूमता एक प्रजापत के घर पहुँचा। वहाँ उसने एक घड़े में थोड़ा प्रासुक पानी पाया। पर वह भी पीने योग्य नहीं था। क्योंकि घड़े में पानी कम और मिट्टी ज्यादा थी। मुझे सूचित किया गया। मैंने कहा—“जैसा मिले, वैसा ही ले आओ।” वह साधु उस मिट्टीमिश्रित पानी को लेकर आया और मैंने वह पानी पिया। आज तक भी मुझे उस दिन की वह प्यास याद है।

बन्धुओ! ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में कई बार उपस्थित हुए हैं। यद्यपि मैं साधक हूँ और साधनाकाल में कठिन परिस्थितियों में विपमता आनी कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, तथापि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं कठिन परिस्थितियों में अपने संतुलन को बनाए रख सका हूँ। उन क्षणों में मेरे मन में बराबर यह चिंतन रहा है कि हम साधक हैं। हमारा

संकल्प है —भाव और अभाव—दोनों ही स्थितियों में हम अपनी मानसिक समाधि बनाए रखेंगे। उसे खण्डित नहीं होने देंगे। खाने-पीने को मिलेगा तो समभावपूर्वक खाएंगे और नहीं मिलेगा तो समभावपूर्वक भूख-प्यास सहन करेंगे।

मैं तो इस बात का भी समर्थक हूँ कि व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थितियाँ अवश्यमेव आनी चाहिए। क्योंकि तभी उसके धैर्य और तितिक्षा का पता चलता है। अनुकूलता में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब है, जब मन के प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होने पर भी व्यक्ति शांत बना रहे। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में एक बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त प्रस्तुत किया है—

अल्लाह की गाय

सास अपने दामाद की बड़ाई करते-करते नहीं अघाती। जब कभी प्रसंग चल पड़ता, वह बोल उठती—“मेरा दामाद तो अल्लाह की गाय है। कुछ भी खिला दो, वह कभी भी एक शब्द नहीं बोलना।”

एक दिन कुछ लोगो ने पूछा—“बुढ़िया! आखिर तू अपने दामाद को खिलाती क्या है?”

“कभी हलुआ, कभी रबड़ी, कभी बर्फी, कभी कलाकन्द.....।”—बुढ़िया मिठाइयो के नाम गिनाने लगी।

“प्रतिदिन मनोनुकूल भोजन मिलता है, तब तेरा दामाद क्यों बोले? एक दिन ठंडी रोटी और ठंडी घाट खिला, तब परीक्षा होगी कि वह कितना शांत है?”—बुढ़िया की बात को बीच में ही काटते हुए लोग मुखर हुए।

“उसे कुछ भी खिलाओ, कोई फर्क पड़नेवाला नहीं है।”—बुढ़िया ने अपनी अवधारणा दुहराई।

“अच्छी बात है, कुछ भी फर्क न पड़े, पर एक दिन हमारे कहने से यह प्रयोग करके तो देख।”—लोगो ने उसे प्रेरित करते हुए कहा।

बुढ़िया ने दूसरे दिन वैसा ही किया। दामाद ने ज्योही ठंडी रोटी और ठंडी घाट देखी, आगबबूला हो उठा। थाली को ठोकर मारकर तत्काल वहाँ से उठ गया और सास को गालियाँ बकने लगा।

सायं लोग मिले। बुढ़िया का चेहरा उदास था। लोगो ने पूछा—“क्यों बुढ़िया! क्या हाल-चाल है?”

“तुम लोग विलकुल ठीक कह रहे थे। एक दिन में ही उसकी पूरी परीक्षा हो गई। आज एक दिन थोड़ा-सा मन के प्रतिकूल भोजन दिया कि दामाद तो विलकुल आपे से बाहर हो गया और इतने दिनों से लगातार खा रहे पकवानो और मनोनुकूल भोजन को भूल गया।”—बुढ़िया ने अपनी पूर्वधारणा में संशोधन करते हुए कहा।

बन्धुओ ! सचमुच यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि आदमी साल में तीन सौ चौंसठ दिन सुखी रहता है और एक दिन दुःखी होता है तो तीन सौ चौंसठ दिनों के सुख को भूल जाता है । ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण स्पष्ट है । जीवन में समता का अभ्यास नहीं है । अपेक्षा है, व्यक्ति समता का अभ्यास करे । समता ही हमें अपनी मजिल तक पहुँचानेवाला सही राजपथ है । राजपथ को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति कटकाकीर्ण और टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडियों में भटक जाता है, वह अपनी मजिल तक नहीं पहुँच पाता । जीवन के सही आनन्द को प्राप्त नहीं कर पाता । मंजिल तक पहुँचने के लिए, जीवन के सही आनन्द को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को आज से ही सजग होना है, इसी क्षण से सजग होना है । इसी में मानव-जीवन की सार्थकता है ।

गंगाशहर

२७ अगस्त, १९७८

भाव और उनके प्रकार

औदयिक भाव की चर्चा कल के प्रवचन में मैंने प्रारम्भ की थी। प्रायः कहा जाता है—‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाऽशुभम्’—कृत कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यानी जिन कर्मों का जीव बन्धन करता है, वे निश्चित ही कभी-न-कभी उदय में आते हैं। पर इस सबध में एक दो बातें समझ लेनी आवश्यक है। सभी कर्म उदय में आते हैं, पर फल देने की शक्ति सबमें नहीं होती। फल वे ही कर्म देते हैं, जो विपाकोदय में आते हैं। प्रदेशोदय में समाप्त हो जानेवाले कर्म निष्फल हो जाते हैं। दूसरी बात—जिन कर्मों का जीव आज बन्धन करता है, वे उसी समय उदय में आ जायें—यह कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। सभी कर्मों के उदय होने का एक नियत काल होता है और उसी नियत काल के अनुसार वे उदय में आते हैं। पर प्रक्रियाविशेष के द्वारा हम नियत समय के अनुसार बाद में उदय में आनेवाले कर्मों को खींचकर पहले उदय में ला सकते हैं। इसे जैन दर्शन में ‘उदीरणा’ की सज्ञा दी गई है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। प्राचीन काल में आश्विनवारह वर्षों से फलवान होते थे। पर आज कलमी आश्विनवारह बहुत कम समय में ही फल देने लगे हैं। यह कलम का प्रयोग काल की उदीरणा में एक सहकारी कारण बना है। अभी एक व्यक्ति आराम में जी रहा है। पर उदीरणा के द्वारा बाद में उदय होने वाले असातवेदनीय कर्मों को अभी उदय में ला सकता है। वस्तुतः उदीरणा एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके सहारे हम अपने पूर्वसंचित कर्मों को बहुत अल्पकाल में नष्ट कर सकते हैं। त्याग, तपस्या, साधना आदि उसी के लिए तो हैं। केशलुचन, पदयात्रा, रात्रि भोजन-परित्याग आदि साधु जीवन की बहुत-सी क्रियाओं से भी कर्मों की उदीरणा होती है। प्रायश्चित्त और शुभ-अध्यवसाय भी उदीरणा के साधन हैं। अशुभ मन परिणाम से जीव जहां सातवीं नरक में जाने के योग्य कर्मों का बन्धन कर लेता है, वही शुभ अध्यवसाय के द्वारा वह तत्काल उन्हें नष्ट भी कर सकता है।

पारिणामिक भाव

स्वस्वभावे परिणमनं परिणामः । तेन निर्वृत्तः स एव वा भावः पारि-

णामिकः ।

भावों के क्रम में अतिम भाव है—पारिणामिक भाव । अपने-अपने स्वभाव में परिणत होना परिणाम कहलाता है । परिणाम से होनेवाली आत्मा की अवस्था या परिणाम को ही पारिणामिक भाव कहा जाता है । बैठना, सोना, खाना, पीना, रोना, हंसना आदि-आदि जीव के परिणाम हैं । इस प्रकार एक ही जीव के अनन्त-अनन्त पारिणामिक भाव होते हैं । एक व्यक्ति जब वह बालक होता है तो उसमें बालकपन प्राप्त होता है । इसी प्रकार जब वह युवक होता है तो यौवन और बूढ़ा होता है तो बुढ़ापा आता है । ये विभिन्न अवस्थाएं पारिणामिक भाव हैं ।

औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक—इन पांच भावों को आपने समझा । पूछा जा सकता है, हमारे में कितने भाव हैं ? औदयिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक—ये तीन भाव तो निश्चित ही हैं । औदयिक भाव इसलिए है कि अभी हमारे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि आठों कर्मों का उदय है । मन, बुद्धि, इंद्रिया, ज्ञान, साधुपन, श्रावकपन आदि हैं, इसलिए क्षायोपशमिक भाव है । हम अनेक अवस्थाओं में परिणमन कर रहे हैं, इसलिए पारिणामिक भाव है । औपशमिक और क्षायिक भाव भी हो सकते हैं । पर उनके विषय में निश्चित नहीं कहा जा सकता । औपशमिक और क्षायिक भाव उसी स्थिति में हो सकते हैं, जब औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व हो ।

प्रसंग विजयचंदजी पटवा का

पाली के विजयचंदजी पटवा आचार्य भिक्षु के अनन्य भक्त थे । आचार्य भिक्षु के प्रमुख चार श्रावकों में उनका अग्रणी स्थान है । पर स्वामीजी के भक्त बनने से पूर्व वे उनके कट्टर विरोधी भी थे । धर्म के सही तत्त्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वामीजी से काफी लम्बी चर्चा की थी । स्वामीजी के समय चन्द्रभानजी, तिलोकचंदजी आदि कुछ साधुओं का तेरापय सघ से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया था । एकवार वे धूमते-फिरते पाली आए । वहाँ वे काफी दिन ठहरे । अपने प्रवास-काल में उन्होंने इधर-उधर की गलत बातें कह-कहकर विजयचंदजी को तेरापंथ एव आचार्य भिक्षु से विमुख करने का हर संभव प्रयास किया । लगता है, विजयचंदजी बड़े ही भद्र प्रकृति के व्यक्ति थे । किसी को कड़ा कहना शायद वे जानते ही नहीं थे । अतः चन्द्रभानजी, तिलोकचंदजी आदि की बातें सर्वथा गलत जानते हुए भी उन्होंने उनका कोई प्रतिकार नहीं किया । परिणामस्वरूप वहाँ के दूसरे-दूसरे श्रावकों ने यह अनुमान लगाया कि विजयचंदजी गण-पृथक् साधुओं (टालोकरों) के वहकावे में आ गए हैं । उनकी श्रद्धा कमजोर हो गई है ।

चन्द्रभानजी आदि के पाली से विहार करने के कुछ ही दिनों पश्चात् आचार्य भिक्षु का पाली में पदार्पण हुआ। स्थानीय लोगों ने विजयचन्द्रजी के प्रति अपने आनुमानिक सशय को स्वामीजी के सामने रखा। स्वामीजी को यद्यपि विजयचन्द्रजी की श्रद्धा पर किञ्चित् भी सदेह नहीं था, फिर भी लोगों के सदेह-निवारण के लिए वे विजयचन्द्रजी से इस विषय में बात कर लेना उचित समझते थे। पर कठिनाई यह हो गई कि एक महीने के प्रवास में विजयचन्द्रजी ने स्वामीजी की उपासना तो बहुत की, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी बात ही नहीं की। इस स्थिति में एक दिन स्वामीजी ने स्वयं ही इस सदर्भ को छेड़ते हुए पूछा—“विजयचन्द्रजी ! इस वार यहाँ चन्द्रभानजी, तिलोकचन्द्रजी आदि टालोकर आए थे ?”

“हा, महाराज ! आए थे।”—पटवाजी ने स्वीकृतिसूचक मिर हिलाते हुए कहा।

“तुम्हारे से उनका सम्पर्क हुआ ?”

“हा, महाराज ! हुआ था।”

“उन्होंने मेरे तथा तेरापथ के बारे में काफी आलोचनात्मक बातें कही होगी।”

“हां, महाराज ! कही थी।”

“तुमने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं।”

“क्या पूछू महाराज ! मेरे मन में दो बातों का दृढ़ विश्वास है— आप इतने आत्मार्थी हैं कि स्वप्न में भी कभी अपने न्याय-पथ को छोड़ नहीं सकते और अनन्त सिद्धों की साक्षी से किए गए त्यागों को तोड़कर गण से पृथक् होनेवाले साधु (टालोकर) कभी झूठ बोले बिना रह नहीं सकते।”

विजयचन्द्रजी के इस उत्तर को सुनकर स्वामीजी ने उपस्थित साधुओं और श्रावकों को लक्ष्य कर कहा—“लगतता है, विजयचन्द्रजी क्षायिक सम्यक्त्व के धनी हैं।”

बन्धुओं ! क्षायिक सम्यक्त्व आज भी हो सकता है। उसकी कोई नास्ति नहीं है। पर चाहिए उसके लिए दृढ़ आत्मवल और धनीभूत श्रद्धा।
पांच भावों के विभिन्न प्रकार

पांच भावों की सक्षिप्त चर्चा के पश्चात् अब हम उनके विभिन्न प्रकारों को भी समझें।

औपशमिकस्य सम्यक्त्व चारित्र्ये ।

औपशमिक भाव के दो प्रकार हैं—

१. औपशमिक सम्यक्त्व ।

२. औपशमिक चारित्र्य ।

औपशमिक सम्यक्त्व—तत्त्व के प्रति अल्पकालीन (अंतर्मुहूर्त्त) गथायं श्रद्धा । यह स्थिति दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम से प्राप्त होती है । चौथे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक यह स्थिति प्राप्त हो सकती है ।

औपशमिक चारित्र—अल्पकालीन (अंतर्मुहूर्त्त) वीतरागता । चारित्र-मोहनीय कर्म के उपशम से यह स्थिति उपलब्ध होती है । ग्यारहवें गुणस्थान में यह स्थिति प्राप्त होती है ।

धायिकस्य ज्ञान-दर्शन-सम्यक्त्व-चारित्र-अप्रतिहतवीर्यादयः ।

धायिक भाव के आठ प्रकार हैं—

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| १. केवलज्ञान | ५. अटल अवगाहन |
| २. केवलदर्शन | ६. अमूर्तित्व |
| ३. आत्मिक सुख/असवेदन | ७. अगुरुनघुत्व |
| ४. धायिक सम्यक्त्व और धायिक चारित्र | ८. अप्रतिहत शक्ति । |

क्षय आठों कर्मों का ही होता है, इसलिए धायिक भाव आठों ही कर्मों के नष्ट होने से प्राप्त होता है । ज्ञानावरणीय कर्म के विलय से केवलज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवलदर्शन, वेदनीय कर्म के टूटने से आत्मिक सुख/असवेदन, मोहनीय कर्म के टूटने से धायिक सम्यक्त्व और वीतरागता (धायिक चारित्र), आयुष्य कर्म के क्षय से अटल अवगाहन, नाम कर्म के विलय से अमूर्तित्व, गोत्र कर्म के नष्ट होने से अगुरुनघुत्व एव अंतराय कर्म के विलय से अनन्त आत्म-ऊर्जा की प्राप्ति होती है ।

धायोपशमिकस्य ज्ञानाऽज्ञान-दर्शन-दृष्टि-चारित्र-संयमासंयम-शक्ति आदि ।

धायोपशमिक भाव के प्रकार हैं—

ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, दृष्टि, चारित्र, संयमासंयम, शक्ति आदि ।

ज्ञान—केवलज्ञान को छोड़कर शेष चारो ज्ञान—मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं । हमारा, आपका और वैज्ञानिकों का भी ज्ञान क्षयोपशमजन्य ही है ।

अज्ञान—मति, श्रुत और विभंग—तीनों प्रकार के अज्ञान भी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होते हैं । पर यहां अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं, अपितु मिथ्यात्वी के ज्ञान का सूचक है । ज्ञान जब मिथ्यात्वी के पास होता है तो वह अज्ञान कहलाता है ।

दर्शन—केवलदर्शन को छोड़कर शेष तीनों दर्शन—चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उपलब्ध होते हैं ।

दृष्टि—तत्त्व-श्रद्धा का नाम दृष्टि है । दृष्टिया तीन हैं—सम्यग्-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि । ये तीनों धायोपशमिक भाव हैं । पर इस संदर्भ में एक-दो बातें और समझ लेनी चाहिए ।

सम्यग्दृष्टि औपशमिक एवं क्षायिक भाव भी है, जिसका सक्षिप्त विश्लेषण मैं पहले कर चुका हूँ। पर यहां जिस सम्यग्दृष्टि की चर्चा है, वह इनसे भिन्न है, अर्थात् वह सम्यग्दृष्टि दर्शनमोहनीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है। वर्तमान में जो सम्यग्दृष्टि है, वह अधिकतर क्षायोपशमिक ही है। अनन्तानुबंधी कषाय-चतुष्क—क्रोध, मान, माया व लोभ तथा दर्शन-मोहनीयत्रिक—मिथ्यात्वमोहनीय, सम्यक्त्वमोहनीय एवं मिश्रमोहनीय के क्षयोपशम से प्राप्त होती है।

आप लोग इस बात पर गहराई से ध्यान दें कि प्राणी अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया व लोभ की विद्यमानता में कभी भी सम्यग्दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात् जिन लोगों का क्रोध पेट्रोल की आग की तरह भड़कता है, मान अमरवेल की तरह वृद्धिगत होता है, माया प्रत्येक प्राणी को अपने चगुल में फसा उसका अस्तित्व समाप्त करना चाहती है और लोभ संपूर्ण ससार के धन को बटोरना चाहता है, वे सम्यक्त्व के लिए अपात्र हैं।

मिथ्यादृष्टि के भी दो प्रकार हैं—विपरीत श्रद्धा एवं यत्किञ्चित् यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा औदयिक भाव है। वह दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है।

मिथ्यात्वी की यत्किञ्चित् यथार्थ श्रद्धा क्षायोपशमिक भाव है। मिथ्यात्वी के पास होने के कारण वह मिथ्यादृष्टि कहलाती है। प्रस्तुत संदर्भ में इसी मिथ्यादृष्टि का उल्लेख है।

कुछ यथार्थ और कुछ अययार्थ तत्त्व-श्रद्धा मिश्रदृष्टि कहलाती है। इसमें अययार्थ श्रद्धा तो औदयिक भाव ही है, पर यथार्थ श्रद्धा क्षायोपशमिक भाव है। प्रस्तुत संदर्भ में यथार्थ श्रद्धा की अपेक्षा से इसे क्षायोपशमिक भाव माना गया है।

चारित्र्य—छठे से दसवें गुणस्थान तक का चारित्र्य (साधुत्व) भी क्षयोपशमजन्य है। चारित्र्यमोहनीय कर्म के क्षयोपशम के बिना यह प्राप्त नहीं हो सकता।

संयमासंयम—सयमासयम का तात्पर्य है—श्रावकपन। श्रावक न पूर्णतः व्रती/सयमी होता है और न पूर्णतः अव्रती/असयमी। अर्थात् वह कुछ व्रती/संयमी और कुछ अव्रती/असयमी होता है। इसलिए उसे व्रताव्रती या सयमासयमी कहा गया है। संयमासंयम या श्रावकपन भी चारित्र्यमोहनीय कर्म का क्षयोपशम है।

शक्ति—ह
कर्म के क्षयोपशम

बन्धुओं

शक्तिक आत्म-ऊर्जा प्रगट है, वह अन्तराय

का भाव संसार के प्रत्येक प्राणी

गुणस्थान तक) को प्राप्त है। आप पूछेंगे, क्या मिथ्यात्वी में भी क्षायोपजमिक भाव है ? मैं पूछता हूं, क्या मिथ्यात्वी जीव नहीं होता ? आप निश्चित मानें, समार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह देव हो या नारक, मनुष्य हो तिर्यच त्रस हो या स्थावर, सूक्ष्म हो या वादर, सजी हो या असंजी, हिंदु हो या मुसलमान, स्त्री हो या पुरुष, मिथ्यात्वी हो या सम्यवत्वी...ज्ञान, दर्शन आदि आत्मगुणों के न्यूनतम अंश से अवश्य मपन्न होता है। आत्मगुणों के आंशिक विकास के अभाव में जीव का अस्तित्व ही नहीं है। यह आत्मगुणों का आंशिक विकास क्षायोपजमिक भाव के बिना ही नहीं सकता।

गंगाशहर

२८ अगस्त, १९७८

उत्थान व पतन का आधार : भावधारा

भावो का विवेचन पिछले तीन-चार दिनों से आप बराबर सुन रहे हैं। मैं मानता हूँ, भावो का ज्ञान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि उस ज्ञान के माध्यम से हमारी बहुत-सी वैचारिक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। बहुधा यह प्रश्न सामने आता है कि मनुष्य का उत्थान या ह्रास क्यों होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से सोच सकता है। पर मैं मानता हूँ, इसका वास्तविक समाधान भावो को समझने से प्राप्त होगा। व्यक्ति के उत्थान-पतन में दूसरी-दूसरी अनेक चीजें निमित्त बन सकती हैं, पर मूल कारण व्यक्ति की स्वयं की आत्मा या उसके भाव ही हैं। यदि व्यक्ति अपने भावो पर अपना नियन्त्रण कर लेता है तो मानना चाहिए कि विकास व ह्रास पर उसका नियन्त्रण हो गया।

भगवान् महावीर ने कहा—

‘अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठय सुप्पट्ठयो।।’

स्वयं की आत्मा ही सुख और दुःख की कर्ता और विकर्ता है। वही अपनी मित्र है और वही शत्रु। दुष्प्रवृत्तियों—पापाचरण में सलग्न आत्मा शत्रु और सत्प्रवृत्तियों—धर्म में सलग्न आत्मा मित्र है।

जिस समय हमारी आत्मा औपशमिक, क्षायोपशमिक या क्षायिक भावो में होती है, तब वह हमारी मित्र होती है और वही आत्मा जब औदयिक भाव में होती है तो हमारी शत्रु बन जाती है। दूसरे शब्दों में कर्मों का उपशमन, हलकापन और क्षय हमारे सुख का उपादान कारण है और कर्मों का उदय दुःख का। हमारी साधना का उद्देश्य कर्मों के उपशमन, हलकापन और क्षय की स्थिति को प्राप्त करना है। इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि औदयिक भाव का निरोध ही हमारी समग्र साधना-पद्धति का चरम ध्येय है। इस उद्देश्य को लेकर यदि व्यक्ति चलता रहे तो उसके सामने किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ सकती। कठिनाई तभी आती है, जब व्यक्ति इस मूलभूत उद्देश्य को भूलकर ख्याति, प्रतिष्ठा, नाम आदि वैभाविक तत्त्वों में उलभ जाता है।

साधना की बात हम दो क्षण के लिए छोड़ भी दें, मामान्यरूप में भी आदमी कोई प्रवृत्ति करता है तो उसमें नाम की भावना ज्यादा रखता है। काम करके नाम की आकांक्षा करे—यहां तक तो व्यावहारिक भूमिका में चल सकता है, पर काम के बिना नाम या थोड़ा काम और अधिक नाम—यह भावना सचमुच बड़ी खतरनाक है। हम देखें, काम पशु भी करता है, पर वह कभी नाम या प्रतिष्ठा की भावना नहीं रखता।

शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग ?

मैं मानता हूँ, मनुष्य एक विवेकशील और चिन्तनशील प्राणी है। उसके पास वह शक्ति है, जिससे वह अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता है। आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन सकता है। किन्तु कठिनाई यह है कि वह अपनी शक्ति का सदुपयोग कम करता है, दुरुपयोग ही अधिक करता है। इसलिए वह शक्ति उसे अमानवीय वृत्तियों की ओर ले जा रही है। पर यह शक्ति का कोई दोष नहीं है। शक्ति अपने आप में सर्वथा निर्दोष है। दोष है—व्यक्ति के गलत उपयोग का। अच्छी-से-अच्छी वस्तु भी गलत उपयोग से मनुष्य के लिए अहितकारी सिद्ध होती है। विकास के जितने साधन हैं, वे ही ह्रास के साधन भी बन जाते हैं, जब उनका असम्यक् प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न हो सकता है कि आदमी जब स्वयं चिन्तनशील एवं विवेकशील प्राणी है, फिर उसे पथ-दर्शन की क्या अपेक्षा है ? यह ठीक है कि आदमी में चिन्तन है, विवेक करने की शक्ति है, पर साथ ही यह भी मानना होगा कि खतरा भी आदमी से ही सबसे अधिक है। हिंसक-से-हिंसक पशु भी आपवादिक स्थिति को छोड़कर बिना भूख या बिना प्रयोजन दूसरों के लिए खतरा नहीं बनते। पर मनुष्य से हरदम खतरा बना रहता है। वह ऊपर-से-ऊपर उठ सकता है तो नीचे-से-नीचे भी जा सकता है। इसलिए उसको पथ-दर्शन की सदा अपेक्षा रहती है।

मनुष्य के इस विकास और ह्रास को समझने के लिए भावों का ज्ञान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हम सूत्र रूप में इस तथ्य को स्वीकार करें कि हमें आत्मोत्थान या धार्मिक विकास की जो भी स्थिति प्राप्त होती है, वह औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भावों से प्राप्त होती है। इसके विपरीत आत्म-पतन या धार्मिक-ह्रास की जो भी स्थिति बनती है, वह औदयिक भाव के कारण ही बनती है। कुछ लोग अज्ञानवश कह दिया करते हैं कि पुण्योदय से हमें संतों के दर्शन प्राप्त हुए, प्रवचन सुनने को मिला.....। उनको ब्याल रखना चाहिए कि पुण्योदय से धन, संपत्ति, सतान आदि भौतिक सुख-सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि

तत्त्व पुण्योदय से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते । ये सब चीजें तो कर्मों के उपशम, क्षयोपशम एवं क्षय से ही उपलब्ध हो सकती हैं ।

जैन दर्शन में पांच भावों का बहुत विस्तृत वर्णन प्राप्त है । ये पांच भाव जैन दर्शन के मूल हैं । इनको समझे बिना हम जैन दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और धर्म को भी नहीं समझ सकते । क्योंकि दूसरे-दूसरे दर्शनों में उत्थान-पतन, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख आदि बातें ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं । वे इनके लिए व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मानते । पर जैन दर्शन तो इन सब बातों के लिए पग-पग पर व्यक्ति के पुरुषार्थ व चिन्तन को ही जिम्मेदार मानता है । संक्षेप में जैन दर्शन आत्म-कर्तृत्ववादी दर्शन है, ईश्वर-कर्तृत्ववादी दर्शन नहीं । इसलिए मैंने कहा, भावों को समझना बहुत आवश्यक है ।

पांच भावों में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भावों के प्रकारों का विवेचन मैं पिछले प्रवचनों में कर चुका हूँ । अब हम यह भी जानें कि औदयिक भाव के कितने प्रकार हैं—

**औदयिकस्य अज्ञान-निद्रा-सुखदुःख-आश्रव-वेद-आयुर्गति-जाति-शरीर-
लेश्या-गोत्र-प्रतिहतधीर्यत्व-छद्मस्थ-असिद्धत्वादयः ।**

अज्ञान, निद्रा, सुख-दुःख, आश्रव, वेद, आयु, गति, जाति, शरीर, लेश्या, गोत्र, प्रतिहत शक्ति, छद्मस्थता, असिद्धता आदि औदयिक भावों के प्रकार हैं ।

अज्ञान—जैसा कि पहले एक-दो बार स्पष्ट कर चुका हूँ, अज्ञान के दो प्रकार हैं—कुत्सित ज्ञान (मिथ्यात्वी का ज्ञान) और ज्ञान का अभाव । इनमें प्रथम प्रकार का अज्ञान (मिथ्यात्वी का ज्ञान) ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से मिलता है । पर यहाँ जिस अज्ञान की बात कही गई है, वह ज्ञान के अभाव का नाम है । यह ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से नहीं, उदय से पैदा होता है । आप पूछेंगे, यह अज्ञान किसमें है ? मैं पूछता हूँ, किसमें नहीं है ? जब तक व्यक्ति केवलज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक किसी-न-किसी सीमा में अज्ञान हर प्राणी में विद्यमान रहता है ।

निद्रा—निद्रा दर्शनावरणीय कर्म का उदय है । जिसके दर्शनावरणीय कर्म का तीव्र उदय होता है, उसकी नींद बहुत गहरी होती है । इसके विपरीत जिसके दर्शनावरणीय कर्म का उदय मंद होता है, उसकी नींद बहुत हलकी होती है । इस तरतमता को ध्यान में रखते हुए निद्रा के पांच प्रकार बताए गए हैं—

१. निद्रा—जो निद्रा सुख से आए और सुख से उड़ जाए ।

२. निद्रा-निद्रा—जो निद्रा आए भी कठिनाई से और उड़े भी मुश्किल से ।

३. प्रचला—बैठे-बैठे और खड़े-खड़े आनेवाली निद्रा ।

४. प्रचला-प्रचला—चलते-चलते आनेवाली निद्रा ।

५. सत्यानर्द्धि—मौत के तुल्य गहरी निद्रा । शास्त्रों में इस निद्रा का विवेचन करते हुए यहां तक बताया गया है कि सत्यानर्द्धि निद्रा में व्यक्ति नींद में अपने स्थान से उठता है । वहां से चलकर हाथी से सघर्ष करता है और उसके दांतों को निकाल कर ले आता है, फिर भी उसको कुछ पता नहीं चलता । इस निद्रावाला व्यक्ति नरकगामी होता है ।

गंगाशहर

२९ अगस्त, १९७८

औदयिक भाव का विलय : मुक्ति-द्वार

संसार के प्रत्येक प्राणी में औदयिक भाव (चौदहवें गुणस्थान तक) और क्षायोपशमिक भाव (बारहवें गुणस्थान तक) दोनों समान रूप से चलते हैं। यदि औदयिक भाव न हो तो प्राणी मुक्त हो जाता है और यदि क्षायोपशमिक भाव न हो तो प्राणी अप्राणी बन जाता है। कल से यहाँ पर्युषण पर्व प्रारम्भ हो गया। हजारों-हजारों लोग अपनी शक्ति के अनुसार इस पर्व की आराधना कर अपनी आत्मा को भावित कर रहे हैं। यह क्षायोपशमिक भाव का ही प्रभाव है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इस पर्व का माहात्म्य नहीं समझते, इसका सही अंकन नहीं करते, इसकी सम्यक् आराधना नहीं करते। यह औदयिक भाव का प्रभाव है। जब तक उदय भाव तीव्र रहता है, तब तक व्यक्ति तत्त्व का सही-सही अंकन नहीं कर पाता।

मुनि भिक्षा के लिए गए। गृहपति के देने की इच्छा नहीं है। आप पूछेंगे, क्या कभी ऐसा भी होता है, जो साधु को देने की इच्छा न हो? आप क्यों सोचते हैं कि सब श्रावक ही होते हैं, सब उदार ही होते हैं। संसार में सभी तरह के लोग होते हैं। साधु-सन्तों को देकर प्रसन्न होनेवाले होते हैं तो साधु-सन्तों को न देने की भावना रखनेवालों की भी नास्ति नहीं है। पर ऐसे लोग भी लोक-निंदा के भय से मुनि को भिक्षा दे देते हैं। यह लोक-निंदा का भय औदयिक भाव का ही परिणाम है। यदि क्षायोपशमिक भाव हो तो व्यक्ति को त्यागी साधु-सन्तों को दान देने में सहज प्रसन्नता की अनुभूति होगी।

प्रश्न होगा, जब औदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव दोनों साथ-साथ चलते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का समाधान हर भाई वहन को गहराई से समझना चाहिए। इस स्थिति में हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम क्षायोपशमिक भाव को तीव्र करें और औदयिक भाव को क्षीण। यद्यपि औदयिक भाव को चौदहवें गुणस्थान तक भी हम सर्वथा समाप्त नहीं कर सकते, पर उसको दुर्बल अवश्य कर सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने औदयिक भाव को इतना दुर्बल बनाएं, जिससे कि वह नगण्य-सा बन जाए। यों जब तक शरीर है, तब तक थोड़ी-बहुत व्याधि रहती ही है।

और कोई व्याधि किसी के चाहे न भी हो, भूख-प्यास और नीद की व्याधि से कोई नहीं बच सकता। पर जहाँ स्वास्थ्य प्रबल होता है, वहाँ यह अस्वास्थ्य दिखाई ही नहीं पड़ता। ठीक यही बात है भावों के बारे में। यदि हम प्रयत्नपूर्वक क्षायोपशमिक भाव को तीव्र कर लें तो औद्यिक भाव रहकर भी बिलकुल नहीं के समान हो जाएगा।

निराशा से बचें

मुझे बहुधा पूछा जाता है कि अणुव्रत का कार्य करते आपको इतने वर्ष हो गए, क्या आपने सारे संसार को नैतिक बना दिया? ऐसा प्रश्न करने-वालों को समझना चाहिए कि कोई भी नैतिक आन्दोलन, चाहे वह अणुव्रत हो या अन्य कोई, सारे संसार को कभी भी नैतिक नहीं बना सकता। आप कहेंगे, ऐसी स्थिति में आन्दोलन चलाने का अर्थ ही क्या? यह सोच सम्यक् नहीं है। सारा संसार नैतिक चाहे न बने, पर हमें तो अपना पुरुषार्थ करना ही चाहिए। हमारे प्रयत्न से जितने लोग नैतिक बनें, उतना तो अच्छा है ही। कोई कह सकता है, यह तो निराशा की बात हो गई। नहीं, यह निराशा की बात कदापि नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझना है। मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि व्यक्ति को आशा उतनी ही करनी चाहिए, जितनी संभव हो। अति आशा का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से वह निराशा को ही आमंत्रण है। इसलिए इस वास्तविकता को समझते हुए कि कुछ प्रतिशत लोग ही सुधरेगे, सारा संसार कभी नहीं सुधरेगा, हम अपना कार्य अतीत में करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस वास्तविकता को समझने के कारण ही हमारे सामने कभी निराशा होने का अवसर नहीं आता। हमारा एक ही प्रयत्न है कि नैतिकता का पलड़ा अनैतिकता के पलड़े से भारी हो जाए। वर्तमान में वह अनैतिकता के पलड़े से हलका हो गया है। यदि यह कार्य हो जाता है तो हम अपने प्रयत्न में पूर्ण सफल हैं।

सफलता की कसौटी

बन्धुओं! मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसार के सभी महापुरुषों ने आखिर क्या किया? क्या वे सारे संसार को नैतिक या धार्मिक बना पाए? जब वे भी सारे संसार को सुधारने में कभी सफल नहीं हुए, तब हम कैसे सारे संसार को सुधारने की बात सोच सकते हैं? पर इसमें महापुरुषों की किंचित् भी असफलता नहीं। लोगों को सुधारने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया पर सारे संसार को सुधारने की जिम्मेवारी उन्होंने कभी नहीं ली। जितने लोगों ने उनके उपदेश को स्वीकार किया, उनका सुधार हुआ। पर जिन्होंने उनके उपदेश को नहीं स्वीकारा, उनका सुधार वे कैसे

करें ? आखिर उपदेश देनेवाला उपदेश दे सकता है, रास्ता बता सकता है, पर किसी को जबरदस्ती धार्मिक तो नहीं बना सकता । इसलिए चाहे किसी भी महापुरुष का युग क्यों न रहा हो, वे अपने युग में कुछ प्रतिशत लोगो को ही सुधार पाए हैं, सारे ससार को नहीं । पर जैसा कि मैंने कहा, यदि किन्हीं महापुरुष के प्रयत्न से अच्छाई का पलड़ा बुराई के पलड़े से भारी हो जाए तो महापुरुष अपने लक्ष्य में पूर्ण नफल है । परन्तु ऐसा नहीं भी होता है तो उनके असफल होने का कोई प्रश्न नहीं है । क्योंकि महापुरुष का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना होता है । ससार का सुधरना या न सुधरना उनकी सफलता और असफलता की कसौटी नहीं है ।

हा, तो मैं आपसे औदयिक भाव एवं क्षायोपशमिक भाव की बात कह रहा था । यदि औदयिक भाव को हम अत्यन्त कमजोर बना दें और क्षायोपशमिक भाव को तीव्र कर दें तो हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा । इस सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण बात और है । आखिर यह कार्य हर व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा । दूसरा केवल निमित्त बन सकता है । और वह भी उस स्थिति में जब व्यक्ति स्वयं इसके लिए तैयार हो । सीढिया ऊपर चढ़ने में तभी सहयोगी बनती है जब व्यक्ति स्वयं ऊपर जाने को तैयार हो । जो स्वयं ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं, उसके लिए सीढिया कुछ भी नहीं कर सकती । मैं आपके औदयिक भाव को दुर्बल बनाना चाहता हूँ, समाप्त करना चाहता हूँ । क्षायोपशमिक भाव को तीव्र करना चाहता हूँ, क्षायिक भाव लाना चाहता हूँ । मैं इसमें निमित्त बन सकता हूँ । पर यह सम्भव तभी है, जब आप स्वयं इसके लिए प्रस्तुत हो, अन्यथा मैं लाख प्रयत्न करूँ तो भी आपमें किंचित् भी परिवर्तन नहीं कर सकता । हमारा निश्चित सिद्धांत है कि उत्थान और पतन दोनों का उपादान कारण व्यक्ति स्वयं ही है । दूसरे तो मात्र निमित्त बनते हैं । इसलिए आप सबको इस बात की पुनः-पुनः प्रेरणा करता हूँ कि आप अपने औदयिक भाव को जहाँ तक सम्भव हो सके कमजोर, अति कमजोर और समाप्त करने का प्रयास करें ।

औदयिक भाव के कुछ प्रकारों की चर्चा मैं कर चुका हूँ । उसके अन्य प्रकारों को भी समझना है ।

सुख-दुःख—प्राणी ससार में विभिन्न रूपों में सुख-दुःख को भोगता है । यह वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है । सातवेदनीय कर्म से सुख और असातवेदनीय कर्म से दुःख की प्राप्ति होती है ।

आश्रव—जीव के कर्म-बन्ध का हेतु आश्रव है । आश्रव पांच है—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें प्रथम चार आश्रव और अशुभ योग आश्रव का कारण मोहनीय कर्म का उदय है । शुभ योग आश्रव नाम कर्म के उदय की परिणति है ।

वेद—वासनाजन्य विकार वेद है। यह भी मौहनीय कर्म के उदय के कारण पैदा होता है।

आयु—जीव ससार में रहता है, यह आयुष्य कर्म के उदय का परिणाम है।

गति, जाति, शरीर—प्राणी संसार में विभिन्न गतियों में और विभिन्न जातियों में पैदा होता है। वह नाना प्रकार के शरीरों को धारण करता है। यह नाम कर्म के उदय का ही प्रभाव है। शुभ नाम कर्म के उदय से ये चीजें शुभ रूप में तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से ये चीजें अशुभ रूप में प्राप्त होती हैं। किसी व्यक्ति को सुडौल शरीर मिलता है, यह शुभ नाम कर्म का प्रभाव है। किसी को वेडौल शरीर मिलता है, यह अशुभ नाम कर्म के कारण है। कोई व्यक्ति सबको प्रिय लगता है, यह शुभ नाम कर्म के उदय के कारण है। कोई सबको अप्रिय लगता है, यह अशुभ नाम कर्म के कारण है।

हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिनके आदेश को बिना किसी ननुनच उसके परिवारवाले तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जिनके आदेश पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। वचन की यह आदेयता और अनादेयता शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को आदेयता प्राप्त है तो मानना चाहिए कि उसके शुभ नाम कर्म का उदय है। इसके विपरीत जिसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसके अशुभ नाम कर्म का उदय है।

एक विशाल संयुक्त परिवार था। लगभग पचास व्यक्तियों के उस परिवार पर एक वृद्ध व्यक्ति का अनुशासन था। सब उसकी बात को सहर्ष स्वीकार करते। व्यापार-व्यवसाय अच्छा चलता था। सारा परिवार अत्यंत आनन्द में दिन गुजारता था। पर आप जानते हैं कि किसी के भी सब दिन एक समान नहीं होते। उनमें उतार-चढ़ाव आता रहता है। इस परिवार के भी दिन बदले। व्यापार-व्यवसाय में एकाएक इतना घाटा लगा कि सारी आर्थिक व्यवस्था लडखडा गई। पेट भरने के भी लाले पड़ गए। आखिर परिवार के सब सदस्य उस वृद्ध नायक के समक्ष उपस्थिति हुए और समस्या का समाधान पूछा। वृद्ध ने सबको अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। आदेश मिलते ही सब वृद्ध के नेतृत्व में जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर वृद्ध ने एक ऐसे स्थान पर पडाव डाला, जहां सरकण्डों के सैकड़ों-सैकड़ों पौधे थे। वृद्ध ने सरकण्डों को काटने और कूट-पीटकर उनकी रसिसया बनाने का आदेश दिया। वस, आदेश मिलने की देरी थी, वहां रस्सी बनाने का एक कारखाना-सा खुल गया। कुछ ही समय में मोटी-मोटी

रस्सियां बन कर तैयार हो गईं । परिवार वालो ने वृद्ध नायक से पूछा—
“अब क्या करें ?” वृद्ध ने आदेश दिया—“सामनेवाले वृक्ष को बाधो ।”

उस वृक्ष में एक यक्ष का निवास था । वह घबराया । वृद्ध के अनुशासन और उनकी एकता को देखकर उसके मन में विश्वास हो गया कि सचमुच ये मुझे बाध लेंगे । वह तत्काल वृद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला—“क्या कर रहे हो तुम लोग ?”

“देखते नहीं ?”—वृद्ध ने प्रतिप्रश्न किया ।

“ये रस्सियां क्यों बनाई है ?”—यक्ष ने घबराहट के स्वरो में पूछा ।

“तुम्हें बाधेंगे ।”—वृद्ध ने उसे भयभीत करते हुए कहा ।

सचमुच यक्ष भय से कापने लगा । वह तत्काल वृद्ध के चरणों में गिरकर गिडगिड़ाता हुआ बोला—“मुझे मत बाधो ।”

“बाधे नहीं तो खाए किसको ?”—वृद्ध ने तेज स्वरो में कहा ।

“तुम निश्चित हो घर पर जाओ । तुम्हारे किसी बात का अभाव नहीं रहेगा ।”—यक्ष ने वृद्ध को पुनः-पुनः आश्वस्त करते हुए कहा ।

वृद्ध अपने पूरे परिवार सहित घर लौट आया । देखते-देखते सारी स्थितियां बदल गईं । व्यापार-व्यवसाय दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ने लगा । वह मालामाल हो गया । सारा परिवार पुनः आनंद से रहने लगा ।

उसके पड़ोस में ही एक दूसरा परिवार रहता था । वह भी काफी बड़ा था । पर एक कमी थी । परिवार के नायक के आदेश की कोई पालना नहीं करना चाहता था । उस परिवार के नायक को जब खबर लगी कि मेरा पड़ोसी जंगल में जाकर मालामाल हो गया है तो उसका मन भी ललचाया । उसने भी परिवार के लोगों को जंगल में चलने का आदेश दिया । पर सहर्ष चलने को कोई तैयार नहीं हुआ । आखिर काफी कड़ा कहने पर बड़ी मुश्किल से सब चलने के लिए तैयार हुए । इस परिवार के वृद्ध नायक ने भी वही पडाव डाला, जहां पहले परिवार के नायक ने डाला था । वहां जाकर उसने भी रस्सियां बनाने और उमी वृक्ष को बाधने का आदेश दिया । पर रस्सी कौन बनाए ? सघर्ष खडा हो गया । बड़ा भाई कहने लगा, छोटा भाई बनाएगा, और छोटा भाई कहने लगा बड़ा बनाएगा । जेठानी कहने लगी, देवरानी बनाएगी; देवरानी कहने लगी जेठानी बनाएगी । किसी ने तो यहां तक भी कह दिया कि यह बूढा वैठा-वैठः क्या करता है ? हमे-ही-हमे काम करने के लिए कहता है, खुद तो कुछ भी नहीं करता । आखिर बड़ी मुश्किल से पांच-सात रस्सियां बनीं । यक्ष सारी स्थिति गौर से देख रहा था । वह आश्वस्त था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते । वह विकराल आकृति में उस वृद्ध

परिवार-नायक के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने वही प्रश्न दोहराया—
 “ये रस्मिया क्यों बनाई है ?” बृद्ध ने पहले से रटा-रटाया उत्तर दिया—
 “तुम्हें वांधने के लिए ।” यक्ष ने आखे लाल करते हुए कहा—“यहां में
 तत्काल भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के एक-एक
 सदस्य की यही ढेर कर दूंगा । अपना परिवार तो तुममें बन्धता ही नहीं और
 मुझे वांधने के लिए आए हो !”

वह परिवार-नायक घबराया—यहा तो लेने के देने पड़ गए । अब
 यहां एक क्षण भी रुकना सतरे से खाली नहीं है । वह तत्काल परिवार को
 लेकर घर की ओर रवाना हो गया ।

बन्धुओ ! आदेयता और अनादेयता की स्थिति और परिणाम के
 अन्तर को आपने देखा । आदेयता और अनादेयता दोनों नाम कर्म के उदय
 से ही मिलती हैं । इसी प्रकार सुरूपता, कुरूपता, मधूरस्वरता, कर्कशस्वरता
 आदि अनेक चीजें नाम कर्म के उदय से मिलती हैं ।

लेश्या—आत्मा के शुभ-अशुभ परिणामों को लेश्या कहा जाता है ।
 लेश्या भी नाम कर्म के उदय के कारण ही प्राप्त होती है । शुभ नाम कर्म के
 उदय में शुभ लेश्या—शुभ आत्म-परिणाम तथा अशुभ नाम कर्म के उदय से
 अशुभ लेश्या—अशुभ आत्म-परिणाम प्राप्त होने हैं । आत्म-परिणामों के
 अशुभ होने में मोहनीय कर्म का उदय योगभूत होता है ।

गोत्र - प्राणी विभिन्न उच्च-नीच स्थितियों को प्राप्त होता है । यह
 गोत्र कर्म के उदय का प्रभाव है । शुभ गोत्र कर्म के उदय से उच्चता तथा
 अशुभ गोत्र कर्म के उदय से न्यूनता की उपलब्धि होती है ।

प्रतिहत शक्ति—अन्तराय कर्म के उदय से प्राणी की आत्म-ऊर्जा में
 रुकावट आती है ।

छद्मस्थता—यह भी औदयिक भाव ही है । ज्ञानावरणीय,
 दर्शनावरणीय तथा अन्तराय कर्म के उदय से छद्मस्थता की स्थिति रहती
 है । जिस दिन इन तीनों कर्मों का उदय नहीं रहता, उस दिन छद्मस्थता भी
 नहीं रहती ।

असिद्धत्व—अघाती कर्म—वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र के उदय
 से असिद्धत्व की प्राप्ति होती है । तेरहवें गुणस्थान में घाती कर्मों के पूर्णतया
 नष्ट हो जाने के बाद भी अघाती कर्म अवशिष्ट रह जाते हैं । इनके उदय के
 कारण ही चौदहवें गुणस्थान तक प्राणी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता ।
 जब ये सर्वथा क्षीण हो जाते हैं यानी इनका उदय समाप्त हो जाता है, तभी
 जीव सिद्ध बनता है ।

औदयिक मात्र की लम्बी चर्चा को अब मैं सम्पन्न करता हूं । इस
 भाव की इतनी विस्तृत चर्चा का मूलभूत उद्देश्य यही है कि हम इस भाव

को गहराई से समझें । जब तक इसे गहराई से समझा नहीं जाएगा, तब तक इससे मुक्त होने का प्रयास भी कैसे हो सकेगा ? और इससे मुक्त हुए बिना संसार से मुक्त होने की बात भी समाप्त हो जाएगी । चूँकि हम सबका लक्ष्य इस संसार से मुक्त होना है, इसलिए यह नितांत अपेक्षित है कि हम सलक्ष्य इससे मुक्त होने का प्रयास करें ।

गंगाशहर

३१ अगस्त, १९७८

पारिणामिक भाव : एक ध्रुव सत्य

औदयिक भाव के विभिन्न प्रकारों की चर्चा के पश्चात् आज मैं आपको पारिणामिक भाव के प्रकारों पर कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, अपने-अपने स्वभाव में परिणत होने का नाम परिणाम है। उससे होनेवाली आत्मा की अवस्था या परिणाम को ही पारिणामिक भाव कहा जाता है। प्रकृति का यह निश्चित सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़कर परभाव में नहीं जाती। आप हजार प्रयास करें, फिर भी अग्नि कभी अपनी उष्णता के स्वभाव को नहीं छोड़ सकती।

पारिणामिकस्य जीवत्व-मव्यत्व-अमव्यत्वाद्यः ।

पारिणामिक भाव के प्रकार हैं—

जीवत्व, मव्यत्व, अमध्यत्व आदि।

जीवत्व—जीवत्व/चेतना जीव का स्वभाव है। कोई भी जीव अपने जीवत्व के स्वभाव को छोड़कर कभी जीव नहीं रह सकता। उसकी अवस्था में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। पर उसके वायजूद भी जीवत्व का मूल स्वभाव सदा उसी रूप में बना रहता है। प्राणी एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय बन जाते हैं, पचेन्द्रिय से एकेन्द्रिय बन जाते हैं। द्वीन्द्रिय से पचेन्द्रिय बन जाते हैं; त्रीन्द्रिय से पचेन्द्रिय बन जाते हैं या अतीन्द्रिय भी बन जाते हैं, फिर भी वे जीव ही रहेंगे। किसी भी अवस्था को प्राप्त करके वे अजीव नहीं बन सकते।

इस सन्दर्भ में पूछा जा सकता है कि प्राणी अतीन्द्रिय किस अवस्था में बनता है? प्राणी अतीन्द्रिय दो अवस्थाओं में होता है—या तो उसकी इन्द्रियाँ बेकार हो जाएँ या फिर वह शरीर-मुक्त—सिद्ध बन जाए। इन्द्रियाँ भी दो अवस्थाओं में बेकार होती हैं—इन्द्रियों के खराब होने से या केवलज्ञान प्राप्त होने से। पहली अवस्था में जब इन्द्रियों की पौद्गलिक आकृति या शक्ति नष्ट हो जाती है, तब वे बेकार हो जाती हैं। दूसरी अवस्था में जब व्यक्ति केवलज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, इसलिए वे बेकार हैं। पर इन सब अवस्थाओं में भी जीव का

जीवत्व कभी नष्ट नहीं होता। यानी प्राणी चाहे ससार की विभिन्न जातियों एवं गतियों में रहे, चाहे ससार से मुक्त भी हो जाए, पर उसका जीवत्व अपरिवर्तनशील है।

भव्यत्व—मोक्ष जाने की योग्यता को भव्यत्व कहा जाता है।

अभव्यत्व—मोक्ष जाने की अयोग्यता या अपात्रता अभव्यत्व कहलाती है।

हम जानते हैं कि हर व्यक्ति या हर वस्तु सभी दृष्टियों से योग्य या अयोग्य नहीं होती। हर प्राणी या वस्तु की योग्यता सदा सापेक्ष ही होती है। आप लोग व्यापारी हैं। व्यापार की दृष्टि से योग्य हो सकते हैं। पर यदि आपको कह दिया जाए कि वायुयान चलाना है तो सम्भवतः आप सब अयोग्य साबित होंगे। इसी प्रकार जो वायुयान का चालक है, वह वायुयान चलाने की दृष्टि से योग्य है। पर यदि उसे व्यापार की दृष्टि से परखा जाए तो वह सर्वथा अयोग्य साबित हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि योग्यता और अयोग्यता सदा सापेक्ष होती है। भव्य प्राणी मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं और अभव्य प्राणी मोक्ष जाने की दृष्टि से अयोग्य होते हैं। हमें यहां समझना यह है कि भव्य प्राणी कभी भी अभव्य नहीं बन सकते। यानी वे भव्यत्व के स्वभाव से कभी भी विलग नहीं होते। इसी प्रकार अभव्य प्राणी भी कभी भव्य नहीं बनते। यानी उन्हें त्रिकाल में भी मोक्ष जाने की योग्यता प्राप्त नहीं होती।

हमारी धर्म सभा में भव्य प्राणी ही आते होंगे, क्योंकि अभव्य यहां आकर करें भी क्या? वास्तव में धर्म और अध्यात्म के प्रति उन्हें ही अभिरुचि हो सकती है, जो मोक्षगमन की योग्यता रखते हैं। फिर भी अभव्य प्राणियों के आने की सर्वथा नास्ति नहीं है। पर तीर्थङ्करों की सभा में कोई अभव्य प्राणी आ ही नहीं सकता। यह अनादिकालीन परम्परा है।

पूछा जा सकता है, भव्यत्व किस कर्म का क्षयोपशम है और अभव्यत्व किस कर्म का उदय है? भव्यत्व और अभव्यत्व कर्मजन्य नहीं है। इसलिए भव्यत्व किसी कर्म का क्षयोपशम नहीं और अभव्यत्व किसी कर्म का उदय नहीं। यह अनादि परिणामन (प्राकृतिक स्थिति) है। इसे हम त्रिकाल में भी बदल नहीं सकते। हमारी बात तो छोटी है, तीर्थङ्करदेव भी इस स्थिति को बदलने में असक्षम हैं।

पूछा जा सकता है कि भव्य और अभव्य प्राणियों की अवस्था में परिवर्तन होता है या नहीं? परिवर्तन तो होता ही है। आज जो एक भव्य प्राणी एकेन्द्रिय है, वह कभी द्वीन्द्रिय बन सकता है, फिर कभी पचेन्द्रिय बन सकता है... इसी प्रकार अभव्य प्राणी की अवस्थाओं में भी नाना परिवर्तन होते रहते हैं। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि अभव्य प्राणी मुनि, उपाध्याय

और आचार्य भी बन सकता है। पर वह होगा द्रव्य मुनि, द्रव्य उपाध्याय और द्रव्य आचार्य ही। भाव साधुत्व उसमें कभी नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तन सभी प्राणियों में होता है, चाहे वे भव्य हों या अभव्य। केवल भव्यत्व और अभव्यत्व की दृष्टि से उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।

बन्धुओ ! परिवर्तन का यह सिद्धांत शाश्वत और महत्त्वपूर्ण है। यदि परिवर्तन न हो तो ससार का कोई भी पदार्थ टिक नहीं सकता। दूसरे शब्दों में इस संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पर आप निश्चिन्त रहे, ऐसा कभी त्रिकाल में भी संभव नहीं है। परिवर्तन का क्रम हर पदार्थ में अनवरत चालू रहता है। इस सिद्धांत को आप गहराई से समझें। मेरा विश्वास है कि यदि आप इस सिद्धांत को गहराई से समझ लेंगे तो फिर प्रतिदिन होनेवाले परिवर्तन को देखकर कभी घबराएंगे नहीं। कठिन-से-कठिन परिस्थिति को भी जीवन की अनिवार्यता समझकर हसते-हंसते पार कर जाएंगे।

गगाशहर

१ सितम्बर, १९५८

परिशिष्ट

शब्दानुक्रम : विषयानुक्रम

अ

अगप्रविष्टश्रुत १८२, १८६
 अतराय कर्म २३३, २४८, २४९, २६०
 अंत्य सौक्ष्म्य ५४, ५५
 अंत्य स्थौल्य ५५
 अधकार ६०, ६१
 अक्षरश्रुत १८२
 अगमिकश्रुत १८२, १८६
 अगुरुलघुत्व १२५-१२८, २४८
 अघाती कर्म २६०
 अचक्षु दर्शन १६२, २०८, २०९, २४८
 अचेतनत्व १३६, १३७
 अजीव १३५, १५१, १५२
 अजीव शब्द ४९
 अज्ञान (कुत्सित ज्ञान) १६३, २०४-
 २०६, २४८
 अज्ञान (ज्ञान का अभाव) २५३
 —के तीन प्रकार २०४-२०६
 अटल अवगाहन २४८
 अणुव्रत १४४, २५६
 —का सैद्धांतिक आधार १४४
 अणुव्रती १४४
 अतीन्द्रिय १८७, २६२
 —ज्ञान १८६, १८७
 अधर्म (छह द्रव्यो में एक द्रव्य)

देखें—अधर्मास्तिकाय

अधर्मास्तिकाय ९, १९-२२, १०५,
 १०६, ११३, १३४, १३७
 —की अवगाहना ११३
 —की स्थिति १०५, १०६
 अधोलोक ३२, ३५
 अध्यात्म १२९
 अनगप्रविष्टश्रुत १८२, १८६
 अनंतानुवधी कषाय २४९
 अनक्षरश्रुत १८२
 अननुगामी अवधिज्ञान १८९
 अनशन ११३
 अनाकार उपयोग १६०, १६२, २०७
 देखें—दशान
 अनादिश्रुत १८२, १८५, १८६
 अनादेयता २५८
 अनित्यस्थ-सस्थान ५७
 अनुगामी अवधिज्ञान १८९
 अपरत्व (काल का लक्षण) १०२, १०३
 अपर्यवश्रुत १८२, १८६
 अप्रतिपाति अवधिज्ञान १८९, १९०
 अप्रतिहत शक्ति २४८
 अमवी देखें—अमव्य
 अमव्य १४३, २६३, २६४
 अमव्यत्व २६३, २६४

अभेदात्मक दृष्टि १७३

अमनस्क १८२, १८३

अमूर्त्तत्व १३६, १३७

अमूर्त्तित्व २४८

अरहन्त १६१

अर्थ पर्याय १४६, १४७

अर्थविग्रह १७५

अलोक २१, २२, ३१, ४४, १०६

अवगाहहेतुत्व १३३, १३४, १३७

अवग्रह १६३, १७४, १७५

—के प्रकार १७५

अवधिज्ञान १७४, १८६-१९१, १९९,
२४८

अवधिदणंन २०९, २४८

अवाय १६२, १६४, १७५

अष्टस्पर्शां पुद्गल ६४

असंज्ञिश्रुत १८२

असंयमी १४४

असंवेदन २४८

असम्यक्श्रुत १८२, १८५

असातवेदनीय कर्म २५७

असिद्धत्व २५३, २६०

अस्तिकाय ९, १०, ११

अस्तित्व १२१-१२३

अहंकार १५९, १६०

अहिंसा २५, २६, १४३, १६३

आ

आकाश देखें—आकाशास्तिकाय

आकाशास्तिकाय ९, २३, ३१, ३५,
१०५, १०६, १३४, १३७, देखें—

लोक, अलोक, दिशा

—की स्थिति १०५

—के विभाग ३१

आगम ६, २०, २३

आतप ६८

आत्मा २४, ५९, ११७, ११८, १२२,
१२७, १२८, १३०-१३२, २१७,

२३०, २५२, २५३

—का स्वरूप २३०

आत्मिक सुग २४८

आदेयता २५८

आपेक्षिक सौक्ष्म्य ५४

आपेक्षिक स्थौल्य ५५

आभामंडल ६८

आयु २५३, २५८

आयुष्य कर्म २३३, २३४, २४८, २५८

आशा २५८

आश्रव १५१, १५२, २५३, २५७

—के पांच प्रकार २५७

आहारक लब्धि ११७

इ

इन्द्रिय १५३, १९६, १९८, २१०, २१२-
२२६

—के दो प्रकार २१४

—के पांच प्रकार २१०

—के विषय २१९

इत्यंस्थ संस्थान ५७

ई

ईश्वर ३९, ४०

ईहा १६२, १७४, १७५

उ

उदीरणा २३८, २४५

उद्योत ६९

उपकरण इंद्रिय २१४, २१५, २१७,
२१८

प्रवचन पाथेम

उपग्रह ४१

उपयोग (जीव का लक्षण) १५२,

१६० देखें—ज्ञान, दर्शन

—के दो प्रकार १६०

उपयोग इन्द्रिय २१५-२१८

उपवास ११२, ११३

उपशम २३०, २५१

उपादान कारण १३

ऊ

ऊनोदरी ११२, ११३

ऊर्ध्व लोक ३२, ३५

ऋ

ऋजुमति मनःपर्याय ज्ञान १९४

ए

एकत्व (पर्याय लक्षण) १५०

औ

औदयिक भाव २३७, २३८, २४५,

२४६, २४९, २५३-२५८, २६०,

२६१

—के प्रकार २५३

औपशमिक चारित्र २४७, २४८

औपशमिक भाव २३०-२३२, २४६,

२५१-२५३

—के प्रकार २४७

औपशमिक सम्यक्त्व २४७, २४८

क

कर्म ४०, ४७, ११६, ११७, १२७, १२८,

१३०, २३३, २३४, २३८-२४१,

२४५, २४८, २५३, २५८

—के आठ प्रकार २३३

—वधन और मनोभाव २३९,

२४०

कष्ट देखें—दुःख

काय वर्गणा ७९, ८०

कारण के दो प्रकार १३

कार्मण वर्गणा ६४, ७९, ८०

काल (समय) ८७-८९, ९८, ९९

काल (मौत) ८९, ९३-९५, देखें—मृत्यु

काल (ब्रह्म द्रव्यो मे एक द्रव्य)

९-१२, ८६, ८७, १०२-१०४,-

१०९, ११०, ११८, १३४, १३७

—की अवगाहना ११८

—की स्थिति १०९, ११०

—के दो प्रकार ११८

—के विभाग ८७

—को पहचानने के पांच लक्षण

१०२

कृत्रिम स्कन्ध ७९

केवलज्ञान १५३, २०२, २०१, २२८,

२३३, २४८

केवलज्ञानी २०, २४, ५५, १६०

केवल दर्शन २०९, २३३, २४८

केवली देखें -- केवलज्ञानी

—(लि) समुद्घात ५५

क्रिया (काल का लक्षण) १०२, १०३

क्रोध ८१, १४९

—विजय का उपाय ८१

क्षयोपशम १८७, २३१

क्षायिक चारित्र २४८

क्षायिक भाव २३०-२३२, २४६, २४८,

२५१-२५३

—के प्रकार २४८

क्षायिक सम्यक्त्व २४८

क्षायोपशमिक भाव २३०-२३२,

२४६, २४८, २४९-२५७

—के प्रकार २४८

गघ ४५, १३४, १३५, १३७, २१९
 गति २५३, २५८
 गति (सद्गति-दुर्गति) १४, १५, १६
 गति (गतिक्रिया) १३, १४
 गतिहेतुत्व १३३, १३४, १३६
 गमिकश्रुत १८२, १८६
 गुण (द्रव्य का सहभावी धर्म) ९,
 १२, ११९-१२८, १३३-१३७
 —के प्रकार १२१
 गोत्र कर्म २३३, २३४, २४८, २५३,
 २६०

घ

घनघात्य कर्म २३३
 घात्य कर्म २३१, २३३

च

चतुःस्पर्शी पुद्गल ६४
 चारित्र २४८, २४९
 चार्वाक दर्शन ६२
 चेतनत्व १३६, १३७
 चेतना १५२, १५३, २२७, २२८, २६२
 —का विस्तार क्षेत्र १५२, १५३
 —के विभिन्न स्तर २२०, २२८

छ

छद्मस्थता २५३, २६०
 छाया ६४, ६५, ६७, ६८

ज

जाति २५३, २५८
 जाप १४७
 जीभ १९६-१९८
 जीव देखें—जीवास्तिकाय
 —का स्वभाव १२०
 जीव और पुद्गल का संयोग ३६, ४०

—के प्रकार ४०

जीवत्व २६२, २६३
 जीवन-निर्माण ४२
 जीवशब्द ४९
 जीवास्तिकाय ९, १०५, १०६, ११५,
 ११६, १३५-१३७, १४६, १५१,
 १५२, १५६, १६०
 —की अवगाहना ११५, ११६
 —की स्थिति १०६
 जैन १, ३९, १२८
 —दर्शन १, ६, ७, २४, ३९, ५५,
 ६१, ११५, १६१, २०४, २२८,
 २५३

—धर्म १२९

—प्रतीक ३२

ज्ञान १३५, १३७, १६०, १६२, १६३,
 १७२, १८३, १९१, २४८, देखें—
 साकार उपयोग
 —के प्रकार १७४
 —ज्ञान के बीच तरतमता १९१
 ज्ञानावरणीय कर्म २३३, २४८, २५३

त

तत्त्व १५१, १५२, १५५
 —के नौ भेद १५१

तर्क १०६, १०७
 तिर्यक् लोक ३२, ३५, १२३
 तीर्थंकर १, २०, २४, ५५, १६१
 तेरापन्थ १८०, १८१

द

दर्शन (अनाकार उपयोग) १३५,
 १३७, १६०, २०७-२०९, देखें—
 अनाकार उपयोग
 —के प्रकार २०८
 दर्शन (फिलोसोफी) १, ५, १४२

दर्शन (श्रद्धा) २४९
दर्शनावरणीय कर्म २३३, २३४, २४८,
२५३

दिशा २३, २४

दीर्घ ह्वास ७३, ७४, ८०, ८१

दुष्कृत देखें—सुकृत

दुःख २४-२६, ३०, ४१.४२, २५३, २५७

देखें—सुख

दृष्टि २४८, २४९

—के तीन प्रकार २४८

दृष्टिकोण की अयथार्थता

देखें—मिथ्यादृष्टि

दृष्टिकोण की अस्पष्टता १७०

दृष्टिकोण की यथार्थता

देखें—सम्यग्दृष्टि

देश ११०

द्रव्य ९, १२, देखें—गुण, पर्याय

—के विशेष गुण १३३-१३७

—के सामान्य गुण १२१-१२६

द्रव्य इन्द्रिय २१४, २१७

—की उपयोगिता २१७

—के भेद २१४

द्रव्यत्व १२३, १२४

द्रव्य मन ६४, ७९, २२६, २२७

द्रव्यश्रुत १७७

ध

धर्म (गतिसहायक द्रव्य)

देखें—धर्मास्तिकाय

धर्म (आत्म-शुद्धि का साधन) १, २,

४, १२, ६५, ६६, ९९-१०१, १२०,

१४४, १९८, १९९

—और जीवन-व्यवहार २६-

२९, ९१-९३

धर्म (स्वभाव) १२, ११९, १२०

—के दो प्रकार ११९

धर्मास्तिकाय ९, १३, १४, २०-२२,

१०५, १०६, १११, ११३, १३३,

१३४, १३६

—की अवगाहना १११, ११३

—की स्थिति १०५, १०६

धारणा १६३, १७४, १७६

धार्मिक १२०, १२२

धार्मिकता २८, २९, ६६

म

नरक ६६, ६७

नाम कर्म २३३, २३४, २४८, २५७,

२५८, २६०

नारी १६, १७, २२१, २२२

निकाचित कर्म २३९

निद्रा २५३, २५४

—के पांच प्रकार २५३, २५४

निमित्त कारण १३

निराशा देखें—आशा

निर्जरा १५१

निर्वृत्ति इन्द्रिय २१४, २१७, २१८

नैश्चयिक काल ११८

प

परत्व (काल का लक्षण) १०२, १०३

परभावी धर्म (स्वभाव) ११९, १२०

परमाणु ६९-७३, ७५-७९, ८३, ८५,

१०९, ११३

—की अवगाहना ११३

—सम्प्लेप की प्रक्रिया ८३-८५

परिणाम (काल का लक्षण) १०२,

१०३

परिवर्तन १३८, २६४
 पर्याय ९, १२, १३८-१४२, १४६, १४७,
 १४९, १५०
 —के प्रकार १४६, १४७
 —के लक्षण १४९, १५०
 पाप १५१, १५२
 पारिणामिक भाव २३७, २४५, २४६,
 २६२
 —के प्रकार २६२
 पुण्य १५१, १५२
 पुद्गल देखे—पुद्गलास्तिकाय
 पुद्गलास्तिकाय ९, ४५-५०, ५३ ६१,
 ६४, ६५, ६७-७३, ७९, ८०, १०५,
 १०९, ११३, ११४, १२२, १२७,
 १३१, १३४, १३६, १३७, १४०-
 १४२, १४६ देखें—स्कंध,
 परमाणु
 —की अवगाहना ११३, ११४
 —की स्थिति १०५.
 —के प्रकार ६४, ६९, ७९
 —के लक्षण ४८-५०, ५३, ६१,
 ६५, ६७-७०
 पुनर्जन्म २४
 पुरुष २२१, २२२
 पूर्वजन्म २४
 पृथक्त्व (पर्याय का लक्षण) १५०
 प्रकाश ६०, ६१, ६४
 प्रकृति (कर्म) १२८
 प्रतिपाति अवधिज्ञान १८९, १९०
 प्रतिस्त्रोत ४१, ४२
 प्रदेश १०, ११०, १११
 प्रदेशवत्त्व १२५
 प्रमेयत्व १२४

प्रवचन सुनने का उद्देश्य ९१, ९२
 प्रवचनकार की सफलता १९५, १९६
 प्रायोगिक बंध ५३
 प्रायोगिक शब्द ४९
 —के भेद ४९
 व
 वंध (नी तत्त्वों में एक तत्त्व) १५१,
 १५२
 वंध (पुद्गल का लक्षण) ५३
 —के भेद ५३
 वंधन १२८, १३०
 श
 भगवान देखें—ईश्वर
 भय २५, २०३, २०४
 भवभ्रमण का हेतु ११६, ११७
 भवी देखें—भव्य
 भवोपग्राही कर्म २२४
 भव्य १४३, २६३, २६४
 भव्यत्व २६३, २६४
 भाव (आत्मा का स्वरूप) २३०-
 २३५, २३७, २३९, २४५-२५८,
 २६३
 —के प्रकार २३०, २३७
 भाव इन्द्रिय १५३, २१४-२१८
 —के प्रकार २१५
 भाव मन २२६, २२७
 भाषात्मक प्रायोगिक शब्द ४९
 भेद (पुद्गल का लक्षण) ५८, ५९
 —के प्रकार ५८
 भेदात्मक दृष्टि १७३
 म
 मंदिर ४, ५
 मति अज्ञान २०६, २४८

मतिज्ञान १७४, १७७, १९४, १९५,

२४८

—और श्रुतज्ञान में अन्तर १७७

—के प्रकार १७४

मध्य लोक देखें—तिर्यक् लोक

मध्यस्थ भाव देखें—समता

मन.पर्यायज्ञान १९०, १९१, १९४,

१९९, २०१, २४८

—और अवधिज्ञान में अन्तर

१९९, २०१

—के भेद १९४

मन.पर्यायज्ञान देखें—मनःपर्यायज्ञान

मन २२२-२२९

—और इंद्रियो का अन्तर २२३,

२२४

—की अवस्थिति २२८, २२९

—के दो प्रकार २२६

—को नियंत्रित करने की

प्रक्रिया २०९

—(नो) वर्गणा देखें—द्रव्य मन

मनुष्यलोक ११८

महिला देखें—नारी

मारणान्तिक समुद्रघात ५९

मिथ्यात्व देखें—मिथ्यादृष्टि (दृष्टि)

मिथ्यात्वी देखें—मिथ्यादृष्टि (व्यक्ति)

मिथ्यादृष्टि (व्यक्ति) १४३, १४४,

२४९

—से सम्यग्दृष्टि बनने का मार्ग

१४३, १४४

मिथ्यादृष्टि (दृष्टि) १६३, १६५,

१७०, २४८, २४९

—के दो प्रकार २४९

मिथ्याश्रुत देखें—असम्यक् श्रुत

मिश्र दृष्टि २४९

मिश्र शब्द ४९

मूर्तत्व १३६, १३७

मूर्ति ३, ४

—पूजा ३, ४, १२९

मृत्यु ४१, १२२

मैत्री २५, २६

मोक्ष ८, ९, १५१

मोहनीय कर्म २०३, २०४, २३३, २३४,

२४८, २४९, २५७, २५८, २६०

मीत देखें—मृत्यु

मीन की शक्ति ७३

र

रज्जु ३२

रस ४५, १३४, १३५, १३७, २१९

रूप २१९, २२०

ल

लब्धि इन्द्रिय २१५, २१७, २१८

लेश्या २५३, २६०

लोक २१, ३१-३३, ३५, ३६, ४२, १०६

—की स्थिति—४३

—के विभाग ३२, ३५

—पुरुष ३२

व

वचन वर्गणा ६४, ७९, ८०

वनस्पति २०

वर्गणा ६४

वर्ण ४५, १३४, १३५, १३७

वर्तना १०२

—हेतुत्व १३३, १३४

वर्धमान अवधिज्ञान १८९

वस्तुत्व १२३

वायु के दो प्रकार ४३

वासना १४९

विकार का कारण १९६-१९८

विगय १३८, १३९

विधवा १६, १७

विपुलमति मन.पर्याय ज्ञान १९४

विभंग अज्ञान २०४, २०५, २४८

विभाग (पर्याय लक्षण) १५०

विभाव पर्याय १४७, १४९

नियोग ४१

विश्वास १३६

विषय (इन्द्रिय विषय) २१९-२२१

वीतरागता २०३

वीर्य १३५, १३७, २४८, २४९

वेद २५३, २५८

वेदनीय कर्म २३३, २३४, २४८, २५७

वैचारिक सहिष्णुता ३७, ३८, ९८

वैशेषिक दर्शन ५४

वैस्रसिक बध ५३

वैस्रसिक शब्द ४९

व्यंजन पर्याय १४६, १४७

व्यंजनावग्रह १७५

व्यावहारिक काल ११८

श

शक्ति देखे—वीर्य

शब्द ४९, ५०, २१९, २२०

—के भेद ४९

—प्रयोग का विवेक ५०, ५१

शरीर ४०, ४१, ४६, २१७, २५३, २५८

शास्त्रार्थ का उद्देश्य ५१, ५२

श्रद्धा १०६, १०७

श्रावकपन देखें—सयमासयम

श्रुत अज्ञान २०४, २०६, २४८

श्रुतज्ञान, १७४, १७७-१८२, १८४,

१९५, २४८

—का माहात्म्य १८०

—के भेद १८२

श्वास २२८, २२९, देखें—दीर्घ श्वास

श्वासोच्छ्वास वर्गणा ६४, ७४, ८०

ष

षड्रव्यो की अवगाहना १११-११८

षड्रव्यो की स्थिति १०५, १०६, १०९

१११

स

संख्या (पर्याय लक्षण) १५०

संज्ञिश्रुत १८२

सत १४८, १४९, १९१, १९२, २०१

२४२

—जनो का स्वभाव १४८, १४९

संप्रदाय १-३, ५

सयम १४३, १४४

सयमासयम २४८, २४९

सयमी १४४

सयोग ४१, १२२, १२३

सयोग (पर्याय लक्षण) १५०

सवर १५१

संसार ८, ९, ३२, ३३, ३६

संस्कृति ३९, ४०

संस्थान (पुद्गल लक्षण) ५६, ५७

—के भेद ५६, ५७

संस्थान (पर्याय लक्षण) १५०

सघन वायु ४३

—का प्रयोग ४३

सचित्त का त्याग ४६, ४७

सत् ११

सत्यग्राही दृष्टिकोण ३

सत्संस्कार १०८

सपर्यवश्रुत १८२, १८६

समता २४१-२४४

समनस्क १८२, १८३

समवसरण २५

समुद्घात ५५, ५९

सम्यक्त्व देखे—सम्यग्दृष्टि (दृष्टि)

सम्यक्त्वही देखें—सम्यग्दृष्टि (व्यक्ति)

सम्यग्दृष्टि (व्यक्ति) १४३, १४४

सम्यग्दृष्टि (दृष्टि) १४४, १६३-१६५,

१७०, २४८, २४९

सम्यक्श्रुत १८२, १८५

सहभावी वर्म (स्वभाव) ११९, १२०

साख्य मतावलम्बी १२८

साम्प्रदायिक व्यामोह/अह/दृष्टिकोण

३, २७, २८

साकार उपयोग १६०, १६२, १७२

देखें—ज्ञान

साक्षरता अभियान १८३, १८४

सातवेदनीय कर्म ३०, २५८

—बंधन के कारण ३०

सादिश्रुत १८२, १८५, १८६

साधक ४२, १५४, २०१

साधना १५४, १५५,

—का अर्थ १५५

—की भूमिका १५४

साधु देखे—सत

सामायिक १२९, २००

सिद्धशिला ३२, १२७

सुकृत २३८, २३९

सुत्र १०, ४१, १३५, १३७, २५३, २५७

—प्राप्ति का मार्ग ३०

मुनने-जानने की सार्थकता १८४, १८५

सृष्टि ३६, ३७, ३९, ४०

सेवक १४८

सेवा १०८

सौक्ष्म्य (पुद्गल का लक्षण) ५४

—के भेद ५४

स्कंध ५५, ६९, ७०, ७७-७९, १०९,

११३, ११४

—की अवगाहना ११३, ११४

—के प्रकार ७९

स्थितिहेतुत्व १३३, १३४, १३७

स्नेह १२६, १२७

स्पर्श ४९, १३४, १३७, २१९

स्थूल्य (पुद्गल का लक्षण) ५४, ५५

—के भेद ५५

स्याद्वाद ६

स्वतन्त्रता १०७, १०८

स्वभाव पर्याय १४६, १४९

स्वय के अस्तित्व की पहचान १५७-

१५९

स्वर्ग ६६, ६७

स्वाभाविक स्कंध ७९

स्वार्थ १५६

ह

हिंसा १६३ देखें—अहिंसा

हीयमान अवधिज्ञान १८९, १९०

नामानुक्रम

अ

अकबर २१६
अगस्त्य ऋषि १६०
अजमेर १७
अतिमुक्तक (मुनि) १९२
अरिष्टनेमि ९०, ९१, ९३

क

कणाद ५४
कवीरदास ९९
कस्तूर वा ३७
कालूगणी ६९, ८८, १२३, १७८
किसन (राज० कवि) ९६
कुती ४१
कुंदकुद ९
कृष्ण ९४, ९५
कोशा (नगरवधू) २२१, २२२
क्राइस्ट २७, २८

ग

गंगासिंह ६९, ८७
गजनवी ९६
गणेशमल कठौतिया २०९
गांधी २८, ३७, ७३
गेरूलाल व्यास १८१
गौतम (गणधर) १३, २५, १८६

च

चंद्रमान (मुनि) २४६, २४७

छ

छापार २०९
छोगमल चोपड़ा २२५, २२६

ज

जगदीशचन्द्र वसु २०
जयपुर ४
जेकोबी (हर्मन जेकोबी) ६२
जैन विश्व भारती ४३
जैन सिद्धांत दीपीका १, ७, ८
ज्ञाता सूत्र ९०, १४०
ज्ञाताधर्मकथा देखे—ज्ञातासूत्र

ड

डालगणी ६८

त

तिलोकचन्द्र (मुनि) २४६, २४७
तुलसीदास (गोस्वामी) १५८
तूती (अकबर की शाहजादी) २१६

थ

थावर्चा ९०, ९१, ९४
थावर्चापुत्र ९०, ९१, ९३-९५
थोम्स (डा. एफ० डब्ल्यू० थोम्स)
१३०, १३१

द

दशरथ २४१
दशवैकालिक सूत्र १४३
दानचंद चोपड़ा १३०

दिल्ली ९७, २०८

द्वारिका ८०

प

पंचास्तिकाय ९

पारमार्थिक शिक्षण सस्था १८१

पाकिस्तान ९७

पाली २४६, २४७

ब

बाइबिल २७

बीदासर १३०

बुद्ध १७०, १७१

बेनाथा १३०

भ

भद्रबाहु (आचार्य) २२१

भारतवर्ष ९६, ९७

भिक्षु (आचार्य) ३, ४, १३, ९८, १००,

१२६, १३९, १४०, १८१, १९५,

१९८, २४६, २४७

भैरुदान चोपडा २२५

म

मगनलालजी (मुनि) १५९

महावीर ८, १३, २५, २७, २८, १०२,

१४३, १५४, १८६, १९२, २०१,

२३५, २५१

मेघकुमार १०३, १०४

य

यशपाल (काँमरेड) ६१, ६२

यीशु देखे—क्राइस्ट

र

राधाकृष्णन् ६२

राम ५६, ७८, २४१

रामायण ३३, ५६, ७८

रायचन्द्र (श्रीमद्) २८, २९

रावण ७८

रायपुर १८१

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ १८४

ल

लक्ष्मण ५६, ७८

लखनऊ ६, ६१

व

वदना (साध्वी) १८४

वारन् (डा हर्वर्ट वारन्) १३०, १३१

विजयचन्द्र पटवा २४६, २४७

विनयविजय (उपाध्याय) ९५, १७१

वृन्दावन १५८

श

शंकराचार्य (आदि) ६

शुभकरण दस्सानी १३१

स

सम्पूर्णानन्द ६

सरदारशहर १८३

सीता ५६

सुकरात १५९, १६०

सुखलाल (मुनि) २१६

स्थूलिभद्र (मुनि) २२१, २२२

ह

हनुमान ५६

हीरालाल आचलिया २२६

पारिभाषिक शब्दकोष

अंतर्मुहूर्त—दो समय से लेकर एक मुहूर्त में एक समय कम तक का सारा काल-मान अन्तर्मुहूर्त कहलाता है। देखे—समय, मुहूर्त।

अध्यवसाय—चेतना का सूक्ष्म स्तर।

अनन्तानुबंधी—जिसके उदयकाल में व्यक्ति को सम्यग्दर्शन न हो सके, वह मोहकर्म।

अनवस्था दोष—अप्रामाणिक नए-नए धर्मों की ऐसी कल्पनाएं करना, जिनका कहीं अन्त न आए। जैसे—जीव की गति के लिए गतिमान वायु की, उसकी गति के लिए किसी दूसरे गतिमान पदार्थ की, उसके लिए फिर तीसरे गतिमान पदार्थ की कल्पना करना। इस प्रकार चलते चले, आखिर हाथ कुछ न लगे—निर्णय कुछ भी न हो, वह अनवस्था दोष है।

अप्रमाद—अध्यात्म में उत्साह, जागरूकता।

अमनस्क—भूत, भविष्य एवं वर्तमानकाल सम्बन्धी विचार-विमर्श करने वाली सज्ञा से रहित प्राणी—मन-रहित प्राणी।

अयोगीकेवली—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति मात्र का निरोध करनेवाला केवली। देखे—केवली।

अर्धपुष्कर—सोलह लाख योजन विसकम्भ (व्यास) वाला द्वीप, जो कालोदधि समुद्र के बाद में है, वह पुष्कर है। उसका आधा हिस्सा अर्धपुष्कर है। देखे—कालोदधि।

अवसर्पिणी—अवनतिकाल—सुख से दुःख की ओर जाने वाला काल। काल-चक्र का पहला चक्र। इसका कालमान दस क्रोड़ाक्रोड़ सागर का होता है। इसके छह विभाग (अर) होते हैं—१. एकान्त सुखमय। २. सुखमय। ३. सुखदुःखमय ४. दुःखसुखमय ५. दुःखमय ६. एकान्त दुःखमय। देखे—उत्सर्पिणी, क्रोड़ाक्रोड़, सागर।

अविरति—अत्यागवृत्ति।

अविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थान—चौथा गुणस्थान, जहां पर प्राणी को सम्यग्-दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, पर व्रत (सयम) का सर्वथा अभाव होता है। देखे—गुणस्थान।

आवलिका—सर्व-सूक्ष्मकाल को समय कहते हैं। ऐसे असंख्य समयों की एक आवलिका होती है। एक मुहूर्त में १,६७,७७,२१६ आवलिकाएं होती हैं। देखें—मुहूर्त।

उत्सर्पिणी—विकास-काल—दुःख से सुख की ओर जानेवाला काल—काल-चक्र का दूसरा चक्र। इसका कालमान दस क्रोडाक्रोड सागर का होता है। इसके छह विभाग (अर) हैं—१. एकात दुःखमय २. दुःखमय ३. दुःखसुखमय ४. सुखदुःखमय ५. सुखमय ६. एकान्त-सुखमय। देखें—अवसर्पिणी, क्रोडाक्रोड, सागर।

कर्म—आत्मा की शुभ एवं अशुभ प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट पुद्गल।

कषाय—क्रोध, मान, माया और लोभ से रंजित आत्म-परिणाम।

कालचक्र—एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी का एक कालचक्र होता है। इसकी काल अवधि बीस क्रोडाक्रोड सागर वर्ष होती है। देखें—अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, क्रोडाक्रोड, सागर।

कालोदधि—घातकीखंड से आगे, उससे दुगुना विसकम्भ (व्यास) वाला समुद्र। देखें—घातकीखंड।

केवलिसमुद्घात—केवलज्ञानी के वेदनीय कर्म अधिक हो और आयुष्य कर्म कम हो, तब दोनों को समान करने के लिए स्वाभावतः आत्म-प्रदेश समूचे लोक में फैलते हैं। यह केवलिसमुद्घात कहलाता है।

केवली—सम्पूर्ण निरावण ज्ञान—सर्वज्ञता—केवलज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति।

क्रोडाक्रोड— $10000000 \times 10000000 = 100000000000000$ वर्ष।

क्षयोपशम—उदयावलिका में प्रविष्ट घातिकर्म का क्षय और उदय में न आए हुए घातिकर्म का उपशम अर्थात् विपाकरूप में उदय नहीं होता है, उसे क्षयोपशम कहते हैं। वह उपशम क्षय के द्वारा उपलक्षित है, अतएव क्षयोपशम कहलाता है। देखें—घातिकर्म (घात्यकर्म)।

गति—नाम कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से प्राणी ससार में नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव रूप में जन्म धारण करता है।

गुणस्थान—आत्मा की क्रमिक विशुद्धि को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान चवदह हैं—१. मिथ्यादृष्टि २. सास्वादनसम्यग्दृष्टि ३. मिश्रदृष्टि ४. अविरतसम्यग्दृष्टि ५. देशविरत ६. प्रमत्तसयत ७. अप्रमत्तसयत ८. निवृत्तिवादर ९. अनिवृत्तिवादर १०. सूक्ष्मसपराय ११. उपशान्त-मोह १२. क्षीणमोह १३. सयोगीकेवली १४. अयोगीकेवली।

घात्यकर्म—आत्मा के मूल गुणों की घात करने वाले, उन्हें विकृत करने वाले कर्म। वे चार हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय। सघन प्रयत्न से ही इनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए इन्हे घनघाती कर्म भी कहते हैं।

चारित्र्य—महाव्रत आदि धर्मों का आचरण करना चारित्र्य है ।

चारित्र्यमोहनीयकर्म—मोहनीयकर्म की वह अवस्था, जो आत्मा के चारित्र्य गुण को विकृत करती है ।

छद्मस्थ—जो केवली नहीं है । देखें, केवली ।

जम्बू द्वीप—एक लाख योजन विसकम्भ (व्यास) वाला द्वीप, जो सभी द्वीप-समुद्रों के मध्य में है ।

जाति—इन्द्रियो की अपेक्षा से किया जाने वाला जीवों का वर्गीकरण ।

तिर्यंच गति—एकेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तक के सारे प्राणी तथा पशु-पक्षी आदि पचेन्द्रिय प्राणी ।

तीर्थंकर—० धर्मचक्र प्रवर्तक ।

० साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविक—इन चार तीर्थों के संस्थापक ।

त्रस जीव—हित की प्रवृत्ति एवं अहित की निवृत्ति के निमित्त गमनागमन करनेवाले जीव त्रस कहलाते हैं ।

दर्शनमोहनीयकर्म—मोहनीयकर्म की वह अवस्था, जो आत्मा के श्रद्धा (दर्शन) गुण को विकृत करती है ।

धातकीखड—चार लाख विमकम्भ वाला द्वीप, जो लवणसमुद्र के वाद में है । देखें—लवणसमुद्र ।

निरवद्य—पापरहित ।

निर्जरा—० पूर्व मचित्त कर्मों का टूटना ।

० कर्मों को तोड़ने के लिए किया जाने वाला तप ।

पल्योपम—सभ्या से ऊपर का काल—असख्यात काल, उपमा काल—एक चार कोस का लम्बा-चौड़ा और गहरा कुआं है । उसमें नवजात यौगलिक शिशु के केशों को, जो मनुष्य के केश से ४०९६ हिस्से जितने सूक्ष्म होते हैं, अमख्य खड कर ठूस ठूम करके भरा जाए, प्रति सौ वर्ष के अन्तर से एक-एक केशखड निकलते-निकलते जितने काल में वह कुआं खाली हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं ।

पाप—अशुभ कर्मों का उदय ।

पुण्य—शुभ कर्मों का उदय ।

पुद्गलपरावर्तन—अनन्त कालचक्र का एक पुद्गलपरावर्तन होता है । देखें—कालचक्र ।

प्रदेशोदय—कर्म जब उदय अवस्था को प्राप्त होता है, तो पहले प्रदेशोदय होता है, फिर विपाकोदय । प्रदेशोदय में कर्म का नाम मात्र उदय होता है । उसका फल तो विपाकोदय में ही मिलता है । देखें—विपाकोदय ।

प्रमाद—संयम के प्रति अनुत्साह, अजागरूकता ।

प्रायश्चित्त—दोष-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान ।

प्रासुक—निर्जीव ।

बंध— ० आत्मा और कर्म-पुद्गलों का संबंध ।

० आत्मा द्वारा कर्म-पुद्गलो का सग्रहण ।

बादर जीव—स्थूल जीव—वे जीव, जो इन्द्रियगम्य बन सके ।

भवोपग्राही कर्म—केवली हो जाने के पश्चात् अवशिष्ट रहने वाले चार अघात्य कर्म, जो उस भव के अन्त में क्षय हो जाते हैं । देखे—केवली ।

मनुष्य लोक—ढाई-द्वीप, जिसमें जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, घातकीखड, कालोदधि और अर्धपुष्कर का समावेश होता है । देखे—जम्बु द्वीप, लवणसमुद्र, घातकीखड, कालोदधि एवं अर्धपुष्कर ।

मिथ्यात्वमोहनीयकर्म—दर्शनमोहनीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से व्यक्ति मिथ्यात्व को प्राप्त होता है ।

मिश्रमोहनीय कर्म—दर्शनमोहनीय कर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से व्यक्ति मिश्रदृष्टि को प्राप्त होता है ।

मुहूर्त—४८ मिनट का कालखंड ।

मोक्ष—कर्म का सर्वथा क्षय होने पर आत्म-स्वरूप की उपलब्धि ।

यथाख्यात चारित्र्य—वीतराग का चारित्र्य । देखे—वीतराग ।

योग—मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति ।

योजन—दूरी मापने का प्राचीनकालीन माप । सामान्यतः एक योजन के आठ मील होते हैं । पर जो शाश्वतकालीन क्षेत्र आते हैं, उनके माप सामान्य से १००० गुने होते हैं । अतः इस सदर्थ में १ योजन = ८०० मील होता है ।

लवणोदधि—जम्बूद्वीप के बाद, उससे दुगुना विसकम्भ (व्यास) वाला समुद्र । देखे—जम्बूद्वीप ।

विपाकोदय—जब कर्म उदय में आते हैं (अर्थात् भोगे जाते हैं), तब वे दो प्रकार से उदय में आते हैं—पहले प्रदेशोदय अर्थात् सत्ता (अवाधा काल) की समाप्ति पर कर्मों का आत्म-प्रदेशो में भोगा जाना । उसके पश्चात् वे विपाकोदय में होते हैं, जिसमें वे अपना फल देते हैं । विशेष पुरुषार्थ के द्वारा विपाकोदय न होने दिया जाए, तो विना फल-भुक्ति भी आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है । क्षयोपशम में भी यही प्रक्रिया होती है । देखे—क्षयोपशम ।

वीतराग—राग-द्वेष से मुक्त आत्मा ।

शुमयोग—मन, वचन और काया की सत्प्रवृत्ति ।

संज्ञी—देखें—समनस्क ।

संयम—देखें—चारित्र्य ।

संवर—कर्म का निरोध करनेवाली आत्मा की अवस्था ।

समनस्क—भूत, भविष्य और वर्तमानकाल सम्बन्धी विचार-विमर्श करने वाली संज्ञा से सम्पन्न प्राणी—मन-सहित प्राणी ।

समय—काल का अविभाज्य अंश, सूक्ष्मतम, इकाई ।

समवसरण—तीर्थंकर का प्रवचन मंडप ।

समुद्घात—वेदना आदि में तन्मय होकर आत्म-प्रदेशों के इधर-उधर प्रक्षेप करने को समुद्घात कहते हैं । समुद्घात के सात प्रकार हैं—
१. वेदना २. कषाय ३. मारणान्तिक ४. वैक्रिय ५. आहारक
६. तैजस ७. केवली ।

सम्यक्त्वमोहनीयकर्म—दर्शनमोहनीयकर्म की एक प्रकृति, जिसके उदय से व्यक्ति क्षायिक सम्यक्त्व से वंचित रहता है ।

सयोगीकेवली—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति से युक्त केवली । देखें—
केवली ।

सागर—देखें—पृष्ठ ८६ ।

सावध्य—पापमय ।

सिद्धशिला—लोकान्त का वह भाग, जहाँ सिद्ध स्थित हैं ।

सूक्ष्मप्राणी—इन्द्रियों के द्वारा जिनके अस्तित्व नहीं जाना जा सकता, वे प्राणी ।

स्थावर जीव—हित की प्रवृत्ति एवं अहित की निवृत्ति के निमित्त गमना-गमन करने की शक्ति से रहित प्राणी ।

प्रेरक वचन

- धर्म संप्रदाय की चौखट में नहीं समाता । (१)
- धर्म आत्मा है, सम्प्रदाय शरीर । जिस प्रकार आत्मा शरीर में रहती है, उसी प्रकार धर्म सम्प्रदाय में रहता है । जिस प्रकार आत्मा-विहीन शरीर का संसार में कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार धर्म के बिना सम्प्रदाय की मूल्यवत्ता ही क्या ? (२)
- एक सम्प्रदाय को स्वीकार करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं कि व्यक्ति दूसरे-दूसरे सम्प्रदायों के सत्य के प्रति आंखें मूंद ले । वस्तुतः सत्य/ज्ञान अनन्त है । वह किसी सम्प्रदायविशेष की वपौती नहीं है । हमारा काम है, जहाँ भी सत्य मिले, उसे सहर्ष ग्रहण करें । (२)
- जो सम्प्रदाय परस्पर लड़ते-झगड़ते हैं, उन्हें धर्म-सम्प्राय कहलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए । (३)
- जहाँ सत्यग्राही दृष्टिकोण होता है, वहाँ भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय होकर भी उनमें परस्पर कोई वैमनस्य नहीं होता । पर जहाँ दृष्टिकोण साम्प्रदायिक होता है, वहाँ सत्य की हत्या हो जाती है और अपने-अपने अह का पोषण होने लगता है । इसकी परिणति होती है— टकराव । (३)
- मन्दिर में जाने या न जाने से धर्म का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । धर्म तो आत्मा का तत्त्व है । वह मन्दिर में भी किया जा सकता है, घर व दुकान में भी किया सकता है । इसके विपरीत यदि कोई न करे, तो घर पर भी नहीं कर सकता, मन्दिर में भी नहीं कर सकता । (४)
- विधवा और सुहागिन का उतना महत्त्व नहीं, जितना कि जीवन की पवित्रता एवं धर्माराधान का है । (१७)
- जब तक समाज कुरुडियों एवं अन्धविश्वासों से मुक्त नहीं होता, तब तक उसका विकास असंभव है । (१८)

- दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझो । जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक दूसरों को दुःख न देने की बात को समझना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है । (२५)
- दूसरो को दिया जानेवाला दुःख स्वयं का ही दुःख बनता है । दूसरों को पहुँचाई गई पीड़ा स्वयं की ही पीड़ा बनती है । (२६)
- मनुष्य जाति के लिए सचमुच यह अत्यन्त गौरव की बात होती, यदि वह पराए दुःख को अपना दुःख समझना सीख जाती । (२६)
- अहिंसा व मैत्री ही धर्म की बुनियाद है । इसके बिना धर्म कहीं टिक नहीं सकता । (२६)
- यह बहुत महत्त्व की बात नहीं कि किस धर्म में कितनी ऊँची-ऊँची बातें कही गई हैं । बहुत महत्त्वपूर्ण बात यह है कि धर्म के उन आदर्शों को जीवन में कहाँ तक उतारा जाता है । यदि व्यक्ति के जीवन-व्यवहार में अपने धर्म के ऊँचे-ऊँचे आदर्श नहीं आए तो केवल उन आदर्शों के आधार पर अपने धर्म का गौरव गाना बहुत मूल्यवान् नहीं है । (२६)
- किसी दूसरे को शत्रु समझो ही मत । शत्रु या मित्र तुम्हारी स्वयं की आत्मा ही है । (२८)
- धर्मगुरुओं का कार्य केवल ऊँचे-ऊँचे आदर्शों का गुणगान करना और उनके आधार पर अपने-अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करना नहीं, अपितु उन आदर्शों के साचे में अनुयायियों को ढालना है । (२८)
- धर्म का जितना नुकसान तथाकथित धार्मिकों द्वारा हुआ है, उतना अधार्मिकों व नास्तिकों के द्वारा नहीं हुआ । (२८)
- कोई किसी को सुखी बना सके, यह किसी के हाथ की बात नहीं । संभाव्य यही है कि कोई किसी को दुःखी न बनाए ।
- कोई किसी को जिला सके, यह सर्वथा असम्भव बात है । पर कोई किसी को मारे नहीं, यह अहिंसा और मैत्री का व्यावहारिक एवं सम्भावित रूप है । (३०)
- दूसरो को दुःख न देना ही सुख-प्राप्ति का एक मात्र मार्ग है । (३०)
- धर्मक्षेत्र में वितडावाद/लड़ाई-भगड़े को कोई स्थान नहीं है । वहाँ तो एकमात्र हृदय-परिवर्तन का मार्ग ही मान्य है । (३७)
- धर्म के नाम पर कहीं भी किसी प्रकार का सघर्ष होता है तो वह समूचे धार्मिक जगत् के लिए बहुत बड़ा कलक सिद्ध होता है । (३७)
- विरोधी विचारों को सुनकर विवाद करना या सघर्ष करना कभी भी श्रेयस्कर नहीं हो सकता । (३७)

- हमारे सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता में ईश्वर को बीच में लाना उचित नहीं है । (४०)
- हम दुःख नहीं चाहते हैं तो हमें सुख-सुविधा को छोड़ना होगा । सुख से दुःख जुड़ा हुआ है । सुख के पीछे दुःख और दुःख के पीछे सुख का क्रम उसी प्रकार चलता है, जिस प्रकार रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात । (४१)
- जो व्यक्ति प्रतिस्रोत में बहने की तैयारी कर लेता है, वह दुःख का पार पा लेता है । (४१)
- अनुकूलता और अनुस्रोत में तो सभी लोग बहते ही हैं, पर जो प्रतिकूलता में, दुःख में और प्रतिस्रोत में भी अपनी समता को खडित नहीं होने देता, वह सचमुच ही महान् है । (४१-४२)
- अनुभवरहित शाब्दिक उपदेश का बहुत मूल्य नहीं है । (४२)
- दुःख सबके जीवन में आता है पर इतना अवश्य है कि सामान्य आदमी जहाँ दुःख से घबरा जाता है, अपना सन्तुलन खो बैठता है, वही साधक पुरुष अपने आप को सन्तुलित रखने का प्रयास करता है, हसते-हसते दुःख को लांघ जाता है । (४२)
- साधक को अपनी कमजोरी स्वीकार करने में कोई सकोच नहीं होना चाहिए । साधक का अर्थ ही है कि वह अपूर्ण है । यदि अपूर्ण नहीं हो तो साधना की अपेक्षा ही क्या है ? (४२)
- जब तक व्यक्ति सहन करना नहीं सीखता, उसका निर्माण नहीं होता । निर्माण उसी का होता है, जो चोट सहन करता है । (४२)
- जीवन-निर्माण के लिए हर व्यक्ति को कड़ी चोट हसते-हंसते सहन करने का अभ्यास करना चाहिए । (४२-४३)
- शब्दों का प्रयोग करना एक बहुत बड़ी कला है । इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं । जहाँ मधुर भाषण से व्यक्ति जन-जन के मन को जीत लेता है, वही कटु शब्दों के प्रयोग के कारण वह अपने दुश्मन या विरोधी खड़े कर लेता है । (५१)
- व्यावहारिक जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा और महत्त्वपूर्ण सूत्र है—मधुर भाषण । (५१)
- जब अमृत देने से काम चलता है, तो किसी को जहर क्यों दिया जाए ? जब मधुर शब्दों से काम आसानी से चलता है, फिर कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाए ? (५१)
- विचार-भेद किसी से भी हो सकता है । पर विचार-भेद को लेकर किसी पर कटु शब्दों से प्रहार करना मेरी दृष्टि में कदापि उचित नहीं है । मैं इसमें एक प्रकार की हिंसा का दर्शन करता हूँ । (५१)

- व्यक्ति का चित्त जितना साफ और सरल होता है, धर्म उतना ही अधिक उसके जीवन में फलीभूत होता है । (६५)
- अगर प्रतिकूलता में व्यक्ति अपना सन्तुलन नहीं खोता है, तो मानना चाहिए कि उसके जीवन में धर्म फलित हुआ है । (६६)
- गुस्सा करना अधार्मिकता का द्योतक है । (६६)
- बोलने से शक्ति क्षय होती है । उस क्षरित शक्ति को पुनः संगृहीत करने में मौन सर्वाधिक उपयोगी है । (७३)
- पूरे दिन में ऐसे बहुत कम प्रसंग आते हैं, जब बोलना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है । अधिकांश तो व्यक्ति निष्प्रयोजन या बहुत सामान्य प्रयोजन के लिए ही बोलता है । इस तथ्य से अपरिचित होने के कारण लोग अपनी शक्ति का बहुत अपव्यय करते हैं । (७४)
- जिसने अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसने अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना सीख लिया । (८१)
- क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए श्वास-संयम का प्रयोग बहुत उपयोगी है । (८१)
- सभी प्रकार के आंतरिक आवेगों को शांत करने के लिए श्वास-दर्शन व श्वास-संयम का प्रयोग रामदाण औषध है । (८२)
- जो व्यक्ति काल के प्रति जागरूक हो जाता है, वह फिर करणीय कार्य करने में एक क्षण का भी प्रमाद नहीं कर सकता । यानी आज करने का कार्य कल के लिए वही व्यक्ति छोड़ सकता है, जो काल के प्रति जागरूक नहीं है । (८९)
- जो लोग प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनते हैं, उनका हृदय परिवर्तित क्यों नहीं होता ! क्यों उनका मानस आर्द्र नहीं होता ! मुझे लगता है कि ऐसे लोग केवल सुनने के लिए ही प्रवचन सुनते हैं, ग्राहक-बुद्धि से नहीं । यदि ग्राहक-बुद्धि से एक भी प्रवचन सुन लिया जाए तो उससे व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो सकता है । आर्द्र व वैराग्य भावना से परिपूर्ण हो सकता है । (९३)
- काल को सफल बनाने का एक मात्र मार्ग है—संयम की आराधना, धर्म का आचरण । (९५)
- दूसरी-दूसरी संस्कृतियों से अच्छे संस्कारों को ग्रहण किया जाए, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ । पर आंख मीच कर अनुकरण की मनो-वृत्ति को कदापि उचित नहीं मानता । (१०८)
- दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करने का तात्पर्य यह नहीं कि आप अपने अच्छे संस्कारों को भूल जाएं । (१०८)
- सत्संस्कार जीवन की थाती है । (१०८)

- तपस्या बहुत ऊंचा तत्त्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसका महत्त्व है ही, शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा में भी यह कम उपयोगी नहीं है। महीने में यदि दो उपवास होते रहे तो शरीर के पाचन-तंत्र को विश्राम मिलता है। दीर्घ काल तक कार्य करने के लिए यह अत्यावश्यक है। (११३)
- धर्म धार्मिक के जीवन में ही वास करता है। यदि वह धार्मिक के जीवन में नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। (१२०)
- जब तक धर्म धार्मिक के जीवन में नहीं आता, तब तक वह मानव समाज का अपेक्षित हित कभी भी नहीं कर सकता। (१२०)
- जब संसार का प्रत्येक प्राणी/पदार्थ क्रिया करता है, तो मनुष्य निष्क्रिय और निडूला क्यों रहता है? (१२३)
- अभिमान करना अपूर्णता का प्रतीक है। पूर्णता की स्थिति में कभी कोई अभिमान नहीं कर सकता। साप के पास कितना जहर होता है, पर वह कभी भी अपने जहर का प्रदर्शन नहीं करता। लेकिन विच्छू, जिसके पास बहुत थोड़ा जहर होता है, अहं करता है। उसका प्रदर्शन करने के लिए अपनी पूंछ ऊंची करके चलता है !
(१५३)
- जिस साधक के जीवन में यह आत्म-निर्जरा/कर्म-निर्जरा की भावना जितनी प्रबल होती है, उसकी साधना उतनी ही अधिक तेजस्वी बनती है। (१५४)
- मेरे प्रवचन करने का मूलभूत उद्देश्य लोगों को लाभान्वित करना, उनका पथ-दर्शन करना या प्रशंसा पाना नहीं, अपितु आत्म-निर्जरा ही है। हां, इतना अवश्य है कि मेरी इस आत्म-निर्जरा की प्रवृत्ति का ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूरा-पूरा उपयोग होता है तो मुझ सहजरूप से अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति होती है। (१५४)
- पाप को छोड़ने का अर्थ है—धर्म का संग्रहण तथा धर्म की स्वीकृति का फलित है—पाप-मुक्ति। (१५५-१५६)
- स्वार्थ को आप बुरा ही क्यों मानते हैं? स्वार्थ वही बुरा है, जो दूसरों के हितों को चोट पहुंचाता हो। जो स्वार्थ दूसरों के हितों को नहीं रोकता, वह कभी भी बुरा नहीं कहा जा सकता। (१५६)
- यह मन की गुलामी ही तो कारण है कि आदमी नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में फंस जाता है। कषाय में अन्धा बन जाता है। वासना उस पर हावी हो जाती है। (१५७-१५८)

- जिस दिन व्यक्ति अपनी मिल्कियत को जान लेता है, स्वयं को वह यथार्थ रूप में पहचान लेता है, फिर सभी प्रकार की गुलामियों से मुक्त होते उसे समय नहीं लगता । (१५९)
- अहंकार व्यक्ति के अज्ञान का सूचक है । (१५९)
- ज्ञान अनन्त है । वह दो-चार पुरतकों के पढ़ने से कदापि प्राप्त होने-वाला नहीं है । उसके लिए बहुत लम्बी साधना अपेक्षित है । (१६०)
- सबसे पहली अपेक्षा यह है कि व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ बने । यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ हो जाता है तो फिर उसे बुराई से मुक्त होने में समय नहीं लगता । पर जब तक दृष्टिकोण ही अयथार्थ है, तब तक वह बिना मजबूरी भी बुराई को पकड़े रहता है । (१६४)
- व्यभिचार पाप है । मदिरा-पान पाप है । मास खाना पाप है । शोषण और ब्लेक-मार्केटिंग पाप है ।..... पर इन सबसे भी बड़ा पाप है—दृष्टिकोण की अयथार्थता । (१६५)
- यथार्थ दृष्टिकोण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आज चाहे व्यक्ति मजबूरीवश या दुर्बलतावश बुराई करता है, पर ज्योही उसकी मजबूरी समाप्त हो जाएगी या दुर्बलता मिट जाएगी, वह तत्काल बुराई से मुक्त बन जाएगा । (१६५)
- सब पापों में मिथ्या दृष्टिकोण को पाप सबसे बड़ा है (१६५)
- जहाँ गुणग्राही दृष्टि है, वहाँ सब अच्छे-ही-अच्छे हैं (१६७)
- जहाँ दोषग्राही दृष्टि है, वहाँ सब बुरे-ही-बुरे हैं । (१६७)
- दृष्टिकोण का मिथ्यात्व सचमुच बड़ा खतरनाक है । इस गलत दृष्टिकोण के कारण ही व्यक्ति बड़े-बड़े पाप करता है । (१७०)
- जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सम्यक् बन जाता है, वह फिर ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता । झूठा तौल-माप नहीं कर सकता । शोषण व भ्रष्टाचार के सहारे धन का उपार्जन नहीं कर सकता । (१७०)
- जो व्यक्ति सम्यक् दृष्टि को प्राप्त हो जाता है, वह कभी भी दूसरे के गुणों को देखकर ईर्ष्या नहीं कर सकता । (१७१)
- गुणी के गुणगान करने से भी व्यक्ति बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है । (१७१)
- सही दृष्टिकोणयुक्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । (१७१)
- ग्रन्थ और मन्दिर पूजने की वस्तुएं नहीं, पूजने की वस्तु है—ज्ञान । पर ज्ञान की पूजा धूप, दीप और चदन से नहीं हो सकती । उसकी पूजा का तो एकमात्र तरीका यही है कि सच्चे दिल से उसकी आराधना की जाए । (१७९)

- यदि समाज का प्रबुद्ध व चितनशील वर्ग थोड़ा गंभीरता से चिंतन कर कुछ ठोस प्रयास करे तो कोई कारण नहीं कि समाज से निरक्षरता जैसी अशोभनीय चीज बहुत जल्दी समाप्त न हो सके ।
(१८४)
- सुनने का अर्थ यही है कि करणीय कार्य में अपने पुरुषार्थ का नियोजन किया जाए । (१८४)
- साधना की अपरिक्वता में त्रुटियां होना अस्वाभाविक नहीं है । पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं प्रमाद को प्रोत्साहन दे रहा हूँ । प्रमाद को मेरा कोई प्रोत्साहन नहीं है । मेरा प्रोत्साहन तो सदा अप्रमाद को ही है । (१९२-१९३)
- इन्द्रियां स्वयं बुरी नहीं हैं, बुरी है—मन की वासना/राग-द्वेष । इसलिए यदि बुराई से मुक्त होना है तो इन्द्रियों को निष्क्रिय करने से कोई उद्देश्य फलित नहीं होगा । उद्देश्य फलित होने का एकमात्र रास्ता है कि व्यक्ति अपने अन्तर् का शोधन करे । अन्तर्-शोधन की प्रक्रिया का नाम है—धर्म । (१९८)
- धर्म में वह शक्ति है, जो व्यक्ति के अन्तर् को धोकर उसे विलकुल निर्मल बना सकती है । यदि धर्म में यह शक्ति न हो, तो फिर उसकी कोई उपयोगिता या उपादेयता भी नहीं है । (१९८)
- मानव जाति के लम्बे इतिहास में धर्म को समाप्त करने के अनेकानेक प्रयत्न हुए । पर धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ । हा, धर्म को समाप्त करनेवाले अवश्य धार्मिक बन गए या स्वयं समाप्त हो गए । (१९८)
- जब तक धर्म अपने मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति करता रहेगा, तब तक अनन्त काल में भी उसके अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है । (१९९)
- जब स्वयं धार्मिक अपने आत्म-गुणों को छोड़कर वैभाविक गुणों में चला जाता है, दुराचरण करने लगता है तो स्वयं उसका धर्म समाप्त हो जाता है । पर संसार के किसी भी दूसरे व्यक्ति की यह ताकत नहीं कि वह किसी के धर्म को समाप्त कर सके । (१९९)
- दूसरा व्यक्ति अधिक-से-अधिक कुछ करे तो किसी को पीट सकता है । उसके हाथ-पैर तोड़ सकता है । उसे गोली से उड़ा सकता है ।
“पर उसके आत्म गुणों को छीन सके, यह उसके सामर्थ्य से सर्वथा परे की बात है । (१९९)
- धर्म शाश्वत है, धर्म की उपयोगिता शाश्वत है । संसार की कोई भी हस्ती उसके अस्तित्व को कभी मिटा नहीं सकती । (१९९)

- साधु बनने का अर्थ केवल साधु वेप धारण करना नहीं है। यह तो साधु का ऊपरी चिह्न है। हालांकि इसका भी कई दृष्टियों से महत्त्व है। पर निश्चय दृष्टि से तो साधुत्व का सम्बन्ध अन्तर् के भावों से है। जिस दिन अन्तर् में साधुवृत्ति आ जाती है, उस दिन निश्चय नय की दृष्टि से साधुत्व आ जाता है, भले व्यक्ति का ऊपरी वेप गृहस्थ का भी क्यों न हो। (२००)
- भय की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। लोग कहते हैं, भूत खाते हैं। पर मुझे तो लगता है कि लोगो का भूत नहीं, उनका स्वयं का भय ही खाता है। (२०३)
- व्यक्ति सबसे पहले अपनी दृष्टि को सम्यक् बनाए। सम्यग्दृष्टि होने के बाद ही वह ज्ञान-प्राप्ति का सच्चा अधिकारी बनता है। (२०६)
- न इन्द्रियां बुरी है, न इन्द्रियों के विषय बुरे हैं और न इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान ही बुरा है। बुरी है—मन की वासना या आसक्ति। (२२०-२२१)
- क्या सचमुच नारी बुरी है? क्या वास्तव में ही वह वैतरणी, नरक की कुण्डी या राक्षसणी है? यदि 'हां' तो फिर पुरुष नरक का कुण्ड क्यों नहीं? राक्षस क्यों नहीं? नारी को नरक का द्वार या राक्षसणी मानेंगे तो पुरुष को भी नरक का द्वार और राक्षस मानना होगा। (२२१)
- न स्त्री बुरी है और न पुरुष बुरा है। न स्त्री राक्षसणी है और न पुरुष राक्षस है। न स्त्री किसी को दास बनाती है, नाच नचाती है और न पुरुष किसी को दासी बनाता है, नाच नचाता है। ये सब खेल मन के हैं। मन के विकार के हैं। वही राक्षस है। वही राक्षसणी है। उसके कारण ही व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, नाना प्रकार की बुराइयों एवं दुष्प्रवृत्तियों का शिकार बनता है। (२२२)
- मन की वासना का दोष स्त्रियों पर आरोपित करना स्त्री जाति का अपमान है। स्त्रियां हमारी माताएं हैं। उनको तिरस्कृत और अपमानित करना सभ्य समाज के लिए शोभनीय नहीं है। (२२२)
- मन की वासना को जीतने का एकमात्र तरीका यही है कि व्यक्ति बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बने। (२२२)
- धर्म व्यक्ति को अन्तर्मुखी बनाने की प्रक्रिया है। (२२२)
- दुर्जन बुराई करना नहीं छोड़ता तो सज्जन भी अपनी सज्जनता क्यों छोड़े? (२२५)

- हमारा काम अच्छाई का संयोजन करना है, बुराई को हम क्यों देखें ? (२२६)
- यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो फिर वह चलता हुआ भी हमारा अहित नहीं कर सकता । अहित तभी होता है, जब वह हमारे नियंत्रण से बाहर होता है । (२२८-२२९)
- आप अपने श्वास की गति को नियंत्रित करना सीखें । श्वास की गति पर नियंत्रण का अर्थ है—एक भी श्वास आपकी बिना जानकारी के न अन्दर जाए और न बाहर आए । जिस दिन आपने यह कला सीख ली, मानना चाहिए, उस दिन आपने मन को नियंत्रण में करने की कला सीख ली । (२२९)
- परीक्षा सदा घामकों, धीरो और वीरों की होती है । अघामिको, अधीरो और कायर-कमजोरो की कैसी परीक्षा ! कैसी कसौटी !! क्या आपने कभी काच और कोयले को कसौटी पर चढ़ते देखा है ? कसौटी पर तो हीरा या हेम ही चढ़ सकता है । (२४१)
- अनुकूलता में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब है, जब मन के प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होने पर भी व्यक्ति शांत बना रहे । (२४३)
- समता ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला सही राजपथ है । (२४४)
- राजपथ को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति कटकाकीर्ण और टेढ़ी-मेढ़ी पगडडियों में भटक जाता है, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता । (२४४)
- औद्योगिक भाव का निरोध ही हमारी समग्र साधना-पद्धति का चरम ध्येय है । (२५१)
- अच्छी-से-अच्छी वस्तु भी गलत उपयोग से मनुष्य के लिए अहितकारी सिद्ध होती है । विकास के जितने साधन हैं, वे ही ह्रास के साधन भी बन जाते हैं, जब उनका असम्यक् प्रयोग किया जाता है । (२५२)
- पुण्योदय से धन, संपत्ति, संतान आदि भौतिक सुख-सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि तत्त्व पुण्योदय से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते । ये सब चीजें तो कर्मों के उपशम, क्षयोपशम एवं क्षय से ही उपलब्ध हो सकती हैं । (२५३)

- व्यक्ति को आशा उतनी ही करनी चाहिए, जितनी संभव हो। अति आशा का परिणाम कभी सुख नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से वह निराशा को ही आमंत्रण है। (२५६)
- उपदेश देनेवाला उपदेश दे सकता है, रास्ता बता सकता है, पर किसी को जबरदस्ती धार्मिक नहीं बना सकता। (२५७)
- महापुरुष का मुख्य उद्देश्य अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। संसार का सुधरना या न सुधरना उनकी सफलता और असफलता की कसौटी नहीं है। (२५७)
- सीढियाँ ऊपर चढ़ने में तभी सहयोगी बनती हैं, जब व्यक्ति स्वयं ऊपर जाने को तैयार हो। जो स्वयं ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं, उसके लिए सीढियाँ कुछ भी नहीं कर सकती। (२५७)
- उत्थान और पतन दोनों का उपादान कारण व्यक्ति स्वयं ही है। हमारे तो मात्र निमित्त बनते हैं। (२५७)

